अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं

डा. उपनीत लाली

डा. ऋता तिवारी

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली

(पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना भाग-2 के अंतर्गत पुरस्कृत)

अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं

डा. उपनीत लाली

एवं

डा. ऋता तिवारी

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

मूल्य :

प्रकाशक : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

संस्करण : प्रथम, 2009

अक्षरांकन एवं कवर डिजाइन : रचना इंटरप्राइजिज, दिल्ली-110032

APRADH PIDIT MAHILAON KI SAMASYAIN *by* Dr. Upnit Lali and Dr. Reeta Tiwari

तालिका सूची

क्र.सं.	तालिका	पृष्ठ संख्या
अध्याय - 1		
	अपराध की पृष्ठभूमि	**7-35**
1.	सामाजिक पृष्ठभूमि	9-13
2.	सांस्कृतिक पृष्ठभूमि	13-19
3.	राजनीतिक पृष्ठभूमि	19-22
4.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	22-24
5.	आर्थिक पृष्ठभूमि	24-26
6.	मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि	26-35
अध्याय - 2		
	अपराध की प्रकृति और प्रकार	**36-73**
1.	अपराध की परिभाषा	37-40
2.	अपराध के सिद्धांत	40-46
3.	अपराध के कारण	47-56
4.	अपराध का वर्गीकरण	56-60
5.	अपराध के प्रकार	60-67
6.	महिलाओं के संदर्भ में अपराध के सिद्धांत	67-73
अध्याय - 3		
	महिलाओं के प्रति (विरुद्ध) अपराध	**74-157**
1.	बलात्कार/बलात्संर्ग	80-84
2.	व्यपहरण एवं अपहरण	84-88

3.	दहेज हत्या	88-92
4.	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न	92-96
5.	दहेज (निरोधक) अधिनियम	96-98
6.	छेड़ खानी	98-101
7.	यौन उत्पीड़न	101-102
8.	लड़कियों का आयात	102-104
9.	देह व्यापार (निरोधक) अधिनियम	104-106
10.	महिलाओं का अपमानजनक निरूपण	106-107
11.	सती (निरोधक) अधिनियम	108-109
12.	महिलाओं के प्रति अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन	109-111
13.	अपराध संबंधी ग्राफ, चार्ट और तालिकाएं	112-157

अध्याय - 4

अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं और समाधान **158-320**

1.	हिंसा की शिकार	159-164
2.	हिंसापूर्ण व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या	165-168
3.	घरेलू हिंसा के प्रकार	168-169
4.	घरेलू हिंसा के कारण	169-175
5.	घरेलू हिंसा के रूप	175-178
6.	घरेलू हिंसा के निवारण	178-181
7.	हिंसा की अंतर्राट्रीय एवं राष्ट्रीय तुलना	181-188
8.	घरेलू हिंसा के दुष्परिणाम	188-190
9.	भ्रूण हत्या के कारण और परिणाम	190-194
10.	कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपाय	194-203
11.	पीड़ितों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं	203-207
12.	महिला स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक	207-210

13. महिलाओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और बचाव के लिए जागरूकता 210-217

अध्याय - 5
अपराध पीड़ितों का मुख्यधारा में समायोजन **218-316**

1. अपराध पीड़ितों का विवरण और संबंधित सिफारिशें 218-258
2. भारतीय संविधान में महिला सुरक्षा से संबंधी कानूनी अधिकार 258-279
3. अपराध पीड़ितों का समायोजन 279-293
4. निर्व्यक्तीकरण का मानसिक आघात और मानववादी उपागम 293-298
5. अपराध पीड़ितों के लिए समग्र रूप से सिफारिशें 298-316

प्राक्कथन

आज का सभ्य समाज यही चाहता है कि वह अपराध रहित स्वस्थ वातावरण में रहे। लेकिन परिस्थितियों और मानव स्वभाव के कारण शायद यह पूर्णतः संभव प्रतीत नहीं होता। समाज चाहे विकसित देश का हो, विकासशील देश का हो या अविकसित देश का समाज हो, अपराध हर जगह व्याप्त है। लेकिन उनका वातावरण उनकी परिस्थितियां और अपराध के कारण अलग-अलग हो जाते हैं जबकि अपराध सार्वभौमिक सत्य है। आज के समय में केवल पुरुष ही अपराधी हो यह आवश्यक नहीं, महिलाएं भी काफी संख्या में अपराधों में लिप्त पाई गई हैं। अब तक अपराधों के निपटान की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा था लेकिन अब अपराधों को कारित करने वाले अपराधियों की समस्याओं से भी हमको निपटना पड़ रहा है। बदलते समाज में नित नई समस्याएं उजागर हो रही हैं। सजायाफ्ता अपराधियों की समस्याएं बहुत विकराल हैं। इसी समस्या को देखते हुए पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना की मूल्यांकन समिति ने यह विषय निर्धारित किया कि इस समस्या का कुछ निदान सामने आए।

इसके लिए दो लेखिकाओं का चयन करके उनको संयुक्त रूप से लेखन कार्य सौंपा गया। दोनों लेखिकाओं ने अपने अथक परिश्रम से इस समस्या के पीछे का विशुद्ध स्वरूप, उसके कारण और समाधान तो बताए ही हैं, साथ ही ऐसी महिलाएं जो अपराधों व अपराधियों से पीड़ित हैं, उनके लिए ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। मैं समझता हूं कि ये समाधान और सुझाव इस समस्या को सुलझाने में कारगर होंगे और यह पुस्तक सभी पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, जेल अधिकारियों व जेलकर्मियों के लिए काफी उपयोगी होगी।

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना में पुलिस व संबंधित विषयों में मौलिक लेखन को सर्वथा प्रमुखता दी है। ब्यूरो का यह हमेशा प्रयास रहा है कि पुलिस व सामाजिक समस्याओं के निदान से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए अच्छा हिन्दी साहित्य उपलब्ध कराए। इस पुस्तक के लेखन के लिए मैं डा. उपनीत लाली एवं डा ऋता तिवारी का आभार प्रकट करना चाहूंगा तथा इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए ब्यूरो के संपादक हिन्दी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक सभी आम जन के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी जिससे समाज में हो रही नवीन समस्याओं और समाधानों के बारे में जान कर वे इस समस्या से होने वाले प्रभावों पर आत्म-मंथन कर सकेंगे।

प्रसून मुखर्जी
14.7.09.

(प्रसून मुखर्जी)
महानिदेशक
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

अध्याय - 1

अपराध की पृष्ठभूमि

''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता।
यत्रैतास्तु न पूज्यंते स्वर्षस्त्राफलाः क्रिया।।''

मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ सर्वविदित है परन्तु फिर भी इसका सरल अर्थ एक बार समझना आवश्यक है,''जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं अर्थात् देवता वास करते हैं तात्पर्य यह है कि प्रसन्न रहते हैं और इसके विपरीत जहां नारी की पूजा नहीं होती है वहां पर की गया संपूर्ण क्रिया का फल व्यर्थ हो जाता है अथवा वहां सारी क्रियाएं निष्फल रहती हैं।''

आज के संदर्भ में इस उक्ति का व्यवहार में प्रयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसी भी देश अथवा समाज का लगभग आधा भाग नारी ही है। आदिकाल के ऋषियों से लेकर आधुनिक काल के नेताओं ने नारी के इस पचास प्रतिशत की अवहेलना न करने की बात प्रारंभ से कही है और यह सत्य भी है कि केवल पचास प्रतिशत कहीं भी पूर्ण नहीं हो सकता पूर्णता तभी होगी जब शत-प्रतिशत देश अथवा समाज आगे बढ़ेगा अथवा विकास करेगा। भारतीय समाज में नारी को प्रतिष्ठा तो शुरू से प्राप्त है। समय, स्थान, काल और स्थिति के अनुसार परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और नारी प्रकृति में ईश्वर की सर्वोतम कृति है। इसी के साथ यह भी अटल सत्य है कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं और रहेंगे। किसी भी राष्ट्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि वहां ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जा सके जहां इन दोनों (नारी एवं पुरुष)के बीच परिपूरक संबंध बने

रहें और ऐसी समता का विकास हो जो दोनों को एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी न बनाए। कालक्रम के परिवर्तन में यदि प्रतियोगिता हो भी तो स्वस्थ रूप से हो जिससे समाज विकासोंमुख हो ह्रासोंमुख नहीं।

एक नहीं दो-दो मात्राएं 'नर' से बढ़कर 'नारी'---किसी कवि के ये उद्‌गार निश्चय ही नारी को एक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। भारतीय संस्कृति वैदिक काल में नारी की ऐसी ही प्रतिष्ठा की पोषक रही है। भारत को 'भारत माता' मानकर देश ने स्त्री के मातृत्व और परोक्ष रूप से नारी स्वरूप को ही विशाल और शक्तिरूप माना है। प्रत्येक युग में नारी अपने कागया से अपनी महत्ता को बताती रही है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम की झांसी की रानी हो अथवा जौहर की आग में धधकती रानी पद्‌मावती अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ती हैं। भारत के इतिहास में नारी के त्याग और बलिदान के कई महत्वपूर्ण अध्याय जुड़े हुए हैं। नारी देश का भविष्य और आधार स्तम्भ है। भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाएं हैं। भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिए गए हैं फिर भी उनमें से अधिकतर अधिकार उन्हें नहीं मिल पाते। जीवन के सभी पहलुओं में उनके साथ भेदभाव किया जाता है

अधिकांश महिलाएं इसी भेदभाव के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्तर पर काफी पिछड़ गया हैं। इस पिछड़ेपन के कारण उनकी स्थिति समाज में कमजोर हो गया है। इतिहास और संस्कृति में जो गौरवमय रूप उन्हें प्राप्त था वह धूमिल हो गया है। नारी अपनी शक्ति स्वयं ही खो रही है। उसकी इसी कमजोरी के कारण उसका शोषण सरलता से किया जा सकता है। शोषण का स्वरूप धीरे-धीरे अपराध में बदल जाता है। आधुनिक काल में महिलाओं के प्रति अपराध उनके जन्म से पहले से लेकर अर्थात कोख से शुरू हो जाते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन-पोषण, विवाह और अन्य बुनियादी बिंदुओं पर मृत्युपर्यंत होते रहते हैं। इन अपराधों के लिए कहीं न कहीं कुछ आधारभूत कारण होते हैं जो सतत् रूप से इस भेदभाव को बढ़ाते रहते हैं। महिला के विरुद्ध अपराध अथवा हिंसा और दुर्व्यवहार को बढ़ाने में उस

देश की संपूर्ण व्यवस्था अथवा परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। भारत के संदर्भ में हम उन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ऐतिहासिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं जिनके परिणामस्वरूप महिला के प्रति हिंसा, शोषण और अपराध की पृष्ठभूमि बनती है।

1. सामाजिक पृष्ठभूमि

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति की सही और संपूर्ण जानकारी तभी मिल सकती है जब हम इसके समाज की संरचना की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मूलरूप से किसी भी संरचना में उसकी निर्मायक (बनाने वाली) इकाइयों का एक सुव्यवस्थित ढांचा होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक इकाई का एक निश्चित स्थान होता है और सभी इकाइयां एक-दूसरे से संबंधित होते हुए भी समग्र रूप से एक निश्चित रूप अथवा बनावट को प्रकट करती हैं। समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है उसके विभिन्न अंग होते हैं जैसे-- घर, परिवार, स्कूल, कारखाना, अस्पताल, कोर्ट, मंदिर, व्यक्ति आदि। किसी भी सामाजिक ढांचे में इन सबका अपना-अपना निश्चित स्थान होता है साथ ही ये सभी अंग एक-दूसरे से पृथक नहीं होते अपितु उनमें एक पारस्परिक संबंध होता है। इस प्रकार अपने-अपने निश्चित स्थान पर व्यवस्थित रूप से अंतः संबंधित होने के कारण ही समाज की एक निश्चित बनावट दिखाई देती है। उसी को सामाजिक संरचना कहते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना एक विशिष्ट सामाजिक प्रतिमान को प्रस्तुत करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक संरचना से हमें किसी भी समाज के स्वरूप का पता चलता है और हर समाज का स्वरूप एक-सा नहीं होता। तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना के आधार पर हम एक समाज से दूसरे समाज को अलग कर सकते हैं।

भारतीय सामाजिक संरचना को भी अन्य सामाजिक संरचनाओं के समान अपनी विशेषताओं के कारण अन्य समाजों से अलग किया जा सकता है। भारतीय समाज मोटे तौर पर दो प्रकार के वातावरण में विकसित हुआ है। एक तो मूलरूप से ग्रामीण

समाज के रूप में और दूसरा शहरी विकास के परिणामस्वरूप शहर का समाज। ग्रामीण समाज की उत्पत्ति और विकास में कृषि का प्रमुख योगदान रहा है यह एक ऐसा समुदाय है जहां प्राथमिक या घनिष्ठ समूह एक-दूसरे से आंतरिक रूप से अंतःक्रियाएं करते रहते हैं और अपने समाज के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करते अथवा निर्देशित करते रहते हैं। इसके विपरीत शहरों में इस पारस्परिक अंतःक्रिया का अभाव होता है और सामाजिक संपृक्तता कम अथवा ढीली होने के कारण व्यक्ति उच्छश्रृंखल होकर समाज विरोधी कागया की ओर उन्मुख होता है। भारतीय ग्रामीण जीवन में संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा, जजमानी प्रथा और धर्म की प्रधानता आदि प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यहां व्यक्ति विशेष से अधिक उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि पर बल दिया जाता है। परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई होता है अतः अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के व्यवहार पर उसका नियंत्रण होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे और बुरे व्यवहार पर परिवार का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है और एक भी सदस्य के उच्छश्रृंखल व्यवहार पर समाज के द्वारा उसे निर्वासन का डर होता है इसलिए व्यक्ति संयत व्यवहार का अभ्यस्त हो जाता है। इस प्रकार परिवार का सदस्य पारिवारिक प्रथाओं और परंपराओं द्वारा नियंत्रित होता है। भारत के परम्परागत संयुक्त परिवार प्रणाली की वास्तविक झांकी ग्रामीण समाज में ही मिलती है। संयुक्त परिवार में तीन से पांच पीढ़ियों तक स्त्री, पुरुष एवं बच्चे मिलजुल कर खाते-पीते, खेलते और रहते हैं। इस परिवार की मूल में कर्तव्यबोध की भावना ही काम करती है। ''प्रत्येक के लिए सब और सब के लिए प्रत्येक'' यही आदर्श तत्व भारतीय समाज की मूल अवधारणा को मजबूत करता है। ग्रामीण परिवार में अधिकतर आय, व्यय, संपत्ति तथा आवास साझा होता है जो एक संपन्नता का आभास देता है और ''बंद हो मुट्ठी तो लाख की और खुल गया तो खाक की'' कहावत को चरितार्थ करता है। परिवार के बुजुर्ग और बच्चों को ऐसी प्रणाली में पूर्ण सुरक्षा, प्यार और आदर मिलता है जिससे समाज स्वस्थ और संपूर्ण रहता है।

समाज, सामाजिक संबंधों का एक जाल है और इस जाल का आधार है स्वयं समाज के सदस्य। इन सदस्यों की अपनी

आवश्यकताएं, जीवन की आशाएं, आकांक्षाएं एवं उद्देश्य होते हैं। इन सबकी पूर्ति वह स्वयं अपने आप नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसे दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है और परस्पर वे एक-दूसरे से अच्छी या बुरी क्रियाएं करते हैं। यह क्रिया किसी क्रिया के प्रत्युत्तर के रूप में हो सकती है। सहयोग या असहयोग के रूप में हो सकती है। इसी प्रकार से क्रियाएं अर्थपूर्ण रूप में संबंधित होने पर अंतःक्रियाएं बन जाती हैं और इनमें निरंतरता होने पर ये विशिष्ट परिणाम देने के कारण घटनाएं बन जाती हैं और इसे ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया दोनों इस प्रकार अनुस्युत हैं कि इनको एक-दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है यह केवल एक घटना का द्योतक नहीं वरन अनेक घटनाओं का सिलसिला है। सामाजिक प्रक्रिया का तात्पर्य यह नहीं है कि इससे संबंधित घटनाएं समान प्रकृति की हों बल्कि सामाजिक प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि इन घटनाओं के परिणाम एक से हों। उदाहरण के लिए सामाजिक विभेदीकरण, जन्म, प्रजाति, पेशा, शिक्षा, धन या अन्य किसी आधार पर आधारित हो सकता है। पर इनमें से किसी भी प्रकार का विभेदीकरण होगा उसका परिणाम अवश्य ही एक सा होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सामाजिक विघटन की विभिन्न घटनाएं-अपराध, निर्धनता, आत्महत्या, पारिवारिक तनाव आदि है। इनकी प्रकृति अलग-अलग है पर इन सबका परिणाम एक सा ही है। इन सबसे समाज के संगठन अथवा व्यवस्था को ठेस पहुंचती है।

समाज में दो प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं :

1. संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया
2. विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया

संगठनात्मक प्रक्रियाएं समाज को मजबूत करती हैं और विघटनात्मक प्रक्रियाएं समाज को कमजोर बनाती हैं। सहयोग समाज का अथवा सामाजिक जीवन का अनिवार्य अंग है। प्राथमिक

सहयोग में व्यक्ति अपने को समूह के साथ बिल्कुल घुला-मिला अनुभव करता है। यथा परिवार की सुख-समृद्धि के लिए मां-बाप का त्याग इसी प्रकार का सहयोग है। द्वितीय प्रकार का सहयोग व्यक्ति अपनी स्वार्थ-पूर्ति की दृष्टि से दूसरों से करता है। आधुनिक समाज में इसी प्रकार का सहयोग प्रमुख है। तृतीय स्तर का सहयोग मनुष्य परिवर्तित अवस्थाओं से अनुकूलन के लिए दूसरों के साथ करता है। भारतीय समाज में भी अब तक विश्लेषित और व्याख्यापित सभी विशेषताएं हैं।

संपूर्ण विश्व में अधिकतर पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था ही है। ऐसे में महिला का स्थान स्वतः ही द्वितीय हो जाता है। संपूर्ण विश्व में नारी-मुक्ति आंदोलन चल रहे हैं। समानता का नारा हर ओर बुलंद है। भारत में कई महिला संगठन सक्रिय हैं जो नारी को समानता दिलाने के लिए कार्यरत हैं। नारी को प्रगतिशील बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। उनके सामाजिक उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास करते हैं। वास्तविक धरातल पर यदि हम विचार करें तो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत महिला के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार स्पष्ट हो जाएगा। जन्म से पूर्व ही लिंग जांच के बाद कन्या-भ्रूण की हत्या इसी व्यवहार का ज्वलंत उदाहरण है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिला का जन्म लेना भी पुरुषों को नागवार गुजरता है। स्त्री को प्रारंभ से ही समाज में त्याग, बलिदान, तपस्या और कर्तव्य की घुट्टी पिला-पिलाकर बड़ा किया जाता है। जब वह छोटी होती है तो उसे भाई के लिए त्याग करना है उसकी संपूर्ण आवश्यकता भाइयों के बचे हुए संसाधनों से ही पूर्ण होंगी अन्यथा नहीं। विवाह के बाद में पति तो सब सुविधा पाएगा और पत्नी उनको पूर्ण करने में अपने संपूर्ण कर्तव्य को निभाए। अगर वह थोड़ी भी आना-कानी करे तो कुलटा कर दी जाती है। इसके बाद पुत्रादि के भरण-पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व मां पर है। सार यह है कि पुरुष की पूर्णता के लिए स्त्री का आविर्भाव हुआ है समाज का यही रवैया है।

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्रय अर्हति।

अध्याय।।3।। मनुस्मृति

महिलाओं को जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है वह मात्र कुछ

शहरों की पढ़ी-लिखी और जागरूक महिलाओं के हिस्से में ही है। इसके मुकाबले 80 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं इन बातों से अपरिचित हैं। वे अब भी प्राचीन युग में ही जीती हैं वही पति परमेश्वर की सेवा, संतान का पालन-पोषण और परिवार के लिए त्याग इत्यादि में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देती हैं। भारतीय संविधान में जो बराबरी का अधिकार है उसका उन्हें संज्ञान नहीं। पुरुष की अहंकारी प्रवृत्ति इन सब में आड़े आ जाती है। पुरुष उसकी सुरक्षा और संरक्षा एक संपत्ति के समान ही करता है। स्त्री की बेबसी पर कवि मैथिलीशरण गुप्त के उद्‌गार हैं :

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।।

कमोवेश स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। आधुनिक युग में भी शायद ही कुछ परिवारों में बेटे और बेटियों को समानता से पाला जाता है अन्यथा खाने-पीने से लेकर पढ़ाई-लिखाई तक में उन्हें स्वयं चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता। उन्हें कोमलांगी और आश्रिता की तरह ही रखा जाता है। यहां तक कि कुछ ग्रामीण इलाकों में तो उसे घर की चारदीवारी से बाहर भी नहीं आने दिया जाता। उसे एक दायित्व अथवा बोझ मानकर जल्द से जल्द छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है जबकि बेटे की संपूर्ण वंशधारक मानकर परवरिश की जाती है।

2. सांस्कृतिक स्थिति

भारतीय संस्कृति में नारी गौरवपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है। प्रारंभ से ही हिन्दू संस्कृति में उसे अर्द्धांगिनी माना गया है। आदि देव शंकर का अर्द्ध-नारीश्वर रूप इसी का उद्धरण है। ईसा से सौ वर्ष पूर्व मनुस्मृति की रचना का काल माना जाता है। उसमें स्त्री की स्थिति देवी समान है यथा--

यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवर्षस्तत्राफलाः क्रिया।।

अध्याय।।3।। मनुस्मृति

भारत में, विशेषरूप से हिन्दू संस्कृति में सदा ही नारी का आदर और सम्मान होता रहा है। नारी की मगया दा किसी भी रूप

में पुरुष से कम नहीं परन्तु किन्हीं मायने में अधिक ही है। नारी को शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है। 'शिव' को शक्ति (मात्रा के बिना) के बिना 'शव' कहा जाता है। एक स्थान पर कवि के उद्‌गार हैं--

एक नहीं दो-दो मात्राएं 'नर' से बढ़कर 'नारी'

भारतीय समाज में नारी के मातृत्व रूप को अधिक पूजनीय एवं वंदनीय माना गया है इसीलिए सर्वनियंता परमपिता की शक्तियों को मां के रूप में वर्णित किया गया है। यथा-लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा-काली आदि। नारी को शक्ति, धन और ज्ञान का प्रतीक माना है। हमारे समाज में अभी भी पत्नी को 'श्रीमती' कह परिचय कराया जाता है। यहां 'श्री' का अर्थ है लक्ष्मी और 'मती' का अर्थ है 'बुद्धि'। अर्थात् विवाह के उपरांत लक्ष्मी और बुद्धि दोनों की कृपा के लिए पत्नी का प्रसन्न रहना आवश्यक है। 'भारतमाता' कहकर हम उसी सबल शक्ति का आदर करते हैं पर विभिन्न युगों में स्थिति तथा परिस्थिति के बदलाव से नारी की स्थिति सदैव एक सी नहीं रही।

वैदिक काल : वेदकाल हिन्दू समाज का स्वर्ण-युग माना जा सकता है। चारों वेदों में इस प्रकार मानव जीवन के धर्म, आचरण एवं व्यवहार को उद्धृत किया है कि अगर मनुष्य पूर्णरूप से उन्हें व्यवहार में लाए तो देश, समाज के उत्थान के साथ-साथ मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी होगा। इस काल में नारी की दशा अत्यंत उन्नत रही है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि ऋषि-प्रधान युग होने के कारण नारी की स्थिति पुरुषों के समान ही थी। उनकी शिक्षा का स्तर एवं अवसर भी समान थे। उन्हें स्वयं विवाह का अधिकार तो था ही साथ ही संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के अधिकार में थी। उन्हें अपने आत्म-विकास एवं आध्यात्मिक विषयों के लिए भी पूर्ण स्वतंत्रता थी। विवाह के बाद स्त्री 'रानी' के समान रहती थी और ऋग्वेद के अनुसार तो पत्नी ही घर है। महाभारत में भी यही भाव समाहित है--

'बिन घरनी घर भूत का डेरा'

'पूर्व मीमांसा' में तो यहां तक कहा गया है कि पति-पत्नी

समान और संयुक्त रूप से घर-संपत्ति के स्वामी हैं। अतः साथ-साथ ही यज्ञ और पूजन करें अन्यथा उसमें संपूर्णता नहीं आती। वैदिक युग में लड़की और स्त्री पर प्रतिबंध नहीं थे। शिक्षा, विवाह और गतिशीलता उनके अपने हाथ में थी। विधवा विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

उत्तर वैदिक काल : वैदिक युग के बाद स्त्रियों की दशा और दिशा उतनी उन्नत नहीं रही। तत्कालीन धर्मसूत्रों में स्त्री की स्वतंत्रता पर ग्रहण लगाने वाले बाल-विवाह का निर्देश होने से नारी की स्थिति में गिरावट शुरू हो गया। बाल-विवाह से स्त्री का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों प्रभावित हुए। उन्हें ज्ञानार्जन के अवसर नहीं मिल पाए। अतः अशिक्षा के कारण वेदों का ज्ञान उनकी पहुंच से दूर हो गया और लगभग असंभव हो गया। धार्मिक संस्कार आदि में स्त्रियों के शामिल होने पर रोक लगा दी गया। उनका प्रमुख कर्तव्य पति की आज्ञा मानने तक ही सीमित कर दिया गया अर्थात अपने पति की इच्छा और आज्ञा के बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इसके साथ ही बहुपत्नी प्रथा ने स्त्रियों की दशा और शोचनीय बना दी।

स्मृति काल : इस काल में स्त्रियों की दशा बद से बदतर हो गया। उसका थोड़ा-बहुत सम्मान जो बाकी था वह केवल मातृत्व के रूप में किया जाता था। पत्नी रूप में वह भोग्या से अधिक नहीं थी। विवाह की आयु घट जाने के कारण स्त्री शिक्षा और ज्ञान से वंचित रहने लगी और इन दोनों की कमी से उसमें किसी भी तरह की जागरूकता नहीं रही और ऐसी दशा में संपत्ति से भी बेदखल कर दी गया और उसे सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। केवल कर्तव्य की सूची उसके हिस्से में रह गया। हर प्रकार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग गया और किसी भी क्षेत्र में उसे पुरुष के अधीन ही रहना उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो गया। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक क्रमशः पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में रहना उसकी नियति बन गया। इस पर भी विडंबना कि पति के जीवित न रहने पर उसे सती होने पर

महिमामडित किया जाने लगा। जो स्त्री किसी कारण सती न होती उसे दुत्कार और अनादर के अलावा नारकीय जीवन जीना पड़ता।

मध्य काल : इस काल में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद नारी की दशा और भी दयनीय हो गया। हिन्दू संस्कृति जो अब तक उदार थी, स्त्रियों के संदर्भ में बिल्कुल अनुदार बन गया। ब्राह्मणों ने हिन्दू-धर्म की रक्षा के नाम पर अपने नियम बिल्कुल संकरे और कठोर बना दिए। स्त्रियों के सतीत्व के नाम पर उन्हें धार्मिक नियमों में पूरी तरह जकड़ लिया। रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए अत्यंत कठोर नियम बनाए। स्त्रियों की शिक्षा प्रायः न के बराबर रह गई। रहा सहा पर्दा-प्रथा में उन्हें बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग-थलग कर दिया। विवाह की आयु 8-9 वर्ष तक गिर गया जिसके कारण छोटी उम्र में गृहस्थी के बोझ से उनका बाल्यकाल दब गया और वे मात्र दासी और भोग्या के स्तर पर पहुंच गया। घर-गृहस्थी ही उनका समस्त कर्म, आशाओं और आकांक्षाओं का एकमात्र केंद्र बन कर रह गया। विधवा-विवाह एकदम समाप्त कर दिया गया और सती-प्रथा को चरम पर पहुंचा दिया गया। संक्षेप में कहा जाए तो इस युग में उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरुष के अधीन कर दिया गया। उनके सारे अधिकार और स्वतंत्रता छीन लिए गए। थोड़ा बहुत सुधार संपत्ति के विषय में हुआ यथा विधवा को पति की संपत्ति का कुछ हिस्सा दिया जाने लगा और जिन लड़कियों के भाई न हो उन्हें उनके पिता की संपत्ति में से हिस्सा दिया जाना निश्चित किया गया।

आधुनिक युग : कई सौ वर्षों से दमन सहती स्त्री इस युग में निर्योग्य अथवा अयोग्यता का शिकार रही। भारत तो गुलाम था ही फिर स्त्री को दोहरी गुलामी की मार झेली पलनी। सामाजिक स्तर पर शिक्षा से वंचित थी क्योंकि अब तक शिक्षा नौकरी की योग्यता बन चुकी थी और स्त्री को नौकरी नहीं करनी केवल घर संभालना है तो शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं। स्त्रियों के लिए बाल-विवाह और पर्दा-प्रथा दो ऐसे अभिशाप थे जिनके कारण वे अशिक्षा के अंधकार में सिसकने को मजबूर थीं। शिक्षा अभाव के

कारण वे समाज में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं कर पा रही थीं। किसी भी संघ या सभा में उनकी उपस्थिति इस युग तक नगण्य थी। ऐसी दशा में आर्थिक निर्भरता तो दूर की बात थी उसकी संपत्ति का हिस्सा भी भाई, बेटा या देवर ही भोगते थे। वह तो केवल दो जून की रोटी ही पा सकती थी। वह भी किसी न किसी पुरुष की कृपा से। अविवाहित कन्या का भी संपत्ति में व्यावहारिक स्तर पर कोई भाग नहीं था। परिवार में थोड़ी-बहुत इज्जत केवल माता के रूप में थी। पत्नी के रूप में दासी, वधू के रूप में भी दासी की स्थिति थी। बेटी के रूप में बोझ जिससे जल्द से जल्द मुक्ति पाई जा सके। परिवार में जब ऐसी दुर्दशा हो तो राजनीतिक स्तर पर क्या आशा की जा सकती है।

भारतीय स्त्रियों की दुर्दशा के मूल में ब्राह्मणवाद रहा है क्योंकि उपनिषद काल के बाद जो सामाजिक और धार्मिक नियम बने उनमें स्त्रियों को गौण अथवा दूसरे स्तर पर रखा गया। उनकी सुरक्षा के नाम पर उनको बंदी बना दिया गया। उनके अपने ही घर को कैदखाना बना दिया गया। मनु ने स्मृति ग्रंथों में पति को ही सर्वस्व बना दिया। उसकी और परिवार की सेवा ही स्त्री का परमधर्म और कर्तव्य बताया गया यथा :

पतिहि देवता नागया : पतिर्बन्धुः पतिर्गुरूः।
प्राणैरपि प्रियंतास्माद् भर्तुः कार्य विशेषतः।।

(48/1718) उत्तरकांड बाल्मीकी रामायण।

इस प्रकार पति की कृपा पर सब निर्भर है। ऐसे समाज में नारी को अपने जीवन और मरण दोनों की चिंता होना लाजिमी है।

वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि उनके पक्ष में नहीं रही। अब तक वर्जित परिस्थितियों और निर्योग्यताओं के कारण महिलाएं मध्ययुगीन प्रभाव से उबरने का प्रयास कर रही हैं। उस पृष्ठभूमि से निजात पाने के लिए महिला आंदोलन प्रारंभ हुए। सामाजिक और धार्मिक आधार पर जो सुधार आंदोलन चले उनके मूल में स्त्री उत्थान भी था क्योंकि स्त्री समाज और देश का आधा हिस्सा है और इस आधे भाग को पीछे छोड़कर या दमन

करके कोई भी देश अथवा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता।

सर्वप्रथम ब्रह्म समाज ने (स्थापना--1626-1833), जिसे राजाराम मोहन ने बनाया था, स्त्री की शिक्षा पर बल दिया और बाल-विवाह का पुरजोर विरोध किया। सन् 1832 में इस समाज ने कई सामाजिक कुरीतियों पर आघात किया और समाज में जागरूकता लाने की चेष्ठा की जिससे स्त्रियों की दशा के प्रति पूरे समाज और देश का ध्यान गया। इसके बाद आर्य समाज (1824-1881) की स्थापना दयानन्द सरस्वती ने की जिसने हिन्दू धर्म के अंधविश्वासों और कर्मकाण्डों को दूर करके, उसके वैदिक स्वरूप को प्रतिस्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्त्रियों के सामाजिक स्तर को सुधारना इनका मूल उद्देश्य रहा। सती प्रथा का अंत करने के लिए राममोहन राय ने अनेक आंदोलन किए। परिणामस्वरूप 1929 में सरकार ने सती प्रथा को अवैधानिक करार दिया।

हिन्दू धर्म में स्त्रियों पर अत्याचार के लिए और भी प्रथाएं हैं जिनके कारण उसके उत्थान में बाधा होती है। जैसे बाल-विवाह, आजीवन वैधव्य का निर्वहन और सती प्रथा जो पूर्णरूप से स्त्री विरोधी और समाज के विकास में बाधक है। उन्होंने कहा कि जब पुरुष पत्नी के मर जाने पर विवाह कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती। स्त्रियों को उत्तराधिकार के अधिकार, विधवा-विवाह को सहमति, बाल-विवाह विरोध एवं सती प्रथा को अवैधानिक सिद्ध करना इत्यादि कार्य किए जिससे महिलाएं पुरुष के समान धरातल पर आ जाएं और दोनों मिलकर देश एवं समाज की आर्थिक और राजनीतिक रूप से उन्नति कर सकें।

भारतीय समाज में हिन्दू के अतिरिक्त मुस्लिम, सिख एवं ईसाई धर्म भी सम्मिलित हैं। हिन्दू और सिख धर्म में स्त्रियों की दशा में 19-20 का ही अंतर है परंतु इस्लाम और ईसाई में स्थिति थोड़ी अच्छी है यथा--

1. मुस्लिम कानून के अनुसार स्त्रियों का विवाह 15 वर्ष की आयु के बाद ही होना चाहिए परंतु हिन्दू धर्म में विवाह

इससे भी कम आयु अर्थात रजोदर्शन से पूर्व कन्यादान की अवधारणा है।

2. इस्लाम धर्म में निकाह (विवाह) का समझौता तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक लड़की 'हां' नहीं करती पर हिन्दू कन्याओं को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं।
3. विवाह-विच्छेद के संबंध में मुस्लिम स्त्रियों को 'खुला' और 'मुबारत' जैसी सामाजिक रीतियां हैं परन्तु हिन्दू धर्म में तो सोचना ही पापतुल्य है।
4. मुस्लिम समाज में लड़की को महर के रूप में कुछ धन चुकाने की परंपरा है पर हिन्दू समाज में लड़की वाले वर को काफी दहेज देते हैं इसलिए वे उसे बोझ समझते हैं।
5. संपत्ति के अधिकार के संबंध में मुस्लिम स्त्रियों को बराबर का अधिकार है पर हिन्दू धर्म में लड़की को यह अधिकार प्राप्त नहीं।
6. जहां तक पर्दा-प्रथा, शिक्षा, नौकरी आदि का प्रश्न है वह दोनों समाज में समान है।

3. राजनीतिक पृष्ठभूमि

18वीं सदी के भारत में राजनैतिक एकता का अभाव था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उसी समशक्ति वाले किसी अन्य भारतीय राज्य का उदय नहीं हुआ था। वैसे तो मराठा उस समय तक ऊंची प्रतिष्ठा पा चुके थे पर एकीकरण का गुण उनमें नहीं था। साथ ही यहां के शासक संसार की घटनाओं से बेखबर थे। भारत के राजनीतिक मसलों और मामलों पर ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप शुरू हो चुका था। धीरे-धीरे भारत राजनीतिक रूप से परतंत्र हो गया क्योंकि भारत कई टुकड़ों में विभक्त था। यहां का प्रशासन कमजोर था। जनजीवन और संपत्ति असुरक्षित थी। इस सदी में हो रहे परिवर्तनों से भारत अछूता नहीं था। विश्वस्तर पर फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति के पश्चात बदलाव आ रहा था। इन सब परिवर्तनों से भारत भी आंदोलित हुआ। भारतीय इतिहास अकबर के शासकाल में अपने चरम पर था। उसके शासन काल में मुगल, आर्य, द्रविड़, हिन्दू, सवर्ण, अछूत अथवा राजपूत सभी की सुनवाई

थी। काफी हद तक उसने (अकबर ने) भारतीय साम्राज्य बना लिया था। परंतु यूरोप से आए सौदागर ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश की इस कमजोरी का फायदा उठाकर स्वयं मालिकाना साम्राज्य बना लिया और भारत लगभग 200 वर्षों के लिए गुलाम हो गया।

इस सदी की दोनों क्रांतियों ने विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला अमरीकी स्वतंत्रता का युद्ध था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तरी अमरीका के तेरह उपनिवेश थे जो ब्रिटिश की अर्थनीति, कर-व्यवस्था और प्रशासन से असंतुष्ट थे। उन्होंने 7 जुलाई, 1776 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और सत्ता की शक्ति जनता पर केन्द्रित कर दी। इसके तुरंत बाद फ्रांसीसी क्रांति सोलहवें राजा लुई के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए जनता ने अपने प्रतिनिधियों के रूप में फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली का गठन कर लिया और पेरिस में 14 जुलाई, 1789 को जनता ने बैस्टील का कैदखाना तोड़ डाला। तभी से उसे 'राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। विश्वभर के सभी राष्ट्रों को इन दोनों क्रांतियों से स्वतंत्रता और जनता की सार्वभौम सत्ता स्थापित करने में प्रेरणा मिली।

इस समय तक एशिया और अफ्रीका की सरकारों में काफी कमजोरियां थी। यूरोप की औद्योगिक क्रांति के कारण वे एशिया के संपूर्ण बाजार पर अपना प्रभुत्व बना सके। उन्नीसवीं सदी के अंत तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश प्रदेश यूरोप के साम्राज्यवाद के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण में चले गए। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद साम्राज्यवाद की जड़ें कमजोर पड़ गयां और अधिकांश एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देश स्वतंत्र हो गए। बीसवीं सदी के नए आंदोलन के बाद हमारा देश भी स्वतंत्र हो गया।

भारत में सन् 1857 में प्रथम क्रांति हुई थी। इसके बाद भारत की सत्ता ब्रिटिश कंपनी के हाथों से ब्रिटिश की रानी के हाथों में स्थानांतरित हो गया। सन् 1857 तक गवर्नर जनरल इंग्लैंड में निर्धारित आम नीतियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेकर काम करता था पर सन् 1870 तक संचार व्यवस्था में सुधार आने के कारण इंग्लैंड और भारत के बीच दूरी कम हो गया। भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। भारत सरकार को ब्रिटिश की

होम गवर्नमैंट कहा जाने लगा। इस परिषद को कानून बनाने के अधिकार बहुत ही सीमित थे। भारत के अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदों का गठन किया गया। सन् 1861 से 1892 के बीच इंडियन कौंसिल एक्ट के तहत केंद्रीय और प्रांतीय परिषद को कुछ और अधिकार दे दिए गए। इस व्यवस्था के बावजूद तत्कालीन भारत सरकार निरंकुश बनी रही। उनका उद्देश्य ब्रिटेन के राजनीतिक हितों की रक्षा करना ही बना रहा। भारत सरकार न तो जनता के हितों का ध्यान रखती थी न ही जनता का सरकार संचालन में कोई दखल था।

ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में सामान्य नागरिक पुरुष अथवा महिला की कोई गिनती नहीं थी। सन् 1857 के विद्रोह के बाद ऊपरी तौर पर कुछ परिवर्तन हुए। भारत की दशा को सुधारने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। अधिकतर महत्वपूर्ण मसले भारत के आंतरिक हैं, कहकर भविष्य पर टाल दिए गए। 'फूट डालो और शासन करो' की नीति भारतीय राज्यों के पतन का तात्कालिक कारण थी। परंतु वास्तव में स्थिर और कुशल राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही थी। भारतीय राज्यों की कमजोरियों को ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति ने और अधिक उभारा। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को और मजबूत बना दिया और भारत में उसके विस्तार को रोकना और कठिन हो गया। भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय थी। जिस समय पूरे विश्व में क्रांति के बाद बदलाव हो रहे थे तब भारत में भी नवजागरण काल चल रहा था। वैसे तो देश गुलाम होने के कारण पुरुषों की दशा भी विशेष अच्छी नहीं थी परंतु महिलाओं को तो उनसे बदतर हालात में जीना पड़ता था।

राजनीतिक दासता की हालत में भी राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे पुरुषों ने महिला की दशा सुधारने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक प्रयास किए। राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि चाहते हुए भी स्त्रियों के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं था। इस दबाव के कारण महिलाएं पहले से ही चारदिवारी में तो थी हीं अब उसमें भी उनकी सुरक्षा कठिन हो रही थी। इससे पहले भी परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन्हें अपने सम्मान

के लिए जान देनी पड़ रही थी और उनके संरक्षक पुरुष उनको हिदायत भी ऐसी ही दे रहे थे कि यदि आड़ा वक्त आए तो कुर्बान हो जाना। उनकी इच्छा जानने और पूछने का तो समय ही नहीं था। ये सब बातें उन्हें इस तरह घुट्टी में पिलाई जाती कि उनके सुधार की बातें स्वयं उन्हें (महिलाओं को) समझ नहीं आती।

सन् 1919 तक वोट देने का भी अधिकार नहीं था। इसी साल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह प्रश्न प्रांतीय परिषद पर छोड़ा। परिणामस्वरूप 1935 के विधान अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार तो स्त्रियों को मिले पर उनकी शिक्षा, पति की स्थिति, संपत्ति आदि के आधार पर। इस प्रकार कुछ राजनीतिक सुधार के अंतर्गत उन्हें वोट देने का अधिकार मिला भी तो जैसा घर का मुखिया कहता वैसा ही वह करती। इस तरह की परतंत्रता में वे यह भी तय नहीं कर पाती कि उन पर क्या अत्याचार हो रहा है अथवा क्या न्याय हो रहा है?

4. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय प्रायद्वीप में आगया के आगमन से पहले कुछ द्रविड़ और मुण्डा जातियों का आधिपत्य था। आगया के आने से वे दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गए और उत्तरी भारत में आगया ने अपनी सभ्यता की नींव रखी। वैदिक काल और उपनिषद काल, जिसे प्राचीन इतिहास काल भी कहा जाता है, उनके शासन और प्रबंधन का काल रहा। वेदों की रचना इसी ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। ऋषियों की वाणी सदृश ये ग्रंथ रचे हैं जो संपूर्ण जीवन जीने की कला को स्वयं में समेटे थे। इस काल तक स्त्री और पुरुष की समान प्रतिष्ठा थी। जीवन के हर क्षेत्र में दोनों मिलकर कार्य करते थे। इस काल की नारी सही मायनों में शक्ति और देवी थी। जीवन सरल और नैतिकता से पूर्ण और धर्म आचरण से युक्त था। यहां धर्म का अर्थ व्यक्ति के सदाचरण और सबके कल्याण का ध्यान रखने से था, किसी विशेष पूजा विधि या रीति-रिवाज से नहीं। इस काल का मूल मंत्र था--सत्यं वद। धर्मम् चर अर्थात सच बोलो और धर्म के अनुसार चलो। धीरे-धीरे काल की प्रक्रिया में प्राचीन युग (स्वर्ण युग) समाप्त हो गया।

इसके बाद गुप्त वंश और मौर्य वंश का शासन रहा जिसे चाणक्य ने अपनी कूटनीति से प्रजातंत्र में बदल दिया। उसने एक गरीब बच्चे को शिक्षा और परवरिश से सम्राट अशोक बना दिया। उसका शासन भी सुस्थिर था। सभी को साथ लेकर चलने वाला था और राजा बुद्ध से प्रभावित था और पूरे विश्व में इस धर्म का प्रसार भी करवाया पर अशोक के बाद हिन्दू राजाओं की नीति उतनी स्पष्ट नहीं थी और धीरे-धीरे उस साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद मध्य युगीन भारत में धीरे-धीरे इस्लाम की स्थापना हो रही थी और उसी के साथ-साथ विद्रोह भी चल रहे थे क्योंकि यहां पर रहने वाले एक अलग तरह के धार्मिक विश्वास में अपना जीवन बिता रहे थे परंतु उनका धर्म कुछ अलग था।

मुगल राजाओं में केवल अकबर ही ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत को एक बना दिया था। उसी की नीति कुशलता से मध्यकालीन भारत उन्नति कर सका। सभी धर्मों का उचित आदर कर उसने आम जनता में अपनी पहुंच बना ली। अकबर के बाद उसके बेटों में इतनी कुशाग्रता नहीं थी और इसी कारण मुगल काल का पतन हुआ और फिर अन्य धर्मों के लोगों ने अपना विरोध तेज कर दिया। इसके घोर विरोधी शिवाजी थे और इसमें उनकी माता जीजाबाई का विशेष योगदान था। पर इस प्रकार के विद्रोह से भारत कमजोर हो रहा था और अंग्रेजों का शासन बढ़ता जा रहा था।

यूं तो आगया से लेकर मुसलमान तक भारत में आए और यहां की संस्कृति में रच-बस गए परंतु अंग्रेज यहां बसने के लिए नहीं आए थे बल्कि यहां के प्राकृतिक भंडार को खाली कर अपने देश ब्रिटेन भेज रहे थे जिसका विरोध यहां रह रहे हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सभी ने एकजुट होकर किया और इसी मायने में आधुनिक संपूर्ण भारत एक हो गया।

स्वतंत्रता की लड़ाई में पुरुषों के योगदान के साथ-साथ महिलाओं का योगदान भी कम नहीं रहा। इतिहास में जहां तात्या टोपे, नाना साहब आदि का नाम है वहीं रानी लक्ष्मीबाई की वीरता भी हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखी गया है। सन् 1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता की लड़ाई योजनाबद्ध तरीके से लड़ी गया।

कांग्रेस की स्थापना के साथ शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्र होने की योजना बनाई गया परंतु कुछ साल बाद नरम और गरम दो दल बन गए। गरम दल वाले क्रांति के ढंग से आजादी चाहते थे और नरम दल वाले शांति से आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन में महिलाएं भी साथ थीं। पद्मिनी, उर्मिला, राजबाला, वीरमति आदि गरम दल के समान मरने-मारने पर उतारू थीं और मैडम भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू नरम दल की तर्ज पर शांतिपूर्ण विरोध में शामिल थीं। अंततः 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता मिल गया।

प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक युग के ऐतिहासिक काल में पुरुष एवं महिलाओं ने मिलजुल कर इतिहास बनाया परंतु दबाव फिर भी अलग-अलग ही रहे। पुरुष जहां स्व-सत्ता के लिए आंदोलन कर रहा था वहां स्त्रियां उस पुरुष की सत्ता के लिए लड़ रही थीं जिससे वे जुड़ी थीं अर्थात पहले उनके पति अथवा पिता उस आंदोलन का हिस्सा बने उसके बाद उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष रूप से देश के लिए लड़ने-मरने की प्रेरणा भी उनकी अपनी नहीं थी। हालांकि उन्होंने उस आंदोलन में अपनी जान भी दे दी। इतिहास में उनका योगदान भी है पर निर्णय पर उनका अधिकार शायद ही रहा हो।

5. आर्थिक पृष्ठभूमि

वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था सरल किस्म की थी। वस्तुओं की अदला-बदली आवश्यकता के अनुसार थी और मुद्राएं भी शुद्ध धातु अर्थात सोना, चांदी आदि की होती थी और उनकी मानकता सर्वविदित थी। मध्यकाल में भी मुद्राएं तो चलन में थीं परंतु बादशाह की आकृति या चिन्ह वाली और मूल्य भी धातु का हो या ना हो परंतु जो बादशाह ने निर्धारित किया वहीं माना जाता था। इससे व्यापार में सुविधा हुई परंतु आधार मूल्य का ह्रास हो गया। आधुनिक युग में मुद्रा ने करेंसी नोट का रूप ले लिया जो अब तक चल रहा है और बादशाह के शासन के बाद ब्रिटिश कंपनी के शासन में लेन-देन की जटिल प्रणाली शुरू हो गया जिससे व्यापार में बहुत तेजी आ गया। ब्रिटिश कंपनी के व्यावसायिक

व्यवहार से भारत में जगह-जगह विरोध होने लगा। वे केवल अपना ही लाभ देखते थे और आम जनता की परेशानी से उन्हें कुछ मतलब नहीं था। बस अपना पूरा कर वसूलना ही उनका काम था फलस्वरूप सन् 1857 में क्रांति हुई।

सन् 1857 की क्रांति के बाद जब सत्ता सीधे रानी विक्टोरिया को हस्तांतरित हुई तो 1858 में एक घोषणा में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक विकास और भारत की जनता के कल्याण पर ध्यान देगी। इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने जो कदम उठाए उससे औद्योगिक और व्यापारिक हितों को ही लाभ मिला। भारत की अर्थ-व्यवस्था पिछड़ी रही और यहां की जनता की गरीबी बढ़ती गया। कृषि के क्षेत्र में जमींदारी और रैयतवारी व्यवस्था के कारण बड़े किसान जो भूमि संपन्न थे, अपनी खेती लगान या बटाई पर देनी शुरू कर दी और छोटे किसान जो वास्तव में कृषि उत्पादन करते थे, उसका भोग नहीं कर पाते थे। काफी हद तक वे कृषि-मजदूर ही थे और सरकार तथा कृषि के बीच बिचौलिए बने जमींदार और रैयतदार बिना कुछ करे काफी बड़ा हिस्सा पा रहे थे। इसके कारण कृषि भूमि का विस्तार भी कृषि की दशा सुधार नहीं सका और कृषि-कर्म पिछड़ गया। कुछ कानून इन बिचौलियों के लिए भी बनाए गए पर वे कारगर नहीं हुए। इसके अतिरिक्त तिलहन जैसी नकदी फसल के कारण आम ग्रामीणवासी को भूखों मरने की नौबत आ गया। भारतीय किसान दो पाटों के बीच में पिस रहा था। एक तो कर्ज का बोझ और दूसरा अकाल। ये स्थिति स्वतंत्रता से पूर्व थी।

स्वतंत्रता के बाद में पहली पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान रखी गया। इसमें कृषि से संबंधित सिंचाई, बिजाई, जुताई आदि क्रियाओं को उन्नत करने के लिए सरकार ने आयोगों के माध्यम से नई विधियां बनाई और नई कृषि नीति बनाई जिससे पैदावार तो बढ़ी पर जनसंख्या वृद्धि नई समस्या बन गया। आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वतंत्रता के बाद उद्योगों पर भी विशेष ध्यान दिया गया भारतीय उद्योग शुरू किए गए जिनसे निश्चय ही यहां की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ब्रिटिश के शासन में यहां के उद्योग और व्यापार का लाभ राजस्व के रूप में इंग्लैंड चला जाता

था। अनुमानतः कुल राजस्व का तिहाई भाग ब्रिटेन चला जाता था। बीसवीं सदी में भारत का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ा। उन्नीसवीं सदी तक व्यापार केवल इंग्लैंड तक ही सीमित था परंतु बीसवीं सदी में अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि कुछ अन्य देशों के साथ भी व्यापार संबंधों में वृद्धि हुई और धीरे-धीरे उत्पादित वस्तुओं के आयात में कमी आई साथ ही भारत अपनी उत्पादित वस्तुओं का निगया त करने लगा।

भारत की आर्थिक स्थिति स्वतंत्रता के बाद निश्चय ही सुधरी है लेकिन प्रगति होने के बाद भी निर्धनता उन्मूलन पूरी तरह नहीं हो पाया। यहां निर्धनता राज्य के अनुसार और जाति के अनुसार ही अलग-अलग स्तर की नहीं बल्कि ग्रामीण और शहरी जीवन में अलग-अलग स्तर की है। इसी असमानता को दूर करने के लिए, उच्च आर्थिक संवृद्धि, प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा, जनसंख्या विकास में कमी और महिला तथा अन्य समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण, इत्यादि ही उपाय हैं। कुछ बुद्धिजीवियों ने निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक करने की पैरवी की है। इससे हर उस व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा जो मानव जीवन जीने योग्य सुविधाएं नहीं पा रहा जिसमें भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार आदि शामिल हैं।

संपूर्ण आर्थिक पृष्ठभूमि से यही स्पष्ट है कि भारत में मूलरूप से असमान परिस्थितियां ही पाई जाती हैं। न कोई जाति पूर्णरूप से आर्थिक उत्थान पर है, न ही किसी धर्म विशेष के लोगों की आर्थिक दशा पूरी तरह संतोषजनक है। यहां मूलरूप से संसाधनों का असमान वितरण है प्रतिव्यक्ति आय लगभग तीस हज़ारी होने पर भी कुछ लोग दो वक्त का खाना नहीं खाते और कुछ लोग सारे दिन खा-खाकर मोटापे का शिकार हो रहे हैं। पुरुष और महिलाओं की आर्थिक दशा भी इसी असमानता से अछूती नहीं। यह पहले ही ज्ञात है कि असमानता अपराध की पृष्ठभूमि है, विशेषरूप से आर्थिक असमानता।

6. मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि

मानसिक स्तर पर अभिप्रेरणा ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा

सीखने वाले को उसकी, आन्तरिक शक्तियां और आवश्यकता किसी विशेष वातावरण में, कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा ही व्यक्ति के प्रयासों को सजीव बनाती है और उसकी कल्पना को क्रियाशील बनाती है साथ ही मानसिक शक्ति के गुप्त और अज्ञात स्रोतों को जागृत करके उचित दिशा में प्रयुक्त करती है। व्यक्ति के हृदय को स्पन्दित कर उसे क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी अभिप्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करता है। अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो क्रियाओं को एक दिशा प्रदान करती है और आगे बढ़ाती है। इसके अनेक आंतरिक कारक होते हैं जो जीव की क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।

आंतरिक क्रिया के छः तत्व हैं जो क्रिया की पूर्णता के लिए क्रमानुसार काम करते हैं यथा प्रेरक, प्रणोदन, प्रोत्साहन, अभिरुचि, उत्सुकता और लक्ष्य। किसी भी व्यक्ति के अंदर उपस्थित मनोशारीरिक दशाएं जो किसी कार्य विशेष को प्रेरित करती हैं **प्रेरक** कहलाती हैं। **प्रणोदन** आंतरिक शारीरिक क्रिया या दिशा है जो उद्दीपन द्वारा विशेष व्यवहार उत्पन्न करती है। **प्रोत्साहन** का संबंध बाह्य वातावरण से होता है। इसका लक्ष्य किसी विशेष दिशा की ओर आकर्षित करना है। मानसिक स्तर पर व्यक्ति अपनी **अभिरुचि** के द्वारा किसी खास व्यक्ति या वस्तु में ही अपनी पसंद अथवा नापसंद रखता है। **उत्सुकता** में कोई रुचि अथवा पसंद न होकर किसी व्यक्ति या वस्तु में अन्वेषण या जानने की उत्सुकता होती है। अंतिम परिणाम की तरह **लक्ष्य** उस अवस्था को सूचित करता है जिसे व्यक्ति चेतन अवस्था में पाने का प्रयास करता है।

यह पूरी प्रक्रिया मानसिक धरातल पर घटित होती है। इन्हीं तत्वों की क्रिया-प्रतिक्रिया से आवश्यकताओं की अनुभूति होती है। मनोवैज्ञानिक आधार पर यही आवश्यकताएं व्यक्ति पूर्ण करने के लिए क्रियाशील रहती है। जब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती जीव तनाव की स्थिति में रहता है। इस प्रकार आवश्यकता की धारणा और उनसे संबंधित तत्व अभिप्रेरणा से जुड़े रहते हैं। अतः आवश्यकता व्यक्ति में निहित वह शक्ति है जो किसी विशेष व्यवहार को प्रेरित करती है और व्यक्ति आविकार की ओर प्रेरित होता है।

आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है :

(1) शारीरिक आवश्यकताएं

(2) मानसिक आवश्यकताएं

शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण होते ही मनुष्य का व्यवहार संतुष्टि में बदल जाता है परंतु मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण कार्य करती है। इनकी संतुष्टि कभी पूर्णरूप से नहीं होती। अधिकांश व्यक्तियों का व्यवहार मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से नियंत्रित होता है। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक **मासलो** का मानव आवश्यकताओं का वर्गीकरण सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत के क्रम में अधिक महत्वपूर्ण है। **मासलो** के अनुसार अभिप्रेरणा में आवश्यकताओं की अनुभूति और संतुष्टि निहित होती है। उन्होंने इन्हें पांच वर्गों में विभाजित किया है :

1. शारीरिक आवश्यकताएं

यह मानव की आधारभूत आवश्यकताएं हैं जैसे--भूख, प्यास और काम आदि। जब तक इन प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती तब तक उच्चस्तर की आवश्यकताएं उत्पन्न ही नहीं होती। मनुष्य का मस्तिष्क उन्हीं प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। भारतीय समाज में इस स्तर पर भी पुरुष को ही प्राथमिकता मिलती है और स्त्रियों की आवश्यकता पूर्ति पर द्वितीय स्तर पर ध्यान दिया जाता है अथवा नहीं भी दिया जाता। इस कारण भी महिलाओं के उच्च स्तर पर व्यवहृत होने में कठिनाई आती है उनका विकास कुंठित ही रहता है। सामान्य रूप से 90 प्रतिशत महिलाओं का यही हश्र होता है।

2. सुरक्षा की आवश्यकताएं

शारीरिक के बाद सुरक्षा की आवश्यकता पनपती है। जैसे- जीवित रहना, सुरक्षित वातावरण में रहना। इस स्तर की आवश्यकता बालकों और स्त्रियों में अधिक होती है जो उन्हें किसी न किसी पर आश्रित रहने को मजबूर करती है। पुरुष और युवकों में यह गौण रूप से होती है। स्त्रियों की सुरक्षा के प्रति भारतीय समाज अत्यधिक सचेत है इसलिए उसे एक वस्तु अथवा संपत्ति

की तरह चारदीवारी में सुरक्षित रखने की भावना स्त्रियों के चहुंमुखी विकास में बाधक है।

3. स्नेह और संबंध की आवश्यकताएं

जब प्रथम और द्वितीय स्तर की दोनों आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं तब व्यक्ति स्वयं से अलग मित्र और रिश्ते बनाने के लिए अन्य व्यक्ति की ओर प्रेरित होता है। समूह अथवा समाज में स्थान बनाने का प्रयास करता है। इसकी पूर्ति परस्पर स्नेह का आदान-प्रदान करने से होती है इसी की संतुष्टि के लिए समाज की आवश्यकता होती है। मित्र बनाना, रिश्ते बनाना, स्नेह करना और इन्हें मान्यता देना इसी क्रम में आता है। इस स्तर पर भी पुरुष को पूरी सुविधा मिलती है क्योंकि वह सामान्य रूप से परिवार का मुखिया स्वीकार किया जाता है। पितृ सत्तात्मक सामाजिक ढांचा होने के कारण इस स्तर पर भी पूर्ण संतुष्टि पुरुषों को ही मिलती है। स्त्रियां उन्हीं के रिश्तों और मित्रों में अपने लिए बनावटी संतुष्टि पाती हैं। आधुनिक युग में मात्र 10 प्रतिशत ही ऐसी महिलाएं होंगी जो स्वयं इस स्तर पर संतुष्ट हो पाती हैं।

4. सम्मान की आवश्यकताएं

यह उच्च स्तर की आवश्यकता है। इसमें व्यक्ति आत्म-सम्मान, सामाजिक सम्मान और स्वामित्व चाहता है। व्यक्ति में नेतृत्व करने और स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है। इस प्रकार की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती है जब तीनों स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तभी इस तरह की उच्च स्तर की आवश्यकताएं जागृत होती हैं। जैसे सफलता, आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास इत्यादि। इस प्रकार की आवश्यकताएं पूरी न होने पर हीन भावना जागृत होती है। भारतीय समाज में जब स्त्री और पुरुष की इस आवश्यकता के विषय में चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल से ही ऐसी आवश्यकताओं के लिए स्त्रियों को कोई विशेष अवसर नहीं दिए जाते। आधुनिक युग में ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत स्त्रियां ही इस स्तर पर पहुंच पाती हैं। सामान्यतौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्ण-व्यवस्था के चौथे स्तर के पुरुषों

को छोड़कर सभी इस स्तर पर पहुंच ही जाते हैं। स्त्रियों में हीन भावना की ग्रंथि शायद ऐसे स्तर तक न पहुंच पाने के कारण होती है।

5. यथार्थीकरण की आवश्यकताएं

प्रथम चारों प्रकार की आवश्यकताओं से जब संतुष्टि मिल जाती है तो इस प्रकार की आवश्यकता जागृत होती है। मासलो के अनुसार इस आवश्यकता से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको वही होना चाहिए तभी वह आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कर सकता है यथा संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कवि को कविता लिखनी चाहिए और चित्रकार को चित्र बनाना चाहिए। इस स्तर पर यदि आकलन किया जाए तो भारतीय समाज में पुरुष भी 50 प्रतिशत ही इस स्तर पर पहुंचते हैं। तब स्त्रियों के लिए अवसर और भी कम हो जाते हैं ! उन्हें तो पहले स्तरों पर ही संतुष्टि नहीं मिलती तो इस स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन है।

इस अध्ययन से उस पृष्ठभूमि की समग्र तस्वीर समक्ष आ जाती है जिसमें भारतीय महिलाओं का पालन-पोषण हुआ है। इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि पृष्ठभूमि पूरी तरह से स्त्रियों पर अत्याचार की पोषक रही। सामाजिक स्तर पर पुरुष प्रधान होने के कारण स्त्रियों का अपना अस्तित्व ही नगण्य हो जाता है जब उसकी सारी प्रतिष्ठा उसके पिता, पति और पुत्र से ही निर्धारित होगी तो उसकी सुविधा का ध्यान किसे होगा ? सामाजिक असमानता के कारण स्त्री से उसकी इच्छा-अनिच्छा की कोई जानकारी नहीं ली जाती बस उसे परिवार की इज्जत के लिए क्या-क्या करना चाहिए इसका आदेश जारी कर दिया जाता है। समाज में स्त्री और पुरुष के लिए दुहरे मापदंड हैं जो वैदिक काल के बाद से चले आ रहे हैं और अब भी कमोबेश उसी रूप में चल रहे हैं। उदाहरण के लिए सारा कर्तव्य, उत्तरदायित्व और आदर्शवादी जीवन जीने के लिए महिलाओं पर ही दबाव डाला जाता है। इसके विपरीत पुरुष अधिकार, उच्छश्रृंखल और यथार्थरूप से जीवन जीता है। एक ही परिवार में बेटा और बेटी से अलग-अलग तरह की अपेक्षाएं रखी जाती हैं बेटे के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर हर दशा में

उपलब्ध कराए जाते हैं परंतु बेटी अगर थोड़ी भी पढ़ाई-लिखाई में कम हो तो तुरंत उसे घर-परिवार के काम करने की नसीहत दे दी जाती है। घर से बाहर जाने पर बेटी को ढेर सारी करणीय और अनुकरणीय बातों की सूची दी जाती है जबकि बेटे के मामले में ऐसा नहीं होता। बेटी को प्रारंभ से ही नाजुक और संरक्षित ढंग से पाला जाता है पर बेटे को हर कठोर और मुश्किल हालात से जूझने के लिए तैयार किया जाता है।

पूरे समाज में अगर सुधार हुआ भी है तो 10 से 15 प्रतिशत है और वह भी शहरों में, शेष भारत में दोहरा मापदंड लागू है। इन सबके मूल में स्त्री शारीरिक रूप से कोमल ही नजर आती है। सामाजिक स्तर पर उसे जन्म लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। बचपन में पिता के सभी आदेश मानकर उसी सीमित दायरे में अपने व्यक्तित्व को संवारना होता है। भाई द्वारा बचे संसाधनों से ही वह अपना लक्ष्य पूरा करती है। इसके बाद विवाह होते ही परिवार का पूर्ण दायित्व स्त्री को ही सौंपा जाता है उसका कैरियर, शिक्षा आदि गौण हो जाते हैं और बच्चों के पालन-पोषण में वह सृष्टि-रचना की भावनाओं से स्वयं को तृप्त रखती है। वृद्धावस्था में पुत्र स्वयं को स्वामी मानकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस स्त्री को भी बंदी की सी दशा में रखते हैं। ऐसी आजन्म अवस्था में जब कोई महिला विरोध करती है तो उसके व्यवहार को अनुचित और कुछ हद तक अपराध की श्रेणी में गिना जाने लगता है। समाज में उस विद्रोही महिला को कोई विशेष स्थान या मान्यता नहीं मिलती। उसे समाज से बहिकृत कर दिया जाता है। 21वीं सदी में भी स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं। ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में अब भी वही कानून चलता है।

आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी 80 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में पुरुष पर ही आश्रित हैं और स्वतंत्र होने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। अगर शहरों में अब स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं भी तो उस पैसे को खुद अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकतीं। घर में कुछ भी लाने के लिए उसे पिता, पति या पुत्र से पूछना पड़ता है। अगर उन्होंने हां कर दी तो ला सकती हैं वरना नहीं। अगर वे स्वयं अपना घर खरीद कर अपनी

इच्छा से रहना चाहें तो संपूर्ण समाज उन्हें निन्दनीय दृष्टि से देखता है जो अंदर ही अंदर उसके पूरे व्यक्तित्व को कुंठित कर देता है। आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर न होने के कारण महिलाएं जाने-अनजाने अपराध की ओर प्रवृत्त होती हैं। पुत्री का पैतृक संपत्ति में अधिकार तो वैदिक काल से ही पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया।

स्वतंत्रता के बाद भी पुरानी परंपराओं का निर्वाह करते हुए बेटी के उत्तराधिकार को अपंग रखा गया। सन् 1956 में उत्तराधिकार अधिनियम में बेटों को तो जन्म से ही संपत्ति का अधिकार है परन्तु बेटी को पिता की मृत्यु के बाद और वह भी अविवाहित होने की स्थिति में। इसमें भी धारा 23 के अनुसार वह केवल रह सकती है अपना हिस्सा अलग नहीं कर सकती। यह सब भी उसी दशा में जब पिता बिना वसीयत के मर जाए अन्यथा वह चाहे तो सारी संपत्ति पुत्र को दे सकता है। मुस्लिम कानून में भी बेटी का पैतृक संपत्ति में बेटे के मुकाबले आधा हिसा ही होता है। ये कानून ही व्यावहारिक स्तर पर महिलाओं को दोयम दर्जे पर ला खड़ा करते हैं। इस आर्थिक पराधीनता से स्त्री कैसे सुखी रह सकती है जबकि कहावत है कि 'पराधीन सपनेहु सुख नाही।' इस युग तक आते-आते कानून में काफी बदलाव किए गए परंतु व्यवहार में उनका लागू होना बहुत मुश्किल है। भाई और भाभी संपत्ति में हिस्सा मांगते ही सारे रिश्ते खत्म करने की धमकी देते हैं और भारत जैसे संबंधों के जाल वाले देश में रिश्तों को तोड़ना या नकारना इतना आसान नहीं और महिलाएं तो भावुक अधिक होती हैं आसानी से अधिकार छोड़ देती हैं।

भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी व्यावहारिक स्तर पर महिलाओं को पूरी सुरक्षा और संरक्षा नहीं दे पाती। वैसे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में स्पष्ट दिया गया है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर भी कुछ कानून ऐसे हैं जो महिलाओं को पुरुष के बराबर नहीं मानते जैसे--विवाह, तलाक, संपत्ति पर स्वामित्व, उत्तराधिकार, बच्चों का अभिभावकत्व और गोद लेने की प्रक्रिया इत्यादि पर उन्हें (स्त्रियों को) पुरुषों के मुकाबले सीमित अधिकार हैं। महिलाओं के शोषण

और असमानता की स्थिति बनाने में इनका योगदान है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 एवं उसका परिवर्द्धित रूप, पत्नी को तलाक और भरण-पोषण का अधिकार ही देता है, दूसरा विवाह करने से रोक नहीं सकता। पत्नी के समान अधिकारों का हनन करने के लिए धर्म भी उत्तरदायी है।

इस्लाम में चार पत्नी रखने का अधिकार है इसका फायदा अन्य धर्मों के लोग भी 'इस्लाम कुबूल' करके उठाते हैं। पत्नी इन स्थितियों में मूकदर्शक से अधिक और कुछ नहीं। दूसरे विवाह को समाप्त करने की याचिका देने का अधिकार भी दूसरी पत्नी को है। पहली को नहीं। इस प्रकार समता कहीं प्रकट नहीं होती। विवाह उपरांत पत्नी और पति मिलकर घर बनाते हैं लेकिन यदि पति-पत्नी संबंध विच्छेद होते हैं तो पत्नी को ही घर छोड़कर जाना होता है। मुस्लिम विवाह भी पुरुष की इच्छा से तलाक देने पर समाप्त हो जाता है पर पत्नी को तलाक के लिए पति से सहमति बनानी होती है। यहां पत्नी विवाह राशि खोकर तलाक पाती है। ईसाई कानून भी पूरे विश्व में बदल गया परन्तु भारत में 1869 की धारा-10 के अनुसार पत्नी को तलाक के लिए एक से अधिक कारण बताने होते हैं परंतु पुरुष एक ही कारण पर तलाक मांग सकता है। हर स्तर पर महिला के साथ पक्षपात स्पष्ट दिखता है।

भारतीय समाज में ये संपूर्ण भेदभाव एक दिन में नहीं आए। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पुरुष प्रधान रही है। पुरुष पोषकता के कारण उत्तर वैदिक युग से स्त्रियों की दशा धीरे-धीरे गिरती चली गया। इन दोनों स्थितियों पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि कालांतर से इन्हीं परिस्थितियों के कारण नारी आज भी अभिशापित सा जीवन जीती है। इस आधुनिक युग में भी स्त्रियों की उच्च शिक्षा, आत्मनिर्भरता और विवाह को लेकर किसी नई दृष्टि का विकास नहीं हुआ। स्वतंत्रता के समय लगभग 3 प्रतिशत शिक्षा थी और अब 20 प्रतिशत से कुछ अधिक होगी परंतु कोई नई दिशा अथवा नया आयाम नहीं मिला। यह सब तभी तक जब तक विवाह न हो जाए। आजकल कुछ शहरों में मध्यम या निम्न स्तर तक की नौकरी पाने तक ही शिक्षा की पहुंच है। उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाती जो

उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे, जीवन जीने का नया आयाम दे अथवा आधुनिक बोध का अनुभव कराए।

आर्थिक रूप से पूर्ण स्वावलंबी स्त्री, ऊंचे पद पर कार्यरत स्त्री और साधारण घरेलू स्त्री--इन सभी स्थितियों का सामाजिक स्तर पर आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया तो जानकर आश्चर्य हुआ कि स्त्रियों के प्रति विचार और व्यवहार में परिवर्तन बहुत ही कम हुआ है। काल और परिस्थिति के बदलाव से हमारी जीवन शैली और व्यवस्था में जो अनिवार्य परिवर्तन हुआ है उतना ही प्रभाव स्त्री के प्रति सोच में पड़ा है परंतु यह सोच परंपरागत सोच से भिन्न न होकर उसी की परछाई है। आजादी के लगभग 60 वर्ष बाद भी स्त्री की स्वयं सत्ता नहीं। वह पुरुष से अलग नहीं बस सकती उनकी संपत्ति समान है। आज भी किसी पुरुष से बदला लेने के लिए शत्रु पक्ष की स्त्रियों को ही शिकार बनाया जाता है क्योंकि मूल में यही भाव है कि बेटी-बहू-पत्नी-मां-सब पुरुष की संपत्ति और इज्जत हैं। दोनों के कार्यक्षेत्र अभी भी अलग-अलग हैं। स्त्री को बराबरी का दर्जा देने वाले बहुत कम हैं। इनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इन पुरुषों के विचार रूढ़िवादी नहीं परंतु ये अपने विचारों का व्यवहार में निर्वहन नहीं कर पाते इसलिए इनकी कथनी और करनी में जो अंतर होता है वह स्थिति को और भयावह बना देता है और अत्याचार की पृष्ठभूमि को और बढ़ा देता है।

स्त्री और पुरुष की समानता नहीं हो सकती इस संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा प्रकृति प्रदत्त है। वह प्राकृतिक रूप से कोमल, भावुक आलंबन स्वभाव की होती है इसलिए पुरुष के शासन सुरक्षा में ही सुरक्षित रह सकती है और अधिकतर महिलाएं इसे सही भी मानती हैं। स्त्रियां कितनी भी योग्य, प्रशिक्षित क्यों न हों पर उन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जैसा पति और ससुराल पक्ष कहेगा वैसा ही करना है। शादी के बाद अथवा बच्चों के जीवन में आने पर लगभग 20 से 25 प्रतिशत स्त्रियां नौकरी छोड़ देती हैं क्योंकि घर-परिवार का उत्तरदायित्व उन पर होता है जबकि पुरुष देश-विदेश अपने कैरियर के लिए जाने को सदैव तत्पर रहता है। स्वयं को आश्रिता मानने का संस्कार स्वयं स्त्री के मन में बहुत गहरे जमा हुआ है।

आज वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति में देश 21वीं सदी में है तो सामाजिकता में 19वीं और जीवन-दर्शन के दृष्टिकोण से 16वीं सदी से आगे नहीं बढ़ा है। इन सारी स्थितियों को शांत चित्त होकर सोचने की आवश्यकता है। जब तक स्त्री को अपने आत्म-सम्मान की पहचान नहीं होगी और वह अपने व्यक्तित्व का स्वयं विकास नहीं करेगी तब तक समाज की उसके प्रति सोच नहीं बदलेगी। हर व्यक्ति को अपनी अस्मिता की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। उसी प्रकार स्त्रियों को स्वयं अपने को मध्ययुगीन व्यवस्था से मुक्त करना पड़ेगा तभी समाज में उसकी स्थिति में मूलभूत परिवर्तन होगा।

राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का विवेचन और विश्लेषण करने पर स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं इन्हीं में महिला के प्रति द्वितीय स्तर का व्यवहार प्रारंभ से ही परिलक्षित होता है। संपूर्ण विश्लेषण यही दर्शाता है कि महिलाओं को किसी भी स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर नहीं उपलब्ध कराए जाते। यदि किसी प्रकार वह प्रयास करे भी तो किसी न किसी बहाने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है फलस्वरूप वह दबाव और तनाव में परतंत्र रूप से जीती है जिससे कभी-कभी अथवा अकसर विस्फोटक स्थिति बन जाती है जो किसी भी अपराध के लिए उरर्वक होती है।

●

अध्याय - 2

अपराध की प्रकृति और प्रकार

अपराध समाज में प्रारंभ से ही चला आ रहा है। समय एवं स्थान के अनुसार अपराध एवं अपराधी की प्रवृत्ति बदलती रहती है जैसे-जैसे मनुष्य आध्यात्मवादी प्रवृत्ति से भौतिकवादी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होता है वैसे-वैसें आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। आजकल भौतिकता एवं विलासिता की ओर मनुष्य इतना अधिक बढ़ गया है कि वह निरंतर अपराध की ओर बढ़ता जा रहा है और यह क्रम निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस कारण मानव समाज व्यथित, कुंठित और त्रस्त है। अपराध एवं अपराधी का अस्तित्व पाषाण युग से परमाणु युग तक व्याप्त है। प्रारंभिक युग में जब मनुष्य जंगली था तब उसकी आवश्यकताएं काफी कम थी इसलिए स्वार्थ की प्रवृत्ति नहीं थी और स्वार्थ न होने के कारण संपत्ति के प्रति मोह भी नहीं था। अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से ही पूरी हो जाती थी और अपराध नाममात्र के लिए ही था। वे केवल चोरी, लूट और हत्या तक ही सीमित थे।

धीरे-धीरे मानव की आवश्यकताएं बढ़ी और संग्रह की भावना और अधिक प्रबल होने से कई तरह के नए अपराध पनपने लगे जिनमें तस्करी, काला-बाजारी, अपमिश्रण, रिश्वत और सफेदपोश अपराध शामिल हैं। कालक्रम के परिवर्तन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य के स्थान पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अभिमान की प्रमुखता हो गया। अपराध का यह रूप समाज के सभी व्यक्तियों के लिए दुखदायी होता है परंतु समाज के कमजोर वर्ग विशेष रूप से नारी ज्यादा प्रभावित होती है और आपराधिक

स्थितियां उसे भोग-विलास की वस्तु बना देती है। उस दशा के लिए जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां उपयुक्त हैं :

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।।

1. अपराध की परिभाषा

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही यह भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी जीवन में स्वतंत्र और स्वछंद रहना चाहता है। इन दो विरोधाभासी कथनों के बीच ही अपराध का मूल स्रोत है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के निजी जीवन में, संपत्ति में और अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न ही इस प्रकार की कोई कोशेकश करनी चाहिए कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक आघात लगे या फिर कोई संपत्ति संबंधी नुकसान हो। किसी भी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य को प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। मूलमंत्र किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य को किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक और संपत्ति संबंधी कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसके प्रतिकूल व्यवहार करता है तो इस व्यवहार को कानून की भाषा में **अपराध** कहा जाएगा।

अपराध की परिभाषा **कैनी** ने इस प्रकार दी है ''अपराध वे असंवैधानिक कार्य है जिनके साबित हो जाने पर न्यायालय अपराधियों को दंड देता है और ऐसे दंड में कमी करने का एकमात्र अधिकार राज्य को होता है'' इसी को और स्पष्ट समझाने के लिए **ब्लैकस्टोन** की परिभाषा इस प्रकार है, ''अपराध का अर्थ है ऐसे लोक अधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लंघन करना जो संपूर्ण समाज अथवा समुदाय को एक समाज अथवा समुदाय के रूप में प्राप्त हों।'' इन दोनों परुभाषाओं को **मिलर** और स्पष्ट करते हैं यथा - 'अपराध वे कृत्य अथवा अकृत्य उल्लंघन कार्य हैं जिनको विधि अथवा कानून समादेशित अथवा निदेशित करता है और उनके उल्लंघन करने पर सरकार एक संस्था के रूप में कार्रवायी करके दण्डित करती है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि

अपराध में क्या-क्या तत्व होते हैं अर्थात किन-किन उपांगों के जुड़ने से कोई भी कर्म अपराध बन जाता है।

(क) अपराध कम से कम एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है
(ख) वह व्यक्ति अपराध करने में समर्थ होता है।
(ग) अपराध करने में उस व्यक्ति का आशय बुरा होता है।
(घ) अपराध करने के लिए व्यक्ति के पास निश्चित लक्ष्य होता है।
(ड.) अपराध समाज पर दुष्प्रभाव डालता है।
(च) अपराध न्याय-व्यवस्था द्वारा दंडनीय होता है।

अपराध और समाज का चोली-दामन का साथ है। इस प्रकार समाज से अपराध का बहुत सघन रिश्ता है। कोई भी अपराध समाज में ही घटित होता है इसलिए अपराध को समाज से अलग करके नहीं समझा अथवा देखा जा सकता। अपराध के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उस समाज की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन अनिवार्य है। समाज की बुराइयों, समाज की विकृतियों, उसकी अव्यवस्थाओं और असमानताओं को जानकर और समझकर अपराध की प्रकृति को पहचाना जा सकता है और जनसाधारण का ध्यान उन विशेष परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया जा सकता है। समाज की उन गुह्य और व्याप्त अपराध की वृत्तियों को समझने के उपरांत अपराध की सही संरचना का पता चलता है जिससे समाज में फैली हुई आपराधिक प्रवृत्तियों को दूर करने के उपाय भी जाने जा सकते हैं।

आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष और अस्पृश्यता जैसी ज्वलंत समस्याएं समाज में अपराधों को उत्पन्न करती और बढ़ाती हैं। समाज में मानव मूल्यों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है जिसके कारण अपराध बढ़ते रहते हैं। इन कारणों के अध्ययन से इस परिवर्तन की प्रक्रिया को धीमा करके स्थिर करने के प्रयास से अपराध का ग्राफ तेजी से नहीं बढ़ता। सामाजिक स्थिरता आती है जो अपराधहीन जगत का निर्माण हो सकता है। सुधारवादी दृष्टिकोण से अपराध शास्त्र के अंतर्गत अपराधी व्यक्तियों के सुधार का प्रयास किया जाता है और सही मार्गदर्शन द्वारा उन्हें इस रास्ते से हटाकर

समाज को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस विषय की जानकारी होने से आम आदमी शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा सकता है।

अपराध एक ऐसा व्यवहार है जिसमें सामाजिक अनुबंध अथवा समझौते का अपराधी उल्लंघन करता है। यह संपूर्ण राज्य के साथ समाज के सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा और संपत्ति के लिए हानिकारक होता है। इसलिए उसे कानून के अनुसार दंड दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अथवा समूह एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करता है और दूसरा व्यक्तिया कोई दूसरा समूह उस कृत्य से विचलन करता है अर्थात अलग ढंग का व्यवहार करता है। इन्हीं के बीच संघर्ष में अपराध के लक्षण उभरने लगते हैं। एक समाज अपने कुछ विशेष मूल्यों की व्यवस्था करता है लेकिन समाज के अन्य शक्तिशाली समूह उसी समाज के कम शक्तिशाली व्यक्तियों पर समाज के मूल्यों से अलग अपने नियम थोपते हैं जिससे समाज के मानक व्यवहार में विचलन होता है जिसे अपराध की संज्ञा देते हैं। यह एक ऐसा व्यवहार अथवा कृत्य है जो किसी विशेष समुदाय की सामाजिक संहिता पर आघात करता है। **काल्डवेल** ने माना है कि, ''अपराध समाज विरोधी कृत्य है''। **मार्शल क्लिनार्ड** ने तीन प्रकार के विचलन माने हैं :

(i) **सह्य विचलन/सहनयोग्य विचलन**--कुछ व्यवहार धीरे-धीरे विरोधी होने पर भी समाज को मान्य हो जाते हैं। जैसे विजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा आदि-आदि।

(ii) **विस्तृत रूप से अस्वीकार्य**--कुछ कागया को एक बड़ा वर्ग नकारता है परंतु समाज के कुछ वर्ग उसे मान लेते हैं जैसे : आजकल अस्पृश्यता, स्त्रियों का कागया लय तथा अन्य स्थलों पर कार्य करना, शहरों में अब मान्यता पाता जा रहा है।

(iii) **असह्य विचलन**--इस प्रकार के व्यवहार को कोई भी स्वीकार नहीं करता क्योंकि यह समाज को हानि पहुंचाता है। चोरी, डकैती, हत्या आदि कृत्य इसी श्रेणी में आते हैं।

अपराध जैसे कृत्य सामाजिक व्यवस्था के लिए घुन के समान हैं जो उसे धीरे-धीरे ध्वस्त कर देते हैं। इनसे नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन होता है और समाज के जान-माल को खतरा ऐसे कृत्यों से ही होता है। सर्वमान्य परंपराओं एवं लोगों की सत्ता के प्रति सम्मान पर आघात पहुंचाने वाले कृत्य जैसे अश्लील साहित्य और उत्तेजनात्मक प्रचार माध्यम नैतिकता का पतन करते हैं जो समाज के घातक शत्रु होते हैं। अपराध ऐसा कृत्य है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए समान रूप से विकागया त्मक होते हैं अर्थात चोरी, हत्या और डकैती जैसे कृत्यों के अतिरिक्त पलायनवादी होना, नशाखोरी की प्रवृत्ति, आवारागर्दी और आत्महत्या को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो अपराध समाज को हानि पहुंचाते हैं वहीं अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रवृत्तियां समाज को असंतुलित करती हैं और यही असंतुलन अपराध की उर्वरक पृष्ठभूमि बन जाता है। अतः जागरूक समाज को ऐसे संतुलन का निर्माण करना होता है अन्यथा अपराध कारित होंगे ही।

2. अपराध के सिद्धांत

समाज की तरह अपराध भी एक शाश्वत एवं चिरंतन सत्य है। यह समाज में ऐसी बुराई है जिसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। अपराध, अपराधी की संपूर्ण व्याख्या और समीक्षा अपराध शास्त्र में मूलतः तीन सिद्धांतों के आधार पर की जाती है :

(i) क्लासिकल और नियो-क्लासिकल सिद्धांत--अपराध और दंड की इस प्रकार की सैद्धांतिक व्याख्याओं का विकास अठाहरवीं शती के अंत तक उपस्थित उच्च रूप से प्रबुद्ध विचारकों और राजनीतिक सुधारकों के उस मनमाने न्याय व्यवस्था एवं दंड के कठोर नियमों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इस सिद्धांत के प्रतिपादक **रूसो** ने सामाजिक संविदा की रचना की जो मनुष्य की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करती और बस मनुष्य थोड़ी-सी स्वतंत्रता समाज को समर्पित कर उसकी एकता का लाभ उठा सके। इस सिद्धांत के अनुसार समाज और व्यक्ति अपने-अपने निहित स्वार्थों

के लिए समझौता करते हैं जहां व्यक्ति स्वतंत्र, तर्कशील और अपने हितों की रक्षा कर सके और समाज सत्ता संपन्न और शक्तिपूर्ण रूप से संगठित रहकर व्यवस्थापूर्ण ढंग संचालन कर सके। इस प्रकार राज्य और समाज की शक्ति को व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा और सुरक्षा तक ही सीमित कर दिया। क्लासिकलवादी परिस्थितियों और प्रभावों पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते बल्कि आपराधिक कृत्यों को कानूनी परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन कर दंड का विधान करते हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत न तो व्यक्ति को मनमाने ढंग से व्यवहार करने की छूट देते हैं और न ही दंड व्यवस्था को मनमाने ढंग से दंड देने की छूट देते हैं बल्कि दोनों अपनी-अपनी सीमा रेखा में रहकर बिना हानि पहुंचाए अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं।

(ii) जैविकीय सिद्धांत--इसके अंतर्गत मनोरोगीय और शरीर शास्त्रीय आधार पर अपराध शास्त्र की व्याख्या की गया। इस सिद्धांत के जनक **लोम्ब्रोसो** ने यह सिद्ध किया कि अपराधी जन्म से ही विशिष्ट लक्षणों और चिन्हों के द्वारा पहचाना जा सकता है। अपराधी प्रकार का व्यक्ति अपराध अवश्य करता है। प्रारंभ में केवल जन्मजात अपराधी बताया था। बाद में दो प्रकार के अपराध बताए। पहला आकस्मिक अपराधी जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपराध करता है दूसरा भावावेश अपराधी जो संवेगात्मक दशा में संवेदनशीलता के कारण अपराध करता है। परंतु इन लक्षणों का आकलन बहुत कठिन था। अतः इसे व्यावहारिक रूप न दे पाने के कारण नकारा जाना स्वाभाविक ही था। शारीरिक रचना संबंधी सिद्धांत भी इसी प्रकार आनुवांशिक तत्वों को बल देने वाला सिद्ध हुआ। **शिलाप** और **स्मिथ** ने सिद्ध किया कि अपराध मस्तिष्क की ग्रंथियों के अंतःस्राव की अधिकता और कमी अथवा ठीक न होने के कारण कारित किया जाता है। अपराध अधिकतर जैविकहीनता और शारीरिकहीनता की दशा में ही किए जाते हैं। **शैल्डन** ने भी अपराध को शारीरिक रचना के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया। परंतु यह भी व्यावहारिक स्तर पर सिद्ध करना अत्यंत कठिन कार्य था अतः आलोचना का शिकार बना।

(iii) मनोरोगीय/मनोवैज्ञानिक सिद्धांत--मानसिक रूप से असंतुलित और हीनग्रंथि वाले व्यक्ति अपराध कारित करते हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति के आंतरिक दोषों को अपराध का स्रोत मानते हैं। मंदबुद्धि और निम्न बुद्धि वाले मानसिक अव्यवस्था के कारण अपराध करते हैं। मनोरोगीय व्याख्या के क्षेत्र में व्यक्तित्व के दोषों और मानसिक लक्षणों को अपराध के लिए विशेष भूमिका में पाया गया। ये लक्षण अन्तर्मुखता या बहिर्मुखता, प्रभुत्व या अधीनता, आशावाद या निराशावाद, आत्म केन्द्रिता या समाज केन्द्रिता आदि होते हैं। इन्हीं सिद्धांतों से आगे जाकर **फ्रायड** ने मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या द्वारा उन्नीसवीं शती के अंत में अपराधिता को नई दिशा दी। पहली बार तीन तत्वों का प्रयोग किया जिनमें (1) इड (2) इगो और (3) सुपर इगो की व्याख्या द्वारा अपराधी के व्यवहार की व्याख्या की गया। इड के अंतर्गत व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां हैं जिनमें प्रेरणाएं और आकांक्षाएं निहित होती हैं। इगो यथार्थ की दशा है जो व्यक्ति के चेतन स्तर पर उपस्थित है सभी खूबियों और कमियों के साथ उपस्थित रहता है और सुपर इगो व्यक्ति की अंतरात्मा या नैतिक भाव होता है जो इड को निरंतर करणीय अथवा अकरणीय बताता रहता है और इगो इन दोनों के बीच संतुलन बनाता रहता है। संतुलन के बिगड़ते ही व्यक्ति अपराध की ओर प्रेरित होता है। एक संतुलित व्यक्ति में ये तीनों तत्व पूर्ण सामंजस्य की दशा में होते हैं। यदि सुपर इगो पूर्ण विकसित न हो तो व्यक्ति असामाजिक व्यवहार करता है। उसके अपराध में लिप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

फ्रायड के मनोविश्लेणात्मक दृष्टिकोण को अध्ययन में प्रयोग करने वाले विद्वानों में **अगस्त एकोर्न** प्रथम रहे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि असामाजिक व्यवहार व्यक्ति की मानसिक शक्तियों के आंतरिक खेल का प्रतिफल होता है। इसके बाद **एल्फ्रेड एडलर** ने 20वीं सदी के प्रारंभ में अपराध की व्याख्या हीनता ग्रंथि के संदर्भ में की। अपनी हीन भावना की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपराध कर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। पर इसी को आगे बढ़ाते हुए **मैनहाइम** ने व्यक्ति के व्यवहार के विवेक पक्ष और सिद्धांत का अत्यधिक सरलीकरण पर बल देने के कारण आलोचना की गया।

इसके बाद **डेविड अब्राहम सेन** ने अपराध को व्यक्ति की प्रवृत्तियों और स्थितियों के प्रतिरोध करने के अर्थ में परिभाषित किया। उसने एक नया फार्मूला बनाया जो इस प्रकार है :

$$\text{अपराध} = \frac{\text{मनोवृत्तियां} + \text{परिस्थितियां}}{\text{प्रतिरोध}}$$

इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर मजबूत आपराधिक प्रवृत्तियां होंगी और निम्न स्तर पर प्रतिरोध होगा तो उसका व्यवहार अपराधी होगा। परंतु अन्य विद्वानों को अपराध के कारकों का इस प्रकार गणितीय शब्दावली में तीन कारकों में समेट लेना ठीक नहीं होगा। यह व्याख्या कुछ अपराधों के लिए ठीक हो सकती है पर सबके लिए उपयुक्त नहीं।

(iv) समाज शास्त्रीय सिद्धांत--यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि अपराधी व्यवहार सीखा जाता है और इसकी पाठशाला है सामाजिक वातावरण अथवा पगया वरण। **प्रथम** दृष्टिकोण के अनुसार अपराध की व्याख्या में अपराधी की विकृत जीवन दशाएं होती हैं अथवा मधुर संबंधों के टूटने की व्यथा होती है। इसे **सामाजिक विघटन** का **दृष्टिकोण** मानते हैं। **दूसरे** दृष्टिकोण में सामाजिक संरचना और अपराध के बीच परस्पर संबंध खोज कर उसकी व्याख्या करते हैं। इसे **संरचनात्मक दृष्टिकोण** कहते हैं। **तीसरे** दृष्टिकोण के अनुसार उस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपराध करता है। इसे **प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण** मानते हैं। **चौथा** दृष्टिकोण अपराध को सांस्कृतिक संघर्ष से जोड़ता है इसे **उपसंस्कृतीय दृष्टिकोण** की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार इन सभी दृष्टिकोण के अनुसार सिद्धांतों को चार समूह में विभक्त करके अपराध के घटित होने की पृष्ठभूमि और अपराध के कारण के साथ-साथ उसकी प्रकृति का भी पता चलता है।

(v) सामाजिक विघटन या पारिस्थितिक सिद्धांत--इस सिद्धांत के मूल में सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण होता है। इसके अनुसार अपराध दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण होता है ऐसे सामाजिक विघटन की दशा में अपराध घटित होते हैं। **क्लिफोर्ड**

शॉ और **हेनरी मैके** ने परिस्थितिक सिद्धांत का विकास 1920 में किया। अपराध की दर अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग दिखाई देती है। इस प्रकार के अध्ययन के अनुसार जिन क्षेत्रों में अपराध की दर सर्वाधिक होती है उसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं यथा--भौतिक विकार, सघन अथवा संकुलित जनसंख्या, विभिन्नता, आर्थिक असुरक्षा, सस्ते किराए के आवास, निम्न जीवन स्तर, पारिवारिक विच्छिन्नता, सांस्कृतिक विषमता और सामाजिक नियंत्रण का अभाव होता है। इन सब विशेषताओं के कारण सामाजिक विघटन का क्षेत्र बनने के परिणामस्वरूप विघटित व्यक्तित्व और अपराधी जीवन ही विकसित करता है। यह सिद्धांत भी और स्पष्टता की मांग करता है क्योंकि ये बात स्पष्ट नहीं कि बताए गए कारक व्यक्ति में किस प्रकार कार्य करते हैं। इस सिद्धांत में भी मनोवैज्ञानिक और जैविक सिद्धांत की उपेक्षा होने के कारण पूर्ण नहीं माना जा सकता।

(vi) संरचनात्मक सिद्धांत--इसके अंतर्गत **सदरलैंड** ने दो व्याख्याएं दीं। एक परिस्थितिगत व्यवहार दूसरा वंशानुगत व्यवहार अथवा ऐतिहासिक व्यवहार। पहली व्याख्या में संपूर्ण उपलब्ध परिस्थिति की व्याख्या जो अपराध की घटना के समय थी। दूसरी व्याख्या में अपराधी के जीवन के अनुभवों की व्याख्या करते हैं जो अपराध की ओर प्रेरित करते हैं। व्यक्ति अपने जीवनकाल में अनेक कटु और विषम सामाजिक प्रभावों का सामना करता है। ऐसे में कुछ अपराधी प्रतिमान वाले व्यक्ति के संपर्क में आने पर अपराधी बन जाते हैं। इसे विभिन्न संपर्क की प्रक्रिया कहा जाता है। अपराधी अपराध व्यवहार संचार के दौरान अन्य संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और समूहों से सीखता है। इसमें अपराध के तरीके, उस समय की मनोवृत्ति और प्रेरणाएं आदि भी शामिल हैं। अपराधी कानून के उल्लंघन के अनुकूल परिभाषाओं को अपने हित में परिभाषित करना सीखता है। समाज में विभिन्न संस्कृति वाले समूहों का सांस्कृतिक संघर्ष इन संपर्कों का आधारभूत कारण है। इन्हीं के कारण सामाजिक विघटन होता है। प्रत्येक संपर्क का समय, तीव्रता, प्राथमिकता और पुनरावृत्ति अलग-अलग होती है इसलिए व्यक्तिगत लक्षणों और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्यक्ति

के अपराधी बनने और न बनने में वैयक्तिक अंतर मिलता है। इसका मूल कारण उसके विभिन्न संपर्क ही हैं। इस प्रकार अपराधी व्यवहार सामान्य आवश्यकताओं और मूल्यों की अभिव्यक्ति है। परंतु इसके विपरीत कोई-कोई व्यक्ति इस संपर्क प्रक्रिया में अपराधी नहीं बना। यह सिद्धांत भी कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है जैसे संपर्कों, प्राथमिकताओं, उसकी अवधि और संबंधों की आवृत्ति को नापना टेढ़ी खीर है।

(vii) अप्रतिमानता अथवा अभाव का सिद्धांत--इसके अंतर्गत **दुर्खिम** ने प्रतिपादित किया है कि विचलित व्यवहार समाज में रहने का एक सामान्य अनुकूलन है जो ऊंचे श्रम-विभाजन के ढांचे से संरचित होता है। साथ ही यह स्पर्धात्मक अर्थात प्रतियोगात्मक व्यक्तिवाद के मूल्यों पर आधारित होता है। प्रत्येक समाज विचलन एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है और प्रत्येक समाज की प्रगति के लिए आवश्यक भी है। विचलित व्यवहार की समस्या के समाधान के लिए एक नवीन दृष्टिकोण आवश्यक है और यही समाज के विकास में सहायक है। समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था सभी व्यक्तियों को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देती है जो व्यवहार के मान्य तरीकों से प्राप्त किए जा सकते हैं परंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक रूप से मान्य साधनों के माध्यम से पहुंचने के अवसर असमान रूप से वितरित होते हैं। विचलन तब प्रारंभ होता है जब सामाजिक संरचना इन लक्ष्यों तक मान्य तरीकों के सभी द्वार बंद कर देती है। सामान्य रूप से कहें तो लक्ष्यों और साधन के बीच विषमता होने से तनाव को उत्पन्न करती है। इसी को अप्रतिमानता अथवा अभाव की स्थिति मानते हैं। समाज की ऐसी स्थिति से अनुकूलन करने अथवा समायोजन करने के पांच तरीके हैं।

- **अनुरूपता----** जैसी स्थिति है वैसी स्वीकार कर व्यक्ति अपना आचरण नियमित कर लेता है।

- **नवाचार----** इस अवस्था में व्यक्ति लक्ष्यों को तो स्वीकार

करता है परंतु उपलब्ध साधनों के अतिरिक्त अपने-अपने नए साधन बना लेता है। यह निम्न वर्ग में समायोजन का एक तरीका है। इस समायोजन में आपराधिक व्यवहार ही उत्पन्न होता है।

- **कर्मकाण्डवाद----** इस अवस्था में व्यक्ति लक्ष्यों को अस्वीकार करता है परंतु साधनों का उपयोग करता है। यह मध्यम वर्ग के अनुकूलन का ढंग है। इस प्रकार के विचलन के द्वारा व्यक्ति सांस्कृतिक ढंग से हटकर सामाजिक संस्तरण में सक्रिय रूप से आगे और ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करता है।

- **पलायनवाद----** इस समायोजन में व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से समर्थित लक्ष्यों और संस्थात्मक साधनों दोनों को अस्वीकृत करता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति दोनों मान्य लक्ष्यों और साधनों को प्रयोग करके भी असफल रहा हो परंतु गैर-कानूनी रूप से भी इनको प्राप्त न कर पा रहा हो तब वह दोनों को नकार देता है और पलायन स्वरूप नशाखोरी या आवारगी में पड़ जाते हैं।

- **विद्रोह----** इस समायोजन में व्यक्ति लक्ष्यों और साधनों दोनों ही की अस्वीकृति करता है और उसके स्थान पर नए लक्ष्यों और साधनों की प्रतिस्थापना करता है। व्यक्ति एक नवीन सामाजिक संरचना की मांग करता है। स्वयं नवीन लक्ष्य एवं साधनों को अपना कर उन्हें समाज के लिए संस्थात्मक बनाने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत भी पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि निर्धारक तत्वों को नहीं बताता। सामाजिक वैज्ञानिक कारकों को स्पष्ट नहीं करता इसी के साथ सामाजिक संरचना के तत्वों को भी स्पष्ट नहीं करता। इस सिद्धांत का परीक्षण अनुभव के आधार पर अर्थात अनुभव के द्वारा नहीं किया गया।

3. अपराध के कारण

आदिकाल से आधुनिक काल तक कई परिष्कृत प्रविधियों और नई अंतर्दृष्टि के संयोजन से अनुभव के आधार पर अध्ययनों के बाद भी अपराधों के स्पष्ट कारण अथवा कारक बताना अब तक पूरी तरह संभव नहीं। केवल किसी एक कारक के कारण कोई भी अपराध घटित नहीं होता। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :

1. व्यक्तिगत/वैयक्तिक कारण
2. पारिस्थितिक कारण
3. भौगोलिक कारण
4. संचार माध्यम के कारण

(i) **व्यक्तिगत/वैयक्तिक कारण**--किसी भी अपराध के घटने में अपराधी के व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव होता है। व्यक्तित्व में शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की विशेषताओं का समायोजन होता है। शारीरिक कारणों में व्यक्ति की आयु, लिंग, बनावट और अपंगता इत्यादि अपराधों के क्षेत्र में विशेष प्रभाव डालते हैं। अलग-अलग आयु के लोग अलग-अलग प्रकार के अपराध करते हैं। इस बात का प्रमाण सर्वविदित है। कम आयु में छोटे-छोटे अपराध किए जाते हैं जबकि जवान व्यक्ति अधिक गंभीर अपराध में लिप्त होता है और बूढ़ा व्यक्ति शरीर से अशक्त होने के कारण या तो अपराध कम कर देता है अथवा बस मस्तिष्क से योजना बनाकर दूसरों को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। आंकड़ों और विभिन्न किए गए शोध के अनुसार ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है :

(क) अपराध की प्रकृति आयु पर ही निर्भर करती है।
(ख) समय और स्थान के अनुसार आयु में परिवर्तन भी हो जाता है।
(ग) 15 से 17 वर्ष की आयु में सामान्य अपराध कारित होते हैं और 20 से 27 के मध्य गंभीर किस्म के अपराध किए जाते हैं।
(घ) अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति वाले कम परंतु यौन अपराध अधिक किए जाते हैं।

लिंग भी अपराध में महत्वपूर्ण है। महिलाओं के मुकाबले पुरुष अधिक अपराध करते हैं। एक तो महिलाएं घर-परिवार में व्यस्त होती हैं दूसरा आर्थिक रूप से भी उतनी स्वतंत्र नहीं होती जितने पुरुष। इसके अतिरिक्त शारीरिक बल भी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। अधिकतर महिलाएं अपराध में सहयोगी होती हैं। स्वतंत्र रूप से वे देह-व्यापार अथवा अन्य छिटपुट अपराध ही कर पाती हैं। आधुनिक युग के अनुसार अब वे भी अपराध की दुनिया में लिप्त होती जा रही हैं पर अभी भी उनकी संख्या अधिक नहीं है। इसके कारण इस प्रकार हैं :

(क) महिलाओं पर पारिवारिक उत्तरदायित्व अधिक होता है।
(ख) उनमें पुरुषों की अपेक्षा अपराधों के बाद दी जाने वाली सजा का भय अधिक होता है।
(ग) उन पर सामाजिक नियंत्रण पुरुषों की अपेक्षा कड़ा होता है। साथ ही उन्हें सामाजिक लांछन का भय भी अधिक होता है।
(घ) महिलाएं पुरुषों से अधिक संवेदनशील और कोमल प्रवृत्ति की होती हैं।
(ड.) पुरुष अधिकतर परिवार के मुखिया माने जाते हैं अतः महिलाओं के अपराध कम सामने आते हैं क्योंकि पुरुष महिला का संरक्षक भी होता है और समाज में पुरुष की ही जवाबदेही अधिक होती है।

बनावट अथवा शारीरिक संरचना भी अपराध में महत्वपूर्ण होती है। मझोले और कसावट शरीर वाले व्यक्ति अपराध में ज्यादा शामिल होते हैं जबकि लम्बे और सुंदर सौष्ठव वाले व्यक्ति कम शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिकतर अपनी शारीरिक संरचना के कारण साधन और सम्मान मिल जाता है और दूसरे को कम आकर्षक व्यक्तित्व मिलने के कारण कुंठा होती है जो इस क्षेत्र में उसे ले जाती है। अपनी शारीरिक बनावट से अपराधी की पहचान उसके इस प्रकार के लक्षणों से की जा सकती है :

(क) उसका चेहरा लम्बा और असमान बनावट का होता है।

(ख) चेहरे की तुलना में कान कुछ अधिक लंबे होते हैं।
(ग) शारीरिक अनुपात में बाहें भी सामान्य से लंबी होती हैं।
(घ) चपटी सी नाक और दबा हुआ (प्रत्यावर्तनीय) मस्तक होता है।
(ड.) आंखों में दर्द के प्रति संवेदनहीनता/कठोरता होती है।

अपंगता अथवा शारीरिक दोष जैसे लंगड़ापन, कुरूपता, बौनापन इत्यादि लक्षणों वाले व्यक्ति हीनभावना के कारण लोगों से उपेक्षा का व्यवहार पाते हैं और इसी दशा में संवेगात्मक आकुलता के कारण आक्रामक व्यवहार करते हैं जो धीरे-धीरे अपराध में परिवर्तित हो जाता है। शारीरिक विकलांगता ईष्याया के कारण आपराधिक वृत्ति पनपती है।

(क) शारीरिक हीनता अथवा अधिकता अपराधी व्यवहार के लक्षण हैं।
(ख) **गोरिंग** ने 1919 में शारीरिक विकृति जैस--अंधा, बहरा, लंगड़ा, काना आदि को अपराध का कारण माना है।
(ग) अपराधी मूल रूप से आंगिकहीन (कम अंग/अपंग) होते हैं ऐसा **हूटन** का जैविक हीनता सिद्धांत का मत है।

मानसिक व्यक्तित्व भी अपराध का कारण होता है। भारतीय संस्कृति में मन की सत्ता सर्वोपरि मानी गया है यथा-''मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत''। मानसिक हीनता भी अपराध की पृष्ठभूमि बनती है। व्यक्तित्व के अंदर के दोष भी अपराध का कारण बनते हैं। सामान्य रूप से निम्न प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं :

(क) मंद/निम्न बुद्धि
(ख) मानसिक अव्यवस्था
(ग) विक्षिप्तता
(घ) मनोविकृति/मानसिक कमजोरी
(ड़) मानसिक हीनता/हीनता की ग्रंथि

इन मानसिक दोषों के कारण मनुष्य में आपराधिक वृत्ति पनपती है क्योंकि जब मन पूरी तरह मजबूत, बलिष्ठ और नियंत्रण में नहीं होता तो क्रोध, निराशा, चिड़चिड़ापन और भ्रम होता है। चित्त अस्थिर हो जाता है फलतः व्यक्ति अपना विवेक खोकर सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता और अपराध की संभावना बढ़ जाती है।

(ii) पारिस्थितिक कारण---- कभी-कभी व्यक्ति ऐसी स्थिति अथवा परिस्थिति में पड़ जाता है कि न चाहते हुए भी अपराध कारित हो जाता है। इसके अंतर्गत घर, परिवार, समाज, पास-पड़ोस, देश की राजनीति, आर्थिक दशा सभी का प्रभाव पड़ता है। ये सभी अपराध के कारक अथवा कारण बन जाते हैं। संक्षेप में इसके विश्लेषण से बात और स्पष्ट हो जाएगी :

(क) पारिवारिक कारण : लगभग सभी समाजशास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि व्यक्ति के जीवन में परिवार का गहरा प्रभाव होता है। इस संस्था से व्यक्ति आवश्यक और अनावश्यक सुविधाओं की पूर्ति करता है और सांस्कृतिक मूल्य भी ग्रहण करता है जिससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है और जीवन जीने का ढंग भी सीखता है। परंतु सभी परिवारों की स्थिति भिन्न होती है। **लोबेलकार** ने सामान्य परिवारों के 6 लक्षण बताए हैं -

- पहला संरचनात्मक पूर्णता अर्थात माता एवं पिता दोनों की उपस्थिति होती है।
- दूसरा आर्थिक सुरक्षा अर्थात स्वास्थ्य और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए पगया प्त अर्थसाधन होना चाहिए।
- तीसरा सांस्कृतिक साम्यता/ समानता अर्थात एक सी भाषा, एक सा भोजन, एक से रीति-रिवाज और लगभग एक सी अभिरुचि वाले सदस्य होने चाहिए।
- चौथा नैतिक अनुरूपता अर्थात सभी एक सी समुदाय की लोक रीति का पालन करने वाले होने चाहिए।
- पांचवा शारीरिक और मानसिक सामान्यता अर्थात सभी सदस्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों और
- छठा कागया त्मक पगया प्तता अर्थात सदस्यों में मधुर संबंध हों। आपस में कोई कुंठा न हो, मां-बाप, बच्चों की उपेक्षा न करते हों तथा बच्चे उनका सम्मान करते हों। ऐसे

परिवार जो सभी मान्यताएं पूर्ण करते हों बहुत कम है।

इसके अतिरिक्त भग्न परिवार भी होता है जहां माता या पिता में से कोई एक अनुपस्थित हो जो मृत्यु, तलाक, परित्याग आदि के कारण हो सकता है। ऐसे भग्न परिवार में स्नेह, नियंत्रण की कमी हो सकती है। इन परिवारों के बच्चे अपराध की ओर मुड़ जाते हैं।

- **निर्धन परिवार** भी आर्थिक सुरक्षा की शर्त पूरी न कर पाने के कारण परिवार के सदस्यों को अपराधी क्रियाओं में लिप्त करने के लिए उकसाते हैं। निर्धन परिवार के सदस्य सामान्य के अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं।
- **कागया त्मक रूप से अपगया प्त परिवार**--इस परिवार में प्रभुत्व की भूमिका, मूल्य, अभिरूचि, अधिकार और कर्तव्य की स्वीकृति जैसे प्रश्नों पर सदस्यों में परस्पर मतभेद होता है। आपसी संबंध तनावपूर्ण होते हैं। वहां बच्चे और अन्य सदस्य तनाव से दूर रहने के लिए घर से बाहर अपराध के क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं।
- **दोषपूर्ण अनुशासन वाले परिवार**--इस प्रकार का परिवार सदस्यों की पूरी तरह देखभाल नहीं कर पाता, अनैतिक स्थिति की संभावना ऐसे परिवारों में प्रमुख रूप से होती है। मां-बाप बच्चों को सही प्रकार से निर्देशित नहीं कर पाते। मां-बाप व्यापार अथवा नौकरी के कारण लम्बे समय तक घर से दूर रहते हों ऐसे में परिवार का नियंत्रण और अनुशासन नहीं रह पाते और पूरा स्नेह और समर्पण न होने के कारण सदस्य अन्य स्थलों से अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इस प्रक्रिया में वे अनुपयुक्त शिक्षा अथवा गलत सामाजिक रूपों को सीख लेते हैं जो अपराध पनपने का कारण बन जाते हैं।

(ख) सामाजिक कारण : समाज में कई छोटे-छोटे समूह कार्य करते हैं। परिवार के बाद व्यक्ति सामाजिक वातावरण से ही प्रभावित होता है। **मित्र समूह**--व्यक्ति के जैसे मित्र होंगे वैसा ही

उसका व्यवहार होता जाएगा। अगर मित्र अपराधी मिल गए तो उनकी संगति से व्यक्ति परिवार का प्रभाव छोड़कर दो कदम आगे जाकर अपराधी व्यवहार अपना लेता है। मादक पदार्थों का सेवन, चोरी, जेब तराशी और छेड़छाड़ आदि इसी प्रकार के अपराध हैं। बच्चों में दुर्व्यसन की दमित भावनाओं को ये मित्र समूह उत्तेजित कर अपराध की ओर प्रवृत्त करते हैं। **आस-पड़ोस** ग्रामीण क्षेत्रों में आस-पड़ोस प्राथमिक समूह की भूमिका में होता है। जबकि शहरों में द्वितीय समूह के रूप में विकसित हो रहा है। इस समूह के व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता। पड़ोस का वातावरण उसके व्यक्तित्व की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालकर, असामाजिक मूल्यों को पोषण देकर अथवा उपसंस्कृतीय संघर्ष पैदा करके अपराध में योगदान करता है। ऐसा उस दशा में होता है जब व्यक्ति एक पड़ोस से नए पड़ोस में जाता है तब उस परिवार के सदस्यों के पहले से प्रचलित मूल्य नए मूल्यों से आहत होते हैं और सामाजिक समायोजन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

(ग) राजनैतिक कारण : सार्वजनिक जीवन में निष्ठा के गिरते हुए स्तर के कारण अपराध और बढ़ जाते हैं। राजनेता और अन्य उच्च अधिकारी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय अभिमुखी नीतियां नहीं बनाते वरन् स्व-अभिमुख अथवा दल अभिमुखी कार्यक्रम और योजनाएं बनाते हैं। इसमें आर्थिक अपराध घटित होने की शत-प्रतिशत संभावना रहती है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में हमारे देश में राजनेता ईमानदार और समर्पित थे इसलिए राष्ट्रोन्मुखी नीतियां बनी उस समय अपराध कम हुए। तकरीबन 20 साल के बाद सत्ता ऐसे हाथों में स्थानांतरित हो गया जो केवल निहित स्वार्थों के लिए कार्य करते थे। उनके लिए परिवार हित, आत्महित और दल तथा क्षेत्र का स्वार्थ अधिक रहा। अतः समाज के लाभ की कोई चिंता नहीं की गया। राजनीतिक और नौकरशाह अपनी शक्ति और पद का उपयोग अवैध लाभ के लिए करने लगे। राजनेता जब अपने स्वार्थ के लिए कानून तोड़ने वालों का संरक्षण करते हैं तो अपराध

का बढ़ना स्वाभाविक ही है। अपने और अपने मातहत लोगों के अनुसार जब राजनेता नीति-निर्माण करते हैं तो विरोध स्वरूप अपराध पनपते हैं। ऐसे कुशासन में देश के सत्तर से अस्सी प्रतिशत लोग अपनी रोजी-रोटी नहीं कमा पाते और मजबूर होकर अपराध जगत की ओर उन्मुख हो जाते हैं।

(घ) आर्थिक कारण : आधुनिक युग में मनुष्य केवल धन को ही सर्वेसर्वा मानकर किसी भी गतिविधि से पैसा कमाने की इच्छा रखता है और अवसर मिलने पर उसे कागया न्वित भी कर देता है। आजकल स्वार्थ, लोभ, लालच, प्रलोभन आदि सभी दुर्गुण अर्थ-प्राप्ति के ही माध्यम हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था में असमान वितरण के कारण कुछ लोगों को भरपेट रोटी नहीं मिलती और कुछ लोग अन्न का निरादर करते हैं वहां निम्न स्तर पर धनाभाव के कारण छोटे-मोटे अपराध जैसे : चोरी, लूट, छल, डकैती, जुआ और वेश्यावृत्ति पनपने लगते हैं। इसके अतिरिक्त एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास धन है परन्तु और अधिक संपन्न होने के लिए व्यक्ति सफेदपोश अपराधों में लिप्त हो जाता है। ये अपराध किसी न किसी व्यापार के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से फलते-फूलते हैं। इसलिए इन्हें व्यावसायिक अपराध भी कहा जाता है। गबन, ठगी, वित्तीय धोखाधड़ी आदि ऐसे ही अपराध हैं। ये अपराध विधि संहिता का उल्लंघन करते हैं। इनका उद्देश्य बस धन प्राप्ति होता है। अपराध का दुष्प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ता है। कोई एक व्यक्ति अथवा संस्था नहीं होती जो इसकी शिकायत करे। इस अपराध का अपराधी सम्मानित नागरिक ही होता है जिसके खिलाफ सबूत जुटाना भी संभव नहीं होता। अपने अपराध को छिपाने के लिए इस प्रकार के अपराधी उच्च स्तर के व्यक्तियों को भी लालच देकर संतुष्ट रखने के उपाय करते रहते हैं। इसमें आयकर चोरी, बीमा संबंधी धोखाधड़ी, दिवालियापन आदि प्रकार के आर्थिक अपराध शामिल हैं।

(iii) भौगोलिक कारण--किसी भी देश की भौगोलिक दशा वहां की अपराध की स्थिति को प्रभावित करती है क्योंकि मनुष्य

जिस भौगोलिक वातावारण में रहता है उसी के अनुसार उसकी आदत एवं स्वभाव का निर्माण होता है। भौगोलिक परिस्थितियां ही अपराध में सहायक और बाधक होती हैं। इसके अनुसार जलवायु, तापमान और नमी आदि कारकों के आधार पर **मौन्टे स्क्यूफ** सहित कुछ विद्वानों ने इस प्रकार नियमों की व्याख्या की है :

(क) जैसे-जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं आपराधिक वृत्ति में वृद्धि होती है।
(ख) जैसे-जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं मदिरापान अथवा नशाखोरी जैसे अपराध बढ़ते हैं।
(ग) दक्षिण में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अधिक मिलते हैं और उत्तर में संपत्ति संबंधी अपराध अधिक होते हैं।
(घ) ग्रीष्मकाल में शरीर संबंधी अपराध और शीतकाल में संपत्ति संबंधी अपराध अधिक होते हैं।
(ड.) हिंसात्मक अपराध वर्ष के गर्म महीनों में, कम वायु दबाव वाले क्षेत्र में तथा कम नमी वाले समय में अधिक होते हैं।

यह बात कुछ हद तक ठीक है कि भौगोलिक कारक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अपराध और भौगोलिक कारकों के बीच परोक्ष संबंध स्वीकार किया जा सकता है प्रत्यक्ष नहीं। भारत के भौगोलिक वातावरण का विश्लेषण करने पर यह माना जा सकता है कि जुलाई में जब नमी और कम दबाव वाला समय हो तब हिंसा वाले अपराध यथा : हत्या और दंगे बढ़ जाते हैं। सितम्बर से जनवरी के बीच चोरी, डकैती आदि अधिक होते हैं। आत्महत्या जैसे अपराध के विषय में यह धारणा है कि भौगोलिक परिवर्तन के कारण कुल जनसंख्या का पांचवा भाग असंतोष, उत्तेजना और मानसिक असंतुलन के कारण आत्महत्या कर लेता है।

(iv) संचार माध्यमों के कारण--संचार के माध्यम समाचार-पत्र, दूरदर्शन, चलचित्र इत्यादि बहुत सशक्त हैं। इनका प्रभाव बहुत

तेजी से और गहराई तक पड़ता है। जैसा साहित्य छपता है व्यक्ति पढ़कर प्रभावित होता है और अपना आचरण उसी के अनुसार करने लगता है। आजकल समाचार पत्र और पत्रिकाओं में काफी कम कपड़ों में स्त्री और पुरुष के फोटो छपते हैं। अपरिपक्व मस्तिष्क पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। भद्दे और वासनात्मक चित्र दमित काम वासना को उभारते हैं और व्यक्ति बलात्कार जैसे अपराध के लिए प्रेरित होता है। आपराधिक घटना की कहानी का प्रसार-प्रचार इतना अधिक होता है कि सामान्य लोग भी उनसे सीख कर अपराध करने का दुस्साहस कर बैठते हैं। मनोहर कहानियां और सत्यकथा ऐसा साहित्य प्रचुर मात्रा में छपते हैं जो किशोर और युवाओं के लिए दुष्प्रेरणा का काम करते है। अपराधियों को महिमा मंडित करने और उनके द्वारा अपनाई जा रही अपराध की तकनीक इन प्रचार माध्यमों द्वारा बार-बार दुहराने से कई लोग इसे अपनाकर अपराध जगत में पहुंच जाते हैं। आज के युग में आदर्श पत्रकारिता की आवश्यकता है जहां पत्रकार स्वयं अपने लिए आदर्श संहिता बनाकर इनकी रोकथाम के लिए आम जन को जागरूक करे और अपराधियों को हतोत्साहित करने के लिए उनको महिमा मंडित न करके उन्हें शर्मसार करने वाला प्रचार अपनाएं।

दूरदर्शन और सिनेमा जगत भी आजकल हिंसात्मक कहानी पर ही अधिक फिल्में बनाते हैं। श्रव्य के साथ दृश्य माध्यम भी होने के कारण मस्तिष्क पर इसका व्यापक और सघन प्रभाव पड़ता है। हिंसा और यौन प्रदर्शन की भरमार होने के कारण लोग उन असामाजिक और काल्पनिक साहसिक प्रवृत्तियों का अनजाने में अनुसरण करने लगते हैं और दूसरी ओर यही माध्यम अवांछित सामाजिक रीति-रिवाजों के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। राजनैतिक सुधार की ओर आम जनता को भड़का कर हिंसा का वातावरण तैयार करते हैं। कई ऐसे अध्ययन के परिणाम से ज्ञात होता है कि फिल्में देखकर युवा पीढ़ी अपराध करती है। निम्न और मध्य वर्ग के बच्चे एवं युवा चलचित्र देखकर उच्च वर्ग की अपेक्षा जल्दी अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। इनमें दिखाया जाने वाला विलासितापूर्ण जीवन युवाओं को अपराध की ओर धकेलता है। **हरबर्ट ब्लूमर** और **फिलिंग हाऊसर** ने एक अध्ययन के आधार पर

बताया है कि ''अपराधियों के अध्ययन में लगभग 10 प्रतिशत पुरुष और 25 प्रतिशत महिला अपराधियों के अपराधी जीवन में चलचित्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलचित्र अपराधी के व्यवहार के तरीके दर्शाते हैं। धन और विलासिता की प्राप्ति की इच्छा जागृत करते हैं, उन्हें पाने के चुनौतीपूर्ण ढंग बताते हैं। साहसी भावनाएं उकसाते हैं, तीव्र कामेच्छा को भड़काते हैं और अपराधी भावनाओं के प्रति दिवास्प्न दिखाते हैं।''

4. अपराध का वर्गीकरण :

अपराधों के वर्गीकरण कई प्रकार से किए गए हैं। **सदरलैंड** ने अपराधों को उनकी प्रकृति के अनुसार दो भागों में बांटा है। गंभीरता और नृशंसता के आधार पर जघन्य अपराध और साधारण अपराध। जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड दिया जाता है। साधारण अपराध के लिए कम अवधि का दंड अथवा अर्थदंड दिया जाता है। इस वर्गीकरण को दूसरे नाम भी दिए जा सकते हैं :

(क) **व्यक्ति के विरुद्ध अपराध :** ये जघन्य अपराध हत्या, हत्या का प्रयास अथवा हत्या का षड़यंत्र हो सकता है।

(ख) **संपत्ति के विरुद्ध अपराध :** ये चोरी, जो किसी भी छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी संपत्ति हो सकती है।

एक समाज में जो अपराध जघन्य है वह दूसरे समाज में साधारण समझा जा सकता है और सामान्य समझा जाने वाला अपराध कुछ समय के बाद जघन्य माना जा सकता है। इसके बाद **बोगर** ने अपराधों को उद्देश्य के आधार पर चार भागों में बांटा है :

1. आर्थिक अपराध
2. यौन अथवा लैंगिक अपराध
3. राजनीतिक अपराध
4. विविध अपराध

सभी अपराध केवल एक उद्देश्य से नहीं किए जाते अतः जब कोई अपराध कई उद्देश्यों से किया जाए तो यह वर्गीकरण अपगयाप्त होगा।

सांख्यिकी उद्देश्यों से अपराध को चार वर्गों में बांटा गया है :

1. व्यक्ति के विरुद्ध-हमला और हत्या
2. संपत्ति के विरुद्ध-चोरी, डकैती
3. सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध--शराब पीना और अनुचित व्यवहार
4. सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध--गबन विश्वासघात

यह वर्गीकरण कानूनी दृष्टि से ठीक हो सकता है पर सैद्धांतिक विश्लेषण पर खरा नहीं उतरता।

लेमर्ट ने अपराधों को दो वर्गों में बांटा है :

1. स्थितिजन्य अपराध-- जो स्थिति के दबाव में हो जाते हैं।
2. सुव्यवस्थित अपराध-- जो सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से किए जाते हैं।

इस वर्गीकरण का उपयोग अपराधियों को सुधारने के लिए उपयोगी हो सकता है।

क्लिनार्ड और **क्विन्ने** ने छः प्रकार के अपराध बताए हैं

1. **हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध**--यह अपराध हिंसा के प्रयोग पर आधारित है और उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके विरुद्ध किसी अपराध का पूर्व अभिलेख नहीं मिलता। हत्या, बलात्कार, आक्रमण इस अपराध के कुछ उदाहरण हैं। इनके प्रति समाज की प्रतिक्रिया अत्यंत कठोर व प्रबल होती है।
2. **संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध**--इस अपराध में व्यक्तिगत संपत्ति के नियमों का उल्लंघन होता है।

दुकानों से चोरी एक उदाहरण है।

3. **व्यावसायिक अपराध**--यह वह अपराध है जिसे आर्थिक उद्देश्य से व्यक्ति अपनी व्यावसायिक क्रियाओं का अंग बनाकर करता है। इस प्रकार के अपराधी ईमानदारी के अतिरिक्त समाज के अन्य परम्परागत मूल्यों को स्वीकार करते हैं। गबन, कालाबाजारी, झूठा विज्ञापन इस प्रकार के अपराधों के कुछ उदाहरण हैं।
4. **राजनीतिक अपराध**--यह अपराध व्यक्ति के द्वारा अपने राजनैतिक व आर्थिक हितों के लिए किया जाता है। देशद्रोह, जासूसी, शत्रु देश को स्वदेश के रहस्य देना आदि इस प्रकार के अपराधों के कुछ उदाहरण हैं।
5. **सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध**--यह वह अपराध है जिसमें व्यक्ति समाज में व्यवहार संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है। मदिरापान, आवारागर्दी, वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन इसके कुछ उदाहरण हैं।
6. **परम्परागत अपराध**--यह वह अपराध है जिसमें एक व्यक्ति निजी संपत्ति की पवित्रता के मानदंडों का उल्लंघन करता है। चोरी, लूटमार, डकैती, अपहरण एवं दंगा इस अपराध के कुछ उदाहरण हैं। व्यक्ति इस अपराध को अंशकालिक आजीविका के रूप में करते हैं, अर्थात् यह अपराध उनकी आजीविका का प्रमुख साधन नहीं होते हैं। यह अपराधी, अपराध उप संस्कृति के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं।

भारतीय विधि-व्यवस्था में इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। प्रक्रिया एवं प्रकृति के अनुसार अपराधों का उल्लेख मोटे रूप में भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है।

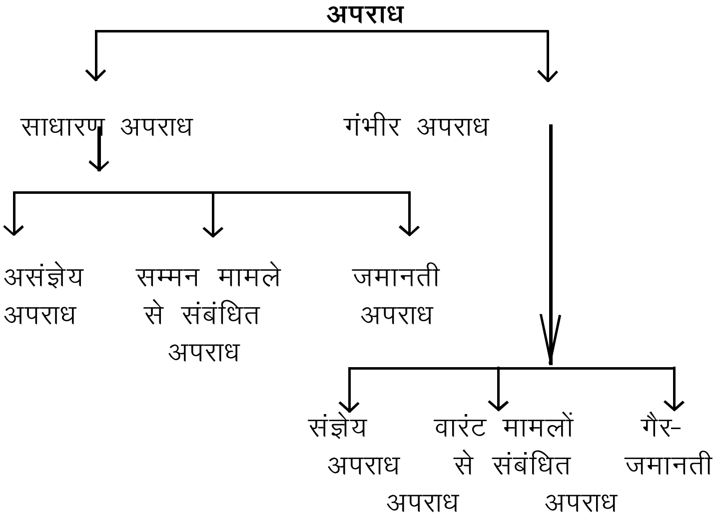

प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत अपराधों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है :

- **संज्ञेय अपराध**--संज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिनमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
- **असंज्ञेय अपराध**--असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
- **जमानती अपराध**--जमानती अपराध साधारणतया सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं। ऐसे अपराधों में अभियुक्त को जमानत पर छूटने का अधिकार होता है।
- **गैरजमानती अपराध**--दंड प्रक्रिया संहिता में इस अपराध की परिभाषा नहीं दी गया है। अतः ऐसे अपराधों में ''जमानत अभियुक्त का अधिकार नहीं होता है।'' यह न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों पर निर्भर करता है।
- **समन मामलों से संबंधित अपराध**--समन मामलों से संबंधित

अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसमें अभियुक्त को दो वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंडादेश दिया जा सकता है।

- **वारंट मामलों से संबंधित अपराध**--वारंट मामलों से संबंधित अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसमें अभियुक्त को दो वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु-दंड दिया जा सकता है।

5. अपराध के प्रकार

(i) मानव शरीर के विरुद्ध(प्रति) अपराध--मानव शरीर से संबंधित अपराध वैयक्तिक इसलिए होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति विशेष को क्षति कारित होती है।

1. आपराधिक मानव वध एवं हत्या,
2. आत्महत्या का प्रयास,
3. ठगी,
4. उपहति,
5. सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध,
6. व्यपहरण एवं अपहरण,
7. आपराधिक बल प्रयोग एवं हमला,
8. बलात्कार एवं अप्राकृतिक अपराध, आदि।

(ii) संपत्ति के विरुद्ध(प्रति) अपराध--संपत्ति से संबंधित अपराध आर्थिक इसलिए होता है, क्योंकि यह अर्थ (संपत्ति) से संबंध रखता है, यद्यपि इसका प्रभाव व्यक्ति एवं समाज पर पड़ता है। चोरी, लूट, डकैती, न्यास-भंग, छल, रिष्टि आदि इस श्रेणी में आते हैं। काला-बाजारी, तस्करी, अपमिश्रण, रिश्वत आदि सफेद पोश अपराध भी आर्थिक अपराध कहलाते हैं।

1. चोरी, अपकर्षण, लूट एवं डकैती,
2. आपराधिक दुर्विनियोग एवं आपराधिक न्यास-भंग,
3. छल,

4. रिष्टि,
5. आपराधिक अतिचार, आदि।

(iii) राज्य के विरुद्ध(प्रति) अपराध--राज्य से संबंधित अपराधों को यहां राजनैतिक अपराध इसलिए कहा गया है, क्योंकि इनसे देश-प्रदेश की संपूर्ण राज एवं राजनैतिक व्यवस्था प्रभावित होती है। सामान्यतया राजनैतिक अपराध ऐसे अपराधों को कहा जाता है जिनका संबंध राजनेताओं से होता है। किसी राज व्यवस्था के प्रश्न को लेकर राजनेताओं द्वारा हड़ताल करना, रास्ता रोको आंदोलन चलाना, निषेधाज्ञा भंग कर गिरफ्तारी देना, स्वतंत्रता आदि के लिए संघर्ष करना, राजनैतिक अपराधों के प्रमुख उदाहरण हैं। राज-द्रोह, युद्ध आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं।

1. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयास करना या उसके विरुद्ध षड़यंत्र करना,
2. राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना, उनकी शक्तियों में अवरोध पैदा करना आदि,
3. राजद्रोह अथवा देशद्रोह
4. भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार रखने वाली किसी शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना या ऐसी शक्ति के क्षेत्राधिकार में लूटमार करना आदि,
5. किसी राजबंदी को निकल भागने में जान-बूझकर सहायता देना, उत्प्रेरित करना, बचाना या शरण देना।

(iv) समाज के विरुद्ध(प्रति) अपराध--समाज से संबंधित अपराधों को सामाजिक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव न केवल व्यक्ति विशेष पर पड़ता है, अपितु संपूर्ण समाज पर पड़ता है। ऐसे अपराधों से सामाजिक प्रथाएं, रीति-रिवाज एवं संपूर्ण व्यवस्था दूषित होती है। दहेज, बाल-विवाह, मृत्यु भोज, छुआछात आदि ऐसे ही अपराध हैं।

अपराध की प्रक्रिया और कर्त्ता के अनुसार अपराध इस प्रकार हैं :

(क) बाल अपराध--समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसमें दो पक्षों पर बल दिया जाता है। अपराधी की आयु और उसका व्यवहार अथवा प्रस्थिति ये दोनों मानसिक परिपक्वता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कम आयु में सामाजिक दृष्टिकोण की समझ नहीं होती। कभी-कभी तो वह दृष्टिकोण पूर्ण विकसित नहीं होता। आमतौर पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अपरिपक्व और अधूरे सामाजिक अथवा अन्य अनुभवों के कारण गैर-जिम्मेदार समझा जाता है। उस बाल अपराधी पर प्रतिरोधात्मक या प्रतिस्थापन के प्रभाव न हों तो वह अपराध की गर्त में गिरता जाएगा। ये बच्चे भी प्रस्थिति अपराधों में लिप्त रहते हैं जैसे--भगोड़पन, आवारागर्दी, अनैतिकता और अनियंत्रण बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। भारत में इसकी समस्या रिकार्ड में उतनी नहीं आती जितनी है। इसमें भी बाल अपराध की शैली और स्वरूप के अनुसार चार भागों में बांटा जाता है :

1. वैयक्तिक बाल अपराध
2. सामूहिक बाल अपराध
3. संगठित बाल अपराध
4. स्थितिजन्य बाल अपराध

बाल अपराधियों के लिए उपचार विधि की चर्चा की जाती है दंड विधि की नहीं। सन् 1986 से पहले प्रत्येक राज्य में बाल अपराधी को लेकर भ्रम और समस्याएं थी परन्तु पूरे देश के लिए एक बाल नियम--1986 बनाकर इस अपराधी अथवा उपेक्षित बालक के सुधार के लिए विभिन्न दृष्टिकोण सामने आ गए। इसके अंतर्गत लड़की 18 वर्ष तक और लड़का 16 वर्ष तक बाल अपराधी की परिभाषा में आता है। सारांशतः बाल अपराध पर नियंत्रण के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर एक स्वस्थ सार्वजनिक नीति का निर्माण करना आवश्यक है जहां राज्य स्तर पर भी सहयोग की जरूरत है। इससे भी महत्वपूर्ण है शैक्षिक संस्थानों, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वैच्छिक संगठनों के बीच उचित तालमेल बैठाने की, तभी इस गंभीर समस्या से निबटा जा सकता है।

(ख) संगठित अपराध--यह अपराध कई व्यक्ति संगठित रूप से कारित करते हैं। इस अपराध में कुछ अपराधी टीम के रूप में कार्य करते हैं जिनमें जेब काटना, लूटमार, सेंधमारी, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति और जुआ शामिल हैं। संगठित अपराध समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। यह अपराध तीन भागों में बांटे गए हैं :

(1) गिरोह अपराध
(2) दस्युता अपराध
(3) सिंडीकेट अपराध

इस प्रकार के अपराध में पूर्व दण्डित अपराधियों से लेकर पेशेवर अपराधियों तक का समूह संगठित रूप से अपराध करता है। अपहरण, लूटपाट इत्यादि अपराध मिल-जुलकर करते हैं। कुछ गिरोह असामाजिक क्रियाओं में लगे व्यक्तियों अथवा गिरोहों का मार्ग-निर्देशन करते हैं। कुछ कागया का संयोजन करते हैं और लूट के भाग में इनका भी हिस्सा होता है। इनके फैले अनुगामी समूहों में स्त्रियां और बच्चे शामिल होते हैं।

दस्युता के अंतर्गत अपराधी स्वयं ही लूट का पैसा नहीं लेते बल्कि अवैध व्यापार जैसे वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, तस्करी और नकली दवा इत्यादि के धंधों में लगे लोगों से वसूलते हैं। **काल्डवैल** ने दस्युता को दो समूहों में बांटा है। एक तो बुद्धिमान व्यक्तियों वाली, जहां विचार-विमर्श के बाद अवैध व्यापार का नियोजन होता है, दूसरी, बाहुबली वाली जहां मारपीट, हत्या, लूटपाट जैसे कठोर कार्य समूह में किए जाते हैं।

सिंडीकेट के अपराधी सम्मानजनक ढंग से अपने अपराधी कागया को चलाते हैं। ऐसे अपराध बड़े शहरों में ही अधिक सक्रिय होते हैं। इसके सदस्य कुछ वैध कागया में भी होते हैं जो इनके असली धंधे को छिपा लेते हैं। इसके कार्य में अनेक कर्मचारी और एजेंट लगे होते हैं। देखने में ऐसा आभास नहीं होता कि कोई आपराधिक गतिविधि चल रही है। संगठित अपराधी, राजनेता, पुलिस अधिकारी, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, वकील इत्यादि सभी तक अपनी पहुंच रखते हैं और अवसर आने पर उन्हें भ्रष्ट बनाकर अपने

गिरोह के सदस्यों को बचा लेते हैं। भारत में मुख्य रूप से नम्बर लगाने का व्यापार लाटरी (मटका) आदि मादक पदार्थों का व्यापार, जायदाद संबंधी दस्युता, मोटर-वाहन की चोरी आदि और आतंकवादी और विद्रोही के लिए शस्त्रों की आपूर्ति इत्यादि में संगठित अपराधी विशेष रूप से सक्रिय होते हैं।

(ग) श्वेतपोश अपराध--ये अपराध उच्च सामाजिक आदि वर्ग के व्यक्ति के द्वारा अपने पेशे/व्यवसाय के क्रिया-कलापों के दौरान आपराधिक कानून का उल्लंघन है। यह व्यापार संचालन में व्यापार के नियमों का उल्लंघन है। इन अपराधों में निम्न प्रकार के अपराध शामिल किए जाते हैं :

1. विज्ञापन में गलत प्रचार करना
2. श्रम कानून का उल्लंघन करना
3. कापी राइट के नियमों का उल्लंघन
4. पेटेन्ट के नियमों का उल्लंघन
5. आर्थिक गड़बड़ी/घोटाले इत्यादि

ह्यूघ बालो ने व्यावसायिक अपराधों को निम्न श्रेणियों में बांटा है :

1. गबन
2. वित्तीय धोखाधड़ी
3. संदिग्ध भू-संबंधी व्यापार

पाश्चात्य के विद्वानों का मत है कि ये अपराध उच्च आर्थिक वर्ग कारित करता है परन्तु भारत में श्वेतपोश अपराध तीनों वर्ग यथा उच्च, मध्यम एवं निम्न द्वारा किए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि गबन, मिलावट और कर्मचारियों द्वारा चोरी नियोजित ढंग से उच्च वर्ग द्वारा की जाती हैं। आय छिपाना, कर-चोरी, झूठे बिक्री-कर जैसे अपराध मध्यम वर्ग द्वारा किए जाते हैं और निम्न वर्ग द्वारा पेशे और अनैतिक व्यापार से संबंधी अपराध किए जाते हैं।

वर्तमान में भारत में व्यावसायिक आर्थिक स्तर पर हवाला लेन-देन, कर-चोरी, खाद्य पदार्थ और दवा में मिलावट, बैंक तथा बीमा संबंधी जालसाजी, विदेशी विनियमों का उल्लंघन, आयात-निगया

त संबंधी अनियमितताएं, औद्योगिक नियमों का उल्लंघन, कालाबाजारी, जमाखोरी और चिटफंड घोटाले इत्यादि अपराध खूब हो रहे हैं। इस प्रकार के अपराध में वृद्धि के कारण इस प्रकार हैं :

1. सामाजिक मूल्यों का कमजोर होना
2. अत्यधिक संवेदन अपराधियों की उपस्थिति
3. आर्थिक दबाव
4. निरोधक उपायों का अभाव
5. सरकारी हस्तक्षेप की कमी

वर्तमान में देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से कुछ जागरूकता अवश्य आई है परंतु अब भी सुधार की गुंजाइश है।

(घ) **राजनीतिक अपराध**--इसके अंतर्गत अपराध के दो स्तर दृष्टिगत होते हैं--

1. राजनीतिज्ञों द्वारा स्वहित में कानून का उल्लंघन
2. आमजन द्वारा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए नियमों का उल्लंघन

राजनैतिक भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण राष्ट्र अभिमुखी नीति की जगह स्वअभिमुखी अथवा स्व-दल अभिमुखी नीति है। राजनैतिक अपराधी अपने द्वारा किए गए कानून के उल्लंघन को सही मानते हैं। वे एक नई प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करने की इच्छा के लिए ऐसा करते हैं। वे स्वयं को देश का गद्दार नहीं समझते वरन् जो व्यवस्था वे स्थापित करना चाहते हैं उसके प्रति स्वयं को वफादार समझते हैं। वास्तव में उनके राजनैतिक अपराध को सामूहिक समर्थन प्राप्त है जैसा नगालैंड आंदोलन, गोरखा लैंड आंदोलन इत्यादि के संदर्भ में कहा जा सकता है। परन्तु भारत के संदर्भ में यह अपराध हो जाता है। राजनैतिक अपराध का समूह-स्वभाव अलग-अलग प्रकार के अपराधों में अलग-अलग होता है। राजनैतिक अपराध का समर्थन करने वाले समूहों के सामाजिक संगठनों का आकार अलग-अलग होता है। समूह की संस्कृति एक सी नहीं होती। संगठन की औपचारिकताएं, समूह की अवधि भी

अलग-अलग होती हैं। इसके सदस्यों का भौगोलिक विस्तार और नेतृत्व के नमूने भी भिन्न-भिन्न होते हैं। सदस्यों द्वारा प्रयोग की गया अपराध की प्रविधियां भी अलग-अलग होती हैं। कुछ राजनैतिक अपराधी हिंसा के द्वारा सत्ता पलटना चाहते हैं परंतु भारत में अधिकतर नेता प्रत्यक्ष रूप से हिंसा का विरोध ही करते हैं। सामाजिक स्तर पर राजनैतिक अपराध दो समूह में ही बांटे गए।

एक जो समाज के लिए गंभीर खतरा है और हर तरीके से सत्ता लेना चाहते हैं

दूसरे, जो केवल भ्रष्ट हैं बस आर्थिक लाभ के लिए हर तरह का अपराध करते हैं और देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए खतरा बनते हैं।

दोनों ही प्रकार के अपराध देश और समाज के हित में नहीं।

(ड़) **महिला अपराध**--सांख्यिकीय दृष्टिकोण से भारत में महिला अपराध की स्थिति शोचनीय नहीं है। वर्तमान अपराध में मात्र 8 से 10 प्रतिशत ही महिलाओं का हिस्सा है। भारत की तुलना में अमरीका, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाड़ा, जापान और थाईलैंड इत्यादि देशों में महिला आपराधिता अधिक है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भारत में महिला अपराध एक चिंतनीय समस्या है क्योंकि बच्चों के पालन-पोषण में और समाज के पूरे परिवेश में महिला आपराधिता का दुष्प्रभाव पड़ता है। परिवार और मूल रूप से गृहस्थी की धुरी महिलाएं हैं इसलिए उन पर सामाजिक प्रतिबंध भी अधिक होते हैं। अतः वे पुरुष के मुकाबले अधिक नैतिक और सहिष्णु होती हैं। इन सबके चलते पुलिस और न्यायालय महिला अपराधियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं।

महिला अपराध उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का प्रतिफलन होते हैं और महिलाओं के संदर्भ में 50 प्रतिशत ही स्वभाव के विपरीत आक्रामक होती हैं। उसे नियंत्रण के लिए उन्हें परामर्श द्वारा सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। दोहरे मापदंड में जीने के कारण महिलाएं धोखाधड़ी जैसे अपराध सरलता से कर सकती हैं जैसे किसी को जहर देना, यौन अपराध, गर्भपात और दुकानों से चीजें उठाना इत्यादि। महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति

उनमें स्वतंत्रता की भावना से अनुस्युत है, शिक्षित लड़कियां और महिलाएं पारंपरिक बंधनों और सामाजिक भूमिकाओं को पहले की अपेक्षा अधिक चुनौती देने लगी है। फलतः वे अपराधी कृत्य करने का साहस कर बैठती हैं। महिलाओं पर प्रतिबंधों में ढीलेपन के कारण अपराध की संभावना बढ़ जाती है। महिलाएं पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों के कारण अपराध की ओर प्रवृत्त होती हैं।

ज्यादातर अपराधों में महिलाएं सहायक या समर्थक होती हैं। वे ज्यादातर पति और परिवार के साथ मिलकर ऐसे अपराध कारित करती हैं। आधुनिक युग में महिलाओं की श्रमिक के रूप में भागीदारी और यौन असमानता के कारण महिलाओं में अपराध बढ़ रहे हैं। महिला अपराध में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारण उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक संबंधों में समरसता की कमी अथवा अस्थिरता अथवा पारिवारिक जीवन का विघटन होने के कारण महिलाओं का आपराधिक जीवन में प्रवेश होने की संभावना बढ़ जाती है।

6. महिलाओं के संदर्भ में अपराध के सिद्धांत

अब तक सामान्यतः सभी अपराधों के कारण और प्रकार का विश्लेषण करने के उपरांत वर्तमान संदर्भ में महिला के प्रकरण में अपराधों के प्रकार और कारण को प्रतिपादित करने वाले सिद्धांत की चर्चा करना श्रेयस्कर होगा--महिलाओं के प्रति अपराध और शोषण को समझने के लिए अंतर्वैयक्तिक शक्ति दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है जिसका प्रतिदान डा. राम आहूजा ने स्पष्ट रूप से किया है।

अंतर्वैयक्तिक शक्ति दृष्टिकोण

इस विचार का केंद्र बिंदु समाज के स्तर पर रचित संरचनात्मक असमानता नहीं है, बल्कि समाज और परिवार में असमानता तथा शक्ति संतुलन है। वे लोग जो शक्ति की समानता में विश्वास करते हैं घर और बाहर दोनों जगह स्त्रियों का आदर करते हैं, जबकि असमतावादी शक्ति संरचना में विश्वास करने वाले लोग उनका अपमान करते हैं व उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

संदर्भ-विशेष दृष्टिकोण

महिलाओं के शोषण की व्याख्या करने में यह विचार तीन विशेष कारकों पर केंद्रित है--परिवार संरचना, शोषक के गुण तथा शोषित महिला के तनाव। परिवार संरचना में न केवल संबंधों का आयाम एवं भूमिकाएं बल्कि अंतःक्रिया के तरीके भी सम्मिलित हैं। शोषक के गुणों से उन गुणों का अर्थ है जैसे कामुकता, लालच, प्रभुत्व, स्वार्थीपन आदि। शोषित के तनावों से अर्थ है शोषित का सीधापन और निष्क्रियता जिनके कारण वह विरोध की इच्छा का दमन कर देती है। यह उसकी साधनहीनता, आर्थिक निर्भरता तथा पति व ससुराल वालों के समर्थन के अभाव का प्रतिफल है।

एक नया सैद्धांतिक माडल

एक प्रकार के समष्टिवादी उपागम से महिलाओं के प्रति अपराधों या उनके शोषण को समझने के लिए एक नवीन सैद्धांतिक माडल प्रस्तुत किया जा सकता है। यह माडल इस कल्पना पर आधारित है कि महिला का शोषण (बलात्कार, छेड़छाड़, मारपीट, दहेज के लिए सताया जाना, वेश्या बनाने के लिए अपहरण) महिला के व्यक्तित्व (उसकी साहसहीनता व भीरूता की भावना) और उसकी परिस्थितियों के बीच की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। प्रत्येक स्त्री विभिन्न विचारों व आशाओं से युक्त व्यक्तियों के पगया वरण में रहती है। किसी भी महिला का स्वयं के शोषण संबंधी विचार इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी स्वयं की साहसपूर्वक इच्छा क्या है तथा चुनौतियों का सामना करने का वह कितना प्रयत्न करती है।

व्यक्तित्व संबंधी गुणों, सामाजिक परिस्थितियों तथा पुरुषों द्वारा महिलाओं के शोषण के बीच संबंध का माडल

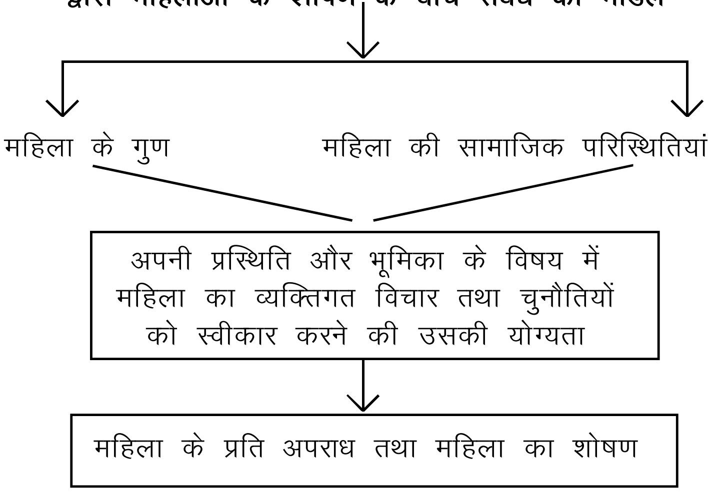

इस सैद्धांतिक माडल में यह माना गया है कि महिला के प्रति अपराध व महिला का शोषण पांच तथ्यों पर निर्भर करता है :

(1) सामाजिक पृष्ठभूमि (इसमें उसकी आयु, शैक्षिक स्तर और उसका प्रशिक्षण आदि हैं)
(2) समर्थन का स्तर (जो उसके माता-पिता, ससुराल वालों, सहेलियों और अन्य लोगों के समर्थन पर निर्भर करता है)
(3) दूसरों की अपेक्षाएं (उसके पति, सास-ससुर, बच्चे, रिश्तेदार, काम के सहयोगी आदि सहित)
(4) आर्थिक आधार (वह निम्न, मध्यम या उच्च आय वर्ग से संबंधित है) और
(5) उसकी स्वयं की छवि (वह अपने को दयालु, असहाय, कमजोर तथा साहसिक और बलवान समझती है) (चित्र 2)।

उपरोक्त माडल महिलाओं के प्रति किए गए अपराध की सामाजिक संरचनात्मक स्थितियों के संदर्भ में व्याख्या करता है (जैसे

चित्र--2

महिला के शोषण को प्रभावित करने वाले कारक

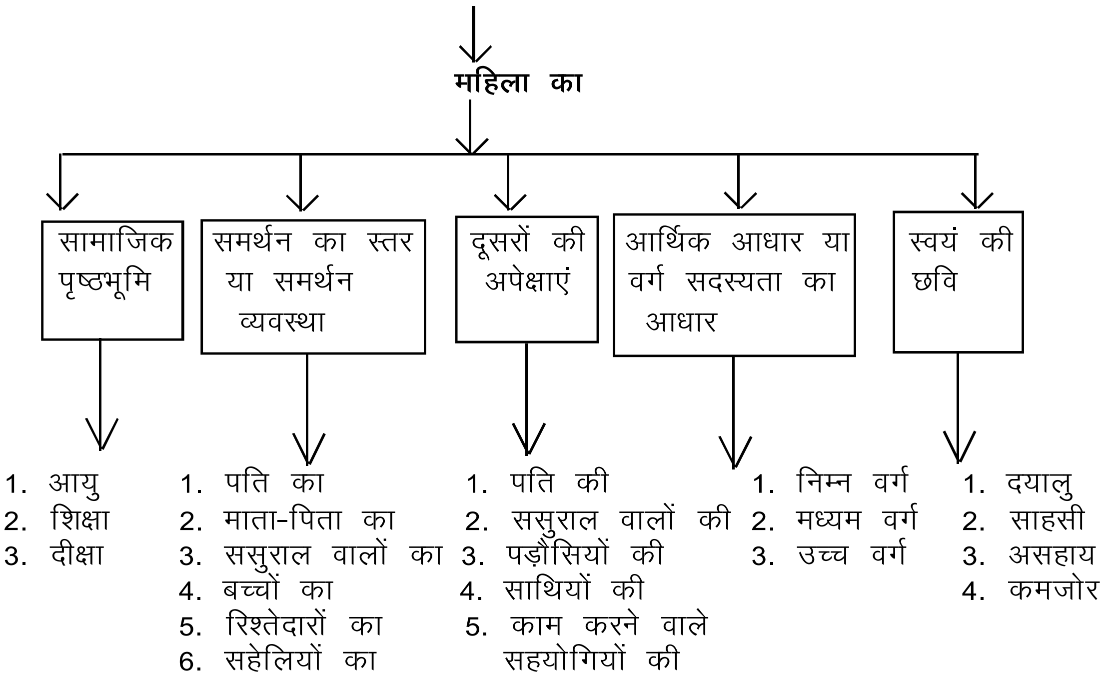

परिवार, संकट, भूमिका संबंधी कुंठाएं, अनुपयुक्त पालन-पोषण और जीवन में अभागी घटनाएं) जो कि चिंताएं एवं तनाव उत्पन्न करती हैं जो फिर व्यक्ति की भूमिकाओं संबंधी प्रतिबद्धता, प्रस्थिति संबंधी समायोजन तथा समूहों से लगाव को प्रभावित करती हैं। समायोजन एक प्रस्थिति से दूसरी में सहजता से चले जाना है, लगाव का अर्थ एक व्यक्ति का इस सैद्धान्तिक माडल में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि महिला के प्रति अपराध अथवा उसके प्रति शोषण पांच बातों पर निर्भर करता है :

(i) सामाजिक पृष्ठभूमि--इसमें उसकी आयु, शिक्षा का स्तर और प्रशिक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं।
(ii) समर्थन का स्तर जो माता-पिता, ससुराल वालों, सहेलियों और अन्य लोगों के समर्थन पर निर्भर करता है।
(iii) दूसरों की अपेक्षाएं जो उसके पति, सास-ससुर, बच्चे, रिश्तेदार, काम के सहयोगी आदि लगाते हैं।
(iv) आर्थिक आधार--यह तीनों वर्ग यथा निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग से संबंधित है।
(v) महिला की अपनी छवि जैसे वह दयालु है अथवा असहाय, कमजोर है अथवा साहसिक।

दूसरे के प्रति स्नेह बंधनों से है, तथा प्रतिबद्धता एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के दायित्व की भावना या विशेष कार्य प्रणाली को अपनाना है। परिणामस्वरूप जो कुसमायोजन, विरक्ति अथवा अलगाव तथा अप्रतिबद्धता विकसित होती है उससे कुंठा तथा सापेक्ष्य वंचना का भाव उत्पन्न होता है जो पुनः स्त्रियों के प्रति पुरुषों के व्यवहार को निश्चित करता है। (सापेक्ष्य वंचना सामर्थ्य एवं उपलब्धियों के बीच प्रत्यक्षीकृत विसंगति है। यहां महत्वपूर्ण तथ्य है अपराधी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण, अतः व्यवहार में विविधता स्वाभाविक है। अपने व्यक्तित्व संबंधी गुणों तथा शोषित महिला की अवरोधक शक्ति के बीच असंतुलन महिलाओं के प्रति अपराध करवाता है।

महिलाओं के प्रति अपराध दर्शाने वाला नवीन सैद्धांतिक माडल

सामाजिक संरचनात्मक दशाएं

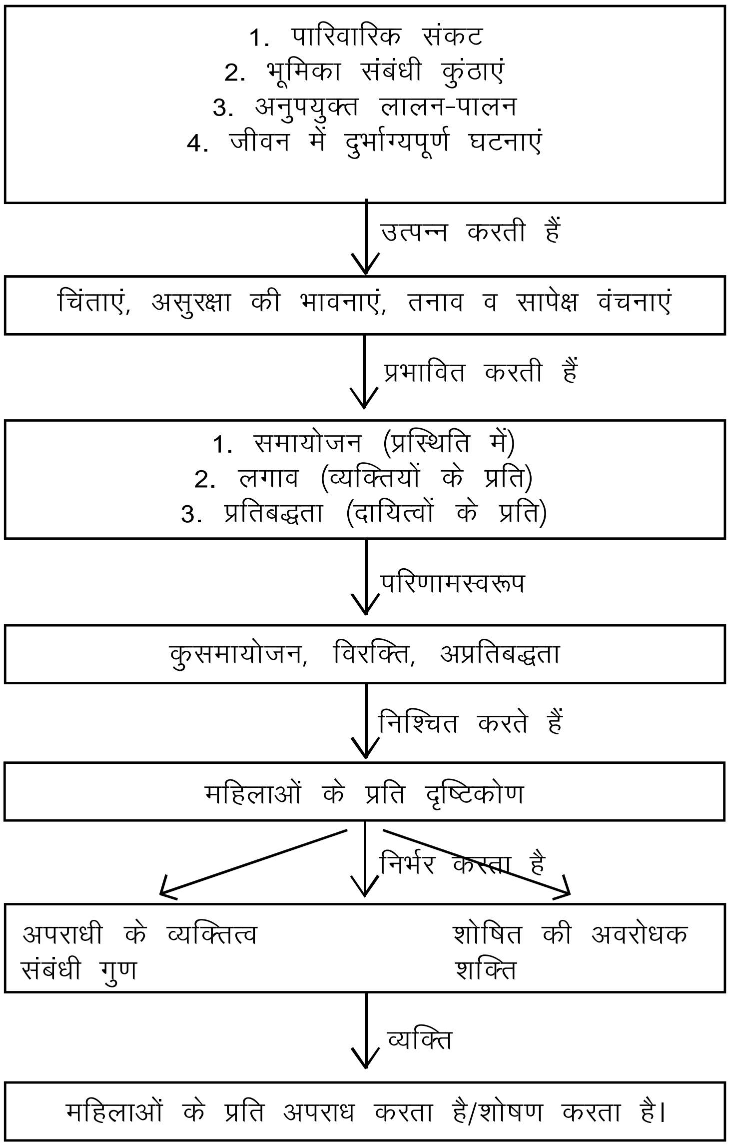

अपराधों के विषय में इस सघन विवेचन के उपरांत महिलाओं पर होने वाले अपराधों की चर्चा करेंगे। अब तक अपराध की प्रकृति को समझने की दिशा में संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों को समझा और अध्ययन किया गया। अपराध की मूल प्रवृत्ति को समझने के लिए अपराध के प्रकार का विश्लेषण किया गया और समाज में व्याप्त अपराधों की प्रवृत्ति को समझा गया। भौगोलिक और अन्य वातावरण का अपराध पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका संक्षेप में वर्णन किया गया। प्रारंभ से लेकर अब तक अपराध की प्रकृति और प्रकार के संपूर्ण विश्लेषण के बाद अब अगले अध्याय में महिलाओं के प्रति किए जाने वाले विशेष अपराधों का विश्लेषण उचित रहेगा।

●

अध्याय - 3

महिलाओं के प्रति विरुद्ध अपराध

महिलाओं के प्रति अपराध की प्रताड़ना आदिकाल से चली आ रही है। उनका दमन करना, कई प्रकार से शोषण करना समाज में अपराध तक नहीं माना जाता। प्रारंभ से ही तिरस्कार को सहने वाली और आसानी से यंत्रणा का शिकार हो जाने वाली महिला अकसर पूरी तरह समझ भी नहीं पाती कि उनके प्रति अपराध हुआ है। भारत जैसे देश में महिलाओं को अधिकार देने की प्रक्रिया बहुत मंद है, असंगत है और व्यवस्थित भी नहीं है। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर पुरुषों से काफी पीछे हैं। हर क्षेत्र में उनकी स्थिति द्वितीय स्तर की है। सभी संस्कृतियों में पुरुषों का वर्चस्व है और महिलाओं को घर की चार-दीवारी के अंतर्गत बांध दिया जाता है।

हालांकि भारत की अपेक्षा पश्चिमी देशों में उन पर बंधन कम हैं परंतु पुरुषों के समान स्थिति नहीं। वहां भी उनका सामाजिक स्तर गौण है। दक्षिण अफ्रीका में भी सारे निम्न स्तर के कार्य स्त्रियों पर ही डाल दिए जाते हैं। जिस दायित्व को पूरा करते-करते वे अधिक पिछड़ी और अशिक्षित रह जाती हैं। दक्षिण एशिया के देशों--यथा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न स्तर की है। सामाजिक समानता का तात्पर्य है पुरुष और महिला की क्षमताओं को विकसित होने के लिए समान अवसर जुटाना। परिवार में एक-दूसरे के सहयोगी और साथी हों न कि स्वामी और दास। समाज और परिवार उनके (महिलाओं) गुणों की उपेक्षा की जाती है। समाज पुरुष प्रधान होने के कारण सदैव सुविधाएं अपने पक्ष में जुटा लेता है।

प्रारंभ से ही पुरुष ने परिवार के पालन-पोषण, सेवाधर्म और मनोरंजन करने की श्रेणी में महिलाओं को रखा है। इस संबंध में **गांधी जी** ने भाषण और व्याख्यान में अपने विचार कुछ इस प्रकार रखें हैं, ''यदि आप लोग (महिलाएं) विश्व के जुड़े प्रश्नों से अपनी भूमिका अदा करना चाहती है तो यह मनोवृत्ति अपने मन से निकाल दें कि आप लोग केवल पुरुषों को खुश करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए हैं। यदि मैं औरत जाति में पैदा हुआ होता तो मैं पुरुषों के विरुद्ध विद्रोह कर देता और इस धारणा को गलत साबित कर देता कि महिलाएं पैदा होती हैं केवल पुरुषों के मनोरंजन के लिए।'' भारत की महिलाएं अज्ञानता और भय के दायरे में अपने व्यक्तित्व का विकास न करके उसे सीमित दायरे में समेटती गया। **गांधी जी** ने महिलाओं के प्रति अत्याचार को देखते हुए यंग इंडिया में लिखा है, ''ये हमारी बहिनें, जिन्हें पुरुषों ने अपनी हवस के लिए बेच दिया, यह बड़े शर्म की और दुख की बात है। महिलाओं के लिए बड़ी ही अपमानजनक स्थिति है, पुरुष जो कानून बनाने वाला है, उसे महिलाओं के प्रति किए गए और थोंपे गए अपमानजनक नियमों एवं कानूनों के लिए भयानक दंड चुकाना पड़ेगा।'' देश के राष्ट्रपिता के इन विचारों पर अमल करें तो महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार का उन्मूलन हो सकता है।

यहां भविष्य का चिंतन छोड़कर थोड़ा वर्तमान स्तर पर अवलोकन करते हैं। घर में उनके साथ बदतर व्यवहार किया जाता है, मारपीट और जलाकर मार देने की घटना अकसर सुनाई और दिखाई पड़ जाती हैं। ऐसे हालात के बाद भी उपेक्षा ही दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि पुरुष स्वयं को श्रेष्ठ मानकर चलते हैं इसलिए महिलाओं के प्रति की गया हिंसा को हिंसा अथवा अपराध की दृष्टि से नहीं देखते। उसे (हिंसा को) परंपरा से व्यवहार में रहने के कारण सामान्य बात समझते हैं। इसी के साथ स्वयं महिलाएं धार्मिक मूल्यों, ऐतिहासिक तथ्यों और सामाजिक दृष्टिकोण के कारण अपने प्रति की गया हिंसा को हिंसा नहीं मानती। अब धीरे-धीरे इस प्रकार के अपराधों को वैयक्तिकवादी न मानकर जनमानस की जुड़ी समस्या समझकर इस दिशा में एक कदम तो आगे की ओर बढ़ाया गया है।

भारतीय दंड संहिता--संवैधानिक रूप से जनतंत्र अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है संपूर्ण भारतवासियों के लिए समान कानून बनाना ही नहीं वरन् उसे उसी समानता की भावना से लागू भी करना। लोक सेवक का दायित्व यही है कि वह अपने हित, जाति, धर्म, दल और भाषा इत्यादि से ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से कानूनी संरक्षण प्रदान करे। भारतीय संविधान की धारा-14 से यही बात स्पष्ट होती है। हमारे संविधान में व्यक्ति को नागरिक शब्द से संबोधित किया गया है परंतु वास्तव में वह (व्यक्ति) नागरिक के रूप में विकसित नहीं। उसकी मानसिकता अभी भी सामन्तवादी ही है। नागरिक को अधिकार अवश्य होते हैं पर साथ ही साथ उसके कुछ कर्तव्य भी निश्चित होते हैं। भारत में स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी कानून के शासन को चुनौती मिल रही है क्योंकि यहां अभी भी समाज में बातें तो संवैधानिकता की होती हैं परंतु व्यवहार में जातिवाद, पक्षपात और तोड़-फोड़ को बढ़ावा दिया जाता है। आज इंग्लैंड में जहां लिखित रूप में कोई कानून न भी हो तो भी न्याय, स्वतंत्रता और समानता में कोई अंतर नहीं पड़ता। वहां न्याय स्वतंत्रता और समानता निरंतर अपनी गति से चलते हैं परंतु भारत में प्रत्येक तथ्य पर लिखित में कानून बनने के बाद भी सामंत सतत गति से चल रही है।

हम यहां नागरिकों के मूल अधिकारों की बात करेंगे। ये अधिकार बहुत ही व्यापक हैं और निम्नलिखित छः श्रेणियों में बांटे गए हैं :

(1) समानता का अधिकार
(2) स्वतंत्रता का अधिकार
(3) शोषण के विरोध का अधिकार
(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(5) शिक्षा और संस्कृति का अधिकार तथा
(6) संवैधानिक संरक्षण का अधिकार

हमारे देश का संविधान महिलाओं के लिए तीन तरीकों से विशिष्ट मंशा रखता है :

1. संविधान महिलाओं और पुरुषों में लैंगिक भेदभाव मिटाने

की मंशा रखता है।

2. संविधान इस बात को महत्व देता है कि महिलाओं को पारम्परिक रूप से प्रताड़ित किया गया है तथा हीन समझा गया है। इस अन्याय को समाप्त करने के लिए संविधान, सरकार को महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
3. संविधान निहित रूप से यह उम्मीद रखता है कि सरकार सभी कमजोर वर्गों, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, की स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न करेगी।

वैसे तो महिलाएं सामान्य रूप से किसी भी प्रकार के अपराध की शिकार हो सकती हैं जैसे हत्या, डकैती, धोखाधड़ी इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ अपराध विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार के अपराधों से प्रभावी ढ़ंग से निबटने के लिए नए कानून बनाकर और मौजूदा कानून में बदलाव करके महिला के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों को कड़ाई से रोका जा सके। इन अपराधों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है :

(अ) भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध

(1) बलात्कार(धारा 376)
(2) अपहरण और व्यपहरण(धारा 363 से 373)
(3) दहेज के लिए हत्या, दहेज के कारण मृत्यु अथवा इन दोनों को करने का प्रयास (धारा 302/304-बी)
(4) पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (धारा 498-ए)
(5) छेड़खानी(धारा 354)
(6) यौन उत्पीड़न(धारा 509)
(7) लड़कियों का आयात(21 वर्ष तक की)(धारा 366-बी)

(ब) विशेष और स्थानीय कानून के अन्तर्गत अपराध

इस प्रकार के सभी कानून महिलाओं से संबंधित नहीं हैं। महिलाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित कानूनों

महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाएं

क्र. सं.	अपराध	वर्ष					2002 से 2006 तक % बदलाव	2005 के मुकाबले 2006 में % बदलाव
		2002	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**		
1	बलात्कार(376)	16373	15847	18233	18359	19348	18.2	5.4
2	अपहरण एवं व्यपहरण(363-373)	14506	13296	15578	15750	17417	20.1	10.6
3	दहेज हत्या (302/304 बी)	6822	6208	7026	6787	7618	11.6	12.2
4	पति द्वारा क्रूरता (498 ए)	49237	50703	58121	58319	63128	28.2	8.2
5	छेड़खानी(354)	33943	32939	34567	34175	36617	7.8	7.1
6	यौन उत्पीड़न(509)	10155	12325	10001	9984	9966	-1.9	-0.2

7	लड़कियों का आयात(366 बी)	76	46	89	149	67	-11.8	-55.0
8	सती(निरोधक) अधिनियम (1987)	0	0	0	1	0	0.0	-100.0
9	देह व्यापा निरोधक अधिनियम (1956)	6598	5510	5748	5908	4541	-31.2	-23.1
10	महिला का अपमानजनक प्रस्तुतीकरण (1986)	2508	1043	1378	2917	1562	-37.7	-46.5
11	दहेज(निषेध) अधिनियम (1961)	2816	2684	3592	3204	4504	59.9	40.6
	कुल	**143034**	**140601**	**154333**	**155553**	**164765**	**15.2**	**5.9**

को समय-समय पर परिवर्तित एवं परिवर्द्धित किया जाता रहता है। निम्न अपराधों से संबंधित आंकड़े अखिल भारतीय स्तर पर एकत्रित किए जाते हैं। यथा :

(1) देह व्यापार(निरोधक) अधिनियम(1956)
(2) दहेज निरोधक अधिनियम (1961)
(3) महिलाओं का अपमानजनक प्रस्तुतीकरण अधिनियम (1979)
(4) सती निरोधक अधिनियम(1987)

भारतीय दंड संहिता और विशेष एवं स्थानीय अपराधों के अन्तर्गत कुल अपराध की घटनाएं 2002 से लेकर 2006 तक निम्न तालिका में दी गई हैं -

1. बलात्कार/बलात्संसर्ग : किसी भी महिला के साथ कोई ऐसा पुरुष जो उसका पति नहीं है, बलपूर्वक अथवा धोखा देकर मैथुन/संसर्ग करता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। कानून की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

(1) किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध किया गया संसर्ग
(2) किसी महिला की सम्मति प्राप्त किए बिना किया गया संसर्ग
(3) किसी महिला की सम्मति से, चाहे सम्मति उसे मृत्यु का भय दिखाकर अथवा किसी और दबाव के भय से प्राप्त की गया हो।
(4) किसी महिला की सम्मति से, जबकि पुरुष को पता है कि वह उसका पति नहीं। पर वह महिला किसी भी कारण यह विश्वास करती है वह उस पुरुष से विवाहित है इसलिए सम्मति देती है।
(5) किसी महिला की सम्मति से जबकि उस समय वह विकृतचित्त थी, अथवा संज्ञा शून्य की दशा में थी अथवा कोई नशीला पदार्थ पिलाकर मदहोशी में सम्मति ली गया अथवा वह उस स्थिति में परिणामों को समझाने में असमर्थ थी।

(6) किसी महिला की सम्मति से अथवा बिना सम्मति के जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है।

अतः स्पष्ट है कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अथवा बिना सहमति के अथवा 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ मैथुन करना बलात्कार है। इस धारा में बलात्कार तभी माना जाता है जहां इस धारा में वर्णित पांच बातों में से कोई स्थिति होगी।

इस अपराध के लिए धारा 376 लिखी जाती है क्योंकि सजा का विधान इसी धारा में है जब मामले दर्ज किया जाता है तो पुलिस इसी धारा के अंतर्गत व्यक्ति को गिरफ्तार करती है।

बलात्कार की कानूनी व्याख्या के बाद इस पर भी विचार किया जाए कि यह अपराध घटित क्यों होता है :

(1) यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है।
(2) यह पुरुषों के कठोर अहम (इगो) का परिणाम है।
(3) समाज में चारों तरफ अश्लील और वासनात्मक वातावरण की अधिकता।
(4) पुरुष प्रधान समाज का अस्तित्व में होना।
(5) सामाजिक नियंत्रण कम होना अथवा सामाजिक बंधन कमजोर होना।
(6) भौतिकतावादी दृष्टिकोण के साथ-साथ नैतिकता का अभाव।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध(बलात्कार की घटनाएं)

अपराध	वर्ष					2002 से 2006 तक % बदलाव	2005 के मुकाबले 2006 में % बदलाव
	2002	2003	2004	2005	2006		
बलात्कार (376)	16373	15847	18233	18359	19348	18.2	5.4

इस प्रकार के अपराध भारत में जहां 2002 में 16373 बलात्कार के मामले थे वे अब 2006 में बढ़कर 19348 हो गए। इन 5 वर्षों में बलात्कार के अपराध में 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बलात्कार के मामलों में 2003 में 2002 के मुकाबले 3.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गया। इसके बाद 2003 से लेकर 2006 तक इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। यह तथ्य काफी चौंकाने वाला है कि 2003 के बाद 2004 में ऐसे अपराधों में अखिल भारतीय स्तर पर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद 2005 में 2004 के मुकाबले 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी का आगे विश्लेषण करने पर पता चला कि 2005 में 2004 के मुकाबले 5.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। भारत में मध्य प्रदेश राज्य में बलात्कार के सबसे अधिक मामले प्रकाश में आए जिनकी संख्या 2900 है जिसकी अपराध की दर 4.3 प्रतिशत है और मध्य प्रदेश में इस अपराध के क्षेत्र में 15 प्रतिशत की सहभागिता है अर्थात पूरे देश में बलात्कार की घटनाओं का 15 प्रतिशत केवल मध्य प्रदेश में है और शेष 85 प्रतिशत संपूर्ण भारत में है।

बलात्कार की घटनाएं दूसरे नम्बर पर पश्चिमी बंगाल में घटती हैं जिनकी संख्या 1731 है और इस अपराध की दर 2 प्रतिशत है जबकि पूरे भारत में पश्चिमी बंगाल की सहभागिता 8.9 प्रतिशत है। तीसरे नम्बर पर महाराष्ट्र राज्य है जहां कुल घटनाएं 1500 घटीं और अपराध की दर इस विशेष अपराध में 1.4 प्रतिशत रही। अखिल भारतीय स्तर पर इस अपराध का 7.8 प्रतिशत केवल महाराष्ट्र में घटित होता है। चौथे नम्बर पर उत्तर प्रदेश है जहां 1314 मामले दर्ज किए गए और दर 0.7 प्रतिशत रही और भारतीय स्तर पर 6.8 प्रतिशत बलात्कार का हिस्सा रहा। पांचवे नम्बर पर असम राज्य में 1244 घटनाएं दर्ज की गयां और अपराध की दर 4.3 प्रतिशत रही। भारत के स्तर पर 6.4 प्रतिशत सहभागिता इस राज्य की रही। छठे नम्बर पर बिहार राज्य है जहां कुल 1232 घटनाएं घटित हुईं और अपराध की दर 1.3 प्रतिशत रहीं। राष्ट्रीय स्तर पर इस राज्य की 6.4 प्रतिशत सहभागिता रही। सातवें नम्बर पर राजस्थान में 1085 मामले दर्ज किए। इस राज्य में अपराध की दर 1.7 प्रतिशत रही और देश के कुल बलात्कार के अपराध का 5-6 प्रतिशत इस

राज्य में घटित हुआ। आठवें नम्बर पर आंध्र प्रदेश रहा जिसमें 1049 बलात्कार के अपराध हुए और उनकी दर 1.3 प्रतिशत रही। राष्ट्र के स्तर पर 5.4 प्रतिशत की सहभागिता रही। नौवें नम्बर पर 995 मामले के साथ छत्तीसगढ़ रहा जहां अपराध की दर 4.3 प्रतिशत और राष्ट्रीय स्तर पर इस अपराध में 5.1 प्रतिशत घटनाएं राज्य में घटित हुई। दसवां स्थान उड़ीसा का है जहां 985 मामले दर्ज हुए और अपराध की दर 2.5 प्रतिशत रही। भारत के कुल बलात्कार के मामलों में से 5.1 प्रतिशत उड़ीसा में दर्ज किए गए। ये दस राज्य बलात्कार के अपराध में अन्य राज्यों से आगे रहे। संघ शासित सात राज्यों में दिल्ली ने सभी को पीछे छोड़ दिया जहां अन्य प्रदेशों में अपराध 20 से भी कम दर्ज किया गया वहां दिल्ली में 2006 के दौरान कुल 623 मामले दर्ज हुए और इस अपराध की दर 3.8 प्रतिशत रही जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर 3.2 प्रतिशत की भागीदारी रही।

भारत के शहरों में से दिल्ली ही इस अपराध में नम्बर एक पर रही जहां सन् 2006 में कुल 533 मामले बलात्कार के दर्ज किए गए जो 31.2 प्रतिशत है। दूसरे नम्बर पर 165 मामले दर्ज होने के साथ मुम्बई रही जिसकी 9.7 प्रतिशत की सहभागिता रही। तीसरे नम्बर पर हैदराबाद शहर रहा जहां बलात्कार की घटनाएं 93 थी और जिसका प्रतिशत 5.5 रहा। चौथे नम्बर पर पुणे शहर रहा जहां 77 घटनाएं घटी जिनका प्रतिशत 4.5 प्रतिशत रहा। पांचवे नम्बर पर इन्दौर शहर रहा जहां 73 मामले दर्ज किए गए जो 4.3 प्रतिशत है। छठे नम्बर पर जयपुर शहर रहा जहां कुल 58 मामले दर्ज किए गए जो 3.4 प्रतिशत है। सातवें नम्बर पर जबलपुर रहा जहां कुल 54 मामले दर्ज किए गए जो कुल का 3.2 प्रतिशत रहा। आठवें नम्बर पर भोपाल रहा जहां 52 घटनाएं घटित हुईं और जो कुल का 3 प्रतिशत रहा। नौवें नम्बर पर नागपुर में 51 मामले दर्ज किए जो 3 प्रतिशत रहे। दसवें नम्बर पर 46 घटनाएं रिकार्ड करके अहमदाबाद शहर रहा जो कुल का 2.7 प्रतिशत रहा।

देश में 19348 घटनाएं बलात्कार की दर्ज की गयां। इसमें से 1593 मामले में 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियां हैं जो 8.2 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 3364 मामले 15 से 18 वर्ष

तक की लड़कियों के दर्ज किए गए जो कुल का 17.4 प्रतिशत है। लगभग दो तिहाई हिस्सा 18 से 30 वर्ष तक की महिलाओं का है जिनकी संख्या 11312 है और जिनका कुल अपराध में 58.4 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद 30 से 50 वर्ष तक की महिलाओं के प्रति किए गए इस अपराध की संख्या 3002 है जो 15.5 प्रतिशत बनता है। 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं नगण्य हैं जिनके मामले 111 रिकार्ड किए गए और जिनका कुल में केवल 0.5 प्रतिशत हिस्सा है।

सबसे बड़ा चौकाने वाला सत्य यह है कि बलात्कार किसी अजनबी ने कम ही किया है। सन् 2006 में कुल 19348 मामलों में से 14536 मामले जान-पहचान वाले व्यक्तियों ने ही महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया जो 75.1 प्रतिशत के लगभग है। इसमें से 431 (3%) खास और सगे रिश्तेदारों में गिने जाते हैं। आस-पड़ोस के व्यक्तियों की इस अपराध में अधिक भूमिका रही जिनकी संख्या 5351 है और कुल में जो 36.8 प्रतिशत है। दूर के रिश्तों में केवल 7.6 प्रतिशत व्यक्तियों ने ऐसा अपराध किया जिनकी संख्या 1106 रही। अन्य जान पहचान वाले अपराधियों की संख्या 7648 दर्ज की गया जो 52.6 प्रतिशत बनता है।

भारत में बलात्कार के ऐसे मामले जहां यौन संबंधों का निषेध होता है इसमें संगोत्री संबंधों के अतिरिक्त निकट के रिश्ते अथवा एक वंश के रिश्तों के बीच ऐसे संबंधों का निषेध होता है उसमें भी बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। उनकी संख्या जहां 2005 में 750 थी वहां 2006 में घटकर 431 हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस अपराध में 42.5 प्रतिशत की कमी आई। इस प्रकार के मामले छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक हुए जिनकी संख्या 97 है और यह कुल अपराध का 22.5 प्रतिशत है।

इस अपराध के लिए दोषी को आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है और कारावास की अवधि दस वर्ष भी हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी हो सकता है।

2. व्यपहरण एवं अपहरण : इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है परंतु विधि अथवा कानून सम्मत परिभाषा में **व्यपहरण** के अंतर्गत

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उठाकर ले जाया जाता है अर्थात जहां पीड़ित पक्ष विधिपूर्वक संरक्षक होता है, विधिपूर्ण संरक्षण की आवश्यकता 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री और 16 वर्ष से कम आयु के लड़के को पड़ती है। इसके अतिरिक्त अविकसित मानसिक रोगी इत्यादि ये सभी स्वयं अपना भला-बुरा नहीं सोच पाते अथवा सोचने में असमर्थ होते हैं। **अपहरण** में अभियुक्त धोखे से बालिग अथवा वयस्क स्त्री या पुरुष को बलपूर्वक अथवा बेहोश करके या किसी अन्य ढंग से ले जाते हैं। **प्रवहरण** से तात्पर्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर ले जाना अपराध बन जाता है जो बिना सहमति के कारित किया गया हो अथवा प्राप्त की गया सहमति वैध न हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 362 तक व्यपहरण, अपहरण, प्रवहरण जैसे शब्दों का अर्थ बताकर परिभाषित किया गया है जिससे दंड के विधान को स्पष्ट समझा जा सके। इस व्याख्या के उपरांत इस अपराध के मूल तत्व इस प्रकार हैं :

1. अवयस्क/नाबालिग अथवा विकृत चित्त वाले व्यक्ति को ले जाना अथवा बहका कर ले जाना।
2. वह लड़का है तो 16 वर्ष से कम आयु का हो और लड़की है तो 18 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए।
3. इस प्रकार का ले जाना अथवा बहला-फुसला कर ले जाना विधिपूर्वक संरक्षक के रख-रखाव अथवा संरक्षण के क्षेत्र से परे ले जाना है।
4. इसमें ले जाने की क्रिया संरक्षक की सहमति के बिना होना आवश्यक है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध(अपहरण एवं व्यपहरण की घटनाएं)

अपराध	वर्ष					2002 से 2006 तक % बदलाव	2005 के मुकाबले 2006 में % बदलाव
	2002	2003	2004	2005	2006		
अपहरण एवं व्यपहरण (363-373)	14506	13296	15578	15750	17417	20.1	10.6

दी गया तालिका से स्पष्ट है कि अपहरण के अंतर्गत सन् 2006 में 17417 मामले दर्ज किए गए जबकि 2002 में ऐसे मामले 14506 ही थे। सन् 2002 से 2006 तक ऐसे अपराधों में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गया। इस तालिका में थोड़ा गौर से देखें तो ज्ञात होता है कि जहां 2002 में 14506 मामले थे वहां 2003 में कम होकर इनकी संख्या 13296 रह गया। इस प्रकार 2002 के मुकाबले 2003 में ऐसे अपराधों में लगभग 8.3 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2003 के बाद से ये अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं जिनकी संख्या 13296 से बढ़कर 17417 तक पहुंच गया जो लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

भारत में प्रथमतः दस नम्बर तक जिन प्रदेशों की गणना की गया उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश शामिल हैं जिनमें क्रमशः 2551, 1553, 1544, 1329, 1199, 1084, 945, 921, 718 और 617 मामले इस अपराध के अंतर्गत दर्ज किए गए जबकि इस अपराध के लिए इन राज्यों की प्रतिशत में भागीदारी क्रमशः इस प्रकार रही --उत्तर प्रदेश 14.6 प्रतिशत, राजस्थान 8.9

प्रतिशत, असम 8.9 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 7.6 प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल 6.9 प्रतिशत, बिहार 6.2 प्रतिशत, गुजरात 5.4 प्रतिशत, महाराष्ट्र 5.3 प्रतिशत, तमिलनाडु 4.1 प्रतिशत और मध्य प्रदेश 3.5 प्रतिशत।

संघ शासित राज्यों में इस अपराध में भी दिल्ली अव्वल नम्बर पर रही जहां 1066 अपहरण की घटनाएं घटीं और जिनका कुल में प्रतिशत 6.1 रहा। अपराध की दर 6.6 प्रतिशत दर्ज की गया जबकि पूरे देश की इस अपराध में दर 1.6 प्रतिशत है। भारत के प्रमुख शहरों में इस अपराध में पहले स्थान पर दिल्ली शहर रहा जहां कुल 953 मामले दर्ज किए गए जो कुल का 34.7 प्रतिशत है। दूसरे नम्बर पर अहमदाबाद कुल 146 (5.3%) मामले रिपोर्ट किए गए। तीसरे नम्बर पर जयपुर 137 (5%), चौथे नम्बर पर लखनऊ 131 (4.8%), पांचवे नम्बर पर मुम्बई 129 (4.7%), छठे नम्बर पर आगरा 110 (4%), सातवें नम्बर पर 86 मामले (3.1%), आठवें नम्बर पर हैदराबाद 77 (2.8%), नौवें नम्बर पर कोलकाता 76 (2.8%) और दसवें नम्बर पर पुणे 74 (2.7%) इत्यादि उत्तरोत्तर अपराध के गिरते क्रम में दर्ज किए गए।

भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से 373 तक के मामले इसी अपराध के अंतर्गत दंड देने के लिए दर्ज किए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भिक्षावृत्ति के लिए अपहृत किया जाए तो मामले 363 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। किसी व्यक्ति की हत्या के लिए उसे अपहृत किया जाए तो धारा 364 के अंतर्गत रखा जाता है। गुप्त रीति से परिरोध के लिए अपहरण किया जाता है तो धारा 365 में मामले दर्ज होता है। जबरन सहवास अथवा जबरन शादी के लिए अपहरण करने पर 366 के अंतर्गत मामले दर्ज किया जाता है।

अपहरण/भगा ले जाने के अपराध की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) अविवाहित लड़कियों के भगा ले जाने के शिकार बनने की संभावना विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है,
(2) भगा ले जाने वाले व उनके शिकार अधिकांश प्रकरणों में

एक दूसरे से परिचित होते हैं,

(3) भगा ले जाने वाले और उनके शिकार का प्रायः प्रारंभिक संपर्क सार्वजनिक स्थानों के बजाए उनके घरों अथवा पड़ोस में होता है,

(4) अधिकांशतया, भगा ले जाने में एक में एक ही व्यक्ति लिप्त होता है। इस प्रकार अपराधी की ओर से धमकी या उत्पीड़क की ओर से विरोध भगा ले जाने के प्रकरणों में अधिक आम नहीं है,

(5) भगा ले जाने के दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मैथुन (सेक्स) और विवाह होते हैं। आर्थिक उद्देश्य से भगा ले जाने वालों की संख्या कुल भगा ले जाने वालों की संख्या की मुश्किल से दस प्रतिशत होती है।

(6) 80 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में भगा ले जाने के पश्चात लैंगिक आक्रमण होता है तथा

(7) माता-पिता का नियंत्रण और परिवार में स्नेहपूर्ण संबंधों का अभाव भगा ले जाने वाले और पीड़ित के संपर्कों तथा लड़की के (पीड़ित के) किसी परिचित व्यक्ति (जिसे बाद में दबाव में आकर भगा ले जाने वाला कहता है) के साथ घर से भाग लाने के निर्णायक कारण होते हैं।

3. दहेज मृत्यु/दहेज हत्या : सन् 1961 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दहेज को एक सामाजिक समस्या माना। इस प्रथा को पूरी मानव जाति के कलंक के रूप में मानते हुए एक कानून पारित कराया जिसे दहेज (निरोधक/प्रतिबंध) अधिनियम-1961 के नाम से जाना जाता है। दहेज का वैधानिक अर्थ है कि कोई भी चल अथवा अचल संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूतियों को विवाह की शर्त के रूप में मांगा जाए उसे दहेज की परिभाषा के अंतर्गत रखा जाएगा। इस प्रकार सरकार ने इस गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाया। इस कानून की महत्ता को स्वीकार करते हुए समय-समय पर इसकी कमियों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन एवं परिवर्द्धन किए गए। सन् 1983 में पति द्वारा प्रताड़ित विवाहित महिलाओं के लिए 498-ए का समावेश किया गया। इसके अंतर्गत

यदि पति अथवा पति का कोई संबंधी दुष्टता का व्यवहार करता है तो उसे 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना देने की सजा दी जा सकती है। सन् 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इस अधिनियम में संशोधन किए।

इसके बाद सन् 1985-86 में श्री राजीव गांधी ने भी दहेज अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए 'दहेज प्रतिबंध' के अंतर्गत 'वर-वधू भेंट सूची' का प्रावधान बनाकर इस कानून को कड़ा बना दिया। इस सूची पर वर-वधू के हस्ताक्षर होंगे। यदि वे हस्ताक्षर न कर सकते हों तो अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। ये सूची (वर और वधू) दोनों पक्षों के पास होनी चाहिए। अब तक दहेज देने और लेने वालों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया। साथ में जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा परंतु वस्तुस्थिति में फिर भी विशेष बदलाव नहीं आया।

प्रेम विवाह की बात को छोड़ दें तो दहेज वास्तव में कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह कुछ भी हो परंतु 1986 में दहेज अधिनियम में धारा 304-ए के बाद अब धारा 304-बी भी जोड़ दी गया जिससे इस अपराध को समाज से समूल रूप से नष्ट किया जा सके। धारा-ए में तो लापरवाही अथवा अनजाने में मृत्यु की घटना बता दी जाती थी परंतु धारा 'बी' को जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगर किसी महिला की मृत्यु शरीर जलाने से अथवा शारीरिक चोट पहुंचाने से हो चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा संयोग से अथवा दुर्घटना में हुई हो, यदि शादी के सात साल के भीतर घटित हुई तो उसे संशय की दृष्टि से देखते हुए उसके पति और रिश्तेदारों को संदेह के घेरे में लेते हुए पूरी जांच के बाद ही अनापत्ति प्रमाणित की जाएगी और यदि पति अथवा रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना की शंका ठीक निकली तो अपराधी को कम से कम सात साल की और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इसमें 498-ए जोड़ने से प्रताड़ना और क्रूरता के दोषी को भी सजा का प्रावधान जुड़ जाता है। इस धारा में प्रताड़ना को विस्तार से परिभाषित किया गया है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़ना शामिल हैं। इन दहेज विरोधी प्रावधानों से स्थिति निश्चय ही महिलाओं का पक्ष मजबूत हुआ है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध(दहेज हत्या की घटनाएं)

अपराध	वर्ष					2002 से 2006 तक % बदलाव	2005 के मुकाबले 2006 में % बदलाव
	2002	2003	2004	2005	2006		
दहेज हत्या (302/ 304बी)	6822	6208	7026	6787	7618	11.6	12.2

भारत में अपराध के अनुसार सन् 2002 (6822) से सन् 2006 (7618) तक इस अपराध में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गया है। दी गया तालिका के अनुसार जहां 2002 में 6822 संख्या थी वह घटकर 2003 में 6208 हो गया। सन् 2001 से 2003 के दौरान 9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गया। इसके बाद फिर निरंतर वृद्धि दर्ज की गया। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है 6208 से बढ़कर 7618 हो गया अर्थात 2003 से 2006 के बीच 22.7 प्रतिशत की वृद्धि इस अपराध में हुई।

भारत के राज्यों में दहेज अधिनियम के अंतर्गत हत्या के अपराध में नम्बर एक पर उत्तर प्रदेश रहा जहां 1798 मामले दर्ज किए गए जिनका कुल अपराध में 23.6 प्रतिशत का हिस्सा रहा। दूसरे नम्बर पर 1188 मामले के साथ बिहार राज्य रहा जो कुल का 15.6 प्रतिशत है। इसके बाद तीसरे और चौथे नम्बर पर क्रमशः मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश रहे जहां 764 (10%) और 519 (6.8%) मामले दर्ज किए गए। पांचवे नम्बर पर उड़ीसा 457 घटनाओं के साथ दर्ज हुआ जिनका कुल अपराध में हिस्सा 6% है। छठे और सातवें नम्बर पर पश्चिमी बंगाल और राजस्थान हैं जहां 445 और 394 मामले दर्ज किए गए जिनका अपराध कुल में 5.8 प्रतिशत

एवं 5.2 प्रतिशत का हिस्सा है। आठवें और नौवें स्थान पर महाराष्ट्र एवं झारखंड राज्य रहे जहां दहेज हत्या के 38.7 और 281 मामले दर्ज किए गए जो क्रमशः 5.1 प्रतिशत तथा 3.7 प्रतिशत की सहभागिता राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। दसवें स्थान पर हरियाणा 255 (3.3%) मामले दर्ज किए गए। संघ शासित प्रदेश में हमेशा की तरह दिल्ली में 137 मामले दर्ज किए गए जो 1.8 प्रतिशत की भागीदारी है जबकि इस अपराध की दर राष्ट्रीय स्तर पर 0.7 प्रतिशत है। भारत के विभिन्न शहरों में से प्रथम दस शहर इस प्रकार हैं :1. दिल्ली 120 (18.7%), 2. कानपुर 67 (10.4%), 3. बंगलौर 50 (7.8%), 4. आगरा 34 (5.3%), 5. चेन्नई 32 (5%), 6. हैदराबाद 29 (4.5%), 7. जयपुर 23 (3.6%), 8. सूरत 22 (3.4%), 9. लखनऊ 21 (3.3%), और 10. मुम्बई 17 (2.6%)। दहेज संबंधी अपराध 2006 में 7618 मामले दर्ज किए गए जबकि 2005 में 6787 मामले थे। इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 12.2 प्रतिशत वृद्धि दृष्टिगत हुई।

राम आहूजा ने दहेज-हत्याओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न प्रकार से बताई हैं :

(1) मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की स्त्रियों से अधिक होती है,

(2) लगभग 70.0 प्रतिशत पीड़ित स्त्रियां 21-24 वर्ष आयु समूह की होती हैं, अर्थात वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, अपितु सामाजिक एवं भावात्मक रूप से भी परिपक्व होती हैं,

(3) यह समस्या निम्न जाति की अपेक्षा उच्च जाति की स्त्रियों में अधिक है,

(4) वास्तविक हत्या से पहले युवा वधू को कई प्रकार से सताया एवं अपमानित किया जाता है जो कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार के अव्यवस्थित संरूप को दर्शाता है,

(5) दहेज-हत्या के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय

कारक अपराधी पर वातावरण का दबाव या सामाजिक तनाव है जो उसके परिवार के आंतरिक और बाह्य कारणों से उत्पन्न होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक हत्यारे का सत्तावादी व्यक्तित्व, प्रबल प्रकृति और उसके व्यक्तित्व का असमायोजन है,

(6) लड़की की शिक्षा के स्तर और दहेज के लिए की गया हत्या में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता, और

(7) परिवार की रचना नव वधू के जलाने में निर्णायक भूमिका अदा करती है।

4. पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न/तंग करना : (498-ए)इस धारा के अंतर्गत किसी स्त्री के पति अथवा पति के नाते-रिश्तेदारों द्वारा उसके प्रति की गया क्रूरता के लिए उन्हें 3 वर्ष की अवधि के कारावास का दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहां क्रूरता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

1. जान-बूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे वो स्त्री आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो अथवा उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (मानसिक एवं शारीरिक) गंभीर नुकसान पहुंचने की संभावना हो।
2. किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको अथवा उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग पूरी करने के लिए पीड़ित/प्रताड़ित किया जाए अथवा किसी स्त्री को इस कारण तंग किया जाए कि उसके किसी नातेदार ने कोई ऐसी मांग पूरी न की हो अथवा मांग पूरी करने में असफल रहा हो।

इस धारा का उद्देश्य ससुराल पक्ष द्वारा स्त्री के साथ होने वाले क्रूरतापूर्ण अथवा निर्दयतापूर्ण व्यवहार पर अंकुश लगाना है। इस व्यवहार में निर्दयता को दो भागों में बांटा गया है। पहला--ससुराल वाले उस महिला के साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए जिससे उसकी जान को भी खतरा हो अथवा शरीर

का कोई अंग सदा के लिए बेकार हो जाए। दूसरा--उस महिला को इस कारण सताया जाए कि उसके मायके वालों के द्वारा उन्हें (ससुराल पक्ष को) मनमुताबिक माल/संपत्ति (चल या अचल) नहीं मिला/मिली। इस अपराध से पीड़ित शादीशुदा महिला ही होती है और अभियुक्त उसके पति अथवा संबंधी होते हैं। इससे संबंधित आंकड़ों का आकलन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा हर वर्ष किया जाता है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध(पति द्वारा क्रूरता की घटनाएं)

अपराध	वर्ष					2002 से 2006 तक %	2005 के मुकाबले बदलाव 2006 में बदलाव
	2002	2003	2004	2005	2006		
पति द्वारा क्रूरता (498 ए)	49237	50703	58121	58319	63128	28.2	8.2

तालिका के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 2002 में इस अपराध के अंतर्गत 49237 मामले दर्ज किए गए जबकि 2006 में इनकी संख्या 63128 हो गया। इन 5 वर्षों के दौरान इस अपराध में 28.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तालिका को गौर से देखने पर थोड़ा आश्चर्य होता है कि 2003 के दौरान लगभग सभी प्रकार के अपराधों में कमी दर्ज हुई परंतु उस समय भी इस अपराध में वृद्धि ही दिखाई दी। यह अपराध 2002 से 2006 तक निरंतर बढ़ रहा है। इसकी औसत दर 4.7 प्रतिशत है। 2005 (58319) के मुकाबले 2006 (63128) में इसकी वृद्धि की दर 8.2 प्रतिशत रही। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी वृद्धि की दर 5.6 प्रतिशत रही।

भारत के अन्य राज्यों में इस अपराध की स्थिति कैसी रही इसका विश्लेषण प्राप्त आंकड़ों के आधार पर करना ठीक रहेगा। इस अपराध में पहले नम्बर पर 9164 मामले दर्ज करके आंध्र प्रदेश रहा जो कुल अपराध का 14.5 प्रतिशत है। दूसरे नम्बर पर पश्चिमी

बंगाल 7414 (11.7%) मामले दर्ज करके रहा। तीसरे नम्बर पर रहा राजस्थान जहां कुल 7038 (11.1%) मामले दर्ज किए गए। चौथे तथा पांचवें नम्बर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रहे जहां कुल में इन राज्यों की सहभागिता क्रमशः 10.7 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत रही। छठे नम्बर पर गुजरात राज्य कुल 4977 (7.9%) मामले दर्ज करके रहा। सातवें नम्बर पर केरल राज्य में 3708 मामले दर्ज किए गए और जिनका कुल में 5.9 प्रतिशत हिस्सा रहा। आठवें, नौवें और दसवें नम्बर पर मध्य प्रदेश 2989 (4.7%), असम 2548 (4%) और हरियाणा 2254 (3.6%) रहे।

संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली में 1728 मामले दर्ज किए गए जिनका राष्ट्रीय स्तर पर 2.7 प्रतिशत भागीदारी रही। दूसरे नम्बर पर 102 घटनाओं के साथ चंडीगढ़ है जिसका कुल में मात्र 0.2 प्रतिशत हिस्सा है। भारत के प्रमुख शहरों में वे दस शहर इस प्रकार हैं जो इस अपराध में प्रारंभ के दस नम्बर पर आते हैं यथा--दिल्ली 1646 (17.1%), हैदराबाद 1160 (12.1%), अहमदाबाद 956 (9.9%), जयपुर 451 (4.7%), विशाखापट्टम 397 (4.1%), विजयवाड़ा 336 (3.5%), मुम्बई 327 (3.4%), लखनऊ 315 (3.3%), बंगलौर 290 (3%) और आगरा 286 (3%)। इस अपराध में राष्ट्रीय स्तर पर अपराध की दर 5.6 प्रतिशत रही। कम से कम दस राज्यों और संघ शासित राज्यों में अपराध की दर राष्ट्रीय दर से अधिक रही। यथा--त्रिपुरा (13.7%), आंध्र प्रदेश (11.4%), राजस्थान 11.2%), केरल (11%), हरियाणा (9.7%), असम (9%), पश्चिमी बंगाल (8.6%) और महाराष्ट्र (6.4%)। संघ शासित राज्यों में दिल्ली में 10.6% और चंडीगढ में 10 प्रतिशत अपराध की दर पाई गया। भारत के शहरों में इस अपराध की दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है जो 8.9% रही और तकरीबन 19 शहरों में यह दर अधिक है वे शहर इस प्रकार हैं --विजयवाड़ा (33.2%), विशाखापट्टनम (29.9%), आगरा (21.7%), अहमदाबाद (21.2%), हैदराबाद 21%), जयपुर (19.4%), राजकोट (16.5%), आसनसोल (14.5%), मेरठ (13.9%) और लखनऊ (13.9%), फरीदाबाद (13.8%), इन्दौर (13.3%), दिल्ली (12.9%), वड़ोदरा (12.1%), जबलपुर (10.6%), नासिक (10.3%), कानपुर (10%), पटना (9.7%) और सूरत (8.9%)।

मानव हत्या विशेष रूप से नर-अपराध है। यद्यपि लिंग के आधार पर हत्याओं और उनके शिकारों/पीड़ितों से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मानव हत्या के महिला शिकार नर शिकारों की तुलना में कम हैं। जहां अमेरिका में शिकार मानव हत्या के कुल शिकारों के 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच हैं (प्रतिवर्ष लगभग 25,000 हत्याओं में से जो हर वर्ष होती हैं, महिलाओं की हत्याएं कुल संख्या की लगभग 10 प्रतिशत हैं। हत्या करने के अपराध में कुल गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (लगभग 67500) में से 96.7 प्रतिशत पुरुष होते हैं तथा 3.3 प्रतिशत स्त्रियां होती हैं।

राम आहूजा के अनुसार हत्यारों (स्त्रियों के) और उनके शिकारों की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं :

(1) अधिकांश प्रकरणों (94.0 प्रतिशत) में हत्यारे और उनके शिकार एक ही परिवार के होते हैं,
(2) लगभग चार-पांच प्रकरणों में (80.0 प्रतिशत) हत्यारे 25-40 वर्षों के आयु-समूह के होते हैं,
(3) लगभग आधी शिकार औरतें होती हैं जिनके पुरुष हत्यारे से पुराने संबंध (पांच वर्ष से अधिक) होते हैं। पीड़ितों की अपने पतियों/सास-ससुर से साथ बिताई गया औसत कालावधि 7.5 वर्ष पाई गया,
(4) हत्या की गया महिलाओं में से लगभग आधी बच्चों वाली थीं। बच्चों (पीड़ितों के) की औसत संख्या आनुभविक अध्ययन में 3.2 थी और बच्चों की औसत आयु 14.8 थी,
(5) हत्यारे अधिकांशतः निम्न प्रस्थिति व्यवसाय और निम्न आय समूहों में थे,
(6) दो-तिहाई हत्याएं (66.0 प्रतिशत) अनियोजित थीं और क्रोध या उत्तेजित भावावेश में की गया थीं,
(7) चार-पांच हत्याएं (80.0 प्रतिशत) बिना किसी की सहायता के की गया थीं, नियोजित हत्याओं में भी प्रायः सहअपराधी परिवार के सदस्य होते हैं, और
(8) महिलाओं की हत्या के प्रमुख कारण छोटे-मोटे घरेलू झगड़े,

अवैध संबंध और स्त्रियों की लम्बी बीमारी होते हैं।

5. दहेज (निरोधक) अधिनियम (1961) : इस अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए किसी शर्त के रूप में नकद धन, संपत्ति अथवा वस्तु लिए जाने को सामान्य रूप से दहेज की संज्ञा दी जाती है। इस लेन-देन को रोकने के लिए ही यह कानून बनाया गया है। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख बातों पर बल दिया गया है :

1. दहेज लेना (वर पक्ष द्वारा) और दहेज देना (कन्या पक्ष द्वारा) अपराध है।
2. दहेज लेने अथवा देने में (अन्य पक्ष द्वारा) सहायता करना भी अपराध है।
3. दहेज मांगना भी अपराध है।

दहेज संबंधी अपराध घटित हो जाने पर दहेज लेने और देने की सजा पांच साल तक की कैद, 15 हजार रुपये तक जुर्माना और यदि दहेज की रकम 15 हजार से अधिक है तो उस रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। दहेज केवल मांगने की सजा कम से कम 6 महीने की कैद और जुर्माना है। दहेज का विज्ञापन देने पर कम से कम 6 महीने की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना है। इसके अतिरिक्त यदि विवाह के समय स्वेच्छा से और आर्थिक स्तर के अनुसार वर या वधू को दी गया भेंट/उपहार इत्यादि अपराध नहीं परंतु इनकी एक सूची हो जिस पर वर-वधू के हस्ताक्षर होने चाहिए। दहेज की शिकायत दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी सक्षम है :

1. कोई पुलिस अधिकारी,
2. कोई व्यक्ति जो दहेज से पीड़ित हो,
3. दहेज से पीड़ित के माता-पिता,
4. दहेज से पीड़ित के रिश्तेदार,
5. सरकार द्वारा मान्य कोई गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संस्था,
6. अदालत स्वयं जानकारी होने पर,

इस अपराध की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई समय-सीमा नहीं होती। यह कभी भी लिखवाई जा सकती है। यह अपराध संज्ञेय है अर्थात पुलिस स्वयं जांच अथवा तहकीकात कर सकती है। किसी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं पड़ती परंतु इसके तहत गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक है। यह अपराध गैर-जमानती है अर्थात मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती। यह अपराध किसी के भी द्वारा क्षम्य अर्थात क्षमा देने योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि इसका अपराधी जुर्माना भरकर कैद की सजा से छूट नहीं सकता।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध
(दहेज निरोधक अधिनियम की घटनाएं)

अपराध	वर्ष					2002 से 2006 तक % बदलाव	2005 के मुकाबले 2006 में % बदलाव
	2002	2003	2004	2005	2006		
दहेज (निषेध) अधिनियम 1961	2816	2684	3592	3204	4504	59.9	40.6

दी गया तालिका में 2002 से लेकर 2006 तक के आंकड़े देखने से पता चलता है कि इन 5 सालों में यह अपराध 59.9 प्रतिशत बढ़ा है। जहां 2002 में 2816 मामले दर्ज किए गए वहां 2006 में 4504 मामले हो गए। इस तालिका से स्पष्ट है कि 2002 से 2003 के बीच इस अपराध में कमी दर्ज की गया। सन् 2002 में 2816 मामले से 2003 में 2684 मामले रह गए जो लगभग 16.7 प्रतिशत की कमी है। इसके बाद 2004 में 3592 मामले दर्ज किए गए जो 2003 के मुकाबले 33.8 प्रतिशत अधिक थे। इसके तुरंत बाद 2005 में 3204 मामले दर्ज किए गए जो फिर पिछले वर्ष के मुकाबले गिरावट दर्शाते हैं जो 10.8 प्रतिशत

है। इसके बाद 2006 में फिर वृद्धि दर्ज की गया जो कि 40.6 प्रतिशत रही। इस अपराध के अंतर्गत कमी और वृद्धि की दर का ग्राफ सर्पिल आकार में चलता है।

भारत के अन्य राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रथम 6 राज्यों का विश्लेषण इस प्रकार है क्योंकि इन राज्यों में रिपोर्ट सैकड़ों में दर्ज हुई। नम्बर एक पर उड़ीसा राज्य है जहां 1394 मामले दर्ज किए गए जिनका कुल में 31 प्रतिशत की भागीदारी है। दूसरा राज्य बिहार है जहां 909 मामले प्रकाश में आए जो 20.2 प्रतिशत है। तीसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश है जहां 13.9 प्रतिशत सहभागिता रही। चौथे नम्बर पर कर्नाटक राज्य रहा जहां राष्ट्रीय स्तर पर 10.6 प्रतिशत की सहभागिता रही। आंध्र प्रदेश की 10.5 प्रतिशत की सहभागिता रही। छठे नम्बर पर झारखंड ने 345 मामले दर्ज किए जो 7.7 प्रतिशत है। इस अपराध की दर जहां राष्ट्रीय स्तर पर 0.4 प्रतिशत रही वहां उड़ीसा में 3.6 प्रतिशत दर्ज की गया। अपराध की दर में दूसरा स्थान झारखंड (1.2%) और तीसरा स्थान बिहार (1%) का रहा। संघ शासित राज्यों में दिल्ली 15 मामले दर्ज कराकर प्रथम रही। इस अपराध की तस्वीर शहरों में भी राज्यों का ही प्रतिबिम्ब है। केवल बंगलौर शहर में सैकड़ों में अपराध दर्ज हुए जिसकी संख्या 265 है और राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी भागीदारी 59.3 प्रतिशत दर्ज की गया। इस अपराध की सर्वाधिक दर इलाहाबाद में 16.1 प्रतिशत दर्ज की गया।

6. छेड़खानी/लज्जाभंग : यह अपराध धारा 354 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। महिला की लज्जाभंग करने के लिए उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना इसके मुख्य बिंदु हैं। यह अपराध असंज्ञेय है और जमानती है। इसे साबित करने के प्रमुख तीन बिंदु आवश्यक हैं :

1. पीड़ित स्त्री होती है,
2. अभियुक्त ने उस पर हमला किया अथवा आपराधिक बल का प्रयोग किया,
3. अभियुक्त ने ऐसा उस स्त्री की लज्जाभंग करने के लिए किया।

यह धारा स्त्री के प्रति वासना से लिप्त अथवा ओत-प्रोत कृत्यों से रक्षा करने के लिए बनाई गया है। इस प्रकार स्त्री की लज्जा उसका स्त्री होना ही है। नींद में भी अगर पुरुष स्त्री के संवेदनशील अंगों का स्पर्श करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है। इस धारा में यदि कोई स्त्री भी सार्वजनिक रूप से स्त्री को नग्न करे तो वह अपराध भी इसी में गिना जाएगा। किसी भी स्त्री पर उसकी लज्जाभंग करने की दृष्टि से हमला करना चाहे वह स्त्री वेश्या ही क्यों न हो धारा 354 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। हालांकि आम स्त्री की लज्जा और वेश्या की लज्जा की परिभाषा थोड़ी अलग है। समाज में दोनों का सम्मान एक सा नहीं पर कानून वासना की दृष्टि से किए गए हमले को धारा 354 के अंतर्गत अपराध मानता है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध(छेड़खानी की घटनाएं)

अपराध	वर्ष					2002 से 2006 तक % बदलाव	2005 के मुकाबले 2006 में % बदलाव
	2002	2003	2004	2005	2006		
छेड़खानी (354)	33943	32939	34567	34175	36617	7.8	7.1

इस अपराध से संबंधी आंकड़े दी गया तालिका में 2002 से 2006 के बीच 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हैं। इस तालिका से पता चलता है कि 2002 में जहां 33943 घटनाएं घटी वहां 2003 तक घटकर 32939 रह गया जो 2.9 प्रतिशत की कमी है। इसके बाद 2003 के मुकाबले 2004 में 32939 से 34567 मामले हो गए जो 4.9 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके बाद 2005 में मामूली सी कमी (1.1%) दिखाई दी। इन घटनाओं में 2006 में फिर से 2005 के मुकाबले 7.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गया। वर्ष 2006 में 36617 मामले दर्ज किए गए जबकि 2005 में 34175 मामले ही थे।

भारत के अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार के अपराधों का विवरण आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत करने पर सही तस्वीर दिखाई देगी। इस अपराध में नम्बर एक पर मध्य प्रदेश है जहां 6243 मामले दर्ज किए गए जिनका राष्ट्रीय स्तर पर 17 प्रतिशत का योगदान है। दूसरे नम्बर पर 4534 मामले के साथ आंध्र प्रदेश है जिसकी 12.4 प्रतिशत की सहभागिता रही। तीसरे नम्बर पर महाराष्ट्र राज्य रहा जहां 3479 मामले दर्ज किए गए जो कुल अपराध का 9.5 प्रतिशत है। चौथे नम्बर पर राजस्थान है जो 2582 मामले दर्ज करने के बाद 7.1 प्रतिशत की भागीदारी करता है। पांचवें नम्बर पर केरल जहां 2543 मामले दर्ज हुए जो 6.9 प्रतिशत बनते हैं। छठे नम्बर पर 2415 मामलों के कारण उड़ीसा आता है जिसका इस अपराध में कुल भाग 6.6 प्रतिशत है। सातवें नम्बर पर उत्तर प्रदेश रहा जहां कुल अपराध 2096 रहे जिसका प्रतिशत 5.7 बनता है। आठवें नम्बर पर पश्चिमी बंगाल 1837 मामले दर्ज करके आया जिसकी कुल अपराध में सहभागिता 6.3 प्रतिशत है। नौवें नम्बर पर कर्नाटक राज्य है जहां 1683 मामले दर्ज किए गए जो 4.6 प्रतिशत भागीदारी है। दसवें स्थान पर छत्तीसगढ़ 1598 मामले दर्ज करके रहा और राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी सहभागिता 4.4 प्रतिशत रही। अपराध की दर सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 9.3 प्रतिशत है। लगभग 12 राज्यों में यह दर राष्ट्रीय दर से अधिक है वे राज्य इस प्रकार हैं--जम्मू एवं कश्मीर (8.2%), केरल (7.6%), छत्तीसगढ़ (7%), उड़ीसा (6.2%), त्रिपुरा (6%), आंध्र प्रदेश (5.6%), अरूणाचल (5.4%), मिजोरम (5.3%), असम (4.4%), हिमाचल प्रदेश (4.3%), राजस्थान (4.1%) और महाराष्ट्र 3.3%)।

संघ शासित राज्यों में हमेशा की तरह दिल्ली ही प्रथम स्थान पर 718 मामले दर्ज कराके 2 प्रतिशत की भागीदार रही और अपराध की दर भी 4.4 प्रतिशत दर्ज की गया। भारत के शहरों में इस अपराध में प्रथम दस शहर इस प्रकार हैं : 1. दिल्ली 629 (20.1%), 2. मुम्बई 357 (11.4%), 3. हैदराबाद 189 (6%), 4. कोलकाता 173 (5.5%), 5. इंदौर 162 (5.2%), 6. जबलपुर 161 (5.1%), 7. बंगलौर 143 (4.6%), 8. विजयवाड़ा (135 (4.3%), 9. भोपाल (121 (3.9%) और 10. जयपुर 110 (3.5%)। अपराध

की दर सर्वाधिक जबलपुर (14.4%) दूसरे नम्बर पर विजयवाड़ा (13.4%) शहर की रही। शेष शहरों में कहीं भी 10 से ऊपर नहीं गया। शहर की औसत अपराध की दर 2.9 प्रतिशत रही।

7. यौन उत्पीड़न 509 (भा.दं.सं.) : इस धारा के अंतर्गत स्त्री की शालीनता का अपमान करने के आशय से कोई शब्द बोलना, भद्दा इशारा अथवा संकेत करना अथवा अश्लील हरकत करना शामिल है। कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री की शीलता का अपमान करने के लिए कोई आवाज करता है अथवा शब्द बोलता है अथवा इशारा करता है अथवा कोई वस्तु दिखाता है जिसके सुनने अथवा देखने से स्त्री की एकांतता भंग होती है वह इस धारा के अंतर्गत आने वाला अपराध है। वह एक साल का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित होगा। यह अपराध भी असंज्ञेय और जमानती अपराध है। अश्लील शब्द कहना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील पत्र भेजना इत्यादि इसी धारा के अंतर्गत आने वाले अपराध हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति यदि किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा अथवा कोई ध्वनि करेगा अथवा अंग विक्षेप करेगा अथवा कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा जिससे स्त्री द्वारा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विशेष या वस्तु देखी जाए अथवा स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण हो, इस अपराध के अंतर्गत सजा पाएगा।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध(यौन उत्पीड़न की घटनाएं)

अपराध	वर्ष					2002 से 2006 तक % बदलाव	2005 के मुकाबले 2006 में % बदलाव
	2002	2003	2004	2005	2006		
यौन उत्पीड़न (509)	10155	12325	10001	9984	9966	-1.9	-0.2

इस अपराध के आंकड़े 2002 में 10155 थे जो 2006 में घटकर 9966 हो गए कुल मिलाकर इस अवधि में 1.9 प्रतिशत की कमी हुई। सन् 2002 से 2003 तक ये आंकड़े बढ़ोतरी दर्शाते हैं जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि 10155 से 12325 हो गए अर्थात 2002 से 2003 के बीच 21.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी। इसके बाद 2006 तक ये संख्या गिरावट दिखाती है। 2003 में 12325 से 2006 में 9966 हो गए अर्थात् 19.1 प्रतिशत कमी दर्ज की गया।

राज्यों में इस प्रकार के अपराध जहां ध्यान आकर्षित करते हैं वे दस राज्य इस प्रकार हैं : 1. उत्तर प्रदेश 2714 (27.2%), 2. आंध्र प्रदेश 2411 (24.2%), 3. महाराष्ट्र 984 (9.9%), 4. तमिलनाडु 852 (8.5%), 5. मध्य प्रदेश 762 (7.6%), 6. हरियाणा 491 (4.9%), 7. जम्मू एवं कश्मीर 347 (3.5%), 8. उड़ीसा 247 (2.5%), 9. केरल 222 (2.2%) और 10. छत्तीसगढ़ 143 (1.4%)। इस अपराध की दर आंध्र प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में 3 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय दर 0.9 प्रतिशत है। सात राज्य राष्ट्रीय दर से आगे हैं। संघ शासित राज्यों में दिल्ली ही सबसे आगे है जहां 144 मामले दर्ज किए गए और कुल में 1.4 प्रतिशत की सहभागिता रही।

भारत के प्रमुख शहरों में केवल आठ ऐसे शहर हैं जहां सन् 2006 में इस अपराध के मामले सैकड़ा में दर्ज किए गए। वे राज्य क्रमानुसार इस प्रकार हैं : 1.कानपुर 179 (10.1%), 2. विजयवाड़ा 158 (8.9%), 3. लखनऊ 154 (8.7%), 4. फरीदाबाद 144 (8.1%), 5. दिल्ली 129 (7.3%), 6. आगरा 128 (7.2%), 7. हैदराबाद 108 (6.1%) और 8. मुम्बई 102 (5.7%)। शेष शहरों में सौ से कम संख्या में मामले दर्ज किए गए। अपराध की दर सर्वाधिक विजयवाड़ा में 15.6 प्रतिशत और फरीदाबाद में 13.6 प्रतिशत दर्ज की गया। शेष शहरों में ये संख्या 10 से कम रही जबकि शहरों की औसत अपराध की दर यौन उत्पीड़न में 1.6 प्रतिशत थी जबकि चौदह शहरों में यह औसत दर से ऊंची थी।

8. लड़कियों का आयात (366-बी) : इस धारा के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु की लड़की को भारत के बाहर से अथवा

किसी अन्य देश से अथवा जम्मू एवं कश्मीर राज्य से आयात करना और फिर उसे अयुक्त संभोग के लिए विवश करना अथवा विलुब्ध करना इस अपराध के अंतर्गत गिना जाएगा। इस धारा में तीन तत्व स्पष्ट हैं :

1. किसी लड़की/महिला का व्यपहरण अथवा अपहरण करना।
2. उस लड़की को उसकी इच्छा के विपरीत किसी व्यक्ति से शादी करने को विवश करना अथवा ऐसी संभावना होगा।
3. अभियुक्त अथवा पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष के साथ संसर्ग के लिए उसको प्रस्तुत करना या करने पर दबाव डालना। यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध(लड़कियों के आयात की घटनाएं)

अपराध	वर्ष					2002 से 2006 तक % बदलाव	2005 के मुकाबले 2006 में % बदलाव
	2002	2003	2004	2005	2006		
लड़कियों का आयात (366 बी)	76	46	89	149	67	-11.8	-55.0

अखिल भारतीय स्तर पर इस अपराध के आंकड़े अधिक नहीं। सन् 2002 में कुल 76 मामले दर्ज किए गए। वे भी घटकर 2006 में 67 हो गए। इस अवधि में सामान्य से -11.8 प्रतिशत कमी दिखाई दी। 2002 से 2003 तक तेजी से गिरावट आई जो -39.5 प्रतिशत थी। इसके उपरांत 2005 तक वृद्धि दर्ज की गया जैसा कि तालिका से स्पष्ट है। जहां 2003 में 46 मामले थे वहां 2005 में 149 मामले दर्ज किए गए अर्थात् 124 प्रतिशत की

बढ़ोतरी दिखाई थी। उसके बाद 2006 में 2005 के मुकाबले 55 प्रतिशत की कमी देखी गया। भारत के राज्यों में इस अपराध में 42 मामले और उड़ीसा में 12 मामले दर्ज किए गए जो कुल का क्रमशः 62.7 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत है। शहरों में केवल कोलकाता और मुम्बई में एक-एक मामले दर्ज हुआ जो कुल योग (2) का 50-50 प्रतिशत है।

9. देह व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956/अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम : भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में है एवं मानव दुर्व्यवहार और बलपूर्वक श्रम का निषेध/प्रतिषेध करता है। समाज में नारी का क्रय-विक्रय और बेगार प्रथा सदियों से है। इसे समाप्त करने के लिए संसद में 1956 में यह अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा व्यभिचार एवं महिला के साथ होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई जा सके। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का शोषण व्यापारिक दृष्टिकोण से करता है तो उसे सख्त सजा देने का इसी अधिनियम में प्रावधान है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति देह-व्यापार से पैसा कमाता है अथवा वेश्यालय चलाता है अथवा अपनी जगह का वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग करता है अथवा अपने अवयस्क/नाबालिग बच्चों को अनैतिक व्यापार की ओर धकेलता है तो इसी अधिनियम के अंतर्गत सात साल तक की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यापार और अनैतिक कार्य होटल में अथवा सार्वजनिक स्थल पर करता है तो उसे अर्थदंड के अलावा होटल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और अधिक से अधिक चौदह वर्ष तक की कठोर सजा दी जा सकती है। सन् 1978 में इस नियम में संशोधन कर इसे स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1978 बनाकर इसके अंतर्गत निम्नलिखित शब्द परिभषित किए गए हैं :

1. **वेश्यागृह/वेश्यालय**--वह मकान, कमरा या अन्य स्थान जहां पर वेश्यावृत्ति की जाती है।
2. **सुधार संस्था**--जहां वेश्यागृहों से लाई महिलाएं रखी जाती हैं।

3. **बाला**--21 वर्ष से कम आयु की लड़की
4. **वेश्यावृत्ति**--धन के बदले में पुरुष को शरीर सौंपना।

धारा--3 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के लिए स्थान उपलब्ध कराने पर 2 वर्ष तक का कारावास एवं 2000/-रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

धारा--4 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के धन से जीवन यापन करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास एवं 1000/-रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

धारा--9 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी अभिरक्षा में रहने वाली किसी बाला/लड़की/महिला को वेश्यावृत्ति के लिए प्रलुब्ध/उपलब्ध करता कराता है तो दंड में एक वर्ष की कैद और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

धारा--14 के अनुसार यह संज्ञेय अपराध है अर्थात पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

धारा--19 में वेश्यागृहों से निकाली गया स्त्री व लड़कियां सुधार गृहों में रखी जाती हैं।

धारा--22 के अनुसार ऐसे मामलों की सुनवाई/विचारण महानगरीय अथवा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी करेंगे।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध(देह व्यापार की घटनाएं)

अपराध	**वर्ष**					**2002 से 2006 तक % बदलाव**	**2005 के मुकाबले 2006 में %बदलाव**
	2002	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**		
देह व्यापार निरोधक अधि-नियम 1956	6598	5510	5748	5908	4541	-31.2	-23.1

भारत में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सन् 2002 में जहां 6598 मामले दर्ज किए गए वहां 2006 में 4541 मामले ही रह गए। इस

अवधि में सामान्य तौर पर --31.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गया। सन् 2004 में 2003 के मुकाबले 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2005 में 2004 के मुकाबले 2.8 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। परंतु 2006 में 2005 के मुकाबले 23.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गया। राज्यों में तमिलनाडु ने इस अपराध में 1732 मामले रिपोर्ट कराकर --38.1 प्रतिशत की सहभागिता बनाई। दूसरे स्थान पर कर्नाटक 786 (17.3%), तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश 657 (14.5%) रहा। संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली ही नम्बर एक पर 112 (2.5%) मामले दर्ज कराकर आई। शहरों में नम्बर एक पर बंगलौर रहा जहां 480 मामले दर्ज हुए जो 27.3 प्रतिशत की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी है। दूसरे नम्बर पर मुम्बई में 236 (13.4%) मामले दर्ज किए गए। शेष शहरों में कोई विशेष उल्लेखनीय आंकड़े दर्ज नहीं हुए।

10. महिलाओं का अपमानजनक निरूपण-1986 : भारत के संविधान में धारा 292, 293 और 294 के अंतर्गत अश्लीलता को परिभाषित किया गया और अपराध की संज्ञा दी गया परंतु फिर भी महिलाओं का वर्णन, चित्रण और प्रकाशन निरंतर अश्लीलतापूर्ण ढंग से जारी है। विशेषकर विज्ञापन में ऐसा प्रस्तुतीकरण पाया जाता है। यद्यपि इन विज्ञापनों का उद्देश्य किसी महिला विशेष को अपमानित करना नहीं होता परंतु इन्हें देखकर असामाजिक तत्वों को महिलाओं के प्रति अपराध करने की दुष्प्रेरणा मिलती है। अतः इसे रोकने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। इसके बाद किसी पुस्तक, पत्रिका, विज्ञापन इत्यादि में नारी के स्वरूप के अश्लील चित्रण को रोकने के लिए ऐसा चित्रण इस नियम के अंतर्गत अपराध की परिभाषा में सम्मिलित हो गया। इस अधिनियम के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं :

1. महिलाओं के शरीर के विभिन्न अंगों का भद्दा चित्रण जिससे महिलाओं की मगया दा घटती है तथा समाज के नैतिक मूल्यों का ह्रास अथवा हनन होता है।
2. समस्त विज्ञापनों का प्रकाशन जो महिलाओं का किसी भी दृष्टि से अश्लील चित्रण करते हैं।
3. ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार करना, उसके लिए पर्चे

बांटना और बेचना जिसमें महिला का अश्लील चित्रण हो।

इन तीनों प्रकार के कागया को अपराध माना जाएगा और उसे 2 वर्ष की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। यही दंड इसकी धारा 6 में देने का विधान है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध (महिला का अपमानजनक प्रस्तुतीकरण की घटनाएं)

अपराध	वर्ष					2002 से 2006 तक % बदलाव	2005 के मुकाबले 2006 में % बदलाव
	2002	2003	2004	2005	2006		
महिला का अपमानजनक प्रस्तुतीकरण (1986)	2508	1043	1378	2917	1562	-37.7	-46.5

तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2002 में 2508 मामले दर्ज किए गए जो कि 2006 में 1562 हो गए अर्थात - -37.7 प्रतिशत घट गए परंतु गौर से देखने पर पता चलता है कि यह प्रवृत्ति निरंतर नहीं है। इसके तुरंत बाद अगले वर्ष 2003 में 58.4 प्रतिशत की कमी आई। इसके बाद 2004 और 2005 में ये अपराध बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं। 2006 में फिर आश्चर्यजनक रूप से 46.5 की कमी दर्ज की गया। इस प्रकार इनकी कमी और वृद्धि बार-बार गिरती और उठती है। इनकी प्रवृत्ति को स्थिर न मानकर चर अथवा चलाएमान मानना पड़ेगा। इस अपराध की स्थिति राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन से देखते हैं। केवल आंध्र प्रदेश में 1347 मामले दर्ज किए गए जो कुल का 86.2 प्रतिशत है और अपराध की दर इस राज्य में 1.7 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 0.1 प्रतिशत है।

11. सती (निरोधक) अधिनियम -1987 : सती प्रथा और

सती को महिमामंडित करने से रोकने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कठोर कदम उठाए गए। इस अधिनियम की विशेष धाराएं इस प्रकार हैं :

- **धारा--3** के अनुसार सती होने का प्रयास करने वाली महिला को एक साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सजा का प्रावधान है। यह सजा भारतीय दंड संहिता के तहत आत्महत्या के प्रयास के अपराध के अतिरिक्त दी जाएगी।
- **धारा--4** के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को सती होने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उकसाता है तो उसे मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा तक दी जा सकती है। इसके अंतर्गत विधवा महिला को शमशान तक जुलूस के रूप में साथ ले जाने वालों और उसे पति की चिता पर जलने के लिए प्रेरित करने वाले को फांसी तक की सजा का सजा का प्रावधान है
- **धारा--5, 6 और धारा 7** के अंतर्गत जो व्यक्ति सती को महिमामंडित करता है अथवा सती का मंदिर बनाने के लिए जायदाद, धन इत्यादि देता है और ऐसे निर्माण को भी इस धारा के तहत रूकवाने अथवा तुड़वाने का विधान है। इन कागया में मदद करने वाले व्यक्ति को कम से कम एक साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त 5000 से 30000 रुपये तक का आर्थिक दंड का विधान है। ऐसे मामलों में सुनवाई विशेष अदालत द्वारा की जा सकती है।
- **धारा--18** के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति सती होने वाली महिला की जायदाद के उत्तराधिकारी होते हुए भी उत्तराधिकार नहीं पा सकेंगे।
- **धारा--19** में विधान है कि इसके अंतर्गत सजा पाने वाले को लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव के लिए पांच वर्ष तक अयोग्य घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही जो महिला सती होने का प्रयास करती है वह भारतीय दंड

संहिता की **धारा--309,** जो आत्महत्या के लिए है, के अंतर्गत एक वर्ष की साधारण कैद और जुर्माना अथवा दोनों की सजा की दोषी हो सकती है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध(सती प्रथा की घटनाएं)

अपराध	**वर्ष**					**2002 से 2006 तक % बदलाव**	**2005 के मुकाबले 2006 में % बदलाव**
	2002	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**		
सती (निरोधक) अधिनियम 1987	0	0	0	1	0	0.0	-100.0

इस अधिनियम के अंतर्गत 2002 से 2006 तक केवल एक मामले दर्ज किया गया है। इस अपराध में 2005 में एक मामले दर्ज हुआ था और 2006 में कोई मामले नहीं दर्ज नहीं हुआ। अतः इस साल शत-प्रतिशत कमी दर्ज की गया।

12. महिलाओं के प्रति अपराधों का तुलनात्मक विवरण : भारत के 35 राज्यों में कुल 164765 अपराध 2006 में दर्ज किए गए। सन् 2005 के मुकाबले 2006 में महिलाओं के प्रति अपराध में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गया जबकि 2002 के मुकाबले 2006 में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सन् 2006 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 93.6 प्रतिशत अपराध दर्ज किए गए जबकि स्थानीय और विशेष कानूनों के अंतर्गत 6.4 प्रतिशत अपराध महिलाओं के विरुद्ध दर्ज किए गए। भारत के राज्यों में जो कुल अपराध दर्ज किए गए उनमें नम्बर एक पर आंध्र प्रदेश है जहां 21484 (13%) मामले दर्ज किए। नम्बर दो पर उत्तर प्रदेश में 16375 (9.9%) मामले दर्ज किए गए।

तीसरे नम्बर पर महाराष्ट्र में 14452 (8.8%) मामले दर्ज किए गए। चौथे नम्बर पर मध्य प्रदेश में 14321 (8.7%) मामले दर्ज किए गए। पांचवे नम्बर पर राजस्थान में 12934 (7.8%) मामले दर्ज किए गए और छठे नम्बर पर 12785 (7.8%) मामले दर्ज करके पश्चिमी बंगाल है। भारत के 28 प्रमुख राज्यों में 97 प्रतिशत अपराध की घटनाएं हुईं। शेष 3 प्रतिशत संघ शासित राज्यों में हुईं। अपराध की दर सवर्षधिक त्रिपुरा में रही।

इसके बाद क्रमानुसार आंध्र प्रदेश (26.6%), असम (23.3%), केरल (22.4%), मध्य प्रदेश (21.3%) और राजस्थान में (20.6%) दर्ज की गया। इसके मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 14.5 प्रतिशत रही और ग्यारह राज्यों में यह दर राष्ट्रीय दर से अधिक रही। संघ शासित प्रदेश में दिल्ली ही नम्बर एक पर है जहां अपराध की दर 28 प्रतिशत दर्ज की गया। भारत के कुल पैंतीस शहरों में इस वर्ष 2006 में कुल 21861 मामले दर्ज किए गए जबकि 2005 में 20997 थे। इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले 4.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गया। शहरों में अपराध की दर 20.3 प्रतिशत रही जो राष्ट्रीय अपराध की दर 14.7 प्रतिशत से अधिक है। महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं में दिल्ली 4134 मामले दर्ज होने के कारण नम्बर एक पर है जो कुल 18.9 प्रतिशत हैं और हैदराबाद 1755 मामले दर्ज होने के कारण दूसरे नम्बर पर है जो 8 प्रतिशत की सहभागिता पर है। शहरों में विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में क्रमशः 74.3 प्रतिशत और 54.3 प्रतिशत अपराध की दर 2006 में दर्ज की गया जो शहरों की औसत अपराध दर 20.3 प्रतिशत से बहुत अधिक है। देश की राजधानी दिल्ली में बलात्कार के मामले 31.2 प्रतिशत, अपहरण और व्यपहरण के मामले 34.7 प्रतिशत, दहेज के कारण मृत्यु के मामले 18.7 प्रतिशत, पति एवं उसके नाते-रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार के 17.1 प्रतिशत और छेड़छाड़ (शारीरिक+मानसिक) के मामले 20.1 प्रतिशत दर्ज किए गए। संपूर्ण आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बंगलौर, मुम्बई और जयपुर जैसे बड़े शहरों में स्थानीय और विशेष कानून से संबंधित मामले अधिक दर्ज किए गए। अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत 27.3 प्रतिशत (480 जबकि कुल 1759) मामले दर्ज किए गए।

दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत 59.3 प्रतिशत (265 जबकि कुल 447) बंगलौर शहर में दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त जयपुर शहर में 81.6 प्रतिशत मामले (31 कुल के 38) महिलाओं के अश्लील प्रस्तुतीकरण के दर्ज किए गए।

वर्ष 2006 में 164765 कुल अपराध महिलाओं के विरुद्ध हुए जबकि वर्ष 2005 में 155553 हुए जो जिनकी वृद्धि 5.9 प्रतिशत है। इसके बाद 2004 से 2006 तक वृद्धि(6.8%) हुई है। अपराध की दर जहां 2005 में 14.1 की वहां 2006 में 14.7 हो गया। दी गया तालिका में 2002 से 2006 तक के अपराध दिए गए हैं जिसमें प्रतिशत के अनुसार कमी और वृद्धि दी गया है।

कुल अपराधों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध

क्र. सं.	वर्ष	कुल भारतीय दंडसंहिता के अन्तर्गत अपराध	महिलाओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अपराध	भारतीय दंड संहिता के कुल अपराधों का प्रतिशत
1	2002	1780330	131112	7.4
2	2003	1716120	131364	7.6
3	2004	1832015	143615	7.8
4	2005	1822602	143523	7.9
5	2006	1878293	154158	8.2

दी गया तालिका में कुल भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कुल अपराध वर्ष 2003 में कमी दर्शाते हैं उसके बाद उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं जबकि महिलाओं के विरुद्ध अपराध वर्ष 2005 में 2004 के मुकाबले कम हैं। वर्ष 2002 में 7.4 प्रतिशत से अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं जो 2006 में 8.2 प्रतिशत हो गए।

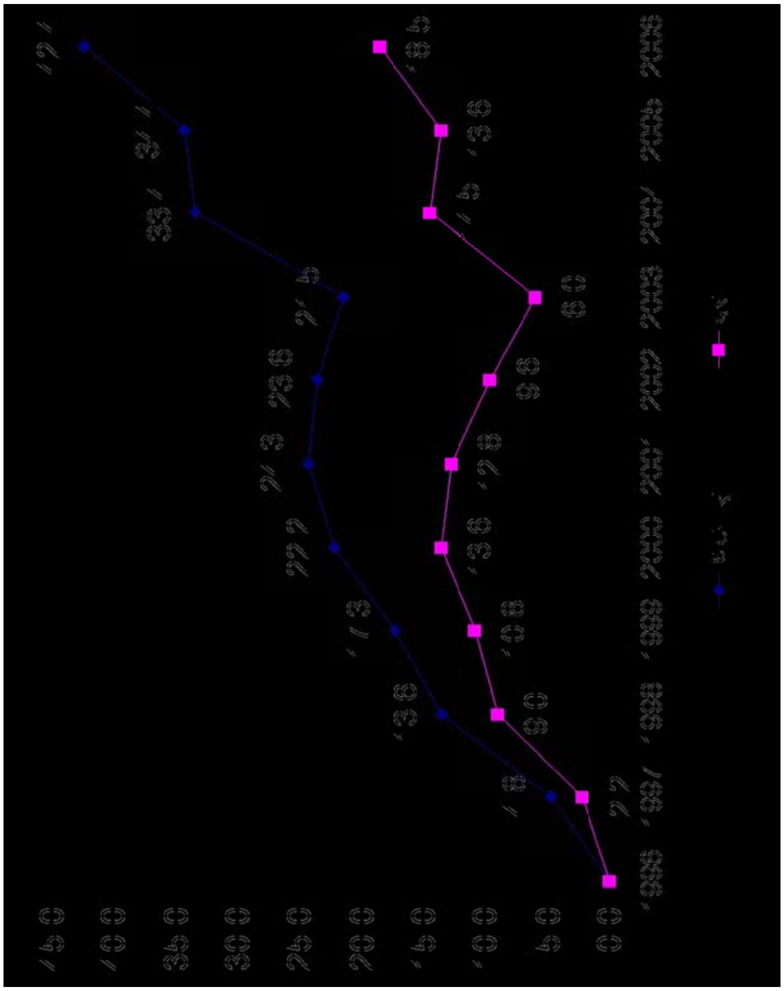

आरेख

वर्ष 1996-2006 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाएं

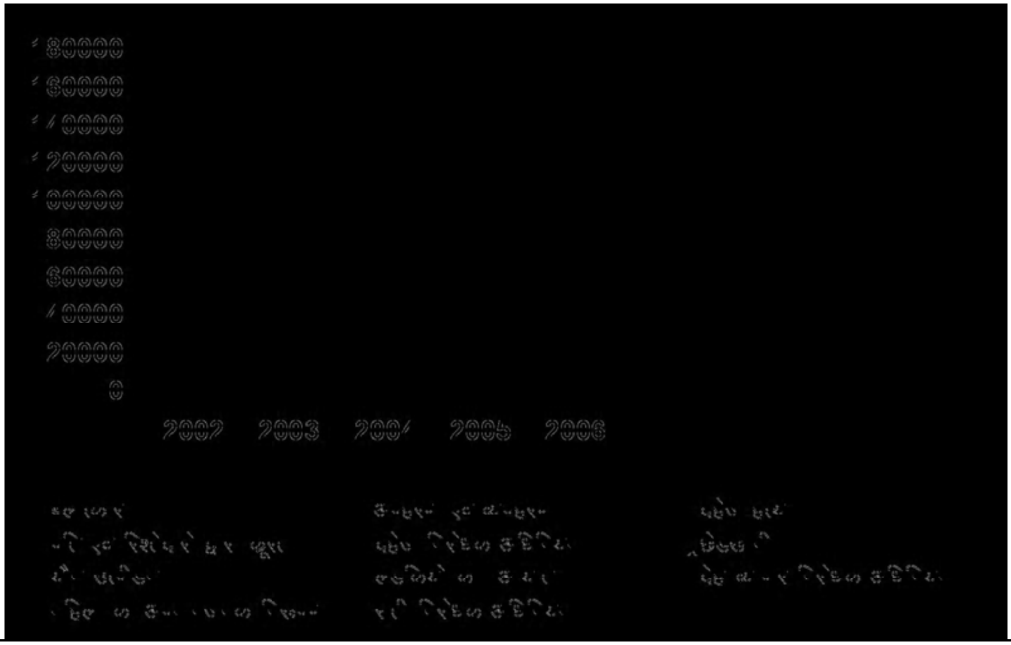

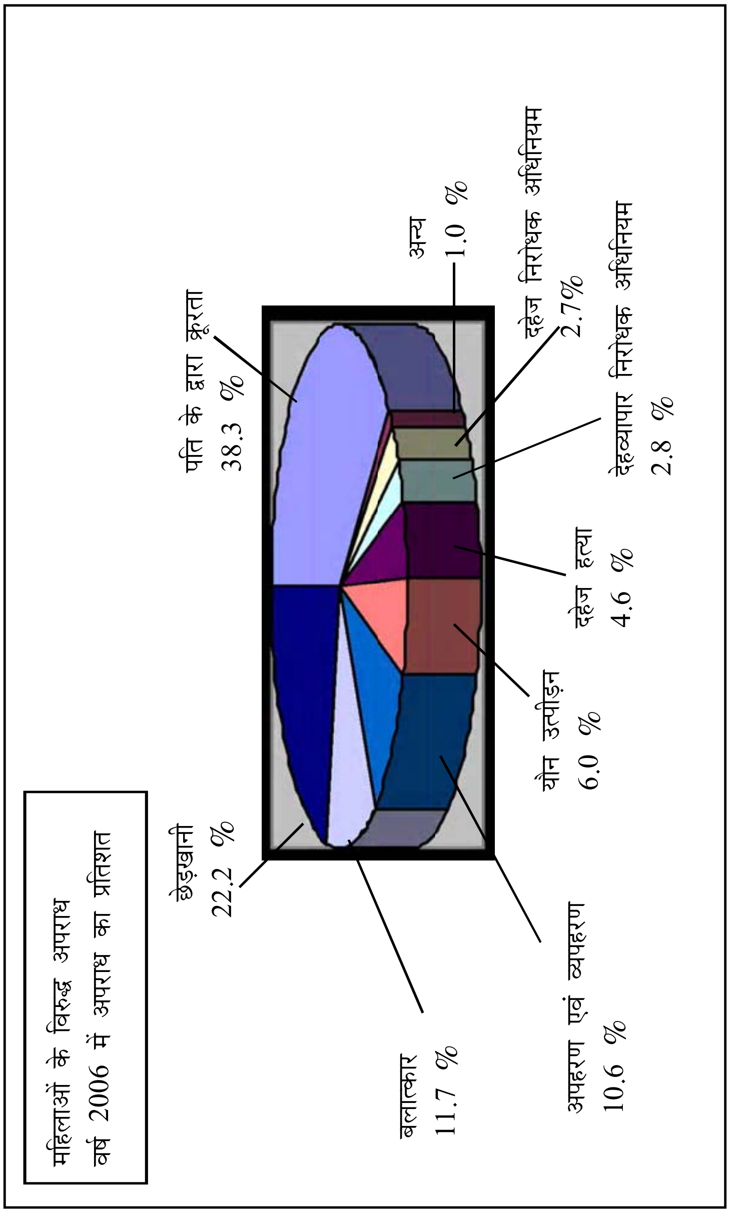
महिलाओं के विरुद्ध अपराध
वर्ष 2006 में अपराध का प्रतिशत
पति के द्वारा क्रूरता 38.3 %
अन्य 1.0 %
दहेज निरोधक अधिनियम 2.7%
देहव्यापार निरोधक अधिनियम 2.8 %
दहेज हत्या 4.6 %
यौन उत्पीड़न 6.0 %
अपहरण एवं व्यपहरण 10.6 %
बलात्कार 11.7 %
छेड़खानी 22.2 %

तालिका

2006 के अनुसार राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और शहरों में महिलाओं के प्रति किए गए अपराध की घटनाएं

अनुक्रमांक	राज्य/सं.शा. प्रदेश	घटनाएं	भारत के कुल अपराधों में भागीदारी का प्रतिशत	साल की अनुमानित जनसंख्या (लाखों में)	कुल संज्ञेय अपराधों की दर
01	आन्ध्र प्रदेश	21484	13.0	807.2	26.6
02	अरूणाचल प्रदेश	168	0.1	11.7	14.3
03	असम	6801	4.1	291.6	23.3
04	बिहार	6740	4.1	913.3	7.4
05	छत्तीसगढ़	3757	2.3	229.9	16.3
06	गोवा	96	0.1	15.5	6.2
07	गुजरात	7279	4.4	550.8	13.2
08	हरियाणा	4617	2.8	231.6	19.9
09	हिमाचल प्रदेश	792	0.5	64.5	12.3
10	जम्मू एवं कश्मीर	2432	1.5	117.3	20.7
11	झारखंड	2979	1.8	293.1	10.2

12	कर्नाटक	6084	3.7	563.5	10.8
13	केरल	7554	4.6	336.8	22.4
14	मध्य प्रदेश	14321	8.7	672.1	21.3
15	महाराष्ट्र	14452	8.8	1045.7	13.8
16	मणिपुर	171	0.1	25.7	6.6
17	मेघालय	176	0.1	24.8	71
18	मिजोरम	125	0.1	24.8	7.1
19	नगालैण्ड	43	0.0	21.4	2.0
20	उड़ीसा	6825	4.1	392.0	17.4
21	पंजाब	2242	1.4	260.8	8.6
22	राजस्थान	12934	7.8	628.0	20.7
23	सिक्किम	47	0.0	5.8	8.1
24	तमिलनाडु	6489	3.9	654.5	9.9
25	त्रिपुरा	964	0.6	34.4	28.1
26	उत्तर प्रदेश	16375	9.9	1850.2	8.9
27	उत्तराचंल	1038	0.6	92.6	11.2
28	पश्चिमी बंगाल	12785	7.8	861.3	14.8

संघ शासित प्रदेश

29	अण्डमान एवं निकोबार दीप समूह	36	0.0	4.0	9.1
30	चण्डीगढ़	224	0.1	10.2	21.9
31	दादर एवं नगर हवेली	32	0.0	2.5	12.8
32	दमन और द्वीप	9	0.0	1.8	5.0
33	दिल्ली	4544	2.8	162.3	28.0
34	लक्षद्वीप	1	0.0	0.7	1.5
35	पांडिचेरी	149	0.1	10.5	14.2
कुल योग(अखिल भारत)		**164765**	**100.0**	**11197.75**	**14.7**

अनुक्रमांक	राज्य/सं.शा. प्रदेश	घटनाएं	भारत के कुल अपराधों में भागीदारी का प्रतिशत	साल की अनुमानित जनसंख्या (लाखों में)	कुल संज्ञेय अपराधों की दर
शहर					
36	आगरा	644	2.9	13.2	48.8
37	अहमदाबाद	1249	5.7	45.2	27.6
38	ईलाहाबाद	226	1.0	10.5	21.5
39	अमृतसर	96	0.4	10.1	9.5
40	आसनसोल	213	1.0	10.9	19.5
41	बंगलोर	1292	5.9	56.9	22.7
42	भोपाल	358	1.6	14.6	24.6
43	चेन्नई	627	2.9	64.3	9.8
44	कोयम्बटूर	198	0.9	14.5	13.7
45	दिल्ली (शहर)	4134	18.9	127.9	32.3
46	धनबाद	73	0.3	10.6	43.0
47	फरीदाबाद	454	2.1	10.6	43.0
48	हैदराबाद	1755	8.0	55.3	31.7

49	इन्दौर	541	2.5	16.4	33.0
50	जबलपुर	435	2.0	11.2	38.9
51	जयपुर	852	3.9	23.2	36.7
52	जमशेदपुर	197	0.9	11.0	17.9
53	कानपुर	701	3.2	26.9	26.1
54	कोच्चि	215	1.0	13.6	15.9
55	कोलकाता	636	2.9	132.2	4.8
56	लखनऊ	709	3.2	22.7	31.3
57	लुधियाना	234	1.1	14.0	16.8
58	मदुरई	192	0.9	12.0	16.1
59	मेरठ	327	1.5	11.7	28.0
60	मुम्बई	1334	6.1	163.7	8.2
61	नागपुर	432	2.0	21.2	20.3
62	नासिक	210	1.0	11.5	18.2
63	पटना	320	1.5	17.1	18.7
64	पुणे	616	2.8	37.6	16.4
65	राजकोट	205	0.9	10.0	20.5
66	सूरत	501	2.3	28.1	17.8

67	वड़ोदरा	254	1.2	14.9	17.0
68	वाराणसी	158	0.7	12.1	13.0
69	विजयवाड़ा	751	3.4	10.1	74.3
70	विशाखापट्टनम	722	.3	13.3	54.3
	कुल(शहर)	**21861**	**100.0**	**1078.80**	**20.3**

तालिका

आयुवार बलात्कार की घटनाएं - 2006

अनु-क्रमांक	राज्य/सं.शा. प्रदेश	दर्ज हुए मामलों की संख्या	महिला अपराध पीड़ितों की संख्या						
			10 वर्ष तक	10-14 वर्ष तक	14-18 वर्ष	18-30 वर्ष	30-35 वर्ष	50 वर्ष से ऊपर	कुल अपराध पीड़ित
01	आन्ध्र प्रदेश	1	0	0	0	1	0	0	1
02	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
03	असम	12	0	3	0	6	3	0	12
04	बिहार	7	0	0	2	3	2	0	7
05	छत्तीसगढ़	97	6	12	33	29	15	2	97
06	गोवा	1	0	2	0	1	0	0	1
07	गुजरात	16	0	0	0	14	0	0	16
08	हरियाणा	10	0	2	0	8	2	0	10
09	हिमाचल प्रदेश	7	2	0	1	2	0	0	7
10	जम्मू एंव कश्मीर	0	0	6	0	0	0	0	0

11	झारखंड	94	0	1	21	50	17	0	94
12	कर्नाटक	2	0	3	0	1	0	0	2
13	केरल	28	43	5	9	8	3	1	28
14	मध्य प्रदेश	29	4	9	5	12	4	0	29
15	महाराष्ट्र	36	0	0	11	8	4	0	36
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नगालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0
21	पंजाब	1	0	0	0	1	0	0	1
22	राजस्थान	42	1	3	12	22	4	0	42
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	1	0	1	0	0	0	0	1
25	त्रिपुरा	4	0	0	4	0	0	0	4
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तराचंल	6	0	3	0	2	1	0	6
28	पश्चिमी बंगाल	6	0	0	0	6	0	0	6

संघ शासित प्रदेश

29	अण्डमान एवं निकोबार दीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चण्डीगढ़	5	1	1	2	1	0	0	5
31	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	26	3	4	12	7	0	0	26
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (अखिल भारत)		**431**	**24**	**55**	**112**	**182**	**55**	**3**	**431**

तालिका
आयुवार बलात्कार की घटनाएं - 2006

अनु-क्रमांक	राज्य/सं.शा. प्रदेश	दर्ज हुए मामलों की संख्या	महिला अपराध पीड़ितों की संख्या						
			10 वर्ष तक	10-14 वर्ष तक	14-18 वर्ष	18-30 वर्ष	30-35 वर्ष	50 वर्ष से ऊपर	कुल अपराध पीड़ित
36	आगरा	4	0	0	0	4	0	0	4
37	अहमदाबाद	11	0	2	0	9	0	0	11
38	ईलाहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
39	अमृतसर	1	0	0	0	1	0	0	1
40	आससोल	0	0	0	0	0	0	0	0
41	बंगलोर	0	0	0	0	0	0	0	0
42	भोपाल	2	1	0	0	0	1	0	2
43	चेन्नई	0	0	0	0	0	0	0	0
44	कोयम्बटूर	0	0	0	0	0	0	0	0
45	दिल्ली (शहर)	23	3	3	12	5	0	0	23
46	धनबाद	0	0	0	0	0	0	0	0

47	फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
48	हैदराबाद	1	0	0	0	1	0	0	1
49	इन्दौर	0	0	0	0	0	0	0	0
50	जबलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
51	जयपुर	3	0	0	1	2	0	0	1
52	जमशेदपुर	8	0	0	0	5	3	0	0
53	कानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
54	कोच्चि	0	0	0	0	0	0	0	3
55	कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	8
56	लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0
57	लुधियाना	0	0	0	0	0	0	0	0
58	मदुरई	0	0	0	0	0	0	0	0
59	मेरठ	0	0	0	0	0	0	0	0
60	मुम्बई	5	0	0	0	0	1	0	5
61	नागपुर	1	0	0	0	0	0	0	1
62	नासिक	0	0	0	0	0	0	0	0
63	पटना	0	0	4	0	0	0	0	0
64	पुणे	1	0	1	0	0	0	0	1

65	राजकोट	0	0	0	0	0	0	0	0
66	सूरत	0	0	0	0	0	0	0	0
67	वड़ोदरा	0	0	0	0	0	0	0	0
68	वाराणसी	0	0	0	0	0	0	0	0
69	विजयवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0
70	विशाखापट्टनम	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (शहर)	**60**	**4**	**11**	**13**	**27**	**5**	**0**	**60**

तालिका

वर्ष 2006 के दौरान बलात्कार की आयुवर्ग के अनुसार घटनाएं

अनु-क्रमांक	राज्य/सं.शा. प्रदेश	दर्ज हुए मामलों की संख्या	महिला अपराध पीड़ितों की संख्या						
			10 वर्ष तक	10-14 वर्ष तक	14-18 वर्ष	18-30 वर्ष	30-35 वर्ष	50 वर्ष से ऊपर	कुल अपराध पीड़ित
01	आन्ध्र प्रदेश	1048	46	128	238	535	91	10	1048
02	अरूणाचल प्रदेश	37	0	0	0	34	3	0	37
03	असम	1232	8	18	32	886	286	2	1232
04	बिहार	1225	0	0	15	953	248	9	1225
05	छत्तीसगढ़	898	22	92	283	308	168	25	898
06	गोवा	20	1	4	9	4	1	1	20
07	गुजरात	338	20	28	62	199	28	1	338
08	हरियाणा	598	1	22	153	368	49	5	598
09	हिमाचल प्रदेश	106	4	7	26	64	4	1	106
10	जम्मू एंव कश्मीर	250	0	8	0	193	48	1	250
11	झारखंड	705	2	39	177	369	116	2	705

12	कर्नाटक	398	23	15	46	267	45	2	398
13	केरल	573	31	56	118	273	93	6	573
14	मध्य प्रदेश	2871	20	91	705	1390	658	7	2871
15	महाराष्ट्र	1464	79	118	434	699	136	4	1464
16	मणिपुर	40	6	4	9	17	6	0	40
17	मेघालय	74	14	11	23	23	3	0	74
18	मिजोरम	72	7	19	9	32	5	0	72
19	नगालैण्ड	23	6	1	4	11	1	0	23
20	उड़ीसा	985	23	51	27	730	152	2	985
21	पंजाब	441	14	19	26	318	64	0	441
22	राजस्थान	1043	33	77	185	533	210	5	1043
23	सिक्किम	20	8	4	5	3	0	0	20
24	तमिलनाडु	456	23	33	68	275	55	2	456
25	त्रिपुरा	185	0	4	30	135	17	1	185
26	उत्तर प्रदेश	1314	18	56	273	780	184	3	1314
27	उत्तराचंल	141	1	4	15	104	17	0	141
28	पश्चिमी बंगाल	1725	2	5	13	1471	234	0	1725

संघ शासित प्रदेश									
29	अण्डमान एवं	6	2	2	1	1	0	0	6
	निकोबार दीप समूह								
30	चण्डीगढ़	14	2	1	4	3	4	0	14
31	दादरा एवं	6	2	1	2	1	0	0	6
	नगर हवेली								
32	दमन और द्वीप	3	1	0	0	2	0	0	3
33	दिल्ली	597	67	107	255	148	21	2	597
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	9	2	1	5	1	0	0	9
कुल योग (अखिल भारत)		**18917**	**488**	**1026**	**3252**	**11130**	**2947**	**91**	**18934**

अनु-क्रमांक	राज्य/सं.शा. प्रदेश	दर्ज हुए मामलों की संख्या	महिला अपराध पीड़ितों की संख्या						
			10 वर्ष तक	10-14 वर्ष तक	14-18 वर्ष	18-30 वर्ष	30-35 वर्ष	50 वर्ष से ऊपर	कुल अपराध पीड़ित
शहर									
36	आगरा	11	0	2	2	5	2	0	11
37	अहमदाबाद	35	4	7	1	22	0	1	35
38	ईलाहाबाद	5	0	0	2	3	0	0	5
39	अमृतसर	11	2	2	1	5	1	0	11
40	आससोल	19	0	0	0	17	2	0	19
41	बंगलोर	33	0	0	0	23	9	1	33
42	भोपाल	50	8	6	13	12	10	1	50
43	चेन्नई	29	4	0	10	15	0	0	29
44	कोयम्बटूर	8	1	4	2	0	1	0	8
45	दिल्ली (शहर)	510	53	85	222	130	19	2	510
46	धनबाद	21	0	0	0	18	3	0	21
47	फरीदाबाद	40	5	7	20	7	1	0	40

48	हैदराबाद	92	7	22	15	33	13	2	92
49	इन्दौर	73	0	2	4	46	21	0	73
50	जबलपुर	54	0	0	22	19	13	0	54
51	जयपुर	55	6	1	12	26	10	0	55
52	जमशेदपुर	21	0	0	0	13	8	0	21
53	कानपुर	27	0	0	12	10	5	0	27
54	कोच्चि	14	0	0	6	7	1	0	14
55	कोलकाता	38	2	5	13	12	6	0	38
56	लखनऊ	29	0	1	5	17	6	0	29
57	लुधियाना	36	6	3	5	22	0	0	36
58	मदुरई	9	1	0	2	4	2	0	9
59	मेरठ	13	0	0	2	9	2	0	13
60	मुम्बई	160	2	7	48	92	11	0	160
61	नागपुर	50	6	7	23	9	4	1	50
62	नासिक	14	3	3	2	7	0	0	14
63	पटना	25	1	8	3	13	0	0	25
64	पुणे	76	2	11	31	27	5	0	76
65	राजकोट	4	0	0	3	1	0	0	4

66	सूरत	31	2	4	6	18	1	0	31
67	वड़ोदरा	6	1	0	2	3	0	0	6
68	वाराणसी	5	0	0	2	3	0	0	5
69	विजयवाड़ा	21	1	4	9	5	1	1	21
70	विशाखापट्टनम	21	1	3	9	8	0	0	21
	कुल (शहर)	**1646**	**118**	**194**	**509**	**661**	**157**	**9**	**1648**

तालिका

वर्ष 2006 के दौरान बलात्कार की आयुवर्ग के अनुसार कुल घटनाएं

अनु-क्रमांक	राज्य/सं.शा. प्रदेश	दर्ज हुए मामलों की संख्या	महिला अपराध पीड़ितों की संख्या						
			10 वर्ष तक	10-14 वर्ष तक	14-18 वर्ष	18-30 वर्ष	30-35 वर्ष	50 वर्ष से ऊपर	कुल अपराध पीड़ित
01	आन्ध्र प्रदेश	1049	46	128	238	536	91	10	1049
02	अरूणाचल प्रदेश	37	0	0	0	34	3	0	37
03	असम	1244	8	21	32	892	289	2	1244
04	बिहार	1232	0	0	17	956	250	9	1232
05	छत्तीसगढ़	995	28	104	316	337	183	27	995
06	गोवा	21	1	4	9	5	1	1	21
07	गुजरात	354	20	30	62	213	28	1	354
08	हरियाणा	608	1	22	153	376	51	5	608
09	हिमाचल प्रदेश	113	6	9	27	66	4	1	113
10	जम्मू एंव कश्मीर	250	0	8	0	193	48	1	250
11	झारखंड	799	2	45	198	419	133	2	799

12	कर्नाटक	400	23	16	46	268	45	2	400
13	केरल	601	35	59	127	281	96	7	606
14	मध्य प्रदेश	2900	23	96	710	1402	662	7	2900
15	महाराष्ट्र	1500	83	127	445	707	140	4	1506
16	मणिपुर	40	6	4	9	17	6	0	42
17	मेघालय	74	14	11	23	23	3	0	74
18	मिजोरम	72	7	19	9	32	5	0	72
19	नगालैण्ड	23	6	1	4	11	1	0	23
20	उड़ीसा	985	23	51	27	730	152	2	985
21	पंजाब	442	14	19	26	319	64	0	442
22	राजस्थान	1085	34	80	197	555	214	5	1085
23	सिक्किम	20	8	4	5	3	0	0	20
24	तमिलनाडु	457	23	34	68	275	55	2	457
25	त्रिपुरा	189	0	4	34	135	17	1	191
26	उत्तर प्रदेश	1314	18	56	273	780	184	3	1314
27	उत्तरांचल	147	1	7	15	106	18	0	147
28	पश्चिमी बंगाल	1731	2	5	13	1477	234	0	1731

	संघ शासित प्रदेश								
29	अण्डमान एवं	6	2	2	1	1	0	0	6
	निकोबार दीप समूह								
30	चण्डीगढ़	19	3	2	6	4	4	0	19
31	दादर एवं	6	2	1	2	1	0	0	6
	नगर हवेली								
32	दमन और द्वीप	3	1	0	0	2	0	0	3
33	दिल्ली	623	70	111	267	155	21	2	626
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	9	2	1	5	1	0	0	9
कुल योग(अखिल भारत)		**19348**	**512**	**1081**	**3364**	**11312**	**3002**	**94**	**19365**

अनु-क्रमांक	राज्य/सं.शा. प्रदेश	दर्ज हुए मामलों की संख्या	महिला अपराध पीड़ितों की संख्या						
			10 वर्ष तक	10-14 वर्ष तक	14-18 वर्ष	18-30 वर्ष	30-35 वर्ष	50 वर्ष से ऊपर	कुल अपराध पीड़ित
36	आगरा	15	0	2	2	9	2	0	15
37	अहमदाबाद	46	4	9	1	31	0	1	46
38	ईलाहाबाद	5	0	0	2	3	0	0	5
39	अमृतसर	12	2	2	1	6	1	0	12
40	आससोल	19	0	0	0	17	2	0	19
41	बंगलोर	33	0	0	0	23	9	1	33
42	भोपाल	52	9	6	13	12	11	1	52
43	चेन्नई	29	4	0	10	15	0	0	29
44	कोयम्बटूर	8	1	4	2	0	1	0	8
45	दिल्ली (शहर)	533	56	88	234	135	19	2	534
46	धनबाद	21	0	0	0	18	3	0	21
47	फरीदाबाद	40	5	7	20	7	1	0	40
48	हैदराबाद	93	7	22	15	34	13	2	93

49	इन्दौर	73	0	2	4	46	21	0	73
50	जबलपुर	54	0	0	22	19	13	0	54
51	जयपुर	58	6	1	13	28	10	0	58
52	जमशेदपुर	29	0	0	0	18	11	0	29
53	कानपुर	27	0	0	12	10	5	0	27
54	कोच्चि	14	0	0	6	7	1	0	14
55	कोलकाता	38	2	5	13	12	6	0	38
56	लखनऊ	29	0	1	5	17	6	0	29
57	लुधियाना	36	6	3	5	22	0	0	36
58	मदुरई	9	1	0	2	4	2	0	9
59	मेरठ	13	0	0	2	9	2	0	13
60	मुम्बई	165	2	11	48	92	12	0	165
61	नागपुर	51	6	8	23	9	4	1	51
62	नासिक	14	3	3	2	7	0	0	15
63	पटना	25	1	8	3	13	0	0	25
64	पुणे	77	2	12	31	27	5	0	77
65	राजकोट	4	0	0	3	1	0	0	4

66	सूरत	31	2	4	6	18	1	0	31
67	वड़ोदरा	6	1	0	2	3	0	0	6
68	वाराणसी	5	0	0	2	3	0	0	5
69	विजयवाड़ा	21	1	4	9	5	1	1	21
70	विशाखापट्टनम	21	1	3	9	8	0	0	21
	कुल(शहर)	**1706**	**122**	**205**	**522**	**688**	**162**	**9**	**1708**

तालिका

वर्ष 2006 के बलात्कार पीड़ितों से अपराधी का संबंध

अनु-क्रमांक	राज्य/सं.शा. प्रदेश	दर्ज हुए मामलों की संख्या जहां पहचान के थे	अपराध कारितों की संख्या			
			परिवार के सदस्य	रिश्तेदार	पड़ोसी	अन्य पहचान वाले
01	आन्ध्र प्रदेश	1049	1	192	404	452
02	अरूणाचल प्रदेश	37	0	0	6	31
03	असम	1214	12	108	555	539
04	बिहार	1232	7	0	634	591
05	छत्तीसगढ़	995	97	108	342	448
06	गोवा	19	1	0	6	12
07	गुजरात	354	16	19	57	262
08	हरियाणा	608	10	25	285	288
09	हिमाचल प्रदेश	111	7	5	33	66
10	जम्मू एंव कश्मीर	250	0	26	58	166
11	झारखंड	678	94	50	173	361

12	कर्नाटक	315	2	35	95	183
13	केरल	595	28	38	267	262
14	मध्य प्रदेश	29	29	0	0	0
15	महाराष्ट्र	1476	36	98	574	768
16	मणिपुर	20	0	0	3	17
17	मेघालय	74	0	6	41	27
18	मिजोरम	40	0	4	6	30
19	नगालैण्ड	14	0	0	2	12
20	उड़ीसा	850	0	46	164	640
21	पंजाब	442	1	24	118	299
22	राजस्थान	990	42	100	271	577
23	सिक्किम	20	0	0	0	20
24	तमिलनाडु	455	1	49	150	255
25	त्रिपुरा	189	4	16	110	59
26	उत्तर प्रदेश	1287	0	98	418	771
27	उत्तराचंल	147	6	9	51	81
28	पश्चिमी बंगाल	411	6	19	158	228

संघ शासित प्रदेश						
29	अण्डमान एवं निकोबार दीप समूह	6	0	0	0	6
30	चण्डीगढ़	19	5	3	1	10
31	दादर एवं नगर हवेली	6	0	0	3	3
32	दमन और द्वीप	3	0	0	2	1
33	दिल्ली	592	26	28	360	178
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	9	0	0	4	5
कुल	**योग(अखिल भारत)**	**14536**	**431**	**1106**	**5351**	**7648**

तालिका

वर्ष 2006 के बलात्कार पीड़ितों से अपराधी का संबंध

अनु-क्रमांक	राज्य/सं.शा. प्रदेश	दर्ज हुए मामलों की संख्या जहां पहचान के थे	अपराध कारितों की संख्या			
			परिवार के सदस्य	रिश्तेदार	पड़ोसी	अन्य पहचान वाले
36	आगरा	15	4	2	0	9
37	अहमदाबाद	46	11	0	9	26
38	ईलाहाबाद	5	0	0	1	4
39	अमृतसर	12	1	0	3	8
40	आससोल	0	0	0	0	0
41	बंगलोर	33	0	2	2	29
42	भोपाल	52	2	12	17	21
43	चेन्नई	29	0	1	10	18
44	कोयम्बटूर	8	0	1	4	3
45	दिल्ली (शहर)	503	23	25	307	148
46	धनबाद	1	0	1	0	0

47	फरीदाबाद	40	0	1	12	27
48	हैदराबाद	93	1	51	26	15
49	इन्दौर	73	0	2	60	11
50	जबलपुर	54	0	0	13	41
51	जयपुर	40	3	1	13	23
52	जमशेदपुर	29	8	5	7	9
53	कानपुर	27	0	0	15	12
54	कोच्चि	14	0	0	4	10
55	कोलकाता	38	0	1	15	22
56	लखनऊ	29	0	3	7	19
57	लुधियाना	36	0	2	7	27
58	मदुरई	9	0	1	4	4
59	मेरठ	13	0	0	3	10
60	मुम्बई	146	5	3	56	82
61	नागपुर	51	1	2	25	23
62	नासिक	14	0	0	2	12
63	पटना	25	0	0	16	9

65	राजकोट	4	0	0	0	4
66	सूरत	31	0	0	9	22
67	वड़ोदरा	6	0	0	1	5
68	वाराणसी	5	0	0	2	3
69	विजयवाड़ा	21	0	0	0	21
70	विशाखापट्टनम	21	0	0	1	20
	कुल (शहर)	**1600**	**60**	**117**	**703**	**720**

तालिका
महिलाओं के प्रति किए गए अपराध की घटनाएं----2006

अनु-क्र.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	अनुमानित मध्यवर्ग	बलात्कार			अपहरण और व्यपहरण			दहेज हत्या			पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता		
		जनसंख्या	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत
01	आन्ध्र प्रदेश	807.24	1049	1.3	5.4	1329	1.6	7.6	519	0.6	6.8	9164	11.4	14.5
02	अरूणाचल प्रदेश	11.74	0.37	3.2	0.2	51	4.3	0.3	1	0.1	0.0	14	1.2	0.0
03	असम	291.62	1244	4.3	6.4	1544	5.3	8.9	105	0.4	1.4	2548	8.7	4.0
04	बिहार	913.30	1232	1.3	6.4	1084	1.2	6.2	1188	1.3	15.6	1689	1.8	2.7
05	छत्तीसगढ़	229.90	995	4.3	5.1	178	0.8	1.0	103	0.4	1.4	717	3.1	1.1
06	गोवा	15.51	21	1.4	0.1	10	0.6	0.1	0	0.0	0.0	14	0.9	0.0
07	गुजरात	550.80	354	0.6	1.8	945	1.7	5.4	50	0.1	0.7	4977	9.0	7.9
08	हरियाणा	231.63	608	2.6	3.1	431	1.9	2.5	255	1.1	3.3	2254	9.7	3.6
09	हिमाचल प्रदेश	64.46	113	1.8	0.6	109	1.7	0.6	3	0.0	0.0	259	4.0	0.4
10	जम्मू एंव कश्मीर	117.25	250	2.1	1.3	723	6.2	4.2	10	0.1	0.1	135	1.2	0.2
11	झारखंड	293.14	799	2.7	4.1	410	1.4	2.4	281	1.0	3.7	668	2.3	1.1
12	कर्नाटक	563.49	400	0.7	2.1	328	0.6	1.9	244	0.4	3.2	2129	3.8	3.4
13	केरल	336.79	601	1.8	3.1	202	0.6	1.2	25	0.1	0.3	3708	11.0	5.9
14	मध्य प्रदेश	672.13	290	4.3	15.0	617	0.9	3.5	764	1.1	10.0	2989	4.4	4.7
15	महाराष्ट्र	1045.70	1500	1.4	7.8	921	0.9	5.3	387	0.4	5.1	6738	6.4	10.7
16	मणिपुर	25.72	40	1.6	0.2	79	3.1	0.5	0	0.0	0.0	10	0.4	0.0
17	मेघालय	24.83	74	3.0	0.4	25	1.0	0.1	6	0.2	0.1	13	0.5	0.0

18	मिजोरम	9.59	72	7.5	0.4	1	0.1	0.0	0	0.0	0.0	1	0.1	0.0
19	नागालैण्ड	21.41	23	1.1	0.1	3	0.1	0.0	0	0.0	0.0	3	0.0	0.0
20	उड़ीसा	391.96	985	2.5	5.1	577	1.5	3.3	457	1.2	6.0	694	1.8	1.1
21	पंजाब	260.80	442	1.7	2.3	418	1.6	2.4	130	0.5	1.7	801	3.1	1.3
22	राजस्थान	628.02	1085	1.7	5.6	1553	2.5	8.9	394	0.6	5.2	7038	11.2	11.1
23	सिक्किम	5.81	20	3.4	0.1	7	1.2	0.0	0	0.0	0.0	6	1.0	0.0
24	तमिलनाडु	654.52	457	0.7	2.4	718	1.1	4.1	187	0.3	2.5	1248	1.9	2.0
25	त्रिपुरा	34.36	189	5.5	1.0	62	1.8	0.4	35	1.0	0.5	471	13.7	0.7
26	उत्तर प्रदेश	1850.21	1314	0.7	6.8	2551	1.4	14.6	1798	1.0	23.6	5204	2.8	8.2
27	उत्तराचंल	92.62	147	1.6	0.8	183	2.0	1.1	80	0.9	1.1	358	3.9	0.6
28	पश्चिमी बंगाल	861.30	1731	2.0	8.9	1199	1.4	6.9	445	0.5	5.8	7414	8.6	11.7
संघ शासित प्रदेश														
29	अण्डमान एवं निकोबार दीप समूह	3.96	6	1.5	0.0	5	1.3	0.0	0	0.0	0.1	7	1.8	0.0
30	चण्डीगढ़	10.21	19	1.9	0.1	57	5.6	0.3	10	1.0	0.0	102	10.0	0.2
31	दादर एवं नगर हवेली	2.50	6	2.4	0.0	14	5.6	0.1	1	0.4	0.0	5	2.0	0.0
32	दमन और द्वीप	1.80	3	1.7	0.0	1	0.6	0.0	0	0.0	0.0	2	1.1	0.0
33	दिल्ली	162.29	623	3.8	3.2	1066	6.6	6.1	137	0.8	1.8	1728	10.6	2.7
34	लक्षद्वीप	0.67	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.5	0.0
35	पांडिचेरी	10.47	9	0.9	0.0	13	1.2	0.1	3	0.3	0.0	19	1.8	0.0
कुल	योग(अखिल भारत)	11197.75	19348	1.7	100.0	17414	1.6	100.0	7618	0.7	100.0	63128	5.6	100.0

अनु-क्र.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	अनुमानित मध्यवर्ग	बलात्कार			अपहरण और व्यपहरण			दहेज हत्या			पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता		
		जनसंख्या	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत
36	आगरा	13.21	15	1.1	0.9	110	8.3	4.0	34	2.6	5.3	286	21.7	3.0
37	अहमदाबाद	45.19	46	1.0	2.7	146	3.2	5.3	4	0.1	0.6	956	21.2	9.9
38	ईलाहाबाद	10.50	5	0.5	0.3	27	2.6	1.0	10	1.0	1.6	72	6.9	0.7
39	अमृतसर	10.11	12	1.2	0.7	19	1.9	0.7	4	0.4	0.6	47	4.6	0.5
40	आससोल	10.91	19	1.7	1.1	12	1.1	0.4	13	1.2	2.0	158	14.5	1.6
41	बंगलोर	56.87	33	0.6	1.9	29	0.5	1.1	50	0.9	7.8	290	5.1	3.0
42	भोपाल	14.55	52	3.6	3.0	38	2.6	1.4	15	1.0	2.3	97	6.7	1.0
43	चेन्नई	64.25	29	0.5	1.7	41	0.6	1.5	32	0.5	5.0	213	3.3	2.2
44	कोयम्बटूर	14.46	8	0.6	0.5	3	0.2	0.1	5	0.3	0.8	30	2.1	0.3
45	दिल्ली(शहर)	127.91	533	4.2	31.2	953	7.5	34.7	120	0.9	18.7	1646	12.9	17.1
46	धनबाद	10.64	21	2.0	1.2	11	1.0	0.4	15	1.4	2.3	10	0.9	0.1
47	फरीदाबाद	10.55	40	3.8	2.3	66	6.3	2.4	14	1.3	2.2	146	13.8	1.5
48	हैदराबाद	55.34	93	1.7	5.5	77	1.4	2.8	29	0.5	4.5	1160	21.0	12.1

49	इन्दौर	16.39	73	4.5	4.3	27	1.6	1.0	12	0.7	1.9	218	13.3	2.3
50	जबलपुर	11.17	54	4.8	3.2	20	1.8	0.7	13	1.2	2.0	118	10.6	1.2
51	जयपुर	23.24	58	2.5	3.4	137	5.9	5.0	23	1.0	3.6	451	19.4	4.7
52	जमशेदपुर	11.02	29	2.6	1.7	24	2.2	0.9	16	1.5	2.5	73	6.6	0.8
53	कानपुर	26.90	27	1.0	1.6	87	3.2	3.2	67	2.5	10.4	273	10.1	2.8
54	कोच्चि	13.55	14	1.0	0.8	8	0.6	0.3	0	0.0	0.0	87	6.4	0.9
55	कोलकाता	132.17	38	0.3	2.2	76	0.6	2.8	4	0.0	0.6	276	2.1	2.9
56	लखनऊ	22.67	29	1.3	1.7	131	5.8	4.8	21	0.9	3.3	315	13.9	3.3
57	लुधियाना	13.95	36	2.6	2.1	57	4.1	2.1	10	0.7	1.6	86	6.2	0.9
58	मदुरई	11.95	9	0.8	0.5	7	0.6	0.3	4	0.3	0.6	35	2.9	0.4
59	मेरठ	11.67	13	1.1	0.8	44	3.8	1.6	5	0.4	0.8	162	13.9	1.7
60	मुम्बई	163.68	165	1.0	9.7	129	0.8	4.7	17	0.1	2.6	327	2.0	3.4
61	नागपुर	21.23	51	2.4	3.0	42	2.0	1.5	7	0.3	1.1	180	8.5	1.9
62	नासिक	11.52	14	1.2	0.8	22	1.9	0.8	2	0.2	0.3	119	10.3	1.2
63	पटना	17.07	25	1.5	1.5	54	3.2	2.0	34	2.0	5.3	165	9.7	1.7
64	पुणे	37.56	77	2.1	4.5	74	2.0	2.7	6	0.2	0.9	236	6.3	2.5
65	राजकोट	10.02	4	0.4	0.2	18	1.8	0.7	1	0.1	0.2	165	16.5	1.7

66	सूरत	28.11	31	1.1	1.8	86	3.1	3.1	22	0.8	3.4	249	8.9	2.6
67	वड़ोदरा	14.92	6	0.4	0.4	42	2.8	1.5	0	0.0	0.0	181	12.1	1.9
68	वाराणसी	12.12	5	0.4	0.3	29	2.4	1.1	15	1.2	2.3	50	4.1	0.5
69	विजयवाड़ा	10.11	21	2.1	1.2	60	5.9	2.2	8	0.8	1.2	336	33.2	3.5
70	विशाखापट्टनम	13.29	21	1.6	1.2	40	3.0	1.5	10	0.8	1.6	397	29.9	4.1
	कुल(शहर)	1078.80	1706	1.6	100.0	2746	2.5	100.0	642	0.6	100.0	9610	8.9	100.0

तालिका

महिलाओं के प्रति किए गए अपराध की घटनाएं - 2006

अनु क्र.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	छेड़खानी			यौन उत्पीड़न			लड़कियों का आयात			सती निरोधक अधिनियम		
		घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत
01	आन्ध्र प्रदेश	4534	5.6	12.4	2411	3.0	24.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
02	अरूणाचल प्रदेश	63	5.4	0.2	2	0.2	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
03	असम	1290	4.4	3.5	10	0.0	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
04	बिहार	530	0.6	1.4	53	0.1	0.5	42	0.0	62.7	0	0.0	0.0
05	छत्तीसगढ़	1598	7.0	4.4	143	0.6	1.4	1	0.0	1.5	0	0.0	0.0
06	गोवा	18	1.2	0.0	7	0.5	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
07	गुजरात	736	1.3	2.0	138	0.3	1.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
08	हरियाणा	486	2.1	1.3	491	2.1	4.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
09	हिमाचल प्रदेश	275	4.3	0.8	31	0.5	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10	जम्मू एंव कश्मीर	960	8.2	2.6	347	3.0	3.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
11	झारखंड	414	1.4	1.1	44	0.2	0.4	5	0.0	7.5	0	0.0	0.0
12	कर्नाटक	1683	3.0	4.6	38	0.1	0.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
13	केरल	2543	7.6	6.9	222	0.7	2.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
14	मध्य प्रदेश	6243	9.3	17.0	762	1.1	7.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
15	महाराष्ट्र	3479	3.3	9.5	984	0.9	9.9	1	0.0	1.5	0	0.0	0.0

16	मणिपुर	42	1.6	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
17	मेघालय	57	2.3	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
18	मिजोरम	51	5.3	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
19	नागालैण्ड	3	0.1	0.0	2	0.1	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20	उड़ीसा	2415	6.2	6.6	247	0.6	2.5	12	0.0	17.9	0	0.0	0.0
21	पंजाब	314	1.2	0.9	60	0.2	0.6	2	0.0	3.0	0	0.0	0.0
22	राजस्थान	2582	4.1	7.1	31	0.0	0.3	3	0.0	4.5	0	0.0	0.0
23	सिक्किम	14	2.4	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
24	तमिलनाडु	1179	1.8	3.2	852	1.3	8.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
25	त्रिपुरा	207	6.0	0.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
26	उत्तर प्रदेश	2096	1.1	5.7	2714	1.5	27.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
27	उत्तराचंल	153	1.7	0.4	113	1.2	1.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
28	पश्चिमी बंगाल	1837	2.1	5.0	63	0.1	0.6	1	0.0	1.5	0	0.0	0.0
	संघ शासित प्रदेश												
29	अण्डमान एवं निकोबार दीपसमूह	14	3.5	0.0	4	1.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
30	चण्डीगढ़	20	2.0	0.1	13	1.3	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
31	दादर एवं नगर हवेली	5	2.0	0.0	1	0.4	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
32	दमन और द्वीप	2	1.1	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
33	दिल्ली	718	4.4	2.0	144	0.9	1.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
34	लक्षद्वीप	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
35	पांडिचेरी	56	5.3	0.2	39	3.7	0.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	कुल योग(अखिल भारत)	**36617**	**3.3**	**100.0**	**9966**	**0.9**	**100.0**	**67**	**0.0**	**100.0**	0	0.0	0.0

अनु-क्र.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	छेड़खानी			यौन उत्पीड़न			लड़कियों का आयात			सती निरोधक अधिनियम		
		घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत
36	आगरा	59	4.5	1.9	128	9.7	7.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
37	अहमदाबाद	72	1.6	2.3	22	0.5	1.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
38	ईलाहाबाद	9	0.9	0.3	23	2.2	1.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
39	अमृतसर	5	0.5	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
40	अशांसोल	11	1.0	0.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
41	बैंगलोर	143	2.5	4.6	2	0.0	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
42	भोपाल	121	8.3	3.9	33	2.3	1.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
43	चेन्नई	87	1.4	2.8	88	1.4	5.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
44	कोयम्बटूर	11	0.8	0.4	11	0.8	0.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
45	दिल्ली (शहर)	629	4.9	20.1	129	1.0	7.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
46	धनबाद	3	0.3	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
47	फरीदाबाद	35	3.3	1.1	144	13.6	8.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
48	हैदराबाद	189	3.4	6.0	108	2.0	6.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
49	इन्दौर	162	9.9	5.2	43	2.6	2.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
50	जबलपुर	161	14.4	5.1	68	6.1	3.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
51	जयपुर	110	4.7	3.5	2	0.1	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
52	जमशेदपुर	33	3.0	1.1	1	0.1	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

53	कानपुर	64	2.4	2.0	179	6.7	10.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
54	कोच्चि	65	4.8	2.1	20	1.5	1.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
55	कोलकाता	173	1.3	5.5	37	0.3	2.1	1	0.0	50.0	0	0.0	0.0
56	लखनऊ	56	2.5	1.8	154	6.8	8.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
57	लुधियाना	24	1.7	0.8	16	1.1	0.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
58	मदुरई	12	1.0	0.4	15	1.3	0.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
59	मेरठ	29	2.5	0.9	72	6.2	4.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
60	मुम्बई	357	2.2	11.4	102	0.6	5.7	1	0.0	50.0	0	0.0	0.0
61	नागपुर	72	3.4	2.3	42	2.0	2.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
62	नासिक	36	3.1	1.1	15	1.3	0.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
63	पटना	9	0.5	0.3	2	0.1	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
64	पुणे	104	2.8	3.3	87	2.3	4.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
65	राजकोट	5	0.5	0.2	12	1.2	0.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
66	सूरत	46	1.6	1.5	6	0.2	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
67	वड़ोदरा	17	1.1	0.5	2	0.1	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
68	वाराणसी	29	2.4	0.9	25	2.1	1.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
69	विजयवाड़ा	135	13.4	4.3	158	15.6	8.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
70	विशाखापट्टनम	62	4.7	2.0	30	2.3	1.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

तालिका
महिलाओं के प्रति किए गए अपराध की घटनाएं - 2006

अनु-क्र.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	देह व्यापार अधिनियम			महिला का अश्लील प्रस्तुतिकरण			दहेज निषेधक अधिनियम			कुल अपराध		
राज्य		घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत
01	आन्ध्र प्रदेश	657	0.8	14.5	1347	1.7	86.2	474	0.6	10.5	21484	26.6	13.0
02	अरूणाचल प्रदेश	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	168	14.3	0.1
03	असम	29	0.1	0.6	0	0.0	0.0	31	0.1	0.7	6801	23.3	4.1
04	बिहार	13	0.0	0.3	0	0.0	0.0	909	1.0	20.2	6740	7.4	4.1
05	छत्तीसगढ़	13	0.1	0.3	0	0.0	0.0	9	0.0	0.2	3757	16.3	2.3
06	गोवा	26	1.7	0.6	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	96	6.2	0.1
07	गुजरात	78	0.1	1.7	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	7279	13.2	4.4
08	हरियाणा	85	0.4	1.9	0	0.0	0.0	7	0.0	0.2	4617	19.9	2.8
09	हिमाचल प्रदेश	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	792	12.3	0.5
10	जम्मू एंव कश्मीर	5	0.0	0.1	0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2432	20.7	1.5
11	झारखंड	11	0.0	0.2	2	0.0	0.0	345	1.2	7.7	2979	10.2	1.8
12	कर्नाटक	786	1.4	17.3	0	0.0	0.0	476	0.8	10.6	6084	10.8	3.7
13	केरल	1589	0.6	4.2	59	0.2	3.8	5	0.0	0.1	7554	22.4	4.6
14	मध्य प्रदेश	12	0.0	0.3	2	0.0	0.1	32	0.0	0.7	14321	21.3	8.7
15	महाराष्ट्र	378	0.4	8.3	9	0.0	0.6	55	0.1	1.2	14452	13.8	8.8

16	मणिपुर	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	171	6.6	0.1
17	मेघालय	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	176	7.1	0.1
18	मिजोरम	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	125	13.0	0.1
19	नागालैण्ड	9	0.4	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	43	2.0	0.0
20	उड़ीसा	44	0.1	1.0	0	0.0	0.0	1394	3.6	31.0	6825	17.4	4.1
21	पंजाब	67	0.3	1.5	1	0.0	0.1	7	0.0	0.2	2242	8.6	1.4
22	राजस्थान	143	0.2	3.1	102	0.2	6.5	3	0.0	0.1	12934	20.6	7.8
23	सिक्किम	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	47	8.1	0.0
24	तमिलनाडु	1732	2.6	38.1	35	0.1	2.2	81	0.1	1.8	6489	9.9	3.9
25	त्रिपुरा	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	964	28.1	0.6
26	उत्तर प्रदेश	70	0.0	1.5	0	0.0	0.0	628	0.3	13.9	16375	8.9	9.9
27	उत्तराचंल	3	0.0	0.1	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1038	11.2	0.6
28	पश्चिमी बंगाल	66	0.1	1.5	4	0.0	0.3	25	0.0	0.6	12785	14.8	7.8
संघ	**शासित प्रदेश**												
29	अण्डमान एवं निकोबार आयलैंड	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	36	9.1	0.0
30	चण्डीगढ़	3	0.3	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	224	21.9	0.1
31	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	32	12.8	0.0
32	दमन और द्वीप	1	0.6	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	9	5.0	0.0
33	दिल्ली	112	0.7	2.5	1	0.0	0.1	15	0.1	0.3	4544	28.0	2.8
34	लक्षद्वीप	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	1.5	0.0
35	पांडिचेरी	8	0.8	0.2	0	0.0	0.0	2	0.2	0.0	149	14.2	0.1
	कुल योग(अखिल भारत)	**4541**	**0.4**	**100.0**	**1562**	**0.1**	**100.0**	**4504**	**0.4**	**100.0**	164765	14.7	100.0

अनु-क्र.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	छेड़खानी			यौन उत्पीड़न			लड़कियों का आयात			सती निरोधक अधिनियम		
		घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत	घटनाएं	दर	प्रतिशत
36	आगरा	12	0.9	0.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	644	48.8	2.9
37	अहमदाबाद	3	0.1	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1249	27.6	5.7
38	ईलाहाबाद	8	0.8	0.5	0	0.0	0.0	72	6.9	16.1	226	21.5	1.0
39	अमृतसर	9	0.9	0.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	96	9.5	0.4
40	अशांसोल	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	213	19.5	1.0
41	बैंगलोर	480	8.4	27.3	0	0.0	0.0	265	4.7	59.3	1292	22.7	5.9
42	भोपाल	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0	1	0.1	0.2	358	24.6	1.6
43	चेन्नई	135	2.1	7.7	0	0.0	0.0	2	0.0	0.4	627	9.8	2.9
44	कोयम्बटूर	127	8.8	7.2	3	0.2	7.9	0	0.0	0.0	198	13.7	0.9
45	दिल्ली (शहर)	109	0.9	6.2	1	0.0	2.6	14	0.1	3.1	4134	32.3	18.9
46	धनबाद	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	13	1.2	2.9	73	6.9	0.3
47	फरीदाबाद	6	0.6	0.3	0	0.0	0.0	3	0.3	0.7	454	43.0	2.1
48	हैदराबाद	88	1.6	5.0	0	0.0	0.0	11	0.2	2.5	1755	31.7	8.0
49	इन्दौर	4	0.2	0.2	0	0.0	0.0	2	0.1	0.4	541	33.0	2.5
50	जबलपुर	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	435	38.	2.0
51	जयपुर	40	1.7	2.3	31	1.3	81.6	0	0.0	0.0	852	36.7	3.9
52	जमशेदपुर	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	21	1.9	4.7	197	17.9	0.9

53	कानपुर	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	0.1	0.9	701	26.1	3.2
54	कोच्चि	20	1.5	1.1	1	0.1	2.6	0	0.1	0.0	215	15.9	1.0
55	कोलकाता	31	0.2	1.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	636	4.8	2.9
56	लखनऊ	3	0.1	0.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	709	31.3	3.2
57	लुधियाना	4	0.3	0.2	1	0.1	2.6	0	0.0	0.0	234	16.8	1.1
58	मदुरई	110	9.2	6.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	192	16.1	0.9
59	मेरठ	2	0.2	0.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	327	28.0	1.5
60	मुम्बई	236	1.4	13.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1334	8.2	6.1
61	नागपुर	32	1.5	1.8	1	0.0	2.6	5	0.2	1.1	432	20.3	2.0
62	नासिक	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0	1	0.1	0.2	210	18.2	1.0
63	पटना	3	0.2	0.2	0	0.0	0.0	28	1.6	6.3	320	18.7	1.5
64	पुणे	32	0.9	1.8	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	616	16.4	2.8
65	राजकोट	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	205	20.5	0.9
66	सूरत	60	2.1	3.4	0	0.0	0.0	1	0.0	0.2	501	17.8	2.3
67	वड़ोदरा	6	0.4	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	254	17.0	1.2
68	वाराणसी	1	0.1	0.1	0	0.0	0.0	4	0.3	0.9	158	13.0	0.7
69	विजयवाड़ा	33	3.3	1.9	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	751	74.3	3.4
70	विशाखापट्टनम	162	12.2	9.2	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	722	54.3	3.3
	कुल(शहर)	**1759**	**1.6**	**100.0**	**38**	**0.0**	100.0	**447**	**0.4**	**100.0**	21861	20.3	100.0

अध्याय - 4

अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं और समाधान

भारतीय समाज में नारी को अर्धांगी, धर्मपत्नी, शक्तिरूपा, लक्ष्मी, सरस्वती, मां, बहन आदि अनेक रूपों में पहचाना जाता है। यह समाज का एक रूप है। समाज के दूसरे रूप में महिलाओं के साथ हर रोज घटित होने वाली घरेलू हिंसा जैसे --दुर्व्यवहार, मार-पीट, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना, बलात्कार जैसी हिंसा साधारण बात है। साधारणतः यह माना जाता है कि घर महिला को सुरक्षा, शांति एवं सुख प्राप्त करने की दृष्टि से स्वर्ग के समान होता है परंतु भारतीय समाज की विडंबना है कि ज्यादातर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का ही व्यवहार होता है। जहां भारतीय संस्कृति में एक तरफ महिला को लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है वहीं दूसरी ओर यह समाज दहेज के लालच में बिना दहेज लाए इन्हें स्वीकार करने से कतराता है। दहेज ना लाने की स्थिति में अनेक कन्याओं, बहुओं को आत्महत्या करने तक को बाध्य होना उनकी मजबूरी बन जाती है, अनेकानेक बहुओं को गैस सिलेंडर व स्टोव फटने की आड़ में जिंदा जला दिया जाता है।

किसी व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचाने या तोड़ने-फोड़ने के इरादे से किसी दूसरे व्यक्ति या चीज के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना हिंसा है जो प्रायः किसी फायदे के लिए की जाती है। हिंसा एक ऐसी दबावकारी प्रक्रिया है जो दूसरे को दबाने के लिए प्रयोग की जाती है इसके पीछे अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। साधारणतः दूसरे से अपनी इच्छा मनवाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए

अथवा खुद को ताकतवर महसूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है :

- आपराधिक हिंसा, जैसे बलात्कार, अपहरण, हत्या आदि
- घरेलू हिंसा जैसे--दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं /या वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि एवं
- सामाजिक हिंसा, जैसे--पत्नी/पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्र-वधू को और अधिक दहेज लाने के लिए सताना आदि ।

1. हिंसा की शिकार : यदि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी प्रकरणों को एक साथ लिया जाए तो यह मिलेगा कि हिंसा की साधारणतया शिकार वे महिलाएं होती हैं :

- जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती हैं या ऐसे परिवारों में रहती हैं जिन्हें समाजशास्त्रीय शब्दावली में सामान्य परिवार नहीं कहा जा सकता। सामान्य परिवार वे हैं जो संरचनात्मक रूप से पूर्ण होते हैं (दोनों माता-पिता जीवित हैं और साथ-साथ रह रहे हैं), आर्थिक रूप से निश्चिंत हैं (सदस्यों की मूल और पूरक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं), प्रकार्यात्मक रूप से उपयुक्त हैं (वे बिरले ही लड़ते हैं) और नैतिक रूप से निष्ठावान होते हैं।
- जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं, जिनकी आत्मछवि खराब होती है, जो आत्म-अवमूल्यन से ग्रस्त होती हैं या वे जो अपराधकर्ताओं द्वारा की गया हिंसा के फलस्वरूप भावात्मक रूप से समाप्त हो चुकी हैं, या वे जो परार्थवादी विवशता से ग्रस्त हैं।

- जिनके पति बहुधा मदिरापान करते हैं।
- जिनके पति/ससुराल वालों के विकृत व्यक्तित्व हैं, और
- जिनमें सामाजिक परिपक्वता की या सामाजिक अन्तर-वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है जिसके कारण उन्हें व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

हिंसा के अपराधकर्ता

महिलाओं के संबंध में निम्न प्रकार के उत्पीड़क हो सकते हैं :

- जो बहुधा मदिरापान करते हैं,
- जो अवसादग्रस्त होते हैं, जिनमें हीन भावना होती है और आत्मसम्मान कम होता है,
- जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए थे,
- जिन्हें व्यक्तित्व के दोष होते हैं और जो मनोरोगी होते हैं,
- जिनके पास संसाधनों, प्रवीणताओं और प्रतिभाओं का अभाव होता है और जिनका व्यक्तित्व समाज वैज्ञानिक रूप से विकृत होता है,
- जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं और,
- जिनकी प्रकृति में मालिकानापन, शक्कीपन और प्रबलता है।

हिंसा के प्रकार

यदि हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण करें तो हम हिंसा के निम्न प्रकार बता सकते हैं :

- हिंसा जो पीड़ित प्रेरित होती है,
- हिंसा जो धन-अभिमुख होती है,
- हिंसा जो तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों के कारण होती है,

- हिंसा जो कमजोर पर सत्ता प्राप्त करना चाहती है,
- हिंसा जो अपराधकर्ता की विकृति के कारण होती है, और
- हिंसा जिसका उद्देश्य भोग-विलास होता है।

कभी-कभी हिंसा की शिकार महिला अपने व्यवहार से, जो कई बार अनजाने में होता है, अपने स्वयं के उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न कर देती है। पीड़ित महिला अपराधी के हिंसा पूर्ण व्यवहार को उत्पन्न करती है या प्रेरित करती है । उस (महिला) के कार्य शिकारी को हमलावर/आक्रामक में परिवर्तन कर देते हैं और वह अपने आपराधिक इरादों को उसको लक्ष्य बनाने के लिए बाध्य हो जाता है। एक सर्वेक्षण में, जिसमें बलात्कार, पत्नी को पीटना, भगा ले जाना, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार और हत्याओं का अध्ययन किया गया था, यद्यपि अध्ययन का केंद्र पीड़ित महिलाएं थीं, फिर भी कुछ अपराधियों/हमलावरों/आक्रामकों का भी साक्षात्कार किया गया था।

इस सर्वेक्षण में आश्चर्य की बात यह थी कि केवल कुछ हमलावर शर्म या चिन्ता की भावनाओं से ग्रस्त दिखाई देते थे। अधिकांश में किसी प्रकार की भावात्मक घबराहट नहीं थी और न ही वह भावना थी जिसे मनोवैज्ञानिक अशांत पुरुषत्व की समस्या कहते हैं। इसके बजाए पत्नी को पीटने के प्रकरण में हमलावरों ने अपनी पत्नियों पर यह कह करके दोषारोपण किया कि वे पीछे से बुराई करती हैं, उन पराए व्यक्तियों से बात करती हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते, उनकी बहनों या माता-पिता या भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, घर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, संबंधियों से अभद्र तरीके से बोलती हैं, किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रखती हैं, अपने सास-ससुर का कहना नहीं मानती हैं, उन्हें अपने झगड़ालूपन या दोषारोपण से गुस्सा दिलाती हैं या उनके मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करती हैं। इसी प्रकार बलात्कार के प्रकरणों में ऐसे हमलावर थे, जिन्होंने पीड़ित के व्यवहार को लैंगिक संबंधों के लिए खुला निमंत्रण बतलाया था, ऐसा संकेत बतलाया कि यदि वह व्यक्ति आग्रह करता रहेगा तो वह (महिला) प्राप्त हो जाएगी।

यहां यह मालूम करना महत्वपूर्ण है कि पीड़ित का अभिप्रायः वास्तव में इस प्रकार के व्यवहार को आमंत्रित करना था या नहीं या यह केवल उत्पीड़ित करने वाले का अपनी ही अर्थ/अनुभूति थी, जिसके कारण उसने उसका (स्त्री का) शोषण किया। इसको यदि आचरण का कार्य नहीं कहा जाए तो अनाचरण का कार्य तो कहा ही जा सकता है (क्योंकि पीड़ित ने तीव्र प्रक्रिया नहीं दिखाई)।

हिंसा के कुछ प्रकरण उस समय होते हैं, जबकि आक्रामक नशे में और उत्तेजक एवं लड़ाई करने की मनोदशा में होते हैं और उनको यह समझ में नहीं आता कि उनके कागया के बाद में क्या परिणाम होंगे। उदाहरण के लिए, कुछ बलात्कार के प्रकरणों में अपराधियों ने पीड़ितों के साथ बलात्कार उस समय किया जब उन्होंने इतनी शराब पी ली थी कि वे नशे और भावात्मक उत्तेजना की हालत में थे। वे अपना आत्मसंयम खो चुके थे और उनके आक्रामक स्वपन्चित्र कामवासना से प्रगाढ़रूप से आपस में मिल गए थे जिन्होंने बाद में अनुत्तरदायी कागया का रूप धारण किया। मदिरा से संबंधित यौन अपराध समय, स्थान और परिस्थितियों की अविवेचित उपेक्षा का उदाहरण देते हैं।

पत्नी को पीटने और हत्या के कुछ मामलों में शराबीपन और हिंसा में ऐसा ही संबंध प्रदर्शित हुआ। **राम आहूजा** ने अपने अध्ययन में पाया कि केवल 31.7 प्रतिशत प्रकरणों में पत्नी का पीटना और मदिरापान साथ-साथ चलते हैं, **हिल्वरमेन** और **मनसन** ने इसे 93.0 प्रतिशत प्रकरणों में पाया, **बुल्फगैंग** ने 67.0 प्रतिशत प्रकरणों में और **हिन्किलबर्ग** ने 71.0 प्रतिशत प्रकरणों में इस प्रकार की स्थिति को पाया।

यहां यह स्वीकार करना चाहिए कि जब हिंसा और शराबीपन में परस्पर संबंध बताया जाता है तो रक्त में शराब के स्तरों के माप के स्थान पर केवल शराब के उपयोग की सूचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वास्तव में रक्त और शराब का गाढ़ापन पीटने को शराब के प्रभाव से संबद्ध करने का आधार होना चाहिए। यदि बी.ए.सी. अधिक होगा तो व्यक्ति की दूसरों को शारीरिक चोट पहुंचाने की क्षमता कम हो जाएगी। फिर भी यह माना जा सकता है कि बी.ए.सी. का स्तर इतना होना चाहिए कि अपराधी इस तक

ही अपने पर नियंत्रण खोए कि वह अपने कागया के परिणाम के बारे में न सोच पाए। वह केवल इसी मनोदशा में हिंसात्मक होता है।

महिलाओं के प्रति विद्वेष

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रतिवेदित मामलों में कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें आक्रमणकारी किसी भी तर्क से प्रभावित नहीं होते और वे उनके विरुद्ध बड़ी क्रूरता से विद्वेषपूर्ण कार्य करने के अलावा और कुछ नहीं करते। उनमें से कुछ में महिलाओं के प्रति घृणा और द्वेष की भावनाएं इतनी गहराई तक भरी हुई होती हैं कि उनके हिंसापूर्ण कार्य का मूल उद्देश्य पीड़ित महिला को अपमानित करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा जा सकता। यदि परिस्थिति ही केवल प्रेरणा का कारक होती तो यह समझना कठिन हो जाता कि जब अधिकांश अपराधी सामान्य व्यक्ति समझे जाते हैं तो हिंसक कार्य करने को क्यों बाध्य हो जाते हैं? कदाचित ऐसे प्रकरणों में पीड़ित को अपमानित करने से जो खुशी की अनुभूति होती है उसे प्राप्त करने की इच्छा उनमें अधिक प्रबध होती है।

परिस्थितिवश हिंसा अथवा अपराध की प्रेरणा

इस श्रेणी में उन प्रकरणों को सम्मिलित किया जा सकता है जहां अपराध न तो पीड़ित के व्यवहार के कारण किया जाता है और न ही अपराधी के मनोरोगात्मक व्यक्तित्व के कारण, अपितु आकस्मिक कारकों के कारण जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं जिनके परिणामस्वरूप हिंसा होती है। उदाहरणार्थ, एक पत्नी के पीटने के कारण के प्रकरण में हो सकता है कि पैसे के मामलों में झगड़ा या पति के माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार के कारण झगड़ा पति को पत्नी के आक्रमण करने के लिए भड़का दे, या बलात्कार के प्रकरण में एक आदमी अकस्मात उसके पड़ोस के गांव की एक परिचित स्त्री से खेत में मिलता है और बातचीत आरंभ कर देता है और अन्ततः उससे अपनी बात मनवाना चाहता है, या एक पुरुष मालिक एक स्त्री कर्मचारी को अपने दफ्तर/कारखाने में शाम ढले अकेला पाकर उसका फायदा उठाता है, या एक युवा लड़की अपने

पिता के घर से भाग जाती है और एक ट्रक में चढ़ जाना स्वीकार कर लेती है और ट्रक का ड्राइवर स्थिति का फायदा उठा कर उसके साथ बलात्कार कर लेता है। इन सब प्रकरणों में अपराधियों ने हिंसापूर्ण कार्य की योजना नहीं बनाई थी, परंतु जब उन्हें परिस्थिति सहायक या उकसाने वाली लगी तो उन्होंने हिंसा का प्रयोग किया। इन हिंसात्मक कागया के अतिरिक्त ये अपराधी विचलित व्यवहार का जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे।

हिंसात्मक व्यक्तित्व की विशेषताएं

हिंसा-प्रवृत्ति के व्यक्तित्व की पहचान करने वाली विशेषताएं अत्यधिक शक्की, वासनामय, प्रभावी, विवेकहीन, व्यभिचारी, आसानी से भावात्मक रूप से अशांत, ईष्याया लु, स्वकेंद्रित और बेइंसाफ आदि हैं। ये विशेषताएं प्रारंभिक जीवन में विकसित हो जाती हैं तथा वयस्कता में एक व्यक्ति के आक्रमणशील व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आक्रामक का बच्चे के रूप में दुर्व्यवहार अथवा बचपन में हिंसा के प्रभाव में आने को उसके हिंसात्मक व्यवहार का अध्ययन करते समय परीक्षण अवश्य करना चाहिए। उदाहरणार्थ, कुछ पत्नी को पीटने वालों के प्रकरण में उनके बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के प्रारंभिक वर्षों के अनुभव यह बतलाते हैं कि उन्होंने सभी भावात्मक रूप से दुखद संकेतों के जवाब रोषपूर्ण एवं हिंसात्मक व्यवहार से देना सीखा। दुखी पारिवारिक जीवन, जिसमें शारीरिक निर्दयता या भयंकर भावात्मक निराकरण रहा हो, अधिकांश आक्रामकों के प्रकरण में यह नियम बन जाता है। कुछ वयस्क आक्रामकों ने अपने बचपन/किशोरावस्था में अपने परिवार में ऐसी परिस्थिति का सामना किया होता है जिनमें उन्होंने सदैव माता-पिता को एक दूसरे पर चिल्लाते हुए सुना और छोटे से छोटे बहाने पर उनके पिता द्वारा उनकी (बच्चों की) पिटाई हुई। अकसर उनके पिता शराब के नशे में धुत घर लौटते और सारे घर में चिल्लाते हुए और चीजों को तोड़ते हुए घूमते रहते हैं। एक हिंसापूर्ण घर में पलने के परिणामस्वरूप व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से व्यवहार हिंसापूर्ण हो जाता है और ये व्यक्ति वयस्क जीवन में आक्रामक हो जाते हैं।

2. हिंसापूर्ण व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या : विचलित तथा हिंसात्मक व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या विभिन्न विचारधाराओं का परीक्षण करके की जा सकती है। हिंसा पर जो सैद्धांतिक बातें सामने आती हैं वे हैं -- क्या हिंसा भड़काने की एक सामान्य प्रतिक्रिया है, या वह किसी मानसिक विकृति को निकालने का एक तरीका है, या वह किसी उद्देश्य या पुरस्कार की प्राप्ति के लिए एक उपकरण है, या वह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो कि उन प्रतिमानों के अनुरूप है जो इसके प्रयोग का समर्थन करते हैं ? इन सबकी व्याख्या में **राम आहूजा** का वैचारिक ढांचा एक समष्टिवादी उपागम पर आधारित है और उसे सामाजिक बंधन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो हिंसापूर्ण व्यवहार को काफी हद तक समझाता है।

मनश्चिकित्सीय विचारधारा आक्रामक के व्यक्तित्व की विशेषताओं को आपराधिक हिंसात्मक व्यवहार का प्रमुख निर्णायक मानकर अपना अध्ययन केंद्र बनाती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक विचारधारा मानती है कि आपराधिक हिंसा को उन बाहरी वातावरण के कारकों, जो एक आक्रामक पर प्रभाव डालते हैं, के विश्लेषण करने से सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। यह मॉडल प्रतिदिन की पारस्परिक क्रियाओं के रूपों (जैसे--तनावपूर्ण परिस्थितियों या परिवार के पारस्परिक क्रियाओं के संरूप) का भी परीक्षण करता है जो हिंसा के पुरोगामी होते हैं। बहुत से सिद्धांत, जैसे--नैराश्य-आक्रमण सिद्धांत, विकृति सिद्धांत, आत्म-अभिवृत्ति का सिद्धांत और अभिप्राय आरोपण सिद्धांत भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्तर के विश्लेषण के क्षेत्र में आते हैं। समाजशास्त्रीय विचारधारा आपराधिक हिंसा का बृहत् स्तर पर विश्लेषण करती है। इनके अतिरिक्त हिंसा की उप-संस्कृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, मानकशून्या (एनोमी) का सिद्धांत और संसाधन सिद्धांत भी सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के क्षेत्र में आते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (अपराध) पर **राम आहूजा** के आनुभाविक अध्ययन में एक नए सैद्धांतिक उपागम को विकसित करने के लिए उनके सामने दो विकल्प थे, एक तो हिंसा जो परिवार के अंदर होती है और हिंसा जो परिवार के बाहर होती है, को अलग-

अलग से लेना और दूसरा, सब प्रकार की हिंसा को सम्मिलित करना और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर एक सिद्धांत बनाना। उन्होंने दूसरे उपागम का उपयोग किया और इसमें उन्होंने **हिरशी**, **शुल्टन** आदि समाजशास्त्रियों और अपराधशास्त्रियों की कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया।

एक व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा आवश्यक रूप से किसी के द्वारा हिंसा और किसी के विरुद्ध हिंसा है। इस तरह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा समझा जाना चाहिए। इसके विपरीत स्थिति में एक समूह के विरुद्ध हिंसा होती है। एक व्यक्ति द्वारा हिंसा में उस (हिंसा) की उत्पत्ति एवं स्वरूप को स्वयं व्यक्ति में और उसकी परिस्थिति में ही निर्धारित किया जाना चाहिए। इस उपागम में एक व्यक्ति के न केवल अन्र्जात व्यवहार का परन्तु उपार्जित व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए। **राम आहूजा** का सामाजिक बंधन उपागम दोनों प्रकार के व्यवहार और सामाजिक संरचनात्मक परिस्थितियों पर विचार करता है। यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार और संरूपों की व्यक्तियों (अपराधियों) में उनके सामाजिक समेजनों, कुंठाओं और सापेक्षिक वंचनों और सामाजिक संरचनात्मक परिस्थितियों में विभिन्नताओं और पीड़ितों की प्रतिरोध क्षमता को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करता है।

भारत में 13 दिसम्बर, 2005 महिलाओं पर घरेलू हिंसा निरोधक विधेयक को अधिनियम के रूप में पारित किया। इसी अधिनियम की धारा-3 में घरेलू हिंसा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

''परिवार में किसी भी बालिका या महिला के साथ पुरुष वर्ग या महिला वर्ग द्वारा किया जाने वाला हर ऐसा कार्य घरेलू हिंसा माना जाएगा जिसमें महिला या बालिका का जीना मुश्किल हो जाए या उसे मानसिक शारीरिक कष्ट हो उनके साथ अमानवीय या क्रूरता करना भी हिंसा माना गया है। दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना महिला वर्ग को कानूनी, सामाजिक, शारीरिक व आर्थिक आवश्यकताओं से वंचित रखना और बच्चा या लड़का ना होने पर व्यंग्य करना या प्रताड़ित करना भी घरेलू हिंसा मानी जाएगी।''

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा-4 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की जानकारी मिले या प्राप्त हो वह संबंधित अधिकारी को सूचना दे सकता है और इसी अधिनियम की धारा 20 में वर्णित है कि मजिस्ट्रेट प्रताड़ित को मुआवजा, कानूनी मदद, सुरक्षित आवास, चिकित्सीय सुविधा आदि का आदेश कर सकता है। जो व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें एक साल की सजा या 20,000 रुपये या दोनों की रूपों में दंडित किया जा सकता है।

घरेलू हिंसा की व्यापकता

हिंसा के विभिन्न रूपों में सबसे घृणित अपराध महिला हिंसा होती है। सामाजिक संरचना के लिए कन्या भ्रूण हत्या है। अब महिला के प्रति हिंसा मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। भारतीय समाज में आज भी कन्या के जन्म को बोझ माना जाता है। वर्तमान समय में आधुनिक साधनों के द्वारा भ्रूण परीक्षण करके कन्या भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 1991 में 1000 के मुकाबले 945 था जो वर्ष 2001 में गिरकर 927 हो गया, जिसका कारण भ्रूण हत्या बताया गया। हमारे देश में 1901 में स्त्री-पुरुष अनुपात 972-1000 था जो 2001 में 933-1000 रह ग्या। इस प्रकार देखा जाए तो भविष्य और भी ज्यादा अंधकारमय है क्योंकि आबादी का यह अनुपात शिशुओं में और भी कम है। एक से छः साल (0-6) के बच्चों में प्रति हजार नर शिशु पर मात्र 927 कन्या शिशु हैं। ये बच्चे जब जवान होंगे तो इनका यह अनुपात और भी कम हो जाएगा क्योंकि लड़कियों की शिशु मृत्यु दर लड़कों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान परिवेश में नारी की नैतिकता का अपहरण, घर-परिवार, कागया लय कहीं पर भी हो सकता है। आज 60 प्रतिशत कार्यकारी महिलाओं एवं 55 प्रतिशत छात्राओं का कहना है कि कार्य स्थल, स्कूल, कॉलेजों में ही उनके साथ यौन-दुर्व्यवहार होना साधारण बात हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की 200 लड़कियों के अध्ययन में पाया गया कि 91 प्रतिशत लड़कियां कैम्पस में होने वाले यौन उत्पीड़न से पीड़ित थीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में प्रत्येक 54वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है जिसमें से मात्र 10 प्रतिशत घटनाओं की ही रिपोर्ट दर्ज की जाती है।

महिला विकास अध्ययन केंद्र (सेंटर फॉन वुमेन्स डवलपमेंट स्टडीज) के अध्ययनों के अनुसार भारत में प्रत्येक 35वें मिनट में 1 बलात्कार अर्थात् प्रतिदिन 42 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। यहीं नहीं भारत की लचर कानून-व्यवस्था की वजह से प्रत्येक 5 बलात्कारियों में से 4 बरी हो जाते हैं।

एक मीडिया अध्ययन के अनुसार दिल्ली में 86 प्रतिशत महिलाएं स्वयं को असुरक्षित मानती हैं।

3. घरेलू हिंसा के प्रकार

घरेलू हिंसा शारीरिक प्रताड़ना मात्र न होकर मानसिक प्रताड़ना में भी शामिल जिसका वर्णन भारतीय दंड संहिता में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। घरेलू हिंसा को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है :

(i) **शारीरिक प्रताड़ना :** घरेलू हिंसा में शारीरिक प्रताड़ना की घटनाएं सर्वाधिक घटित होती हैं। इसमें शरीर को चोट पहुंचाई जाती है जिससे शारीरिक कष्ट होता है और शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान या क्षति होती है जिससे कई बार पीड़ित के मरने तक की आ जाती है। इसे बाहरी तौर पर हम दिखने वाली शारीरिक हिंसा भी कह सकते हैं। इस प्रकार की हिंसा में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर बल प्रयोग किया जाता है। इसमें कई बार किसी भारी वस्तु से चोट करके अथवा धारदार हथियार का भी प्रयोग किया जा सकता है जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार की प्रताड़ना के द्वारा पुरुष महिला को दबा कर रखने और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की नीयत से करते हैं।

(ii) **मानसिक प्रताड़ना :** घरेलू हिंसा में पुरुष द्वारा महिलाओं को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। मानसिक

प्रताड़ना में महिलाओं को डराकर, धमकाकर, उन्हें समाज व परिवार में अपमानित कर, उन्हें आर्थिक रूप से तंग कर इत्यादि तरीकों से महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह की प्रताड़ना के फलस्वरूप महिला के अन्तर्मन पर इतना अधिक असर पड़ता है कि या तो वह महिला अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है या फिर आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाती है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जिस समाज में महिला, शक्ति का रूप दुर्गा, विद्या का रूप सरस्वती, धन का रूप लक्ष्मी, सती, सीता आदि अनेक रूपों में पूजी जाती थी उसी समाज में महिला को अनेक रूप से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है।

4. घरेलू हिंसा के कारण : घरेलू हिंसा एक घोर निंदनीय अपराध है जो भारतीय समाज में ही नहीं वरन् विश्वस्तर पर उग्र रूप से एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :

(i) ऐतिहासिक कारण : प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उन्हें मात्र घर संभालने वाली महिला व पुरुषों की आज्ञाकारिणी बना कर रखा जाता था। शिक्षा ग्रहण ना कर पाने से अथवा बहुत लंबे समय तक शिक्षा से दूर रहने के कारण महिलाएं समाज में बहुत ज्यादा पिछड़ती चली गया और अपने आप को समाज से अलग-थलग महसूस करने लगी जिसमें महिलाएं समाज की मुख्य धारा से कट गया ं। मनु स्मृति के अनुसार महिला जीवन पर्यंत पुरुषों पर आश्रित रहेंगी अर्थात् संपूर्ण जीवन पुरुष द्वारा संरक्षित रहेंगी।

(ii) शिक्षा का निम्न स्तर : शिक्षा के निम्न स्तरीय होने के कारण आजादी के 60 वर्षों बाद भी भारत में महिलाएं मात्र 50 प्रतिशत ही शिक्षित हैं। आज भी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साधन निम्न स्तरीय होने की वजह से महिलाओं में अपने

अधिकारों व हक की जानकारी नहीं हो पाती जिसकी वजह से वे घरेलू हिंसा का शिकार बनती हैं और उस हिंसा को सहन करने से घरेलू हिंसा को और अधिक बढ़ावा मिलता है। वहीं दूसरी ओर पुरुष अपने आप को ताकतवर सिद्ध करने के लिए महिलाओं पर हिंसा और अत्याचार करता है जिसे महिलाएं अपनी किस्मत समझकर सहन करती चली जाती हैं।

(iii) पितृ सत्तात्मक व्यवस्था : भारतीय समाज में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का प्रचलन भी महिलाओं पर घरेलू हिंसा का एक कारण है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पिता के नाम से परिवार का नाम चलता है और घर-परिवार संपत्ति का मालिक पुरुष ही होता है। एक पुरुष से उसके बेटों व फिर उनके बेटों में परिवार की बागडोर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर औरतों को दबा कर रखने के लिए घरेलू हिंसा का प्रयोग किया जाता है। घर-परिवार में निर्णय लेने का हक सिर्फ पुरुषों को ही होता है। परिवार का मुखिया भी पुरुष ही होता है। इस प्रकार समाज में घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था भी एक कारण है।

(iv) आर्थिक आश्रिता : भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पतियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है जिसकी वजह से वे अपने आप को निरीह समझती हैं और उनके साथ जो भी घरेलू हिंसा होती है उसे वे पूर्व जन्मों का फल समझ कर झेलती चली जाती हैं कहीं न कहीं उनके मन में यह भी रहता है कि हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी इन्हीं पुरुषों के द्वारा होती है अतः वे घरेलू हिंसा का विरोध भी नहीं कर पातीं। आर्थिक स्वतंत्रता अथवा अन्य विकल्प ना होने से महिलाएं अपने जीवन यापन के लिए जैसा जीवन मिलता है उसे स्वीकार कर लेती हैं।

(v) **कुरीतियां व परंपराएं** : भारतीय समाज में कुछ कुरीतियां और प्राचीन परंपराएं विद्यमान हैं जिनमें बाल-विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, विधवा विवाह ना होना आदि सामाजिक कुरीतियां प्रमुख हैं जिससे महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। भारत में अनेक समुदायों में बहु-विवाह जैसी पारंपरिक बुराई विद्यमान हैं जिसके चलते अनेक समुदायों में एक पत्नी के जीवित होते हुए भी दूसरी पत्नी रख लेते हैं जो महिला की मानसिक हिंसा में और इजाफ़ा करती हैं। भारतीय समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन अत्यंत गंभीर समस्या बनी हुई है जिससे प्रतिदिन अनेक महिलाओं को जिंदा जला कर मार दिया जाता है इसके अतिरिक्त कन्या भ्रूण हत्या भी एक गंभीर समस्या है जहां कन्या भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है जिससे समाज में दिन-प्रतिदिन महिलाओं की जनसंख्या का ग्राफ घटता चला जा रहा है।

(vi) **लिंगानुपात** : किसी भी देश की सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति इसमें निवास करने वाले महिला/पुरुष के लिंगानुपात, शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर तथा जीवन प्रत्याशा से जानी जा सकती है। जो देश जितना विकसित होगा, उन देशों में ये जनांकिकीय समाकांक उतना ही उत्तम होगा। यदि भारत की स्थिति का अध्ययन किया जाए तो वर्ष 1901 में 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं जो घटते-घटते वर्ष 2001 में 927 हो गया। इसके बाद सरकार द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान के फलस्वरूप यह संख्या सुधर कर 933 हो गई।

तालिका

क्र.सं.	राज्य	अनुपात	राज्य		अनुपात
1.	आंध्र प्रदेश	978	19	नगालैंड	909
2.	अरूणाचल प्रदेश	901	20	उड़ीसा	972
3.	असम	932	21	पंजाब	874
4.	बिहार	921	22	राजस्थान	922
5.	छत्तीसगढ़	990	23	सिक्किम	875
6.	गोवा	960	24	तमिलनाडु	986
7.	गुजरात	921	25	त्रिपुरा	950
8.	हरियाणा	861	26	उत्तर प्रदेश	898
9.	हिमाचल प्रदेश	970	27	उत्तराखंड	978
10.	जम्मू एवं कश्मीर	900	28	पश्चिम बंगाल	934
11.	झारखंड	941	29	अंडमान	846
12.	कर्नाटक	964	30	चंडीगढ	773
13.	केरल	1058	31	दादर नगर हवेली	811
14.	मध्य प्रदेश	920	32	दमन दीव	709
15.	महाराष्ट्र	922	33	दिल्ली	821
16.	मणिपुर	978	34	लक्ष्यद्वीप	947
17.	मेघालय	975	35	पांडिचेरी	1001
18.	मिजोरम	938			

यदि राज्यवार आंकड़ों का अवलोकन किया जाए तो कई राज्यों में यह अनुपात काफी कम देखने में आता है। जैसे चंडीगढ़ में 1991 में यह अनुपात 790 था, जो 2001 में घटकर 773 हो गया। इसी प्रकार हरियाणा में 885 से घटकर 861, दिल्ली में 827 से 821 तथा पंजाब में 882 से 874 हो गया है। मात्र केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां लिंगानुपात 1991 में 1036 से बढ़कर 2001 में 1058 हो गया है। इसके अतिरिक्त पांडिचेरी में 1991

में 989 से बढ़कर 2001 में 1001 तथा तमिलनाडु में 1991 में 974 से बढ़कर 986 हो गया। इस प्रकार लिंगानुपात की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है।

कन्या शिशु लिंग अनुपात

वर्ष	कुल	ग्रामीण	शहरी
1981	962	963	931
1991	945	948	935
2001	927	934	906

भारत में महिलाओं की कुल कमी जो 1991 में 3.2 मिलियन थी, वह 2001 में बढ़कर 35 मिलियन से अधिक हो गया है। इस समस्या से निपटने के लिए कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त अपराधियों की सजा और जुर्माना बढ़ाने की योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'बालिका बचाओ अभियान' की बैठक में प्रधानमंत्री भी इस समस्या के प्रति बहुत संवेदनशील लगे। अभी इस समस्या के लिए 3 साल की सजा और 50,000/- रु. जुर्माना है जिसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। भारत में लैंगिक संतुलन में पांच राज्यों का स्तर अच्छा है जिनके नाम हैं

(1) त्रिपुरा- 966
(2) पांडिचेरी - 967
(3) मेघालय - 973
(4) छत्तीसगढ़ - 975
(5) दादर और नगर हवेली - 979

पांच राज्यों में स्तर शोचनीय है जो इस प्रकार है :

(1) पंजाब - 798
(2) हरियाणा - 819
(3) चण्डीगढ़ - 845

(4) दिल्ली - 868
(5) गुजरात - 883

इस प्रकार महिलाओं पर मांग और पूर्ति का सामान्य सिद्धांत भी लागू नहीं होता। अर्थशास्त्र का नियम है कि किसी चीज की उपलब्धता कम मांग अधिक हो तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसे बहुमूल्य मान लिया जाता है और उसे सम्मानीय पद हासिल हो जाता है। किंतु महिलाओं के संबंध में यह बिल्कुल उल्टा है। जैसे-जैसे महिलाओं की संख्या घट रही है उसका जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। उस पर अनेक अनैतिक प्रकार के शोषण हो रहे है। इसलिए बलात्कार, छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न, अपहरण, हत्या में वृद्धि हो रही है।

लड़कियों की संख्या में हो रही कमी का श्रेय काफी हद तक हमारे डाक्टर भाइयों को भी जाता है। क्योंकि जहां बड़ी संख्या में सोनोग्राफी सेंटर्स हैं और डाक्टरों की सुविधाएं अधिक हैं वहीं सबसे अधिक लड़कियों की संख्या में कमी देखने को मिलती है। आर्थिक रूप से संपन्न शहरों, जिलों और राज्यों में लड़कियों की संख्या लगातार कम हो रही है जैसे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और गुजरात।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक प्रगति और तकनीकी खोज में लोगों को उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को पाने में मदद करने के बजाय उसे नीचे गिराया है यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो कन्या भ्रूण हत्या और इससे उत्पन्न असंतुलन अनेक सामाजिक समस्याएं खड़ी कर देगा जैसे :

- बार-बार कम समयावधि में गर्भधारण करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।
- यदि समाज में महिलाओं की संख्या कम होती गया तो पिछले पांच दशक में प्राप्त आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियां खतरे में पड़ जाएंगी।
- महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा होगी फलस्वरूप इनके विरुद्ध हिंसा तथा आर्थिक और सामाजिक अन्याय में वृद्धि होगी।

- आर्थिक असुरक्षा महिलाओं के रोजगार पर असर डालेगी, साथ ही लड़कियों की शिक्षा में भी कमी आएगी।

5. घरेलू हिंसा के रूप : महिलाओं के प्रति हिंसा समाज में कई रूपों में व्याप्त है। संपूर्ण विश्व में महिलाओं के प्रति हिंसा का आधार सामाजिक व्यवस्था में निहित है। आर्थिक निर्भरता पुरुष पर होने के कारण हिंसात्मक अपराध महिलाओं के लिए और बढ़ जाते हैं। शैक्षिक स्तर काफी कम होने के कारण महिलाओं को अपने अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं होती। सांस्कृतिक और धार्मिक रूढ़िवादिताएं महिलाओं के साथ अलग अथवा सौतेला व्यवहार करने की मानसिकता को बढ़ाती हैं। घरेलू हिंसा, बलात्कार और बाल विवाह द्वारा महिलाओं के सभी मौलिक अधिकारों का हन्न किया जा रहा है।

पत्नी के विरुद्ध हिंसा

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विवाह के मामले में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि पति, जिसके लिए यह समझा जाता है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करेगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, उसे बुरी तरह से पीटता है। एक-स्त्री के लिए उस आदमी द्वारा पीटा जाना जिस पर वह सर्वाधिक विश्वास करती थी, उसके लिए छिन्न-भिन्न करने वाला अनुभव होता है। हिंसा, चांटे और लात मारने से लेकर हड्डी तोड़ना, यातना देना, मार डालने की कोशिश करना और हत्या तक हो सकती है। हिंसा कभी-कभी नशे के कारण भी हो सकती है, परन्तु हमेशा ऐसा नहीं होता। भारतीय संस्कृति में हम बिरले ही पत्नी द्वारा पुलिस से पीटने के मामले की शिकायत करने की बात सुनते हैं। वह मौन रहकर अपमान सहती है और अपना भाग्य मानती है। यदि वह विरोध करना भी चाहती है तो नहीं कर सकतीं क्योंकि उसे डर होता है कि उसके माता'-पिता भी विवाह के बाद उसे अपने घर में स्थाई रूप से रखने को मना कर देंगे।

पत्नी के पीटने की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- पत्नियां जो 25 वर्ष की आयु से कम की होती हैं, उनके उत्पीड़न का अनुपात अधिक होता है,
- उन पत्नियों को, जो अपने पति से पांच वर्ष से अधिक छोटी होती हैं, अपने पति द्वारा पीटे जाने का खतरा ज्यादा अधिक रहता है,
- कम आय वाले परिवारों की महिलाओं का अधिक उत्पीड़न होता है, यद्यपि परिवार की आय से उत्पीड़न को जोड़ना अत्यधिक कठिन है,
- परिवार के आकार और उसकी रचना का पत्नी से कोई परस्पर संबंध नहीं होता है,
- साधारणतया पतियों के पीटने के कारण पत्नियों को कोई गहरी चोट नहीं लगती है,
- पत्नी को पीटने के महत्वपूर्ण कारण हैं--यौन संबंधी असमायोजन, भावात्मक गड़बड़, पति का गर्वित अहम् या हीनभावना, पति का पियक्कड़ होना, ईष्याया तथा पत्नी की निष्क्रिय कायरता,
- पीटने वाले पति के बचपन में हिंसा की विपदग्रस्तता पत्नी के पीटने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है,
- यद्यपि अनपढ़ पत्नियों को शिक्षित पत्नियों की अपेक्षा पति द्वारा पीटे जाने की संभावना अधिक होती है, फिर भी पीटने और पीड़ितों के शैक्षिक स्तर में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, और
- यद्यपि उन पत्नियों का जिनके पति शराबी होते हैं उत्पीड़न का अनुपात अधिक होता है। परंतु यह देखा गया है कि अधिकांश पति अपनी पत्नियों को नशे की हालत में न पीट कर उस समय तक पीटते हैं जब वे पूरे होश-हवास में होते हैं।

विधवाओं के विरुद्ध हिंसा

सब विधवाएं एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं

करतीं। एक विधवा स्त्री ऐसी भी हो सकती है जिसके कोई बच्चा न हो और जो अपने विवाह के एक या दो वर्षों में ही विधवा हो गया हो, या वह ऐसी भी हो सकती है जो पांच से 10 वर्ष के पश्चात विधवा होती है और उसके एक या दो बच्चे पालने के लिए उसके पास हों, या ऐसी हो जो 50 वर्ष की आयु से अधिक हो। यद्यपि इन तीनों श्रेणी की विधवाओं को सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक समंजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पहली और तीसरी श्रेणियों की विधवाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि दूसरी श्रेणी की विधवाओं को अपने बच्चों के लिए पिता की भूमिका भी पूर्ण रूप से अदा करनी पड़ती है। पहली दो श्रेणियों की विधवाओं को जैविक समंजन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इन दो किस्मों की विधवाओं का अपने पति के परिवार में इतना आदर-सत्कार नहीं होता जितना कि तीसरी किस्म का। वास्तव में जहां एक ओर परिवार के सदस्य विधवाओं की पहली दो श्रेणियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वहां दूसरी और तीसरी श्रेणी की विधवा अपने पुत्र के परिवार में मूल व्यक्ति हो जाती हैं क्योंकि उसको अपने पुत्र के बच्चों की देखरेख का और काम पर जाने वाली पुत्रवधु की अनुपस्थिति में खाना पकाने का दायित्व सौंप दिया जाता है। विधवाओं की तीनों श्रेणियों की आत्मछवि और स्वाभिमान भी भिन्न होते हैं। एक विधवा की आर्थिक निर्भरता उसके स्वाभिमान और उसकी पहचान की भावना के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देती है। परिवार की भूमिकाओं में उनके सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा निम्न दर्जा प्रदान किए जाने से उनका स्वाभिमान कम होता है। विधवा होने का कलंक ही अपने आप में एक स्त्री को नकारात्मक रूप से बहुत कुछ प्रभावित करता है और उसका सम्मान अपनी ही दृष्टि में कम हो जाता है।

यदि यहां पर सब प्रकार की विधवाओं को लिया जाए तो कहा जा सकता है कि विधवाओं के विरुद्ध हिंसा में पीटना, भावात्मक उपेक्षा/यातना, गाली-गलौच करना, लैंगिक दुर्व्यवहार, संपत्ति में वैध हिस्से से वंचन और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार आदि सम्मिलित हैं। विधवाओं के विरुद्ध हिंसा की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(1) युवा विधवाओं को अधेड़ विधवाओं की अपेक्षा अधिक अपमानित और तंग किया जाता है और उनका शोषण और उत्पीड़न भी अधिक होता है।

(2) साधारणतया विधवाओं को अपने पति के व्यापार, हिसाब-किताब, सर्टिफिकेटों, बीमे की पॉलिसियों और प्रतिभूतियों के बारे में नहीं के बराबर जानकारी होती है और वे अपने परिवार के बेईमान सदस्यों की धोखेबाजी के षड्यंत्रों की आसानी से शिकार हो जाती हैं और वे (सदस्य) इस प्रकार उनकी विरासत में मिली संपत्ति और जीवन बीमा के फायदों को हड़पने का प्रयास करते हैं।

(3) हिंसा के अपराधकर्ता अधिकांशतया पति के परिवार के सदस्य होते हैं।

(4) उत्पीड़न के तीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में--शक्ति, संपत्ति और कामवासना होती है। संपत्ति मध्यमवर्ग की विधवाओं के उत्पीड़न का मुख्य एवं निर्णायक कारक होती है, कामवासना निम्नवर्ग की विधवाओं के और शक्ति मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग दोनों की विधवाओं के उत्पीड़न निर्णायक कारक होती है।

(5) यद्यपि सास का सत्तावादी व्यक्तित्व और पति के भाई-बहनों का असमंजन विधवा के उत्पीड़न में महत्वपूर्ण कारक होते हैं, फिर भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक विधवा की निष्क्रिय कायरता होता है

(6) आयु, शिक्षा और वर्ग का विधवाओं के शोषण में महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंध दिखाई देता है, परन्तु परिवार की रचना और उसके आकार से उसके कोई परस्पर संबंध नहीं होते।

6. घरेलू हिंसा के निवारण (घरेलू हिंसा रोकने के उपाय)

1. सामाजिक सहयोग : भारतीय परिदृश्य में घरेलू हिंसा को रोकने में सामाजिक सहयोग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समाज को अपनी महिलाओं के प्रति अपनी नकारात्मक सोच को त्याग

कर संयोगात्मक रूप अपनाना चाहिए। विभिन्न सामाजिक संगठनों को घरेलू हिंसा को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आना चाहिए व उन्हें सहयोग करना चाहिए। समाज को इस हकीकत को मानना चाहिए कि आज महिलाओं ने अपने आप को हर क्षेत्र में कार्य करके साबित किया है। आज महिला किसी भी तरह से पुरुषों से पीछे नहीं हैं। राजनीति, उद्योग, व्यवसाय, अंतरिक्ष, खेल, अभिनय, शिक्षा, नौकरी अथवा कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह महिलाएं पुरुषों से बेहतर कार्य कर रही हैं।

2. महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण : घरेलू हिंसा को रोकने का एक कारगर उपाय यह भी है कि महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने से महिलाएं अपने आप को निराश्रित महसूस नहीं करेंगी, वह स्वयं आगे बढ़ कर जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर समाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगी और अपने ऊपर हो रही घरेलू हिंसा का विरोध कर सकेंगी।

3. स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा आत्म-निर्भरता के प्रति जागरूकता : घरेलू हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों को आगे आकर महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने हेतु उनमें जागरूकता फैलाई जानी चाहिए जिसके द्वारा महिलाओं में चाहे वे गांव की महिला हों या शहर की महिलाएं हों, आत्म-निर्भरता आ जाएगी और वे स्वयं घरेलू हिंसा को सहन करना बंद कर देंगी।

4. मनोवैज्ञानिक परामर्श : वर्तमान भारत में बढ़ रही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और सलाह केंद्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज भी भारतीय महिलाओं के मन में पुरुष प्रधान समाज ने उसे प्राचीन परंपराओं, रीति-रिवाजों व आडंबरों की जंजीरों में जकड़ी हुई महिला बना रखा है। इन कुरीतियों से ग्रसित परंपराओं की जंजीरों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता व परामर्श केंद्रों की आवश्यकता

है जिसके द्वारा महिला के मन में घर से बाहर निकलने पर होने वाले डर को निकाला जा सके और उन्हें 21वीं सदी की नारी की बढ़ती ताकत, महत्ता, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली नारी की पहचान कराकर भारतीय समाज में होने वाले घरेलू हिंसा जैसे घृणित कृत्य को रोका जा सकता है।

5. विद्यालय की शिक्षा में महिलाओं के अधिकारों से सबंधित विषयों का समावेश : भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांव में निवासरत है जिसमें से कुल महिलाओं की जनसंख्या का 50 प्रतिशत ही शिक्षित है परंतु विडंबना यह है कि उन्हें अपने अधिकारों से अनभिज्ञता रहती है। आज हमारी विद्यालयीन शिक्षा में ही महिलाओं के अधिकार संबंधी विषयों को समावेशित किए जाने की आवश्यकता है जिससे उन्हें अपने अधिकार संबंधी कानूनों का ज्ञान हो सके। अधिकांश कन्याओं को विद्यालय की शिक्षा समाप्त करते ही उन्हें घर परिवार की जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है और इन जिम्मेदारियों को निभाते-निभाते उन्हें जायज-नाजायज तरीकों से घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता है।

6. शिक्षा के स्तर को उच्च बनाना : भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को उच्च स्तरीय शिक्षा पद्धति बनाकर हम इसके दूरगामी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में उच्च गुणवत्ता वाले विषयों के साथ महिला संबंधी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और गरीबी जैसे विषयों को शिक्षा पद्धति के विषयों का समावेश कर शिक्षा प्रदान कर व आधुनिक संसाधनों का समावेश कर महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार महिलाओं के शिक्षित होने पर वे विश्व परिदृश्य पर अपनी स्थिति अच्छी तरह समझ सकती हैं और अपने (स्त्रियों पर) पर होने वाली घरेलू हिंसा से अपना बचाव कर सकती हैं।

7. घरेलू हिंसा के विरुद्ध पुलिस की भूमिका : महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों को रोकने में पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। विशेषतः महिलाओं के पुलिस में आ जाने से महिला अपने प्रति हो रहे प्रत्येक तरह की घरेलू हिंसा को

उनके समक्ष खुलकर बयान कर सकती हैं। पुलिस को विशेषतः महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा के प्रति सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए जिससे समाज में पनप रहे इस अपराध को जड़ मूल से नष्ट किया जा सके। किसी भी समाज में रहने वाले लोगों की आंतरिक व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस पर रहती है। पुलिस को चाहिए कि जहां कहीं भी घरेलू हिंसा की शिकायत आती है उसकी शीघ्र रिपोर्ट लिखकर तुरंत पीड़िता को कानूनी सहायता मुहैया कराए। आजादी के बाद हमारे पुलिस प्रशासन पर और अधिक सक्रिय होकर कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त कर लागू करने की जिम्मेदारी आ गया है जिससे कि समाज में हो रही घरेलू हिंसा की प्रवृत्ति को कम किया जा सके।

पुलिस को जनता का दोस्त बनकर कार्य करना चाहिए साथ ही सकारात्मक सोच रखकर कार्य करना चाहिए। पुलिस का जनता पर नियंत्रण का तरीका स्नेहपूर्ण एवं मददगार होना चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस पर इतना होना चाहिए कि जनता कानून का निर्वहन करने में पुलिस का सहयोग करे तथा स्वयं अनुशासन में रहे। पुलिस के बिना सुंदर समाज की कल्पना मात्र कल्पना रह जाती है। भारत की पुलिस अपने दायित्वों का निर्वाहन बेहतर ढंग से कर रही है लेकिन परिस्थिति व पीड़ितों के प्रति उसे और अधिक सहयोगात्मक तरीका अपनाना होगा तभी भारतीय समाज से अपराधों में कमी की जा सकेगी।

7. हिंसा की अंतर्राट्रीय एवं राष्ट्रीय तुलना

संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार महिलाओं के प्रति हिंसा मानवाधिकारों की अवमानना है। सन् 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला विश्व सम्मेलन में महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन की नीति के तहत बीजिंग में यह घोषणा की गया। इस सम्मेलन में रोम की विधि व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कोर्ट (आई.सी.सी.) 1998 के अंतर्गत यौन शोषण एवं हिंसा के अंतर्गत-बलात्कार, यौन शोषण संबंधी परतंत्रता, महिला से बलात वेश्यावृत्ति कराना अथवा अनचाहा गर्भधारण इत्यादि भी शामिल किए गए। इस प्रकार बीजिंग में पहली बार महिला के प्रति की जाने वाली हिंसा को आपराधिक

कृत्य मानकर उसके विरोध में कार्रवाई करने का रास्ता खोल दिया गया। सन् 2000 की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा निश्चय ही महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है। ऐसा समझौता हुए कई साल बीत चुके हैं फिर भी महिला के प्रति इन अपराधों में अब तक कमी नहीं आई। बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, महिला और लड़की की देह व्यापार के लिए खरीद-फरोख्त, अनचाहा गर्भधारण, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज संबंधी हिंसा, जननांगों से छेड़छाड़ इत्यादि अपराध अब भी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला के प्रति हिंसा को मानवाधिकार का उल्लंघन माना है।

मामले

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों के महिलाओं के प्रति अपराध के मामले के उदाहरण इस प्रकार है :

मुख्तारन बीबी : जून, 2002 में पाकिस्तान के मीरवाला गांव में मुख्तारन बीबी के 12 साल के भाई का एक ऊंची जाति की महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गांव की पंचायत ने उसे (मुख्तारन बीबी को) उसके भाई के जुर्म की सजा के रूप में चार आदमियों द्वारा बलात्कार की सजा सुनाई। इससे वह अर्द्धवस्त्र/निर्वस्त्र अवस्था में सैकड़ों लोगों के सामने से अपने घर गया। उसके बाद गांव के लोगों ने यह अनुमान लगाया कि मुख्तारन बीबी इस बेइज्जती और लांछन की स्थिति में आत्महत्या कर लेगी। जैसा कि पाकिस्तान में सैकड़ों लड़कियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद किया है परन्तु उसने उस परंपरा को तोड़कर बलात्कारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। परिणामस्वरूप छह लोगों को सजा हुई और जांच में पाया गई कि उसका भाई भी बेकसूर था और उन्हीं लोगों ने उसे अप्राकृतिक यौन शोषण का शिकार बनाया था जिसे छिपाने के लिए झूठा प्रेम प्रसंग का मुद्दा फैला दिया। इस मामले में तो निर्णय मुख्तारन बीबी के पक्ष में हुआ और नुकसान के एवज में जो पैसा मिला उससे गांव में दो स्कूल खोले। एक लड़कों के लिए, दूसरा लड़कियों के लिए महिलाओं के प्रति हिंसा की रिपोर्ट अभी भी बहुत कम होती है। महिलाएं इस तरह की हिंसा की घटनाओं को रिपोर्ट नहीं कराती क्योंकि उन्हें उसकी कार्रवाई पर पूरा यकीन नहीं होता।

पुलिस अधिकतर किसी सर्वजनीन मामले में जल्दी कार्रवाई करती है अन्यथा आम लोगों का मामले दर्ज करने में भी लापरवाही बरतती है। अधिकतर महिलाएं पिता, भाई और पति पर ही आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं। आय के स्रोत न होने के कारण वे वही काम करती हैं जो परिवार के पुरुष कहते हैं और समाज में पुरुष ही पुरुष का व्यवहार बेहतर समझते हैं। अतः वे अधिकतर ऐसे मामले में शिकायत दर्ज नहीं करवाने देते। महिलाएं भावनात्मक स्तर पर परिवार से जुड़ी होती हैं। आधार रूप में वे परिवार जैसी संस्था की धुरी हैं अतः परिवार पर कोई भी आंच न आए इसलिए अधिकतर चुपचाप कोई भी जुल्म सह लेती हैं। बच्चों के संरक्षण और विकास में कोई समस्या न आए इसलिए भी वे मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती। कई देशों ने बलात्कार जैसे मामलों से निबटने के लिए पुलिस, न्यायिक और मेडिकल कर्मचारियों को विशेषरूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति किए जा रहे अत्याचार का सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे जुड़ी संस्थाओं ने किया है जिसके अनुसार 135 मिलियन लड़कियों और महिलाओं के जननांगों को क्षतिग्रस्त किया जाता है और दो मिलियन लड़कियों और महिलाओं को इस अपराध की शिकार होने का डर रहता है। अनुमानतः संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में प्रतिदिन 6000 ऐसे मामले होते हैं। 82 मिलियन लड़कियों का विवाह 10 से 17 के बीच कर दिया जाता है। तब तक वे पूरी तरह बालिग भी नहीं हो पातीं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1997 में बताया कि 28 से अधिक देशों में महिला के जननांगों का क्षतिकरण संबंधी अपराध अब तक किए जाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1996 के सर्वेक्षण के अनुसार 97 प्रतिशत विवाहित महिलाओं को जिनकी उम्र 15-49 के बीच है, जननांगों संबंधी क्षतिकरण के दर्द से गुजरना पड़ता है। 31 अक्टूबर, 2003 के मिडिल ईस्ट टाइम्स के अनुसार ईरान में इस साल 20 वर्ष से कम आयु की 45 महिलाओं की सम्मानार्थ मृत्यु के नाम उनके अपने रिश्तेदारों द्वारा हत्या कर दी गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 2002 में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका सहित

एशियन देशों में स्त्री जननांग क्षतिकरण के मामले दर्ज किए गए। भारत में अनुमानतः हर वर्ष लगभग 15,000 महिलाओं की दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है। ज्यादातर रसोई में आग लगने से दुर्घटना का मामले ही बनाया जाता है। यह सर्वेक्षण इन्जस्टिस स्टडीज के वोल्यूम-1, नवम्बर, 1997 में किया। अधिकतर महिलाएं मारपीट अथवा दुर्व्यवहार के विषय में किसी को आसानी से नहीं बतातीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेनेवा, 2002 में अपने अध्ययन के लिए जब साक्षात्कार लिए तब 20 से 70 प्रतिशत महिलाओं ने दुर्व्यवहार एवं मारपीट के विषय में बताया। दक्षिणी अफ्रीका में मार्च, 2003 में बलात्कार की सजा पाने की दर केवल 7 प्रतिशत है जबकि यह अपराध तीसरे नम्बर पर रिपोर्ट किया गया। मिश्र (इजिप्ट) में 47 प्रतिशत महिलाएं शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने पर भी किसी को नहीं बतातीं। (जनसंख्या अध्ययन 1999 वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन, 2002)। इसी प्रकार चिली में केवल 3 प्रतिशत बलात्कार की महिलाएं इस मामले को पुलिस में दर्ज कराती हैं। अमरीका में 16 प्रतिशत महिलाएं ही बलात्कार जैसे अपराध के विषय में पुलिस रिपोर्ट लिखवाती हैं। इसमें से भी 50 प्रतिशत इस शर्त पर मामले दर्ज कराती हैं कि उनका नाम पता और अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा सार्वजनिक न किया जाए। यह सत्य राष्ट्रीय अपराधग्रस्त शोध और उपचार केंद्र-1992 की रिपोर्ट से सामने आया। आस्ट्रेलिया में भी 18 प्रतिशत महिलाएं शारीरिक रूप से मारपीट के मामले की रिपोर्ट नहीं कराती। बांग्लादेश की स्थिति भी ऐसी ही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2002 की रिपोर्ट के अनुसार 68 प्रतिशत महिलाएं मारपीट के विषय में किसी को नहीं बताती। आस्टिलिया में बलात्कार के दर्ज किए गए मामलों में से केवल 20 प्रतिशत को ही सजा मिली। आयरलैंड में शारीरिक रूप से प्रताड़ित मामले में 1999 में केवल 20 प्रतिशत मामले में महिलाएं पुलिस के पास रिपोर्ट करने गयां। रूस में पारिवारिक और शारीरिक हिंसा के मामले में प्रताड़ित महिलाएं पुलिस और कानूनी अधिकारियों से मदद नहीं लेती और न ही अपराध की रिपोर्ट लिखवाती हैं। यह खुलासा रूस की संस्था अंतर्राष्ट्रीय हेलसिंकी

फेडरेशन महिला मानवाधिकार ने किया। ब्रिटेन (यू.के.) में केवल 13 प्रतिशत महिलाएं ही बलात्कार के मामले में पुलिस को रिपोर्ट करती हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध दिनोदिन बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रत्येक घंटे में दो महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दो महिलाओं का अपहरण किया जाता है, एक महिला के साथ छेड़छाड़/यौन शोषण होता है और सात महिलाएं पति के द्वारा की गया मारपीट अथवा हिंसा की शिकार होती हैं। सन् 2006 के अनुसार आंध्र प्रदेश महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों में नम्बर एक पर है जहां कुल 21484 मामले दर्ज किए गए जो कुल घटनाओं का 13 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है जहां 9.9 प्रतिशत ऐसे अपराध होते हैं।

भारत के 35 ऐसे शहर हैं जहां आबादी एक मिलियन है वहां दिल्ली में कुल 4134 मामले दर्ज होने के कारण 18.9 प्रतिशत के साथ नम्बर एक पर है। वहीं हैदराबाद 1755 मामले दर्ज करके दूसरे स्थान पर है। बलात्कार की घटनाओं में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी 2004 में 2003 के मुकाबले दिखाई देती है। इसी प्रकार 2005 में 2004 के मुकाबले 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और 2006 में 2005 के मुकाबले 5.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार 2006 में 1996 के मुकाबले 30.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दृष्टिगोचर हुई। सन् 2002-2006 तक के समय में 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इन पांच सालों में मध्य प्रदेश में कुल 2900 बलात्कार की घटनाएं हुई जो सबसे अधिक हैं। यह पूरे भारत का 15 प्रतिशत है। भारत में अपराध की दर राष्ट्रीय स्तर पर 1.7 प्रतिशत है जबकि गुजरात में 0.6 प्रतिशत सबसे कम दर है और त्रिपुरा में 5.5 प्रतिशत सबसे अधिक है।

भारत में हर 20 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा के अंतर्गत सताई जाती है। हर 22 मिनट में एक महिला छेड़छाड़ की शिकार होती है। हर 40 मिनट में एक महिला का अपहरण किया जाता है। हर 43 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। हर 50 मिनट में एक महिला का यौन शोषण किया जाता है। हर 106 मिनट में एक महिला की हत्या दहेज के कारण कर दी जाती है।

कुल मिलाकर भारत में हर 5 मिनट में एक महिला किसी न किसी अपराध की शिकार होती है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिला के प्रति हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हिंसा चाहे शारीरिक हो अथवा यौन संबंधी अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ना हो, सभी को शामिल किया जाता है। चाहे वह सार्वजनिक रूप से प्रताड़ना का मामला हो अथवा अकेले में घर में हो सभी मामले परिभाषा में सम्मिलित हैं। इस प्रकार महिला के प्रति हिंसा के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं यौन संबंधी प्रताड़ना, जिसमें मारपीट, लड़कियों का यौन शोषण, दहेज संबंधी हिंसा, विवाह के बाद जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, महिला के जननांग क्षतिकरण, परंपरा से चली आ रही हिंसा, किसी भी प्रकार का शोषण, यौन शोषण कागया लय में, शैक्षणिक संस्थाओं अथवा किसी भी स्थान पर सभी प्रकार का देह व्यापार, जबरन वेश्यावृत्ति इत्यादि शामिल हैं। इन्हें रोकने के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्य होना चाहिए। बलात्कार और उससे संबंधित मिथ इस प्रकार हैं :

1. महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार नहीं किया जा सकता।
2. महिला गुप्त रूप से बलात्कार की इच्छा रखती हैं।
3. अधिकतर बलात्कार के मामले झूठे होते हैं।
4. महिलाएं बलात्कार में तभी रोती हैं जब वे पहले नकारे गए व्यक्ति के द्वारा बलात् संबंध बनाए जाते हैं।

बलात्कार के लक्षण शारीरिक, भावनात्मक और व्यावहारिक स्तर पर इस प्रकार हैं :

गंभीर लक्षण

1. इसके अंतर्गत पीड़ित महिला की याददाश्त में रूकावट होने लगती है अथवा स्मरणशक्ति क्षीण होने लगती है।

2. पीड़ित महिला का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रह पाता। खोई-खोई रहती है अथवा रोने लगती है।

3. पीड़ित महिलाएं अनाप-शनाप बोलने लगती है अथवा बिल्कुल चुप हो जाती है।

शारीरिक स्तर पर बलात्कार के बाद कुछ हफ्तों अथवा महीनों के लिए स्वभाव में चिड़चिड़ापन, नींद ठीक से न आना अथवा पूरी तरह न आना, खाने-पीने का कोई निश्चित समय न होना। **मानसिक स्तर** पर भी कुछ मनोवैज्ञानिक डर अथवा लक्षण देखे जा सकते हैं यथा-डर, गर्भधारण की चिंता, गिरा हुआ अथवा सताया हुआ महसूस करना, किसी पर विश्वास न करना, आपराधिक अथवा स्वयं को दोषी मानना, लज्जा और शर्म की भावना, नियंत्रण खोना अथवा असहाय महसूस करना, क्रोध, चिड़चिड़ापन, गहरी उदासीनता में रहना इत्यादि। इन दोनों स्तरों पर जब इतना कुछ घटित होगा तो **व्यावहारिक स्तर** पर लक्षण भी प्रकट होते हैं। वह महिला बाहर कहीं जाने में स्वयं को असक्त पाती है। वह महिला अकेली नहीं रह सकती और बिना बात के रोने लगती है।

दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था स्वचेतना ने 2000 से 2008 के बीच के समय का आंकड़ों के आधार पर एक अध्ययन किया है जिसके अनुसार 70 प्रतिशत बलात्कार की शिकार महिलाएं सोचती हैं कि बलात्कारी फिर वापिस आकर उन्हें सताएगा। कम से कम 12 प्रतिशत ऐसी महिलाएं दस साल तक किसी से अपने मन की बात नहीं कहतीं और मन ही मन प्रताड़ना सहती हैं। लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं ऊपरी तौर पर यही दर्शाती हैं कि वे बिल्कुल ठीक हैं जिससे कि कोई बलात्कार के विषय में उनसे बात न करें। लगभग 65 प्रतिशत महिलाओं में इस घटना के बाद तनाव रहता है जो लगभग छः माह तक भी रह सकता है। इनमें से 65 प्रतिशत महिलाएं दो साल तक आत्महत्या के विचारों से जूझती रहती हैं। यह रिपोर्ट उन 142 बलात्कार की शिकार महिलाओं द्वारा दिए गए ब्यौरे के आधार पर दी गया जिनका विश्लेषण मनोविज्ञानियों ने किया है। यह ब्यौरा 11 अगस्त, 2008 के टाइम्स ऑफ इंडिया

में प्रकाशित हुआ था।

यौन शोषण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने विशाका और अन्य के राजस्थान कोर्ट के फैसले (1997) के संदर्भ में कहा है कि धारा 14 के अनुसार कानून की नजर में महिला एवं पुरुष दोनों को बराबर अधिकार है और महिला को कहीं भी काम करने का अधिकार तो है साथ ही वहां यौन शोषण न हो ऐसा भी सुनिश्चित किया जाए। काम करने के स्थान अर्थात् कागया लय में यौन शोषण अपराध ही नहीं वरन् अमानवीय अपराध है। इसे अपराध की जगह मानव अधिकार का हनन बनाने से एक विशेष प्रकार का बदलाव न्याय प्रक्रिया में आ जाता है। पहले जहां अपराधी को सजा देने पर पूरा जोर रहता है वहां अब उसे सजा तो देनी ही है साथ ही शिकारग्रस्त महिला का बचाव करना भी उस प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाता है। इससे नियोक्ता को कागया लय में यौन शोषण जैसे अपराध न हो इस बात का न केवल ध्यान रखना है बल्कि ऐसा न हो यह उसका उत्तरदायित्व बन जाता है।

8. घरेलू हिंसा के दुष्परिणाम : घरेलू हिंसा मात्र अपराधी एवं पीड़ित तक ही सीमित ना रहकर उस परिवार में रहने वाले समस्त व्यक्तियों पर भी अपना असर डालती है। इस घरेलू हिंसा का सबसे ज्यादा असर उस परिवार में रहने वाले बच्चों के कोमल हृदय पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा के निम्न दुपरिणाम हैं :--

1. महिलाओं में असुरक्षा की भावना
2. परिवार का विघटन
3. कटु दाम्पत्य जीवन
4. बच्चों के अधूरे व्यक्तित्व का विकास
5. महिलाओं के मानव अधिकारों का हनन
6. स्त्री पुरुष अनुपात में असंतुलन

(i) **महिलाओं में असुरक्षा की भावना** : घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। यह भारत देश का दुर्भाग्य है कि जिस समाज को महिलाओं ने इतना सुंदर बनाया है जिनकी गोद में पल

बढ़ कर राष्ट्र के सभ्य प्रगतिशील नागरिकों का जन्म हुआ है उसी समाज में आज महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा बढ़ती चली जा रही है। अनेक घटनाओं के कारण महिलाओं में असुरक्षा की भावना सदा बनी रहती है। महिला अपने आप को स्वयं के घर में भी असुरक्षित महसूस करती है।

(ii) **परिवार का विघटन** : घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप आज परिवारों का विघटन होता चला जा रहा है। महिलाओं पर सबसे अधिक प्रताड़ना घरेलू हिंसा के रूप में पहुंचाई जा रही है। आज की महिलाएं यदि पुरुषों के साथ बराबरी का कार्य कर सकती हैं तो वे रोज-रोज की होने वाली घरेलू हिंसा को सहन नहीं करती जिसके परिणामस्वरूप परिवारों में विघटन होता चला जा रहा है जिसके फलस्वरूप महिलाओं को एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है जिसे भारतीय समाज भी हेय दृष्टि से देखता है।

(iii) **कटु दाम्पत्य जीवन** : कटु दाम्पत्य जीवन का सवाधिक श्रेय घरेलू हिंसा को जाता है। पुरुष व नारी के बीच दाम्पत्य जीवन तभी सुखी रह सकता है जब स्त्री-पुरुष दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझें व एक दूसरे के विचारों की इज्जत करें। लेकिन भारतीय समाज की विडंबना है कि प्राचीन काल से ही नारी पुरुषों की प्रताड़ना का शिकार बनती चली आ रही है। नारी प्रताड़ना का सबसे खतरनाक रूप घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा की वजह से परिवार में प्रतिदिन कलह का वातावरण बना रहता है जिसकी परिणति यह होती है कि संपूर्ण दाम्पत्य जीवन खुशियों की जगह दुखों से भर जाता है।

(iv) **बच्चों के अधूरे व्यक्तित्व का विकास** : भारत में वैसे भी यह कहा जाता है कि यदि बागीचा अच्छा होता है तो निश्चित ही उसमें सुंदर फूल खिलेंगे। भारतीय समाज में

नारी के प्रति पुरुषों द्वारा की जा रहीं घरेलू हिंसा का असर तो संपूर्ण परिवार, समाज, देश पर पड़ता ही है किंतु घरेलू हिंसा का सवाधिक प्रतिसाद परिवार में रहने वाले बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो माता-पिता के बीच होने वाली घरेलू हिंसा की वजह से उनके कोमल ह्रदय पर इतना आघात पहुंचता है कि वे अपने पिता से घृणा करने लगते हैं और उनमें मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं।

(v) **महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन** : घरेलू हिंसा मानवाधिकारों का हनन भी करती है। महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता व गरिमा का पूर्णतया शोषण होता है। भले ही सैद्धांतिक तौर पर महिलाएं स्वतंत्र व समान हों किंतु उनके प्रति होने वाले घरेलू हिंसा इस बात की परिचायक है कि व्यावहारिक तौर पर वे मानवाधिकारों का उपभोग नहीं कर रही हैं। घरेलू हिंसा के कारण महिलाओं के मानवाधिकारों का भी हनन किया जाता है। इन अधिकारों के हनन में महिलाओं की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना करने, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना, स्वच्छ आवास एवं वस्त्र न मिलना, स्वास्थ्यप्रद भोजन ना कराना जो कि महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन पूर्णरूप से घरेलू हिंसा में देखने को मिलता है।

(vi) **स्त्री पुरुष अनुपात में असंतुलन** : घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप महिलाओं की जनसंख्या निरंतर घट रही है। इस पुरुष प्रधान समाज में पितृ सत्तात्मक पद्धति में पुत्र होना अनिवार्य माना जाता है और पुत्री को आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है जिस कारण कन्या भ्रूण हत्या का चलन जोरों पर है। कन्या को आधुनिक साधनों के परीक्षण के द्वारा दुनिया में आने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है जिस कारण महिलाओं की संख्या का अनुपात दिनों-दिन कम होता जा रहा है।

9. भ्रूण हत्या के कारण और परिणाम

(i) **धार्मिक मान्यता एवं शास्त्रीय कारण** : पौराणिक शास्त्रों, धार्मिक, कहानियों में बालक-पुरुष की महत्ता बताई गया है। पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण वंश वृद्धि के लिए बालक को अति महत्व दिया जाता है ? बालिका को नहीं।

(ii) **दो से अधिक संतान पर सरकारी प्रतिबंध** : इस प्रावधान से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कम तथा कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा अधिक मिला है क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार पुरुष पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है और प्रथम संतान कन्या होने पर दूसरी संतान लड़का चाहते हैं। गर्भ में कन्या होने पर वह हत्या पर आमादा हो जाता है।

(iii) **भ्रूण हत्या की प्रथम दोषी मां** : भ्रूण हत्या कराने में अहम भूमिका मां की है। मां पहले यह जानना चाहती है कि जो संतान (भ्रूण) मेरे गर्भ में पल रहा है वह लड़का है या लड़की। इसकी चाह में वह इससे संबंधित चिकित्सक से मिलती है और भ्रूण का परीक्षण करवाती है। परीक्षण से यदि लड़की पाई जाती है तो गर्भ में ही उसे नष्ट कर दिया जाता है। मां जन्मदायिनी होती है जब एक स्त्री ही कन्या की दुश्मन बन जाएगी तो इस संसार में औरत को कौन बचाएगा ? अतः प्रथम दृष्टि में मां दोषी है जो इस भ्रूण हत्या को रोकने में काफी हद तक सहयोग प्रदान कर सकती है।

(iv) **कन्या भ्रूण हत्या से असंतुलित समाज** : यह तो सभी जानते हैं कि भ्रूण हत्या पाप है। कन्या भ्रूण हत्या और कन्याओं की घटती संख्या वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। यह तो हम लोग प्राचीन समय से ही सुनते चले आ रहे हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती किंतु मौजूदा समय में कन्याएं मां के गर्भ में

भी सुरक्षित नहीं हैं अतः माता स्वयं कुमाता बनने की ओर अग्रसर है।

(v) **पूरा परिवार उत्तरदायी** : आज बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मारा जा रहा है। इस कृत्य में स्वयं उनके मां-बाप शामिल हैं। यहां विचारणीय है कि संसार में आने से पहले ही कन्या भ्रूण हत्या करवा दी गया तो पारिवारिक नातों-रिश्तों में मां, बेटी, बहन, भाभी, ननद, देवरानी, जिठानी और पत्नी आदि रिश्तों का भविष्य क्या होगा ? मनुष्य सुखपूर्वक भोग भोगने की स्वार्थयुक्त सुखों की चाह में अनैतिक नीच से नीच कार्य करने में हिचकता नहीं है।

(vi) **पितृ ऋण से मुक्त होने की सोच** : कन्या भ्रूण हत्या के लिए औरत के पति, सास, ससुर और उसका परिवार जिम्मेदार होता है क्योंकि पति यह चाहता है कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो क्योंकि बेटा पैदा होने से ऐसा माना जाता है कि पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और उसके जन्म पर खुशी प्रकट करता है। जब उस औरत के पति को यह पता चलता है कि मेरी पत्नी के गर्भ में लड़की पल रही है तो वह अपनी पत्नी पर गर्भपात करवाने के लिए दबाव डालता है और भ्रूण हत्या करवा देता है।

(vii) **दादा-दादी की सोच** : इस तरह दादा-दादी भी पौत्र प्राप्ति के लिए बहू को मजबूर कर देते हैं कि उनको केवल लड़का ही चाहिए। उनकी हार्दिक इच्छा यह रहती है कि हमारे लड़की की बजाय लड़का होता है तो धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगा व मृत्यु होने के पश्चात क्रिया-कर्म करने का अधिकार लड़के का ही होता है। दादा-दादी भी कन्या को हीन भावना से देखते हैं।

(viii) **दहेज प्रथा** : दहेज प्रथा कन्या भ्रूण हत्या के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यह एक ऐसी भयानक प्रवृत्ति का नाम है जिसे याद करते ही बेटियों के माता-पिता को भयंकर

झटका लगता है। देखा जाए तो भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण भी यही है। जिस परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है उसमें लड़कियों की संख्या अधिक है तो उस परिवार को जीवन में आर्थिक सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए ऐसे परिवार में कन्या भ्रूण हत्या की अधिक संभावना होती है।

(ix) **अशिक्षा के कारण** : भ्रूण हत्या ग्रामीण क्षेत्र में अधिक होती है जिसमें शिक्षा का अभाव है। लड़कियों को बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। अगर विद्यालय भेजा भी जाता है तो उसको केवल अक्षर ज्ञान या प्राथमिक शिक्षा ही दिलाई जाती है जिससे वह पूर्ण शिक्षित नहीं हो पाती और कन्या भ्रूण हत्या का विरोध नहीं कर पाती। समाज द्वारा व्यंग्य बाण उस औरत को मारे जाते हैं जिसको वह सहन नहीं कर पाती और परेशान होकर पुत्र की चाहत में कन्या भ्रूण की जानकारी मिलते ही उसकी हत्या करवा देती है।

(x) **लिंग अनुपात बिगड़ना** : वर्तमान समय में हो रही कन्या भ्रूण हत्याओं के कारण लड़का-लड़की लिंगानुपात में भारी अंतर हो गया है। फलतः लड़कों के लिए विवाह के लिए लड़कियां ही नहीं होती हैं। हरियाणा में तो लिंगानुपात चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत का भविष्य बहुत भयानक स्थिति तक पहुंच जाएगा। बलात्कार की घटनाएं बढ़ेंगी तथा सुशिक्षित नौकरी पेशा युवाओं के लिए भी लड़कियों का अकाल पड़ जाएगा।

(xi) **मां के स्वास्थ्य हेतु हानिकारक** : मनुष्य अप्राकृतिक कृत्य द्वारा शरीर को क्षति पहुंचा रहा है, धन खर्च कर रहा है, पाप कमा रहा है, शासकीय आदेश कानून के अनुसार सभी सोनोग्राफी सुविधा केंद्रों, नर्सिंग होम पर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए ''यहां किसी भी प्रकार का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है'' के बोर्ड लगा रखे हैं लेकिन वहां सुगमतापूर्वक लिंग परीक्षण किया जाता है और गर्भ में पल

रहे कन्या भ्रूण को नष्ट करवा दिया जाता है।

(xii) **सामाजिक परिवेश दूषित होना** : कन्या भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों की संख्या द्रुतगति से घटती चली आ रही है। उसके विपरीत लड़कों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उचित समय पर लड़कों को जीवन साथी न मिलने पर समाज में बलात्कार, अपहरण, दुराचार, व्यभिचार बढ़ जाता है। आज नारी पुरुषों की अपेक्षा सभी क्षेत्रों में आगे हैं फिर उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इस तरह के सामाजिक परिवेश में ऐसे अपराध पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है।

(xiii) **सदाचार से दुराचरण की ओर** : औरत पर हमारा समाज अत्याचार करता रहेगा उसे इस दुनिया में आने से पहले ही अलविदा करता रहेगा तो समाज में पुरुष नारी का संतुलन बिगड़ जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियों को सदाचार की ओर नहीं दुराचरण की ओर ले जाएगा। समाज का स्वरूप बदल जाएगा जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस विकट समस्या का समाधान करने के लिए आगे आएं और भ्रूण हत्या पर रोक लगाएं। भ्रूण परीक्षण न ही हमें करना है और न ही किसी दूसरे को ऐसा कार्य करने में सहयोग देना है।

10. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपाय

(i) दहेज प्रथा पर पाबंदी

(क) दहेज के बिना कोई लड़का शादी करता है तो उसको राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(ख) जो लड़का या उसका परिवार दहेज की मांग करता है उसका समाज के द्वारा बहिकार कर देना चाहिए।

(ग) जो परिवार दहेज की मांग करता है तो उसे दहेज विरोधी

अधिनियम के तहत कानून के हवाले कर देना चाहिए।

(घ) अगर समाज का कोई बिचौलिया दहेज लेने व दिलाने की मांग करता है तो उसको समाज की ओर से पकड़कर उसका मुंह काला करके जुलूस निकालना चाहिए।

(ड.) अगर सरकारी कर्मचारी दहेज के पक्ष में हो या ऐसा करता पाया जाए तो उसको तुरंत प्रभाव से सेवा से मुक्ति दे देनी चाहिए व किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देना चाहिए।

(च) अगर जिस गांव या शहर में शादी हो रही है और वहां दहेज की मांग हो या दहेज दिया जा रहा हो तो वहां के सभी सरकारी कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी होती है उन दोनों परिवारों को समझाकर दहेज का बहिकार करना चाहिए।

(छ) आर्य समाज विवाह प्रथा का प्रचलन हो सरकार द्वारा ऐसा विधेयक लाया जाए कि विवाह आर्य समाज रीति रिवाज जैसे हों वर-वधु को फूलमाला दें और अन्य वस्तुएं स्वीकार न करने के लिए प्रेरित किया जाए।

(ii) **बेटी कई सामाजिक रिश्तों का आधार :** यह कैसी विडंबना है जिस औरत को हम जननी कहते हैं जो करूणा, दया, प्रेम, ममता और संयम की साक्षात मूर्ति है उसे हमारा यह समाज आने से पहले ही विदा कर देता है। औरत जो कि एक बेटी के रूप में आंखों की ठंडक, मां के पांवों में जन्नत, सुख-दुख में पत्नी और प्रकृति के उपहार में बहन का रूप होती है फिर समाज इसे जन्म से पहले खत्म क्यों करता जा रहा है।

(iii) **बेटा-बेटी को एक समान मानना** : ईश्वर प्रदत्त बेटी एक अनुपम भेंट है। सिर्फ कानून के द्वारा ही कन्या भ्रूण हत्या को रोका नहीं जा सकता। पुराने रूढ़िवादी, परम्परा एवं विचारों में बदलाव लाना होगा। इस युग में बेटे से भी ज्यादा एक बेटी अपने मां-बाप का संबल है फिर भेदभाव कैसा, हमें इस भेदभाव को समाप्त करना होगा।

(iv) **बालिका समृद्धि योजना** : बालिका लिंग में जन्म होते ही केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। वित्तीय सहायता के लिए सरकारों को बालिका संबल कोष की स्थापना करनी चाहिए। कोष में अंशदान राज्य व केंद्र सरकार का हो तथा दान दाताओं का सहयोग लिया जा सकता है। ग्राम व शहरी स्तर पर बालिका समृद्धि समितियों का गठन जाति विशेष के समाजों द्वारा ही जिनमें गरीब-अमीर सभी वर्गों को समिति द्वारा कन्या का जन्म होने पर बालिका के नाम से कम से कम पांच अंकों की राशि न्यूनतम 15 वर्षों के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर अभिभावक को प्रमाण-पत्र दे देना चाहिए। इस राशि के लिए बालिका समृद्धि कोष की स्थापना की जाए। दिल्ली सरकार ने ऐसी ही एक 'लाडली' योजना बनाई भी है।

(v) **गर्भवती महिलाओं का पंजीयन अनिवार्य हो** : अनिवार्य विवाह पंजीकरण की भाति गर्भित महिला का पंजीयन सुनिश्चितता के लिए विधेयक लाया जाना चाहिए जिसमें तीन सप्ताह की गर्भ धारित महिला का पंजीयन आवश्यक हो। पंजीयन न करवाने पर सजा व कारावास का प्रावधान हो जिसमें पति-पत्नी, सास-ससुर की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। आर्थिक दृष्टि से संपन्न न होने पर गर्भवती महिला को राज्य सरकार द्वारा एक माह के अंदर (पंजीयन पश्चात) न्यूनतम चार अंकों में पौष्टिक आहार हेतु आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

(vi) **विवाह पश्चात शपथ ग्रहण** : विवाह पश्चात शपथ ग्रहण हो। सभी धर्मों की रीति-रिवाज से फेरे होने के पश्चात पंडितों, पादरियों, भिक्षुओं, इस्लामिक पुजारियों द्वारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, मठों जैसे धार्मिक स्थानों पर शपथ ग्रहण करवाई जाए कि वे किसी भी लिंग परीक्षण को स्वीकार नहीं करेंगे एवं कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। ऐसा करने से

धर्म परायण व्यक्ति ऐसे कृत्य में सम्मिलित नहीं होगा और कुछ प्रतिशत तक नियंत्रण हो सकेगा।

(vii) **व्यक्तिगत दायित्व का निर्वहन** : प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी परिवार में कन्या भ्रूण हत्या होने पर अपना नैतिक दायित्व समझते हुए तत्काल पुलिस थाने में सूचना देनी चाहिए। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाए। समाज के सभी वर्गों, धर्मों को भ्रूण हत्या के विषय में एकमत होकर यह संकल्प लेना चाहिए कि जो ये कन्या भ्रूण हत्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं उस भ्रूण को बचाने के लिए सभी धर्मों के लोगों को आगे आकर संकल्प लेना है।

(viii) **कन्या भ्रूण हत्या में चिकित्सकों की भागीदारी** : चिकित्सक भ्रूण हत्या में शामिल हैं तो राज्य सरकार व केंद्र सरकार को जनमत जुटाकर विधेयक लाना चाहिए जिसमें चिकित्सकों को कठोर कारावास का प्रावधान हो इसके अलावा उससे शपथ प्रार्थना-पत्र भरवाया जाए कि अपने पेशे के अंदर किसी भी महिला का गर्भपात नहीं करेगा, न लिंग परीक्षण करेगा और भ्रूण हत्या जैसा मामला अपने जीवन में कभी नहीं करेगा। इसके उपरांत भी वह ऐसा कुकृत्य करता है तो उसको निम्नानुसार दण्डित किया जाए :

1. चिकित्सक राजकीय सेवारत है तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए।
2. चिकित्सक अपना निजी चिकित्सालय चलाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना चाहिए।
3. चिकित्सक की डिग्री को न्यायालय द्वारा जब्त कर लेना चाहिए।
4. चिकित्सक के परिवार की महिलाओं को उसके विरुद्ध खुलकर विरोध करना चाहिए।

5. चिकित्सक का उसके समाज में बहिकार कर देना चाहिए जिसमें उसके साथ बेटी रोटी का वास्ता भी नहीं रखना चाहिए।
6. चिकित्सक के खिलाफ कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश पारित करके सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाए कि जो महिला व चिकित्सक इसमें लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ तुरंत एफ.आई.आर. रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और उसके साथ कोई रियायत न बरती जाए।

(ix) **महिलाओं की मानसिकता में बदलाव** : समाज के लोगों, परिवार के सदस्यों, नजदीकी रिश्तेदारों आदि को चाहिए कि भ्रूण हत्या करने वाली महिलाओं को समझाएं कि लड़का लड़की में अन्तर नहीं समझें और लड़की को भी इस जग में आने दें और लड़के की तरह उसका लालन-पालन करें। इस कलयुग में लड़की बड़ी होकर अपने माता-पिता के विषय में सोचती है कि मेरे माता-पिता को क्या परेशानी है। इस समाज में पुत्री को जन्म देकर अपना जीवन सुधारे और पुत्र का मोह छोड़ दें। जब महिला की ऐसी मानसिकता बदल जाएगी तो कन्या भ्रूण हत्याओं पर आसानी से रोक लग सकती है।

(x) **सामाजिक जागृति** : कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सामाजिक जागृति का होना जरूरी है। इसके निवारण के लिए सरकार को चाहिए कि विद्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा भ्रूण हत्याओं के विषय में जानकारी दी जाए। बच्चों को भ्रूण हत्या के विषय में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक माध्यमिक स्तर पर रखे जाएं जो बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें। अगर शिक्षा विभाग के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर सहयोग रहे तो भ्रूण हत्या पर काफी हद तक रोक लग सकती है।

(xi) **मां की सकारात्मक मानसिकता** : कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मां (महिला) को साहसी प्रवृत्ति का होना होगा। यदि उसके परिवार वाले उसके साथ जोर-जबरदस्ती करते हैं तो कानूनी सहायता लेकर कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए महिला को अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए और कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्ण पाबंदी लगाने में सहयोग करना चाहिए।

(xii) **सीमित परिवार की अनिवार्यता :** परिवार छोटा हो तो भ्रूण हत्या पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। उसके लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए कि एक परिवार में हर महिला के उसके केवल दो शिशुओं तक ही जन्म देने का अधिकार हो चाहे वे दोनों बच्चे लड़की ही क्यों न हों। अगर तीसरी संतान यह दम्पति पैदा करना चाहता है तो उसको निम्नानुसार दण्डित किया जाए :

1. तीसरी संतान होते ही उस दम्पति पर प्रति माह कर स्वरूप एक निश्चित राशि लागू कर देनी चाहिए जिसको वह दंड के रूप में प्रति माह राज्य सरकार को चुकाता रहे।

2. अगर वह दम्पति तीसरी संतान पैदा करता है और वह राजकीय सेवारत है तो उसको बर्खास्त किया जाए।

3. समाज, भाईचारे में ऐसा आपस में कड़ा विरोध हो कि यदि अगर किसी दम्पति के तीसरा संतान होती है या वह भ्रूण हत्या करता है तो उसका बहिष्कार किया जाए।

4. जो परिवार दो कन्या ही रखता है तो उस दम्पति

को सरकार की ओर से उनको पढ़ाने लिखाने, शादी करने व सरकारी सेवा देने जैसे प्रावधान किए जाने चाहिए।

जो दम्पति बिना बच्चे के ही अपना नसबंदी आपरेशन (परिवार नियोजन) अपनाना चाहता हो उसको सरकारी सेवा के साथ-साथ वृद्धावस्था जीवन सुखमय व्यतीत हो सके, ऐसा प्रबंध करना चाहिए और उनके लिए ईनाम स्वरूप कुछ धनराशि की भी घोषणा की जाए जिससे लोग प्रेरित होकर ऐसा करें।

(xiii) **चिकित्सक का उचित परामर्श** : कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए महिला, परिवार और चिकित्सक इन तीनों को आपस में विचारों से अवगत होना चाहिए। महिला गर्भपात कराना चाहती है तो उसका पति व परिवार वाले उसको समझाएं कि ऐसा करना कुकृत्य है और फिर भी वे सभी चिकित्सक के पास चले जाते हैं तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह उन सभी को कन्या भ्रूण हत्या के विषय में अच्छी तरह समझाए और उस महिला को बताए कि आपके लिए तो लड़का-लड़की दोनों एक जैसे ही हैं। आप दोनों में फर्क मत समझो और अगर लड़की को आप जन्म देती हैं तो यह तो और भी बहुत अच्छा है क्योंकि लड़की ही हम सब की जननी है लड़की ही परिवार बढ़ाती है एक घर से दूसरा घर बसाती है उसके ऊपर कई जिम्मेदारी होती हैं इस प्रकार चिकित्सक कन्या भ्रूण हत्या रोकने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है।

(xiv) **चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण** : कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए समय-समय पर निजी चिकित्सालयों को उनके द्वारा जितनी सोनोग्राफी या प्रसव जांच महिलाओं की की गया उनका पूर्ण रिकार्ड होना चाहिए और उस रिकार्ड की राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दल

गठित करके उसकी जांच करवानी चाहिए जिससे उनको यह भय बना रहेगा कि अपने नर्सिंग होम की कब जांच हो जाए और जांच में एबोर्शन या कन्या भ्रूण हत्या का विषय पाया जाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए जो भ्रूण हत्या पर रोक लगने में सहायक होगी।

(xv) **संस्थाओं व कर्मचारियों का नैतिक दायित्व** : कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सभी राजकीय कर्मचारी व निजी संस्थाओं के कर्मचारी सभी पूरे ह्रदय, दिल-दिमाग से इस कार्य को पूर्ण लगन से अपने मन मंदिर में उतारे। अपनी-अपनी संस्थाओं में नियुक्त महिला कर्मचारियों से जिसके केवल लड़कियां ही हैं उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दें कि हमारे लड़का नहीं है और उनको प्रत्येक कार्य में वरीयता प्रदान करे प्रत्येक कार्य में उनका हौसला बढ़ाएं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों सहित समय-समय पर कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में रैलियां निकालें जिससे भ्रूण हत्या पर रोक लग सकती है।

(xvi) **पौराणिक कथाओं में नारी का स्थान** : भारतीय प्राचीन संस्कृति में वैदिक परम्परा एवं चिंतन में स्त्री का गौरवमयी स्थान है। सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी का अवतार बताया है इन सब में इनको पूजा और सम्मान दिया जाता रहा है। हमारे देवी देवताओं के नाम सीताराम, उमाशंकर, राधेश्याम में भी देवी के नाम को पहले रखा गया है। लड़की (औरत) की अहम भूमिका होती है। हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार कन्या को सर्वप्रथम पूजा जाता है जैसे नवरात्रों में प्रतिदिन कन्या के रूप में देवी की उपासना की जाती है और देवी को प्रसन्न किया जाता है।

एक कथा के अनुसार एक समय भगवान शंकर ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था और सृष्टि का निर्माण कन्या बिना अधूरा है। एक बार राक्षस भस्मासुर से भगवान शंकर का पीछा छुड़वाने के लिए

स्वयं विष्णु ने स्त्री का रूप धारण करके शंकर भगवान का उससे पीछा छुड़वाया था और उस राक्षस को उसी के द्वारा भस्म कराया था। ऐसी कई कथाएं हैं जिससे नारी जाति से पुरुष वर्ग ने लाभ उठाया है। स्त्री के बिना जीवन अधूरा है।

(xvii)**विवाह संबंध तय करने में लड़की की राय जानना :** हमारी सामाजिक स्थिति पर विचार किया जाए तो यह देखने में आया है कि औरतों के प्रति हीन भावना में वृद्धि हो रही है। लोग औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं तथा सगाई के समय लड़कों द्वारा पसंद की गया लड़की के साथ ही उसका विवाह कर दिया जाता है। उसमें लड़की की राय नहीं पूछी जाती है कि लड़की भी उस लड़के से विवाह करना चाहती है या नहीं। मैं केवल ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं कर रही हूं जहां शत-प्रतिशत ऐसा ही होता है। बल्कि बड़े शहरों में भी कुछ फीसदी ऐसा ही होता है जबकि इस विषय में दोनों को बराबर का अधिकार होना चाहिए।

(xix)**उपलब्धियों के शिखर छूती महिलाएं :** हमारे देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हुई हैं जो हमारे लिए आदर्श हैं यथा श्रीमती इन्दिरा गांधी जी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थीं, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) की सदस्य थीं। विदेश नीति के क्षेत्र में सरोजनी नायडू पुलिस विभाग में श्रीमती किरण बेदी, अन्तरिक्ष यात्रा में कल्पना चावला, खेल के क्षेत्र में उड़नपरी के नाम से प्रसिद्ध पी.टी. ऊषा, भारोत्तोलन के क्षेत्र में कर्णम मल्लेश्वरी, स्वतंत्रता प्राप्ति में रानी लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी सहगल, मानव सेवा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा, साहित्य के क्षेत्र में कवियित्री महादेवी वर्मा, संगीत के क्षेत्र में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, पर्वतारोहण के क्षेत्र में बिछेन्द्री पाल। यह सब महिलाएं हमें याद दिलाती हैं कि नारियां पुरुषों से कम

नहीं हैं। नारी के बिना समाज की प्रगति नहीं हो सकती है।

अतः पुरुष की गति भी नारी के बिना नहीं होती है। यदि महिलाओं का आदर होता है तो समाज और देश का कल्याण होता है और जहां महिलाओं का अनादर होता है उस देश और समाज का सर्वनाश हो जाता है।

(xix) **बेटी दो बेटी लो की नीति :** सामाजिक व कानूनी स्तर पर बेटी दो बेटी लो का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए जिसके तहत उस परिवार के लड़के ही ब्याहे जाएंगे जिस परिवार में बेटी हो या जिस परिवार में संयोगवश पुत्री न हो तो वह अपने किसी नजदीकी संबंधी की पुत्री को अपनी पुत्री मानकर उसका विवाह करवाकर, अपने पुत्र का विवाह कर सकता है। यदि यह सिद्धांत चरितार्थ किया जाए तो फिर कन्या भ्रूण हत्याओं का मामला न के बराबर हो जाएगा।

(xx) **प्रचार माध्यमों द्वारा जागृति** : वर्तमान युग में मीडिया का प्रभाव बहुत सशक्त है। इस विज्ञान के युग में इलैक्ट्रोनिक मीडिया जैसे--दूरदर्शन, रेडियो इत्यादि के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या के दुपरिणामों को आम आदमी तक पहुंचाया जाए। इस प्रकार यह जन आंदोलन के रूप में प्रचारित करके जनचेतना से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है।

11. पीड़ितों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं : किसी भी परिवार की धुरी महिला होती है। उसकी स्वास्थ्य स्थिति का सीधा प्रभाव परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। यदि घर की महिला स्वस्थ है तो उसके बच्चे भी स्वस्थ होंगे और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक स्वस्थ महिला ही अपने परिवार की देखभाल व पोषण जरूरतों की पूर्ति अच्छे ढंग से कर सकती है। इसलिए महिला स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं पर मां, पत्नी, बहन व बेटी के रूप में जीवन में अनेक

जिम्मेदारियों के निर्वहन का दायित्व होता है। स्वस्थ महिला स्वस्थ संतान को जन्म देकर स्वस्थ व खुशहाल भावी पीढ़ी का निर्माण करती है। स्वस्थ महिला परिवार व राष्ट्र के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके बावजूद हमारे देश में महिला स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ व एन.एच.एफ.एस.-3 के आंकड़ों तथा गैर-सरकारी संगठनों की शोध रिपोर्टों के निष्कर्षों के अनुसार हमारे यहां महिलाओं का स्वास्थ्य देश के आम नागरिकों की तुलना में कहीं अधिक निम्न स्तरीय है। भारत में महिलाएं लिंगभेद का शिकार होने के कारण बचपन में ही कुपोषण से ग्रस्त हो जाती हैं। कुपोषण का अर्थ है कि आहार में सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेटस और चर्बी का न होना। जब ये तत्व उचित मात्रा में नहीं होते तो शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में महिलाएं कुपोषण का शिकार होती हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है, लेकिन जब महिलाओं को अपूर्ण भोजन प्राप्त होगा, शरीर के विकास के लिए उचित मात्रा में केलोरी भी प्राप्त नहीं होगी, तो महिलाओं का शारीरिक विकास नहीं होगा। ऐसी स्थिति में महिलाओं के मानसिक विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। महिलाओं को भुखमरी व कुपोषण का सामना निम्नलिखित कारणों से करना पड़ता है :

- भारत में गरीबी
- अन्न उत्पादन के मुकाबले अधिक जनसंख्या के कारण
- परिवार में महिला का निम्न स्तर
- रूढ़ियां और परंपराएं

इस कुपोषण का महिला के स्वास्थ्य पर कैसे विपरीत प्रभाव पड़ता है इसे कुपोषण के चक्र द्वारा समझा जा सकता है-

इसके बाद भी पुरुषों की तुलना में वे दुगुने कार्यबोझ से दबी होती हैं जो उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक बदतर बनाता है। महिलाओं का विकास निम्नलिखित रूप से अवरूद्ध हो जाता है :

- भुखमरी व कुपोषण से महिला का शारीरिक विकास नहीं

महिलाओं पर कुपोषण का प्रभाव

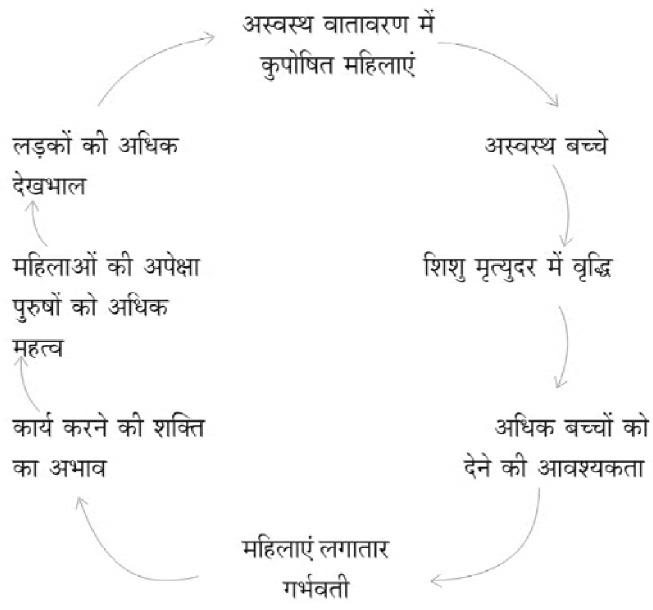

होता, इससे महिलाओं को मानसिक विकास भी रूक जाता है।

- महिलाओं में खून की कमी, अशक्ति, क्षय आदि बिमारियां हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं की औसतन आयु कम हो जाती है।
- मातृत्व प्राप्त करने के दौरान कुपोषण होने से महिला की मृत्यु दर बालशिशु की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।
- मातृत्व के दौरान कुपोषण होने पर बालशिशु को उचित मात्रा में स्तनपान नहीं करा पाती, जिससे बच्चे भी कुपोषण से प्रभावित होते हैं।

- महिलाओं को परिवार को चलाने के लिए अनेक अनौपचारिक कार्य करने पड़ते हैं लेकिन कुपोषण व भुखमरी की स्थिति में वह बच्चों का, परिवार के अन्य सदस्यों का पालन-पोषण नहीं कर पाती व उसके ऊपर कार्य का बोझ बढ़ जाता है।
- महिलाएं केवल भोजन जुटाने में ही कार्यशील रहती हैं, इससे वे शिक्षा व जीवन के अन्य वस्तुओं पर ध्यान नहीं दे पाती, जिससे महिलाओं का मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक, मानसिक व सामाजिक समृद्धि से हैं, न कि बिमारियों की अनुपस्थिति से। इसका मतलब है कि केवल शरीर के स्वस्थ होना ही नहीं, बल्कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो और हम अपने स्वस्थ कागया से जीवन व्यतीत करके अपने परिवार, पड़ोसी व दूसरे समुदायों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। विश्व में सभी पुरुष, महिलाएं व बच्चों को आरोग्य संबंधित सेवाएं प्राप्त करवाने की घोषणा की लेकिन ध्यान से देखा जाए तो विश्व की आधी जनसंख्या(महिलाएं) इससे आंशिक रूप से ही लाभान्वित हुई हैं। अधिकांशः देखा गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके लिए महिला का सामाजिक स्तर व आर्थिक स्तर पर भी जिम्मेदार हैं। परिवार में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परिवार का पालन-पोषण उनकी आय पर निर्भर है, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य की अवहेलना करने से अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे, पुरुष व पूरा परिवार प्रभावित होता है क्योंकि महिलाओं की उत्पादन शक्ति में सीधा संबंध न होते हुए भी वे बच्चों के जन्म व पालन-पोषण का काम करती हैं। कृषिका काम करके अन्न उत्पादन करना व उसे पकाने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तुओं को बनाती हैं, जिनका आय से सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन वे जीवनयापन के लिए अति आवश्यक होती हैं।

महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान न देने के कई कारण दिखायी

देते हैं जो निम्नलिखित हैं :

- ग्रामीण व शहरी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी मात्रा में कमी है। प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर ही कम खर्च किया जाता है। जिसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
- गर्भावस्था व प्रसूति के समय आरोग्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था का अभाव पाया गया है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में। जिसके कारण महिलाओं के खराब स्वास्थ्य व उनकी मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।
- उचित निवास स्थान व स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण व मल निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण महिलाओं का स्वास्थ्य निम्नस्तर को प्राप्त हुआ है।
- ग्रामीण महिलाओं को मल-निकास के लिए दूर-दूर चलकर जाना पड़ता है। जिसके कारण वे अधिक कार्य के बोझ से इसकी अवहेलना करती हैं और इससे वे कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाती हैं।
- गरीबी के कारण वे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती। कुपोषण व भुखमरी भी उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं।
- परिवार में महिलाओं व लड़कियों के स्वास्थ्य पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़का बड़ा होने पर परिवार की देखभाल करेगा और परिवार की आय का स्रोत बनेगा, इसलिए उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार की विचार धारा लड़कियों के बुरे स्वास्थ्य की जिम्मेदार हैं।
- शिक्षा की कमी भी महिलाओं के बुरे स्वास्थ्य की जिम्मेदार हैं। महिलाएं अशिक्षा के कारण परिवार व स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारियों से अनभिज्ञ रहती हैं, जो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं।

12. महिला स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

- **लिंगभेद व महिला स्वास्थ्य** : हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षाकृत निम्न दर्जा प्राप्त है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण व देखरेख जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता है, इसका सीधा विपरीत प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। लैंगिक भेदभाव के ही कारण हमारे परिवारों में महिलाओं की सबसे बाद में खाने की परम्परा सदियों से चली आ रही है, इसके कारण प्रजनन आयु की 80 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं। लैंगिक भेदभाव से महिला का शारीरिक स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।
- **महिला हिंसा व महिला स्वास्थ्य** - हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की पिटाई एक सामान्य बात है। आश्चर्य तो यह है कि लोग महिलाओं की पिटाई व उत्पीड़न को एक सामाजिक अभिशाप न मानकर मात्र एक सामान्य घटना मानते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों के अनुसार भारत में घरेलू हिंसा की शिकार लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। हिंसा की शिकार महिला के मानसिक आघात, फ्रैक्चर, चोटें, रक्तस्त्राव, गर्भपात, विकलांगता आदि कुछ भी हो सकता है।
- **यौन शोषण, उत्पीड़न व महिला स्वास्थ्य** - यौन शोषण व उत्पीड़न महिला स्वास्थ्य को गहरी चोट पहुंचाता है। 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध' के संबंध में जारी एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार और 43 मिनट में एक महिला का अपहरण होता है। यौन शोषण व बलात्कार के कारण महिला को प्रजनन संक्रमण, प्रजनन अंग-भंग, रक्तस्त्राव, चोटें, एड्स व मानसिक दुाष्प्रभाव जैसे अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, स्वयं की नकारात्मक छवि आदि हो सकता है।
- **महिला साक्षरता व महिला स्वास्थ्य** - शिक्षा व स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध हैं। निरक्षर महिला अपने व स्वयं के

बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जानकारी के अभाव में कम जागरूक होती हैं तथा साथ ही वह विभिन्न तरह की मिथ्या धारणाओं, अंधविश्वासों, व कुरीतियों की जल्दी शिकार हो जाती हैं, परिणामस्वरूप उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

- **बाल विवाह और महिला स्वास्थ्य** - हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 18 वर्ष से कम उम्र में ही लड़कियों का बड़ी संख्या में विवाह किया जाता है। कम उम्र में विवाह से 20 वर्ष से कम आयु में ही वे गर्भवती हो जाती हैं और जब उनकी उम्र मां बनने की होती है, तब तक कई बच्चों की मां बन चुकी होती हैं। कम उम्र में वे मातृत्व बोझ व बच्चों की देखरेख में सक्षम नहीं होती हैं। बाल विवाह के कारण महिला स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके कारण मातृ मृत्यु, मृत शिशु, गर्भपात, कम वजन का शिशु या अपरिपक्व शिशु, रक्ताल्पता व अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं।
- **गरीबी व महिला स्वास्थ्य** - गरीबी के कारण परिवार में महिलाओं को पोषक तत्व युक्त आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है। गरीबी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव परिवार में महिला पर ही पड़ता है। उन्हें गर्भावस्था व प्रसव के समय आवश्यक देखरेख की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इस कारण बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं कुपोषण व रक्ताल्पता से ग्रस्त हो जाती हैं। खराब आर्थिक स्थिति के कारण महिलाएं शारीरिक व यौन उत्पीड़न का शिकार भी हो जाती हैं। कभी-कभी कामगार गरीब महिलाओं को जबरन सहवास और इससे अवांछित गर्भधारण व यौन रोगों के संक्रमण का शिकार होना पड़ता है। कुछेक महिलाएं गरीबी के कारण ही विवशता में देह व्यापार के दलदल में फंस जाती है।
- **अत्यधिक कार्यबोझ व महिला स्वास्थ्य** - भारत में महिलाओं के ऊपर दोहरा कार्यबोझ होता है। वे घरेलू कामकाज के साथ कृषि पशुपालन से जुड़े कार्य भी करती हैं। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार कठोर परिश्रम करने वाली ग्रामीण

महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 3000 कैलोरी तथा मध्यम श्रेणी का कार्य करने वाली महिला को लगभग 2250 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है जबकि भारतीय महिलाओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से औसतन 1700-2000 कैलोरा ही प्राप्त होती है। दैनिक शारीरिक आवश्यकताओं से कम कैलोरी ग्रहण करने से न केवल उनकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वरन् उनका शारीरिक- मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।

- **प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच व अनुपलब्धता तथा महिला स्वास्थ्य** - भारत में महिलाओं में स्वास्थ्य की अधिकांश समस्याएं प्रजनन से संबंधित हैं। शिक्षा की कमी के कारण अज्ञानता व जागरूकता के अभाव, गरीबी व पुरुषों के ऊपर निर्भरता, पर्दाप्रथा, परिवार के लोगों की गर्भवती के प्रति कम संवेदनशीलता के कारण ग्रामीण महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं हो पाती है। कम उम्र में विवाह तथा बार-बार गर्भधारण के कारण गर्भवती की स्थिति और अधिक विकट हो जाती है।

13. महिलाओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और बचाव के लिए जागरूकता

क. व्यक्तिगत अस्वच्छता और शौचालयों की **अनुपलब्धता व महिला स्वास्थ्य** : भारत जैसी सघन आबादी और गरीब देश में महिलाएं व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति कम सहज रहती हैं क्योंकि या तो वे निरक्षर हैं अथवा वातावरण ऐसा है कि वहां स्वच्छता का महत्व स्वीकारा नहीं जाता है। यही कारण है कि भारत में 80 प्रतिशत महिलाएं प्रदर(ल्यूकोरिया) रोग से पीड़ित हैं। दुःख का विषय यह है कि उत्तर भारत में प्रौढ़ महिलाएं प्रदर को रोग न मानकर एक सामान्य बात समझती है। इस रोग के कारण महिलाएं पेट व कमर दर्द, कमजोरी तथा चिड़चिड़ेपन की शिकार होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और शहर की गंदी बस्तियों में आज भी लोग पक्के मकान तो बनवा

लेते हैं, लेकिन शौचालय व स्नानघर नहीं बनवाते, फलतः शौच रोकने व खुले में उचित ढंग से स्नान न कर पाने के कारण महिलाओं को अनेक प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

ख. अनैतिक व्यापार अथवा वेश्यावृति का पीड़ित महिला के स्वास्थ्य पर प्रभाव

- शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं
- इन समस्याओं में शामिल हैं :
  - (1) परिवार नियोजन न करना
  - (2) लगातार बलात्कार होना
  - (3) शारीरिक दुराचार और
  - (4) अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जैसे एच.आई.वी.

ग. बाल विवाह का स्वास्थ्य पर प्रभाव

- स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा
- एच.आई.वी. जैसे जीवन को खतरे में डालने वाले रोग
- रक्त अल्पता जो छोटी उम्र में विवाह के कारण जल्द ही गर्भधारण अथवा गर्भपात के कारण होती हैं
- अन्य स्त्री-रोग अथवा रतिजनित रोग
- 15 से 19 वर्ष तक की आयु में युवा महिलाओं की मृत्यु कच्ची उम्र में गर्भधारण के कारण होती है।

घ. **यौन शोषण अथवा उत्पीड़न के प्रभाव** : इस अत्याचार से पीड़ित महिला यौन संक्रमण की शिकर हो सकती हैं। यौन क्रिया के दौरान शारीरिक संसर्ग से इस प्रकार का संक्रमण होने की संभावना रहती हैं। धीरे-धीरे संक्रमित व्यक्ति से दूसरे को फैल जाता है। इस प्रकार के संक्रमित रोग से पीड़ित महिला से गर्भस्थ शिशु को भी यह रोग लग सकता है। इससे बचाव के लिए संसर्ग/संभोग के समय निरोध/कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। संसर्ग के बाद हाथों और जनांनागों को साबुन अथवा डिटोल से अच्छी तरह साफ करना चाहिए।

महिला पीड़ितों की प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में एच.आई.वी. और कैंसर प्रमुख हैं इनके विषय में थोड़ी विस्तृत जानकारी इन महिलाओं को इनसे बचने में सहायता करेगी।

एच.आई.वी

- एच.आई.वी. का अर्थ है ह्यूमन इम्यूनो डेफिसियेंसी वायरस अर्थात मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता कम करने वाला वायरस।
- यह वायरस मनुष्य के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य में रोगों से लड़ने की जो स्वाभाविक क्षमता होती है वह कमजोर हो जाती है और वह सामान्य संक्रमणों जैसे तपेदिक, निमोनिया, अतिसार आदि का शिकार हो जाता है। एच.आई.वी. संक्रमण की अन्तिम अवस्था एड्स है जिसमें मनुष्य की मृत्यु हो जाती है।

एड्स क्या है ?

एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियेंशी सिंड्रोम।

एक्वायर्ड	:	जो वंशानुगत न हो
इम्यून	:	संक्रमणों से लड़ने का मनुष्य के शरीर का रक्षा तंत्र
डेफिशियेंशी	:	प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर करना
सिड्रोम	:	लक्षणों का समूह

एच.आई.वी. संक्रमण के चरण

चरण 1 (प्राथमिक/गंभीर संक्रमण) : संक्रमण के समय प्रारंभ होता है और तब तक रहता है जब तक शरीर की प्रारंभिक प्रतिरोधक प्रणाली वायरल पुनरावृत्ति पर कुछ काबू पा ले (कुछ सप्ताह का समय)। यह अत्यंत संक्रमणनीय काल है। इस काल में, रक्त परीक्षण में एच.आई.वी. एंटी-बाडीज की उपस्थिति नहीं आएगी।

चरण 2 (अ-लाक्षणिक) : इस चरण में, रक्त में एंटी-बाडीज की उपस्थिति मालूम की जा सकती है। संक्रमित व्यक्ति चिकित्सीय आधार पर स्वस्थ रहता है और उसमें किसी प्रकार के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। यह अ-लाक्षणिक अवधि 3 मास जैसे कम समय से 15 वर्ष तक की हो सकती है, इस पर निर्भर करते हुए मरीज की प्रतिरोधक क्षमता कितनी है।

चरण 3 (लाक्षणिक) : प्रतिरोधक कोशिका प्रणाली के समूह को एच.आई.वी. नष्ट कर देता है। नई कोषशिकाएं बनने की दर नष्ट हुई कोशिकाओं के मुकाबले कम होती हैं। इन कोशिकाओं की कमी के फलस्वरूप व्यक्ति के विभिन्न संक्रमणों जैसे तपेदिक, केंडीडियासिस, विसर्पिका(हरपीज) आदि से ग्रसित होने की संभाव्यता बढ़ जाती है। यह एच.आई.वी. संक्रमण के अंतिम चरण अर्थात् एड्स की शुरूआत है।

एच.आई.वी/एड्स कैसे फैलता है?

इसके फैलने के तरीके ये हैं :

- किसी एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति के साथ अ-रक्षित यौन संबंध।
- एच.आई.वी. से संक्रमित सुइयों का प्रयोग।
- एच.आई.वी. संक्रमित खून चढ़ाया जाना।
- गर्भावस्था में, प्रसव के समय या स्तन-पान कराने में एच.आई.वी. संक्रमित मां से बच्चे को संक्रमण हो जाना।

एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम

- रोकथाम के क, ख, ग : क- संयम बरतना; ख- अपने भागीदार के प्रति वफादार रहना; ग- कंडोम का प्रयोग करना।
- केवल परीक्षित (एच.आई.वी. मुक्त) खून या खून उत्पादों का प्रयोग करना।
- केवल नई/निष्कीटित सुइयों का प्रयोग करना।
- माता-पिता से बच्चों को संक्रमण रोकने की सेवाओं का

उपयोग करना।

- यौन प्रेषित संक्रमणों/प्रजनन मार्ग संक्रमणों का शीघ्र और उचित उपचार कराना।

इनसे एच.आई.वी. नहीं फैलता

- किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने, हाथ मिलाने, आलिंगन करने से।
- मच्छरों के काटने से।
- किसी संक्रमित व्यक्ति का बर्तन प्रयोग करने, उसके साथ खाना खाने, उसके कपड़े पहनने या उसी शौचालय का प्रयोग करने से।
- किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टेलीफोन, कंप्यूटर अथवा अन्य उपकरण का प्रयोग करने से।
- एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करने से।
- छींकने या खांसने से।
- रक्तदान करने से।

एड्स के लक्षण

- शरीर के वजन का 10 प्रतिशत वजन कम हो जाना।
- एक मास से अधिक बुखार चलते रहना।
- एक मास से अधिक अतिसार (दस्त) रहना।
- एक मास से अधिक लगातार खांसी बने रहना।
- त्वचा पर खुजलाहट होने संबंधी समस्याएं।
- मुख और गले में सफेद चकतियां।
- गिल्टियों की लम्बे अरसे तक चलने वाली चुभन आदि।

कैंसर क्या है?

कैंसर ऐसे अनेक संबंधित रोगों का समूह है जो कोशिकाओं से प्रारंभ होते हैं। कोशिकाएं जीवन की आधारभूत इकाई हैं। सामान्यतः जब शरीर को और कोशिकाओं की आवश्यकता होती है तो कोशिकाएं बढ़ती हैं तथा और अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करने

के लिए विभाजित हो जाती हैं। यह व्यवस्थित प्रक्रिया शरीर को स्वस्थ रखती हैं, किंतु कभी-कभी कोशिकाएं तब भी विभाजित होती रहती हैं जबकि नई कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। इन अतिरिक्त कोशिकाओं से तन्तुओं का एक पुंज बन जाता है जिसे ट्यूमर(फोड़ा) कहते हैं। ट्यूमर हमेशा घातक नहीं होता। दुर्दभ्य ट्यूमर कैंसर होता है।

कैंसर के लक्षण

- शरीर में पुंज बन जाना या सूजन।
- ऐसा घाव जो भरे नहीं।
- तिल या मस्से में हाल ही में आया परिवर्तन।
- असाधारण रक्तस्त्राव या रिसाव।
- मूत्र या मल विसर्जन की आदतों में परिवर्तन।
- परेशान करने वाली खांसी या आवाज में फटापन।
- निगलने या पचाने में कठिनाई।

गर्भाशय का कैंसर

- महिलाओं में यह कैंसर आम है। यह कम उम्र में यौन संबंध बनाने वाली तथा एक से अधिक पुरुष के साथ एवं अत्यधिक यौन कर्म करने वाली महिलाओं में अधिक होता है।
- इस प्रकार का कैंसर उन महिलाओं में अधिक होता है जिनका विवाह कम उम्र में हो जाने के कारण बच्चे भी कम उम्र में हो जाते हैं और कम अवकाश में बार-बार होते हैं।
- कंडोम/डायाफ्राम का प्रयोग ऐसे कैंसर का खतरा कम करता है।
- इस प्रकार के कैंसर के लक्षण हैं माहवारी से पूर्व एवं बाद या संभोग के बाद बदबूदार रक्तयुक्त पानी आना।
- ऐसे लक्षण होते ही डाक्टर से संपर्क करें।
- ऐसे कैंसर का जल्द पता लग जाने से चीरे अथवा रसायनों

द्वारा उसका इलाज हो सकता है।

- स्तन के किए गए लेप के परीक्षण से, इसके कैंसर रोग में बदलने से पूर्व ही स्थिति का पता चल जाता है।

छाती का कैंसर

छाती का कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाले आम कैंसरों में है। इसका जल्दी पता लग जाने से, ठीक हो जाने की अधिक संभावना है। निम्नलिखित परिस्थितियों में, इसके हो जाने की संभावना बढ़ जाती है :

1. आयु--20 वर्ष के पश्चात, उम्र बढ़ने के साथ यह कैंसर होने की संभावना अधिक है। विशेषकर, 45 वर्ष की आयु के बाद इसकी संभावना बढ़ जाती है।
2. लिंग--महिलाओं के अतिरिक्त, पुरुषों को भी कैंसर हो सकता है।
3. वंशानुगत--यदि किसी महिला की मां अथवा बहन को कैंसर हो उसे भी यह रोग लग जाने की संभावना बढ़ जाती है।
4. महिलाओं में छाती का कैंसर अधिकतर निम्न प्रकार की स्त्रियों में होता है :
   - जिस महिला के बच्चा न हुआ हो, अथवा बढ़ी उम्र में हुआ हो।
   - यदि प्रसव के बाद महिला अपने बच्चे को स्तन-पान न कराए तो यह कैंसर हो जाने की संभावना अधिक है।
5. जिस महिला को बार-बार स्तन रोग है उसे अन्य महिलाओं की अपेक्षा कैंसर की 1-2 प्रतिशत अधिक संभावना है।

छाती के कैंसर के प्रमुख लक्षण

- छाती में कोई भी छोटा या बड़ा पिंड कैंसर बन सकता है। यह पिंड दर्द वाला या बिना दर्द वाला हो सकता है।
- स्तन की चूचुक से गंदा रिसाव होना।
- स्तन की चूचुक से रक्त आना।
- स्तन की चूचुक का उलट जाना या छाती की त्वचा सिकुड़ जाना इस रोग का लक्षण है।

- कांखों में गिल्टियों का हो जाना इस रोग का एक बड़ा लक्षण है। ऐसी गिल्टी हो जाने पर महिला को तुरंत डाक्टरी जांच करानी चाहिए। माहवारी समाप्त होने पर, प्रतिमास हर महिला को अपनी छाती की स्वयं जांच करनी चाहिए।
- महिला को अपनी जांच किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में जाकर भी करानी चाहिए।

ऊपर दिए गए सभी रोगों की जानकारी पाकर पीड़ित महिलाएं अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकती हैं। इस प्रकार रोगों के प्रति जागरूक रहकर ही उनसे अपना बचाव किया जा सकता है।

●

अध्याय - 5

अपराध पीड़ितों का मुख्यधारा में समायोजन

यद्यपि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए जो देश की आबादी का तकरीबन 50 प्रतिशत हैं, समान अधिकारों का प्रावधान किया गया है। फिर भी उनमें से अधिकांश के साथ जीवन में सभी क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है जिससे उनका कई प्रकार से शोषण किया जाता है और उनके प्रति अपराध होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संज्ञान में लिए गए व्यथित महिलाओं के कुछ मामले तथ्यों और सिफारिशों के साथ इस प्रकार हैं जिनमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, हत्या, पाश्विक प्रहार, अवयस्क लड़कियों की खरीद-फरोख्त, पुलिस अत्याचार और हिरासत में मृत्यु के मामले हैं।

1. अपराध पीड़ितों का विवरण और संबंधित सिफारिशें

(i) किंग जॉर्ज मेडीकल कॉलेज, लखनऊ में कथित यौन उत्पीड़न

परिचय

राष्ट्रीय महिला आयोग को डा. अंशुल, जूनियर रेजीडेंट, पेडोडोंटिक्स विभाग, किंग जॉर्ज मेडीकल कॉलेज, लखनऊ से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें विभागाध्यक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। यह कहा गया कि एक सम्मेलन में भाग लेते समय डा. पांडेय ने, जो शराब पिए हुए थे, उसे उसके साथ नृत्य

करने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया और जब उसने विरोध किया तो पांडेय ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने धमकी दी कि वह देखेगा कि वह कैसे अपना शोध प्रबंध पूरा करती है। डा. अंशुल ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की थी किंतु प्रशासन उसका (डा. पांडेय) बचाव करने का प्रयास कर रहा था।

डा. आर.के.पांडेय द्वारा उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति के समक्ष डा. अंशुल तथा अन्य छात्रों द्वारा दिए गए घटनाक्रम से डा. पांडेय द्वारा यौन उत्पीड़न के बराबर अभद्र और अव्यावसायिक व्यवहार की झलक मिलती है।

डा. अंशुल तथा अन्य द्वारा शिकायत दायर करने में विलम्ब का तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। महिलाएं रोजगार हाथ से जाने के डर से या आरोप सिद्ध न कर सकने की संभावना के कारण ऐसी शिकायतें दायर करने में आमतौर पर आनाकानी करती हैं तथा कतराती हैं क्योंकि उनके चरित्र और प्रतिष्ठा पर उंगली उठाई जा सकती है।

संकाय सदस्यों द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि सामान्यतया महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न एक आम बात है। ऐसा प्रायः होता है किंतु कई कारणों से यह तथ्य कभी सामने नहीं आता।

यह देखने में आया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरम्भ में इस शिकायत को गंभीर रूप से नहीं लिया। यदि इस शिकायत की ओर तुरंत ध्यान दिया गया होता तो छात्राओं के रोष पर काबू पाया जा सकता था और छात्राएं हड़ताल पर न गया होतीं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शिकायत से निपटने के लिए समिति का गठन उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया। विभागीय समिति में महिलाओं को पगया प्त प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया।

सिफारिशें

1. संबंधित कॉलेजों में यौन उत्पीड़न समितियां गठित करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए और इसका व्यापक

प्रचार किया जाना चाहिए। समिति के सदस्यों तक कॉलेज की प्रत्येक छात्रा, अध्यापिका तथा अन्य कर्मचारियों की पहुंच होनी चाहिए।

2. डा. आर.के. पांडेय को वर्तमान बैच के छात्रों के शोध निबंध की जांच करने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और बाहरी परीक्षकों को इस काम के लिए बुलाया जाए।

3. छात्रों तथा कालेज के अन्य शिक्षण तथा-गैर शिक्षण कर्मचारियों से शिकायत प्राप्त करने के लिए एक शिकायत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

4. तथ्यों का पता लगाने के लिए सघन जांच करने की आवश्यकता है और नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन छात्रों ने अपने अध्यापक के विरुद्ध शिकायत की उनके पेशे पर किसी तरह की कोई आंच न आए।

5. सत्ता के दुरूपयोग को रोकने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विभागाध्यक्ष की पदावधि एक नियत अवधि के लिए की जानी चाहिए।

6. शिकायत समिति को छात्रों का विश्वास पाने का प्रयास करना चाहिए।

(ii) पी.एन.डी.टी. अधिनियम का कथित घोर उल्लंघन

परिचय

हिन्दुस्तान टाइम्स के भोपाल संस्करण में ''नगर के डाक्टर द्वारा पी.एन.डी.टी. अधिनियम का घोर उल्लंघन'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित एक खबर का स्वप्रेरणा से संज्ञान किया। समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ था कि ''वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके लड़कों की योजना का प्रस्ताव करना'' एक खुली प्रथा है जिसका विज्ञापन पत्रिकाओं के माध्यम से किया जाता है जिन्हें स्थानीय समाचार-पत्रों के साथ लगा कर वितरित किया जाता है। हिन्दुस्तान

टाइम्स के एक संवाददाता ने एक भावी ग्राहक के रूप में डा. निर्मल जायसवाल से बातचीत की, जिन्होंने अपने पति के साथ क्लिनिक आने पर उसे अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। समाचार-पत्र में डाक्टर द्वारा वितरित विज्ञापन सामग्री को भी प्रकाशित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ ''XY क्रोमोसोम ए.आई.एच. विधि के माध्यम से लड़कों की योजना'' और 'कृत्रिम गर्भाधान' का स्पष्ट रूप से उल्लेख था।

इस विज्ञापन को अत्यंत आपत्तिजनक, अवैध, अनैतिक और पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल बताया। डा. निर्मल जायसवाल, जो एक स्त्रीरोग चिकित्सक का काम करती हैं, पहले एक सरकारी कर्मचारी थीं और अब अपने निवास स्थान से निर्मल नर्सिंग होम नाम से एक क्लिनिक एवं नर्सिंग होम चला रही हैं। उन्होंने माना कि वह विज्ञापन उसका था। तथापि, उसके अनुसार विज्ञापनों को एक 12 वर्ष पुराने कार्ड के आधार पर छापा गया और वह ''XY क्रोमोसोम ए.आई.एच. विधि का प्रयोग करके बच्चे की योजना'' शब्दों का लोप करना भूल गई।

उन्होंने स्पष्ट रूप से अल्ट्रासाउंड मशीन के पंजीकरण के लिए निर्धारित शर्तों और निबंधनों का उल्लंघन किया क्योंकि सोनोग्राफी प्राधिकृत रेडियोलॉजिस्ट द्वारा नहीं अपितु तदर्थ आधार पर भाड़े के लोगों द्वारा की गया। डाक्टर प्रथम दृष्टया पी.एन.डी.टी. अधिनियम का उल्लंघन करने की दोषी है और विज्ञापन में स्पष्ट रूप से 'XY क्रोमोसोम ए.आई.एच. विधि का प्रयोग करके एक बेटे के जन्म के लिए'' का प्रस्ताव है जिससे एक बालिका के जन्म के विरुद्ध भेदभाव का प्रचार और प्रसार होता है और यह पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

सिफारिशें

1. पी.एन.डी.टी. अधिनियम तथा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् के तहत डा. निर्मल जयसवाल तथा इस जाल में संलग्न सभी डाक्टरों, विज्ञापन छापने वाले तथा उस व्यापारी के विरुद्ध, जिसने समाचार-पत्रों के साथ विज्ञापन अन्तर्विष्ट किए, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

2. कन्या भ्रूणहत्या और चुनिन्दा भेदभाव तथा इसके प्रभावों के परिणामस्वरूप भारत में बिगड़ते स्त्री-पुरुष अनुपात के प्रति अधिकाधिक जागरूकता पैदा करना आवश्यक है।
3. डा. निर्मल जायसवाल का पंजीकरण और प्रमाण पत्र रद्द किए जाएं और उन्हें जब्त कर लिया जाए।
4. पूरे मध्य प्रदेश राज्य में निगरानी और निरीक्षण अधिक कड़ा करने के साथ-साथ डाक्टरों/विशेषज्ञों के क्लिनिकों और निदान केंद्रों की नियमित रूप से अकस्मात जांच करने की आवश्यकता है।

(iii) **गांव हरिहरपारा, जिला मुर्शिदाबाद में संगीता राय के जलाए जाने का समाचार** : गांव हरिहरपारा, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में संगीता राय को जलाए जाने के समाचार की राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वप्रेरणा से जांच आरंभ की। दिनांक 20 मई, 2004 के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि ''सी.पी.आई. नेता ने महिला नेत्री को फूंका''।

9 मई, 2004 को करीब 38 वर्षीय संगीता राय को उसके शयनकक्ष में जलाया गया। उसे जलता हुआ पाया गया। यह घटना रात को 9.00 बजे हुई। वह कमरे से बाहर भागी और गवाहों ने जब उसे देखा तो उसके शरीर पर एक छोटे से टुकड़े के सिवाय कोई कपड़ा नहीं था। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। सेंतु(संगीता का हत्यारा) भाग जाने का प्रयास कर रहा था किंतु संगीता की बड़ी ननद ने उसे रोक लिया और उसे संगीता को अस्पताल ले जाने के लिए वैन रिक्शा लाने के लिए कहा। संगीता का जेठ, अन्य रिश्तेदार तथा पड़ोसी पहले उसे हरिहरपारा बी.पी.सी.एच. ले गए जहां डा. दास ने उसका इलाज किया। प्रारंभिक इलाज के पश्चात डा. दास ने उसे बरहामपुर नए सामान्य अस्पताल में भेज दिया जहां डा. एस.के. सैन ने उसका इलाज किया।

संतू सी.पी.आई.(एम.) की स्थानीय समिति का सचिव है और संगीता गणतांत्रिक महिला समिति की सचिव थी और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी थी। संयोगवश, सेंतू की पत्नी मनोवरा

बेगम की मृत्यु के पश्चात, संगीता मनोवरा के बेटे की देखभाल करने के लिए सहमत हो गया। संगीता की दो बेटियां और एक बेटा हैं। दोनों बेटियां विवाहित हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के एक दल ने संगीता के रिश्तेदारों से पूछताछ की तो ऐसा लगा कि उनकी राय में संगीता को सेंतू ने आग लगाई थी। संगीता के रिश्तेदारों की यह राय भी थी कि यद्यपि सेंतू आस-पड़ोस में रहता था परन्तु पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है।

शव परीक्षा रिपोर्ट तथा डा. दास द्वारा दी गया मैडिकल रिपोर्ट में कुछ स्पष्ट असंगतियां थीं। इस बीच सेंतू ने गिरफ्तारी के डर से भारतीय दंड संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया। सेंतू बिना रोक-टोक के आजादी से इधर-उधर घूम रहा है और संगीता के परिवार के कुछ सदस्यों को गंभीर परिणामों की धमकी दे रहा है किंतु पुलिस उसको ढूंढने में असमर्थ है। संगीता के परिवार के सदस्य बहुत असुरक्षित और खतरा महसूस कर रहे हैं जब तक कि सेंतू को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उसके साथ न्याय नहीं किया जाता।

सिफारिशें

1. पुलिस अधीक्षक, मुर्शिदाबाद से सेंतू को फौरन गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिया गया।
2. पुलिस को आपराधिक जांच के सभी मामलों में बिना डर या पक्षपात के विभिन्न पुलिस अधिनियमों के प्रावधानों तथा आपराधिक प्रक्रियाओं के तहत निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और अपराधी के साथ न्याय करना चाहिए।
3. यह वांछनीय है कि इस विशेष मामले की जांच स्पष्ट कारणों से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाए न कि राज्य पुलिस द्वारा की जाए।

(iv) **नागपुर में डा. रश्मि दूबे पर उसके पति द्वारा कथित पाश्विक प्रहार** : डा. रश्मि दूबे पर एक चिकित्सा व्यवसायी, उसके

पति डा. दीपक दूबे और ससुराल वालों द्वारा वीभत्स प्रहार का एक मामला प्रकाश में आया। पीड़ित की मां आशा गर्ग ने शिकायत दर्ज की। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि डा. दीपक दूबे, डा. रश्मि दूबे का पति दहेज की वजह से अपनी पत्नी को सताया करता था और उसकी हत्या करने के उद्देश्य से उसने उसका गला चीर दिया। डा. रश्मि प्रहार से बच गया किंतु उसके दिमाग में विकार (हाईपोक्सिया ऑफ दि ब्रेन) पैदा हो गया जिसके कारण वह संमूर्च्छा (कोमा) की स्थिति में आ गया और तब से वह इसी स्थिति में है। इस समय शिवम अस्पताल, गाजियाबाद में दुख में दिन काट रही है। पाश्विक प्रहार के परिणामस्वरूप दिमागी तौर पर उसकी मृत्यु हो गया और उसके स्वास्थ्य लाभ होने की बहुत कम संभावना है।

रश्मि दूबे के मां-बाप ने विवाह पर विभिन्न प्रकार के व्यय के रूप में करीब 10 लाख रुपये खर्च किए किंतु इससे डा. रश्मि का पति या उसके ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हुए जो किसी न किसी बहाने अधिक राशि के लिए निरंतर दबाव डालते रहे। एक बार दीपक ने उन्हें नागपुर में एक क्लिनिक खोलने के लिए उसे 5 लाख रुपये देने के लिए कहा और अपेक्षित राशि देने में उनकी असफलता पर काफी एतराज किया। रश्मि को निरंतर परेशान किया गया तथा सताया गया। एक बार यह सूचना मिलने पर, कि दीपक ने रश्मि को काफी पिटाई की है, श्रीमती आशा अपनी बेटी को वापस गाजियाबाद लाई। दीपक गाजियाबाद आ गया, माफी मांगी और भविष्य में अच्छा व्यवहार करने का वचन दिया। उसके द्वारा यह आश्वासन देने पर कि वह रश्मि को दुबारा कभी पिटाई नहीं करेगा, उसे वापस नागपुर भेज दिया गया।

पीड़िता के मां-बाप के बयानों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि डा. रश्मि पर शारीरिक अत्याचार और मानसिक उत्पीड़न उसके विवाह के आरंभ से ही होने लगा। उसका पति और ससुराल निरंतर अधिक रकम की मांग करते रहे और हर संभव तरीके से पीड़ित के मां-बाप को परेशान किया।

सिफारिशें

1. इस मामले को दिल्ली या गाजियाबाद के किसी न्यायालय

में हस्तांतरित करवाना आवश्यक है ताकि लड़की के मां-बाप और अन्य गवाह अबाध रूप से और निडर होकर बयान दे सकें।

2. डा. दूबे पर नैतिकता के आधार पर पीड़ित के इलाज के लिए भुगतान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए कहा जाना चाहिए।
3. इस मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद से डा. दूबे का लाइसेंस रद्द करने और उसके निजी व्यवसाय पर रोक लगाने के कठिन विकल्प पर विचार करना चाहिए।

(V) **सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक अवयस्क लड़की का कथित बलात्कार** : सफदरजंग अस्पताल में बलात्कार के मामले से जांच प्रक्रिया में ढिलाई और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के अभाव का एक अन्य ऐसा उदाहरण सामने आता है जिससे प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कमजोर हो सकती है और संभवतया ऐसे ढंग से समाप्त हो सकती है जिसमें अपराध होने के बावजूद न्यायालय को ऐसा सबूत नहीं दिया जाता उचित संदेह से परे हो। यह मामला महिला रोगियों, आगंतुकों, कर्मचारियों तथा नर्सों को सुरक्षा प्रदान करने में अस्पताल प्रशासन की मूलक जिम्मेदारी में कमजोर क्षेत्रों को दर्शाता है। यह मामला असमान संबंध का एक उदाहरण है-- एक छात्रा जो एक रोगी के रूप में अस्पताल आती है और एक इटर्न डाक्टर जिसने अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है जबकि अवैध रूप से डाक्टरों के होस्टल (विवाहित क्वार्टर) पर कब्जा जमाए हुए है और एक अवयस्क लड़की से बलात्कार करता है।

मीडिया में यह घटना इस प्रकार प्रकाशित हुई :

''सफदरजंग अस्पताल के एक डाक्टर को शनिवार की रात अपने होस्टल कक्ष में एक 16 वर्षीया रोगी का कथित रूप से बलात्कार करने के लिए गिरफ्तार किया गया''। कथित इंटर्न, डा. रविकुमार ने दो दिन के लिए डाक्टर होस्टल में अपने कक्ष में उसे बंद कर दिया। वह पानी पीने के पश्चात बेहोश हो गई जिसमें डा. कुमार ने कथित रूप से दवाई मिला दी थी। होश में आने पर पीड़ित ने बताया कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। रिपोर्ट के

अनुसार, यह लड़की 12 और 13 मई को होस्टल के कक्ष में थी। डाक्टर ने लड़की को धमकी दी कि वह किसी के सामने अपना मुंह न खोले अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पुलिस ने अपहरण और बलात्कार के लिए एक प्राथमिकी दायर की और कथित डाक्टर को होस्टल से गिरफ्तार कर लिया।

बाद में लड़की 14.5.2004 को सायं 3.30 बजे घर लौटी और मां-बाप ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने विशेष रूप से जांच अधिकारी को बताया कि उनकी लड़की के साथ बलात्कार किया गया है और उसके प्रति अन्य अप्राकृतिक अपराध किए गए हैं। उसने इस सूचना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय कहा कि लड़की को स्नान करके ताजा हो जाना चाहिए। पीड़ित की दैहिक मैथुन, अप्राकृतिक अपराध, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 लागू होती है, के लिए डाक्टरी जांच नहीं की गई। चूंकि डाक्टरी जांच करने में 24 घंटे से अधिक विलंब हुआ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता ने जांच अधिकारी के कहने पर स्नान भी किया था, पीड़िता के शरीर पर यौनिक आलेप या शुक्र के धब्बे पाए जाने की संभावना कम हो गई थी। जांच अधिकारी की लापरवाही के कारण से महत्वपूर्ण सबूत बर्बाद हो गए

जांच अधिकारी उप-निरीक्षक वेद मिश्रा को बलात्कार के इस मामले को निपटाने में लापरवाह और असंवेदी पाया गया। अतः सिफारिश की जाती है कि इस उप-निरीक्षक को निलंबित किया जाए और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जाए। इसके अतिरिक्त उसे बलात्कार के एक मामले में सबूत जान-बूझकर नष्ट करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यह मामला उप-निरीक्षक के स्तर के एक अधिकारी द्वारा निपटाया गया जबकि इस आशय के स्पष्ट निर्देश हैं कि बलात्कार के मामले सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर के अधिकारियों द्वारा निपटाए जाने चाहिएं। यदि सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर की महिला अधिकारी उपलब्ध न हो तो अन्य महिला अधिकारी को सहायक पुलिस आयुक्त की सहायता करनी चाहिए।

राज्य सरकार को दिल्ली के सभी अस्पतालों को इस आशय के निर्देश जारी करने चाहिए कि वे बलात्कार के मामलों में एक

चिकित्सीय कानूनी रिपोर्ट तैयार करने में हर तरह का एहतियात बरते। काम कर रही नर्सों, महिला आगंतुकों तथा महिला रोगियों को विशेष रूप से रात के समय पगया प्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी निर्देश जारी किए जाने चाहिए। सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि होस्टलों समेत अस्पताल और मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास स्थान हों।

बलात्कार पीड़ितों के लिए संकट हस्तक्षेप केंद्रों का पीड़ितों को तुरंत मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। पीड़ितों के साथ महिला कार्यकर्ताओं/सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्बद्ध किया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेजों, अस्पताल परिसरों तथा संलग्न होस्टलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए :

- शिक्षा संस्थाओं के आस-पास गश्त के लिए अधिक पी.सी.आर. वैन तैनात की जानी चाहिए।
- महिला हैल्पलाइन की तरह कॉलेज हैल्पलाइन का प्रावधान भी किया जाना चाहिए और इसका नम्बर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- कॉलेज के समय से कम से कम दो घंटे पूर्व और दो घंटे पश्चात शिक्षा संस्थाओं के आस-पास पुलिस गश्त की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- पुलिस और शिक्षा संस्थाओं के बीच मेल-जोल बढ़ाने की आवश्यकता है।
- बलात्कार के प्रत्येक मामले को एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा निपटाया जाना चाहिए।
- पीड़ित के प्रति पुलिस का रवैया अधिक अनुकूल होना चाहिए।

सिफारिशें

1. जांच अधिकारी उप-निरीक्षक वेद मिश्रा का बलात्कार के एक मामले में लापरवाही दिखाने और जानबूझ कर सबूत नष्ट करने के कारण निलंबित किया जाना चाहिए और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए।

2. बलात्कार के मामले सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर के अधिकारी द्वारा निपटाए जाएं न कि उप-निरीक्षक के स्तर के अधिकारी द्वारा निपटाए जाने चाहिए।
3. बलात्कार-पीड़ित महिला को थाने में बुलाने के बजाय जांच अधिकारी को सादा कपड़ों में उसके पास जाना चाहिए।
4. राज्य सरकार को दिल्ली के सभी अस्पतालों को इस आशय के निर्देश जारी करने चाहिएं कि वे बलात्कार के मामले में एक चिकित्सीय कानूनी रिपोर्ट तैयार करने में हर तरह की एहतियात बरतें।
5. सफदरजंग अस्पताल के प्राधिकारियों का कक्ष के आबंटिती के विरुद्ध, जिसने कक्ष आगे किराये पर दिया और कथित अभियुक्त को अवैध कब्जा करने की अनुमति दी, आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।
6. अस्पतालों के निवासी होस्टलों में प्रत्येक व्यक्ति के आने और जाने पर नजर रखने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

(vi) **जिला थाणे में विदेशी राष्ट्रिकों को अवयस्क कन्याओं की कथित बिक्री** : राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक 16 वर्षीय अवयस्क कन्या के एक यमन राष्ट्रिक के साथ डोम्बीविली, जिला थाणे, महाराष्ट्र में विवाह की घटना का स्वप्रेरणा से संज्ञान किया। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर रिपोर्ट के अनुसार-एक 16 वर्षीय लड़की को लड़की के एक निकट महिला संबंधी द्वारा विवाह के ढोंग में 10,000 रुपये में एक यमन राष्ट्रिक को बेच दिया गया। जब मोमीना को डोम्बीविली में एक अतिथि गृह ले जाया जा रहा था तो उसे पता चला कि भावी दूल्हा अब्दुल करीम मोहम्मद नाम का एक 46 वर्षीय व्यक्ति है। कमरे में मौजूद एक मौलवी ने तुरंत निकाह की कार्रवाई शुरू कर दी। तत्पश्चात अब्दुल करीम ने माना कि उसका विवाह हुआ है जिससे मोमीना के विचार बदल गए। जब अब्दुल करीम ने उसकी चाची को 10,000 रुपये दिए तो उसे आशंका होने लगी। वह केवल अरबी या अंग्रेजी बोल सकता था जो वह समझ नहीं सकती थी। उसने विरोध किया और तुरंत घर चली गया।

तत्पश्चात मोमीना और उसकी मां ने पूरी घटना की सूचना मनपाड़ा में थाने को दी। सहायक पुलिस निरीक्षक, मोहन जाधव ने बाल विवाह प्रतिषोध अधिनियम की धारा 4 और 5 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 420/34 के तहत सी.आर. सं0 76/04 में एक अपराध दर्ज किया। प्रारंभिक जांच-पड़ताल के पश्चात उन्होंने अब्दुल करीब, अब्दुल सलाम और नसरीन को गिरफ्तार किया और इन तीनों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हसीना और शबीना को अभियुक्त दिखाया गया किंतु वे फरार हैं।

बिक्री और इसके सफलतापूर्वक पूरा होने पर निकाहनामे में बंधने का मामला चरम सीमा में पहुंचने से रह गया जब स्पष्टतया लड़की ने काजी से दूल्हे की आयु बताते हुए सुना। निकाह के तुरंत पश्चात युवा लड़की ने चिल्लाने की हिम्मत की और आसपास के अन्य लोगों की अपनी दुर्दशा की जानकारी दी जिसके आधार पर अन्ततः पुलिस शिकायत दर्ज की गई जिससे यह मामला प्रकाश में आया।

सिफारिशें

- लॉजों/होस्टलों के मामले में विदेशी व्यक्ति अधिनियम को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य दूतावास को भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को अनुदेश जारी करने चाहिएं कि वे इस देश के कानून का पालन करें और यौन पर्यटन को बढ़ावा न दें।
- विदेश मंत्रालय को सभी दूतावासों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी करने चाहिएं कि मुत्ताह विवाह बंद हों और ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
- विदेशी राष्ट्रिकों के साथ सभी विवाहों का विवाहों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण करवाना काजी और गवाहों की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसकी सूचना उस क्षेत्र के थाने को दी जानी चाहिए जिसमें निकाह हो रहा हो।

- पुलिस को ऐसे एजेंट की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए जो अकसर फरार हो जाते हैं।
- विदेशी राष्ट्रिक अधिनियम के तहत कठोर दांडिक कार्रवाई की जानी चाहिए और उस लॉज के मालिक और प्रबंधक पर होटलों और लॉजों से संबंधित नियमों तथा विनियमों को लागू किया जाना चाहिए।
- काजी को, जिसने निकाह संपन्न किया, बाल-विवाह अपराध का एक दुष्प्रेरक या सहकारी समझा जाना चाहिए और उसके विरुद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस यह जांच करे कि क्या काजी द्वारा रखा गया रजिस्टर कानूनी/मुस्लिम विधि की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(vii) **सिहोरगढ़, आगरा में अनुसूचित जाति महिलाओं पर पुलिस द्वारा अत्याचार का समाचार** : सिहोरगढ़ गांव में अधिकतर अनुसूचित जाति समुदाय के लोग रहते हैं। जिस समय सुश्री मायावती मुख्यमंत्री थीं, इस गांव का एक अम्बेडकर गांव के रूप में चयन किया गया था और उसके बाद की गतिविधियों से ग्रामीणों में काफी जनजागृति और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई। चुहारपुर गांव में, जो सिहोरगढ़ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, अधिकतर यादव समुदाय के लोग रहते हैं। सिहोरगढ़ के लोगों के लिए अपने गांव में कोई पृथक मतदान केंद्र नहीं बनाया गया है। उन्हें अपना वोट डालने के लिए चुहारपुर गांव जाना पड़ता है।

इन गांवों में जाति और शक्ति समीकरण को देखते हुए सिहोरगढ़ के अनुसूचित जाति मतदाता अबाध और निष्पक्ष रूप से अपने वोट नहीं डाल सके। गांव के लोग उत्तेजित हो गए और एक समूह में मतदान केंद्र की ओर प्रस्थान किया। इस समूह में करीब 10 व्यक्ति थे जिनमें अधिकांश महिलाएं थीं। इससे लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ समय में बहुत से ग्रामीण एकत्र हो गए। वे हर हालत में अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। कुछ अन्य पहले की घटनाओं के कारण पुलिस के विरुद्ध घृणा पैदा हो गया थी, कुछ ग्रामीणों ने तो पुलिस के वाहनों को रोक कर पुलिस

को चुनौती देने की ठान ली थी। इसलिए उन्होंने काफी पत्थर एकत्र कर लिए थे और उन्हें सड़क पर रख दिया था जिससे यातायात रूक गया। तभी रामबीर सिंह अपनी टाटा सूमो वाहन में आ रहा था। उसके पास एक मतदान एजेंट के रूप में इस वाहन में इधर-उधर आने-जाने का परमिट था। तथापि, गांव वालों का कहना था कि वह विद्यमान कानूनों के प्रतिकूल मतदाताओं को मतदान केंद्र की ओर ले जा रहा था। सिहोरगढ़ गांव के लोगों को तथा सड़क पर उनके द्वारा डाली गया बाधा को देखकर रामबीर सिंह यादव और वाहन में जा रहे अन्य यात्री वाहन को सड़क पर छोड़कर उनको मारने के लिए भागे। उत्तेजित भीड़ ने वाहन पर आक्रमण कर दिया, शीशे तोड़ दिए और टायरों की हवा निकाल दी। सिहोरगढ़ के ग्रामीण, पुलिस के दुर्व्यवहार पर काफी उत्तेजित थे और विशेष रूप से इस तथ्य पर नाराज थे कि पुलिस ने उनकी महिलाओं को बुरा-भला कहा। गांव की एक बूढ़ी महिला ने कहा, ''जा मैं अपने पति की गालियां नहीं सुनती तो पुलिस वाले की गालियां क्यों सुनूं।''

सिफारिशें

1. सिहारगढ़ के ग्रामीणों की पृथक मतदान केंद्र की मांग सही और उचित है। अतः उनके लिए सभी भावी निर्वाचनों के लिए एक पृथक मतदान केंद्र बनाया जाना चाहिए।
2. जिला प्रशासन को जाति समूहों और गांवों के बीच शांति लाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।
3. थाना स्तर पर पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति संवेदी बनाने, विशेष रूप से महिलाओं के मानवीय अधिकारों संबंधी मामलों में उन्हें संवेदी बनाने की आवश्यकता है।
4. पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें सभ्य व्यवहार करने तथा असंसदीय भाषा का, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति, उपयोग न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए।
5. अधिकारियों तथा जनता से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन में उच्च स्तर पर राजनीतिक

हस्तक्षेप के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहल और निष्पक्षता का अभाव है। जिला प्रशासन विशेष रूप से पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखने की आवश्यकता है।

6. इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया कि सबसे अधिक नुकसान महिलाओं को हुआ है। महिलाएं, विशेष रूप से बालिकाएं, मानसिक रूप से भय की स्थति में रह रही हैं जिससे उनकी हालत नाजुक हो जाती है। वे सहमी हुई भी हैं। डर की भावना दूर करने और असहाय महिलाओं को सामान्य स्थिति में लाने की आवश्यकता है। राजनैतिक नेताओं तथा जिला प्रशासन को इस दिशा में कदम उठाने होंगे।

7. दोनों सिहारगढ़ और चुहारपुर गांवों के लोगों की सर्वसम्मति से यह राय थी कि सदैव पुरुष महिला अधिकारी ही कानून और व्यवस्था, निर्वाचन ड्यूटी तथा अन्य कागया के लिए उनके गांवों में आते हैं। उनका यह कहना सही था कि पुलिस दस्ते में महिला पुलिस अधिकारियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

(viii) **आगरा में एक डाक्टर द्वारा एक महिला को पागल घोषित करने का जाली प्रमाण-पत्र जारी किए जाने का समाचार** : एक विडियो फिल्म में एक व्यक्ति और आगरा मानसिक रोग संस्थान एवं अस्पताल में कार्यरत एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डा. एस.के. गुप्ता के बीच एक सौदा किया जा रहा है। डाक्टर द्वारा उस व्यक्ति की पत्नी को, जिसे डाक्टर ने न तो देखा है और न ही जांच की है, पागल घोषित करने वाला झूठा प्रमाण पत्र तैयार किया जाना है। प्रमाण पत्र देने की फीस 10,000 रुपये तय की गया जो डाक्टर को कैमरे में उस व्यक्ति द्वारा दी गया और जो डा. गुप्ता द्वारा कैमरे में स्वीकार की गई और रिश्वत की एवज में प्रमाण-पत्र सौंपा गया। डा. गुप्ता ने कैमरे में उस व्यक्ति को बताया कि उसने इस प्रकार के 10 प्रमाण-पत्र जारी किए हैं जो न्यायालयों ने तलाक देने के लिए यथाविधि स्वीकार किए हैं।

पतियों ने संवाददाता से पुनः पुष्टि की कि उन्होंने अपनी

पत्नियों की मानसिक बीमारी के झूठे प्रमाण-पत्र प्राप्त किए थे जो अन्यथा पूरी तरह सामान्य थीं क्योंकि वे उनसे छुटकारा पाना चाहते थे ताकि वे अन्य महिलाओं से विवाह कर सकें।

पूरा प्रशासन पीड़ितों के हितों की रक्षा करने के बजाय, जिन पर एक वरिष्ठ सरकारी चिकित्सा व्यवसायी ने कुछ हजार रुपये की एवज में अत्यंत अपमानजनक और आधारहीन आरोप लगाए हैं, संदेहास्पद के हितों की रक्षा करने में दिलचस्पी रखता है। इस प्रकार के प्रमाण-पत्र एक सोचा-समझा और सुसंचालित कांड है जो कम से कम 1998 से चल रहा है। इन सभी वर्षों के दौरान उसी डाक्टर ने पतियों को अपनी पत्नियों से छुटकारा दिलवाने, अपनी पसंद की अन्य महिलाओं से विवाह करने या अपनी पत्नियों की हत्या के दोषी व्यक्तियों को झूठी रक्षा प्रदान करने के लिए पागलपन के बहुत से जाली प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

सिफारिशें

- आयोग द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जानी चाहिए। इस रिट याचिका में आयोग राज्य प्रशासन और राज्य प्राधिकारियों के अपने सांविधिक कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति ढीले रवैये की ओर ध्यान दिलाना चाहिए।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह पीड़ित के मूलभूत अधिकारों के उल्लघंन का एक सिद्ध हो गया मामला है, आयोग को उच्चतम न्यायालय से जांच पर नजर रखने का अनुरोध करना चाहिए।
- प्रत्येक पीड़ित को एक करोड़ रुपये का हर्जाना देना चाहिए।
- राज्य सरकारों को कथित फरार अभियुक्त डा. एस.के. गुप्ता को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए।
- पीड़ितों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- डा. एस.के. गुप्ता द्वारा जारी जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए अवैध आदेशों को चुनौती देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

- राज्य सरकार को जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला मानसिक स्वास्थ्य अधिकारी को निलंबित कर देना चाहिए और डा. एस.के. गुप्ता द्वारा किए गए दांडिक अपराधों के मामले में अपने सांविधिक कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहने पर उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
- भारतीय चिकित्सा परिषद को डा. एस.के. गुप्ता का लाइसेंस रद्द करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

(ix) **कस्तूरबा नगर की महिलाओं द्वारा अक्कू यादव की कथित हत्या** : राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने 16 अगस्त, 2004 को करीब 400-500 महिलाओं की भीड़ द्वारा न्यायालय के एक कमरे में अनाधिकार प्रवेश किए जाने, अक्कू यादव नामक एक व्यक्ति का अपहरण करने, उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंकने, जिससे उसकी मृत्यु हो गया, के एक विरले मामले की खबर दी। ये महिलाएं नागपुर नगर के जारी पटका क्षेत्र की कस्तूरबा नगर बस्ती की थीं। अक्कू यादव एक 32 वर्षीय अपराध व्यसनी व्यक्ति था जिसके विरुद्ध (अधिकांश हत्या, डकैती, लूटपाट और छीना झपटी के आरोपों पर) दर्ज 24 मामलों और 14 गिरफ्तारियों के बावजूद आजाद घूम रहा था और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को आतंकित करता था। बस्ती में उसकी आपराधिक गतिविधियां पिछले दस वर्षों से बढ़ रही थीं क्योंकि उसे विधि प्रवर्तन अभिकरणों का संरक्षण प्राप्त था जो उसकी आपराधिक गतिविधियों से अवगत थे और फिर भी उन्होंने उसे पनपने की छूट दे रखी थी और उनका कहना था कि वे उसकी घृणित गतिविधियों को नियंत्रित करने में असहाय हैं।

यह पीड़ितों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का अभूतपूर्व मामला प्रतीत होता है। अपराधी को इस पाश्विक ढंग से मारने से पूरे राज्य में दहशत की लहर फैल गई। इस मामले की ओर मीडिया का ध्यान गया और कई प्रश्न खड़े हुए, जैसे क्या महिलाओं को कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में लेने का अधिकार है।

अक्कू यादव नामक गुंडे के आतंक को महिलाएं कब तक

सहन कर सकती थीं जिस का काम करने का तरीका शराब पीने के पश्चात देर रात को बस्ती में लुक छिप कर शिकार करना और फिर धमकी देना, अनुचित भाषा का प्रयोग करना, बलात छीनना, आतंक, लूटपाट, डकैती और बलात्कार आदि घटनाओं में लिप्त होना था। कोई लड़की इन गलियों में अकेले चलने का साहस इस डर से नहीं कर पाती कि कहीं अक्कू उस पर झपट न पड़े और उसके साथ छेड़छाड़ न करे। अक्कू इसी बस्ती में पैदा हुआ था और वहीं पर अपने परिवार के साथ रहता था। वह अविवाहित था। रात को वह अपने गुंडों के साथ घर से निकलता, शराब पीता और अपनी आपराधिक गतिविधियां आरंभ करता।

वह बस्ती के बच्चों को उसके लिए दारू और बीड़ी लाने को कहता और यदि वे उसके निर्देशों का पालन करने से इंकार करते तो वह उनको कॉलर से पकड़ता, उनकी कमीज फाड़ता, उनकी पिटाई करता और उनके साथ दुर्व्यवहार करता। बच्चे अक्कू से बहुत अधिक सहमे हुए थे और उसके गुस्से से डरते थे। 30 जुलाई को अक्कू और उसके मित्रों ने बस्ती में एक विवाह पार्टी में शराब पीया और लड़की पक्ष के घर में यह मांग करके कि उसे 20,000 रुपये दिए जाएं अन्यथा परिवार को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। वह 10 वर्षों से बस्ती में अपने आपराधिक कार्यकलाप जारी रखे हुए था। उसने आशा भगत नामक एक महिला समेत सात महिलाओं की हत्या की। अनेक परिवारों को बस्ती से पलायन करना पड़ा। एक मामले में बेटी की आंखों के सामने बाप को नंगा किया गया और जब बेटी ने अपने बाप को अपनी चुन्नी से ढक दिया तो उसने उस लड़की का बलात्कार कर दिया और उसे उसके सामने नंगे नाचने को कहा। अक्कू यादव के आतंक से त्रस्त क्षेत्र में लड़कियां रात को बाहर नहीं जा सकती थीं। वह उनके कपड़े पीछे से पकड़ लेता था और उनके ब्लाउज फाड़ देता था।

यह मामला इस दृष्टि से अलग है कि घृणित और पाश्विक अपराध पिछले 10 से अधिक वर्षों से किए जाते रहे और सजा विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा न देकर स्वतः महिलाओं द्वारा दी गया। जब 13 अगस्त को अक्कू को न्यायालय में पेश किया जाना था तो करीब 400 महिलाओं ने न्यायालय के कमरे में कूच किया

और पत्थरों तथा लाल मिर्च पाउडर से उसको मार दिया। इस प्रकार एक हत्यारे, लुटेरे, डाकू और छीना झपटी करने वाले का जीवन समाप्त हो गया। उसकी मृत्यु पर गांव के लोगों ने कई वर्षों तक आत्मसमर्पण के पश्चात खुली सांस ली।

सिफारिशें

- बस्ती में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए क्योंकि लोगों के मन में अभी भी भय व्याप्त है। यद्यपि अक्कू यादव की मृत्यु हो गया है, उसके साथी अभी भी बस्ती में अकड़ कर चलते हैं और शिकार की तलाश में रहते हैं।
- जरीपटका थाने के प्रभारी अधिकारी की अक्कू यादव के कार्यकलापों में मिलीभगत होने और उसकी लूटपाट से बस्ती को बचा न पाने के कारण उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।
- अक्कू यादव के भतीजे को, जो अक्कू यादव द्वारा किए गए अपराधों में मुख्य सहयोगी है, तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
- पुलिस को पांच गिरफ्तार की गया महिलाओं के विरुद्ध आरोपों को वापस लेना चाहिए और इसके बजाय उन्हें पूरा समर्थन देना चाहिए क्योंकि उन्होंने यह दुःसाहसी कदम प्रतिष्ठा के साथ जीवन व्यतीत करने के प्रयास में एक अंतिम उपाय के रूप में उठाया क्योंकि बस्ती के निवासी सामूहिक रूप से देख चुके थे कि पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे पाई है।
- न्यायालय को इन महिलाओं के विरुद्ध इस मामले में नरमी का रूख अपनाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने परिवारों तथा अपने बच्चों के बचाव के लिए अपनी निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा किया।

(x) **केदारोराम (देहरादून) में एक सरकारी संरक्षणालय में जेन्नी को बन्द करने का समाचार :** यह देश में पहला मामला होगा जिसमें कथित अपराधी मुक्त रूप से घूम रहा है और अपराध

की पीड़िता एक संरक्षणालय में बंद है और उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। प्रथम दृष्टया, यह मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन का एक मामला प्रतीत होता है जिसमें कहा है--''एक यौन अपराध की अभियोजिका की एक सह-अपराधी से तुलना नहीं की जा सकती। वास्तव में वह अपराध की शिकार है।''

यह मामला भी हरक सिंह रावत के विरुद्ध बलात्कार के आरोप का मामला है जो आरोप के समय एक कैबिनेट मंत्री थे। बलात्कार का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। तत्पश्चात मंत्री ने इस लड़की के विरुद्ध अपमान का एक मामला दर्ज किया, इस प्रकार एक ही विषय पर दो मामले एक ही राज्य के अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन हैं। संरक्षणालय में रहते हुए जेन्नी ने एक सरकारी अस्पताल में एक लड़के को जन्म दिया। बच्चा कुछ दिनों में एक वर्ष पूरा कर लेगा।

इंदिरा देवरी उर्फ जेन्नी असम की एक युवा लड़की है जिसकी आयु अब करीब 23 वर्ष है। वह रोजगार की तलाश में घर छोड़कर दिल्ली आई जिसके बाद उसे देहरादून लाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह आर्थिक रूप से एक गरीब परिवार की लड़की है और उसे आजीविका की तलाश में घर छोड़ना पड़ा।

संरक्षणालय, जहां जेन्नी को रखा गया है, नगर से करीब 15 किलोमीटर दूर है और अपेक्षाकृत एक एकांत सड़क पर स्थित है।

इंदिरा देवरी मुखर थी, हिन्दी बोली और अपने विचारों में स्पष्ट तथा अपने विचार व्यक्त करने में प्रभावशाली प्रतीत होती थी।

जेन्नी बड़े मानसिक आघात में थी और भूतपूर्व मंत्री का उल्लेख करने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए।

तथापि उसके द्वारा तथा उसके विरुद्ध लंबित मामले/मामलों के बारे में वह कुछ नहीं जानती थी। स्पष्ट है कि न तो उसे मामले का ब्यौरा बताया गया और न ही उसे अधिकतर समय के लिए कोई कानूनी सहायता दी गई। उसने हाल ही में एक वकील की नियुक्ति का हवाला दिया किंतु वह जो सहायता देगा उसके बारे में उसे अधिक विश्वास नहीं था।

बलात्कार के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के

उल्लंघन के बारे में जेन्नी को थाने में न तो कोई अर्थपूर्ण कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गया और न ही एक प्राथमिकी दायर की गई। पुलिस पीड़िता को उससे कोई प्रश्न पूछने से पूर्व अभ्यावेदन करने के उसके अधिकार के बारे में बताने के अपने कर्तव्य में असफल रही।

उसे पहले अस्थाई निवास स्थान पर श्रीमती चम्पा आगया द्वारा ले जाया गया जो उसके अनुसार प्रभावशाली मंत्री को प्रसन्न करने के लिए उसका जीवन नष्ट करने के लिए जिम्मेदार थी।

संरक्षणालय में प्रवेश के समय जेन्नी को बताया गया कि उसे केवल सात दिन के लिए वहां रहना पड़ेगा ताकि उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। श्रीमती आर्या द्वारा इस प्रारंभिक कथन के पश्चात, जो बाद में झूठा सिद्ध हुआ, श्रीमती आर्यो इस लड़की का अता-पता जानने के लिए पुनः कभी नहीं आई।

जेन्नी संरक्षणालय को छोड़ने के लिए काफी उत्सुक है और असम में अपना जीवन फिर से शुरू करना चाहती है, वह रोजगार प्राप्त करना चाहती है, अपने तथा अपने डेढ़ वर्ष के बच्चे के लिए स्वतंत्र आजीविका चाहती है। उसे इस तथ्य की जानकारी है कि उसके मां-बाप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं किंतु बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी ओर वह अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती।

तथापि जेन्नी इस मामले में हर हालत में संघर्ष करना चाहती है ताकि न्याय हो और दोषी को सजा मिले। उसका कहना था कि मंत्री ने उसका यह जानकर बलात्कार किया था कि वह गर्भवती है।

उसे इस मामले पर उत्तरांचल में कार्रवाई होने की स्थिति में न्याय पाने में संदेह है क्योंकि कथित अभियुक्त अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति है। उसने आयोग से उसे यह सलाह देने के लिए अनुरोध किया कि इस मामले को उत्तरांचल से दूर कैसे हस्तांतरित किया जा सकता है।

बलात्कार के आरोप के बाद की गया कार्रवाई से न केवल मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है अपितु बलात्कार के मामलों को निपटाने में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण विनिर्णय का भी उल्लंघन होता है।

सिफारिशें

- जेन्नी को संरक्षणालय में रखने का कोई आधार दिखाई नहीं देता। जेन्नी को शीघ्र रिहा करने और उसे अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत करने की इजाजत दी जानी चाहिए।
- उत्तरांचल सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी रक्षा हो और उसे अपने गृह नगर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए।
- जब तक सुनवाई उत्तरांचल में चलती है तब तक पीड़ित को सुरक्षित न्यायालय के समक्ष लाने के लिए भी उत्तरांचल सरकार जिम्मेदार होगी।
- पीड़िता को एक विशेषज्ञ द्वारा मानसिक आघात परामर्श दिया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय महिला आयोग बलात्कार की शिकार महिला और उसके नवजात बेटे को उसके गर्भाधान की अवधि के दौरान और बेटे को जन्म देने के पश्चात मानसिक रूप से बीमार रोगियों के साथ अवैध तरीके से बंद रखने से हुए मानसिक उत्पीड़न के अनुरूप पगया प्त मुआवजे की सिफारिश की है।
- न्याय के हित में बेहतर होगा कि इस मामले की सुनवाई उत्तरांचल राज्य से बाहर हो। इस प्रकरण में राज्य सरकार एक असहाय बलात्कार की शिकार लड़की के विरुद्ध प्रभावशाली मंत्री की सहायता कर रही है।
- यह मामला तेजी से अधिमानतः दैनंदिन के आधार पर सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय को सौंपा जाना चाहिए। लड़की पहले ही तीव्र मानसिक आघात में डेढ़ वर्ष व्यतीत कर चुकी है और अब मामले में आगे विलंब नहीं किया जाना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय को ध्यान में रखते हुए जेन्नी को कानूनी प्रतिनिधि मुहैया कराया जाना चाहिए। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार जो वकील मुहैया किए जाएं उन्हें दांडिक न्याय प्रणाली की पूरी

जानकारी हो।

- न्यायालय को अवैध रूप से बंद करने के अपराध पर विचार करना चाहिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 340 के तहत संबंधित अधिकारी की जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए।

(xi) **विजयवाड़ा में एक निजी कॉलेज के कक्षा के कक्ष में आर. श्रीलक्ष्मी की कथित हत्या** : एम.सी.ए. के अंतिम वर्ष की छात्रा आर.श्रीलक्ष्मी की उसके कक्षा कक्ष में हत्या की गया जब वह अपनी परियोजना आधारित मौखिक परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। उसके सहपाठी वाई. मनोहर ने छात्रों के सामने उसे काटकर मार डाला। अनेक प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि मनोहर प्रतीक्षालय में आया, अपने अनेक सहपाठियों का अभिवाद न किया और चुपचाप पीड़िता के पास पहुंचा। उसने अचानक एक तेज बड़ा चाकू बाहर निकाला और जोर से चिल्लाते हुए बार-बार श्रीलक्ष्मी की पीठ और गर्दन पर चलाए।

इस कृत्य को देखकर सभी छात्र वहां से विभिन्न दिशाओं में भाग गए और कॉलेज का चौकीदार भी घबरा गया। गेट, जहां चौकीदार खड़ा था, केवल करीब 50 फुट दूर था और उस कक्ष के बिल्कुल सामने था जहां घटना हुई। कक्ष कुछ ऊंचाई पर था और मुख्य सड़क से अच्छी तरह दिखाई देता था।

वहां एकत्र हुए छोटे-मोटे व्यापारियों ने चिल्लाकर लड़की को इलाज के लिए ले जाने के लिए कहा। अभियुक्त को चाकू अपने हाथ में लिए और खून टपकते हुए इमारत से बाहर आते देखकर उनमें से बहुत से व्यापारी भौचक्के रह गए। वह बाहर कॉलेज से थोड़ी दूरी पर पश्चिम दिशा की ओर गया।

इस बीच पीड़ित फर्श पर गिर पड़ी। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था और 10-15 मिनटों तक उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह स्पष्ट नहीं है कि स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गया या वह कुछ समय के लिए जीवित रही। छात्रों तथा प्रशासन ने मित्रों तथा पुलिस को कई बार फोन किया। श्रीलक्ष्मी को दोपहर करीब 12.00 बजे विजेथल नामक निकटवर्ती गैर-सरकारी अस्पताल

में ले जाया गया जहां उसे मृत लाया गया घोषित किया गया।

अभियुक्त वाई. मनोहर को पुलिस द्वारा अभी पकड़ा जाना है। इस दिन-दहाड़े हत्या पर अनेक महिला समूहों, छात्र संघों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा संबंधित नागरिकों को काफी आघात पहुंचा। श्रीलक्ष्मी कॉलेज प्रबंधकों को तथ्यों की तथा उन पर किए जा रहे उत्पीड़न की जानकारी देने के लिए अपने भाई के साथ उनके पास गया। प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि वे ऐसे व्यवहार के बारे में कोई अधिक कार्रवाई नहीं कर सकते। तत्पश्चात पीड़ित तथा उसका भाई पुलिस आयुक्त के पास गए जिसने शिकायत को अभियुक्त के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए गुंडा-विरोधी स्कवैड के सी.आई. को भेज दिया और सी.आई को आंगोल जाने और अभियुक्त को ढूंढने के निर्देश जारी किए।

गुंडा-विरोधी स्कवैड को भेजे गए पुलिस आयुक्त के पत्र पर कोई संख्या नहीं दी गया, तथापि इसे सी.आई. को भेजा गया था। तत्पश्चात उसे ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया। फिर भी सी.आई ने श्रीलक्ष्मी से बार-बार यह पूछना उचित समझा कि क्या मनोहर उसे अभी भी धमकी दे रहा है या परेशान कर रहा है। उसने श्रीलक्ष्मी को अपना मोबाइल नम्बर भी दिया और अभियुक्त के कहीं दिखाई देने पर उससे सम्पर्क करने के लिए कहा।

हैदराबाद जाने से काफी पहले भाई की मनोहर से झड़प हुई। मनोहर एक बार नशे की हालत में उसके पास आया और यह कहने लगा कि उसने उससे कुछ बात करनी है। भाई उसे सैर के लिए ले गया और गली की नुक्कड़ में करीब दो घंटे तक उससे बातचीत की। पीड़िता के भाई ने उसे बताया कि उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं है वह उन्हें अपना जीवन बिताने दे। दो घंटे की बातचीत में मनोहर ने कथित रूप से एक कागज दिखाया जिसमें उसने बड़े गर्व से पुलिस का आरोप-पत्र दिखाया जिसमें उसे एक हत्या के मामले में आरोपी दिखाया गया था।

उसके हिंसक व्यवहार, आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बार-बार जानकारी प्राप्त होने और उसके पिता द्वारा यह दावा किए जाने के बावजूद भी कि उसने अपने पुत्र को प्रायः छोड़ दिया है, कॉलेज ने कभी एक बार भी कोई ज्ञापन जारी नहीं किया। ऐसा प्रतीत

होता है कि उन्होंने इस आशा में आंख मूद ली कि समस्या खत्म हो जाएगी।

कॉलेज प्रबंधकों ने माना कि चालू वर्ष की परीक्षा में बैठने के लिए आरोपी की अपेक्षित कुल उपस्थिति की तुलना में केवल पांच प्रतिशत उपस्थिति थी। प्रहार के पश्चात पीड़ित लड़की कमरे के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी जहां वह मौखिक परीक्षा के लिए प्रतीक्षा कर रही थी।

सिफारिशें :

- गुंडा विरोधी स्कवैड के सी.आई. ने घोर कर्तव्यच्युति की है जिसके लिए कठोर कार्रवायी करने की आवश्यकता है क्योंकि उसकी भूल के कारण लड़की की मृत्यु हो गया जिसने स्पष्ट शिकायत दी थी। उसे निलंबित किया जाना चाहिए और उसकी असफलताओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत जांच की जानी चाहिए।
- जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए, पुलिस आयुक्त को कॉलेज प्रबंधकों, अभिभावकों, संबंधित नागरिकों, महिला समूहों और संघों के साथ तुरंत एक बैठक का आयोजन करना चाहिए और महिलाओं तथा लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। ऐसा नया शैक्षणिक वर्ष आरंभ होने से पूर्व किया जाना चाहिए।
- बैठक प्रत्येक थाने के स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए। महिलाओं द्वारा शिकायतों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए नियमित रूप से समय-समय पर ऐसी बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। नागरिक स्तर के समूहों को कॉलेजों में तथा उनके आस-पास की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए, जब और जहां आवश्यक हो शिकायतें दर्ज करनी चाहिएं।
- नागरिक स्तर के समूहों में सभी पणधारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जिसमें पुलिस को व्यवहार-कुशल नागरिकों को परेशान करने का अधिकार रखने वाले पुरुष

के बजाय एक मित्रवत विधि प्रवर्तन अधिकारी की भूमिका निभानी चाहिए।

- कॉलेज की यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक जांच-शिकायत समिति का गठन करना चाहिए।
- कॉलेज को प्राप्त सभी शिकायतों का अभिलेख रखना चाहिए और समस्या को निपटाने में अपनाए गए तरीकों तथा लिए गए निर्णय का विवरण देते हुए प्रत्येक मामले का अभिलेख करना चाहिए।
- जब आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाही अविलंब की जानी चाहिए। तथापि, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह भोले-भाले छात्रों को परेशान करने का एक साधन न बन जाए।
- विश्वविद्यालयों को शिकायत समितियों द्वारा किए गए कार्य की आवधिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
- महिला और बाल कल्याण विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका उन कॉलेजों के साथ ध्यानपूर्वक विचार विनिमय हो जहां युवा लड़कियों की विशिष्ट समस्याएं हों और लड़कियों के अधिक सशक्तिकरण के एक तरीके के रूप में परामर्श का प्रयोग किया जाए। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉलेजों का प्रशासन उनके अनुभव से लाभ उठाए और सुनिश्चित करे कि छात्राओं से प्राप्त शिकायतों को सावधानी से निपटाया जाता है।
- विभाग को उच्च शिक्षा विभाग से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए और छात्राओं में उनकी कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने में मदद करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पुलिस मामलों में अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए।

(xii) **दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में काम करने वाली महिलाओं का कथित उत्पीड़न और उसके साथ भेदभाव :** महिलाओं को विशेष रूप से सज्जा शिल्पकार के रूप में काम करने

के अवसर से वंचित किया जा रहा था। उन्हें उनकी योग्यता और शैली कलाकार के रूप में अनुभव का ध्यान रखे बिना केश-शैलीकार के रूप में सदस्य बनने के लए कहा गया। गैर-फिल्म आधारित कार्यकलापों में काम करने पर भी सदस्यों का उत्पीड़न किया जा रहा था।

योग्यता प्राप्त महिला रूप सज्जा शिल्पकारों ने यह शिकायत की कि उन्हें फिल्म उद्योग में रूप सज्जा कलाकारों के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। संघ अपनी उप-विधियों के अनुसार आवेदन पत्र पर विचार करता है और तत्पश्चात नाममात्र सदस्यता शुल्क के साथ सदस्यता देता है। तथापि प्राप्त शिकायत से यह स्पष्ट है कि वास्तव में महिलाओं के साथ कुछ संघ अलग व्यवहार करते हैं। रूप-सज्जा कलाकार के रूप में सदस्यता प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को संघों द्वारा बताया जा रहा था कि वे केश-शैलीकार के रूप में न कि रूप सज्जा कलाकार के रूप में सदस्यता ले सकती हैं। कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जा रही थी। फिर भी, यदि पुरुषों को दोनों अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के लिए रूप सज्जा कलाकार बनने की अनुमति दी जा सकती थी तो महिलाओं को रूप सज्जा कलाकार बनने से रोकना अनुचित था।

शिकायतकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि महिला रूप सज्जा कलाकारों को जो विज्ञापन फिल्मों, टेलीविजन के लिए वर्षाणिज्यिक फिल्मों, अचल फोटोग्राफिक, वर्षाणिज्यिक फिल्मों में प्रिंट मीडिया के लिए काम करते हैं, परेशान किया जा रहा है।

तथ्य इस प्रकार हैं

- यह आरोप स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है कि महिलाओं को सिनेमा रूप सज्जा कलाकारों के रूप में सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- निर्माताओं द्वारा गैर-सदस्यों के नियोजन को रोकने के लिए स्कवैड टोह समूहों के रूप में काम करते हैं जानकारी मिलने पर वे गड़बड़ी करते हैं, झगड़ा करते हैं और कई बार फर्नीचर को क्षति पहुंचाते हैं। उन्होंने अनेक बार धमकी देकर दिन

का काम रोका।

- गैर-सदस्य प्रभार के नाम पर जुर्माना एकत्र किया जाता है।
- ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते समय संघ की आम सभा की बैठक में धमकी भरी और कठोर भाषा का प्रयोग किया गया।
- रूप-सज्जा कलाकार संघ की महासभा की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका की अनेक प्रविटियों से यह सिद्ध हो जाता है कि इस मामले में वे स्पष्टतया अपनी उप-विधियों के प्रतिकूल काम कर रहे थे। सिनेमा रूप सज्जा कलाकार संघ का रवैया महिलाओं के प्रति भेद मूलक था।
- सिनेमा रूप सज्जा संघ की उप-विधियां, मजदूर संघ अधिनियम का कोई अन्य प्राधिकरण सिनेमा रूप सज्जा संघ को स्कवैड रखने और स्थल पर या उनके कागया लय में जुर्माना एकत्र करने का अधिकार नहीं देता।

सिफारिशें :

- चूंकि सिनेमा रूप-सज्जा कलाकार संघ ने अपनी उप-विधियों तथा मजदूर संघ अधिनियम के विपरीत काम किया है, उन्हें स्थिति को सुधारने की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। शिकायतकर्ता महिलाओं को श्रीमती भानू भायम, श्रीमती सुनीता सिंह, श्रीमती परसीस मांगरीलिया, श्रीमती ब्रिन्दा को रूप सज्जा कलाकार के रूप में अविलंब सदस्यता दी जानी चाहिए।
- सभी 22 शिल्पी संघों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे इस आशय का समाचार-पत्रों में विज्ञापन दें कि वे भेदभाव नहीं करते, वे महिला सदस्यों का भी स्वागत करते हैं। इससे लोगों के मन में ऐसी आशंका दूर हो जाएगी कि फिल्म उद्योग में विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है।
- श्रम आयुक्त को, जिसको जांच में बुलाया गया था, सिनेमा रूप सज्जा कलाकार संघ के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न किया और उन्हें अपने संघ में समान अवसर देने से इंकार किया। सदस्यता के

लिए आवेदन करने वाली महिलाओं, स्कवैड कार्रवाई, जुर्माना वसूली दर्शाने वाली कार्यवृत्त पुस्तिका श्रम आयुक्त को सौंपी गई।

- फेडरेशन ऑफ फिल्म एम्पलाइज ऑफ साउथ इंडिया को अपने सभी संघों को यह बताने के लिए कहा जाना चाहिए कि उन्हें महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए और उन्हें महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार पेशे का चयन करने के अवसर प्रदान करने चाहिएं।
- गैर-सदस्यों को काम करने से रोका नहीं जा सकता। संघ सदस्य बनने के लिए शिल्पकारों से अनुनय-विनय कर सकते हैं। ऐसा करते समय वे इसके लाभों पर प्रकाश डाल सकते हैं। गैर-सदस्यों पर कभी भी उत्पीड़न, काम में बाधा, शारीरिक सुरक्षा की धमकी या मानसिक उत्पीड़न आदि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(xiii) **ठाकुर वीरीसिंह कॉलेज (टूंडला) में महिला प्राध्यापकों का कथित यौन उत्पीड़न** : ठाकुर वीरीसिंह कॉलेज (टूंडला), जिला फिरोजाबाद,उत्तर प्रदेश के महिला प्राध्यापकों से एक शिकायत में कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने यह उल्लेख भी किया कि थाना टूंडला में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज की गया थी किंतु पुलिस प्राधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

सिफारिशें

- यह देखने में आया कि कालेज का प्रधानाचार्य आंशिक रूप से अपने कागया लय का काम अपने निवास स्थान पर करता है। उन्हें अपना सरकारी काम कागया लय में ही पूरा करने के लिए कहा जाना चाहिए।
- डा. (श्रीमती) कमलेश, एक प्राध्यापक के अनुसार प्रधानाचार्य ने वरिष्ठ वेतनमान के अनुसार उसका वेतन निर्धारित करने के लिए 30,000 रुपये की मांग की। इसकी जांच की जानी चाहिए।

- यह आरोप लगाया गया कि प्रधानाचार्य ने जाति-आधार पर महिला प्राध्यापकों को गाली दी थी। इसकी जांच की जानी चाहिए।
- कालेज के सभी महिला कर्मचारियों की किसी प्रकार के उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त रूप से अपनी आवाज उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। प्राध्यापकों को भी भविष्य में सरकारी काम के लिए प्रधानाचार्य के निवास स्थान पर न जाने की चेतावनी दी जानी चाहिए।
- प्रधानाचार्य का किसी अन्य कालेज में तबादला कर दिया जाना चाहिए। इस घटना से कालेज में अध्ययन करने वाले 2000 छात्रों के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- प्रधानाचार्य की महिला कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करने की चेतावनी दी जानी चाहिए।
- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद कालेज का नियंत्रक है। अतः यदि ऐसी घटना पुनः होती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

(xiv) **नई दिल्ली में एक बस चालक द्वारा एक अंधी लड़की का बलात्कार करने का समाचार** : एक बस चालक द्वारा एक अंधी लड़की के साथ बलात्कार किया गया। पीड़ित लड़की हेमा की आयु 16 वर्ष है। उसके पाठशाला से बाहर आने पर बस नं0 डी.एल./आई.पी.ए-5259 के चालक सुरेंद्र ने उसे बताया कि उसकी बस नहीं आएगी और उसका पिता बसंत विहार मदिर के पास उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। करीब दो किलोमीटर चलने के पश्चात वे बायोडायवर्सिटी, पार्क में गए। उनके चलते-चलते हेमा का दुपट्टा एक कांटे से अटक गया। तभी सरेंद्र ने उसके दुपट्टे पर तरल पदार्थ डाल दिया और उसे उसके मुंह में ठूंस दिया जिसके पश्चात हेमा बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह खून से लथपथ है। अपने जीवन को खतरा होने के डर से वह चिल्लाई नहीं। सुरेंद्र ने उसे किसी को इसके बारे में कोई बात न बताने की चेतावनी दी और गंभीर परिणाम होने की धमकी दी। पार्क से बाहर आने पर हेमा ने घर जाने के लिए ऑटोरिक्शा लिया।

उसने अपने पिता को इस घटना का ब्यौरा दिया जो उसे बसंत विहार थाने ले गए। तत्पश्चात सफदरजंग अस्पताल में उसकी जांच की गई।

केस के तथ्य इस प्रकार हैं :

- यह अपराध दिन दहाड़े किया गया।
- पीड़ित लड़की इस सद्भावना से अभियुक्त के साथ गया कि वह सच बोल रहा होगा और उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यद्यपि यहां कुछ कमी दिखाई देती है, तथापि चूंकि वह अवयस्क है, संदेह का लाभ उसे दिया जाना चाहिए।
- अभियुक्त ने लड़की को आर.के.पुरम, नई दिल्ली स्थित नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड नामक पाठशाला के सामने स्थित बस स्टैंड से उठाया। यह स्थान एक व्यस्त सड़क है।
- अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
- प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दर्ज की गया है।
- लड़की की चिकित्सकीय कानूनी जांच निश्चयात्मक है और झिल्ली फटी पाई गया है।
- पीड़ित लड़की चालक को जानती थी और स्वेच्छा से उसके साथ गया क्योंकि वह कभी-कभी रिक्शा लेने में उसकी मदद करता था।
- लड़की के दोनों मां और बाप अंधे हैं और पीड़ित लड़की की दो अंधी बहनें हैं।
- मां-बाप सामाजिक कलंक से भयभीत हैं और चाहते हैं कि मीडिया उन्हें आगे परेशान न करे जो बार-बार उनके पास आते रहते हैं। उन्होंने उन्हें अकेले छोड़ देने की प्रार्थना की।

सिफारिशें

- पुलिस को शीघ्र से शीघ्र अपना आरोप पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

- अभियुक्त को कानून के तहत कठोर दंड दिया जाना चाहिए।
- आर.के.पुरम और वसंत विहार पुलिस की भूमिका की सराहना करनी चाहिए। एक आदर्श भूमिका के रूप में इसका अनुसरण किया जाना चाहिए।
- मीडिया को बलात्कार पीड़ित की तस्वीरें और वीडियो को प्रचार में शामिल न करने की चेतावनी दी जानी चाहिए।
- किसी पर अंधाधुंध विश्वास न करने के लिए आंखों से विकलांग लड़कियों में अधिक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।
- पीड़ित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(XV) **मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारी तथा अन्य द्वारा एक अवयस्क लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का समाचार :** पीड़ित लड़की की आयु करीब 15 वर्ष है (अस्थि विकास जांच में उसकी आयु साढ़े बारह और साढ़े चौदह वर्ष के बीच दिखाई गया है। वह अपनी मां के साथ बिसमिल्लाह चाल में रहती है जो घरेलू काम करके अपनी आजीविका अर्जित करती है। उसके मां-बाप का कई वर्ष पूर्व तलाक हो गया था और इस प्रकार यासमीन का अकेली मां द्वारा पालन-पोषण किया गया।

उसके याकूब पठान नामक एक रिश्तेदार ने 800 रुपये प्रति माह के वेतन पर एक घरेलू मजदूर के रूप में यासमीन को काम देने की पेशकश की। जिस दिन उसकी युवा लड़की ने नया काम शुरू किया करीब चार लोग घर आए और स्वाती ने नव-नियुक्त नौकरानी को उन पुरुषों के साथ जाने, कुछ कागजात एकत्र करने और वापस आने के लिए कहा। लड़की को एक पुलिस अधिकारी विकास यादव द्वारा एक कार में ले जाया गया जिसने रास्ते में एक दुकान से शराब खरीदी और अपने दोस्तों -मीना, गुड्डू, मालवीय और राजकुमार शर्मा को जाकर लाया। लड़की ने इन दोस्तों के बीच आपस में बातचीत के दौरान ये नाम सुने। लड़की को एक फार्म हाउस में ले जाया गया जहां उन्होंने पहले शराब पी और तत्पश्चात उसे पूरी तरह नंगा होने को कहा।

उसने विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई, उनका हुक्म मानने के लिए बाध्य किया गया और बाद में उसका बलात्कार किया गया। पहले विकास ने और फिर उन पांच व्यक्तियों में से प्रत्येक ने बलात्कार किया। अंत में विकास पाठक ने अन्य सभी को फार्म हाउस से जाने को कहा और पुनः लड़की का बलात्कार किया। उसके बाद के दिनों में लड़की होशंगाबाद, इटारसी में विभिन्न पुरुषों को एक मकान में मुहैया कराया जहां दो लोगों ने उसका बलात्कार किया। तत्पश्चात उसे नए बाजार में मुहैया किया गया जहां एक करीब 50 वर्षीय व्यक्ति और दो अन्य व्यक्तियों ने उसका बलात्कार किया।

कुछ दिनों बाद वह स्वाती के घर से उसके गोलू नामक नौकर की सहायता से भाग गई जो स्पष्टतः इस मामले के तथ्यों से अवगत था। यह घटना 23 मार्च को हुई। ऐसा हुआ कि एक चिकित्सक डा. अभिमन्यु सिंह को करीब आधी रात एक आतंकित लड़की जो केवल एक कमीज पहने हुए थी देखकर उसने अपनी कार रोक दी और सहायता करने की पेशकश की। उसे बताया गया कि लड़की मानसिक आघात में है और उस पर शारीरिक प्रहार किया गया है। उसने अपने मोबाइल पर पुलिस से संपर्क स्थापित किया। लड़की को हवलदार राम लक्ष्मण सिंह और स्वरूप सिंह के हवाले कर दिया। उसे थाने ले जाया गया। थानाध्यक्ष श्री आर.के. भदोड़िया को मामला सौंपा गया। तथापि, थानाध्यक्ष ने इतने घृणित अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की और इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं दी। इसके प्रतिकूल उसने जाली सबूत तैयार किया। पीड़ित लड़की को एक कागज के टुकड़े पर अपना अंगूठा लगाने के लिए बाध्य किया गया जिसके अनुसार कोई अपराध हुआ ही नहीं था और इसके बजाय पीड़ित लड़की को यह बताने के लिए कहा गया कि वह एक युवा मित्र के साथ सड़क पर थी।

लड़की अन्ततः किसी तरह अपने घर पहुंच गया और अपनी मां को पूरी बात बताई। गंभीर मानसिक आघात के पश्चात स्वास्थ्य खराब होने से करीब एक मास तक उसका निरंतर रक्तस्त्राव होता रहा। एक मास के पश्चात पीड़ित लड़की ने महिला थाने में एक शिकायत दायर की और पूरी कहानी बताई। एक चिकित्सीय जांच

की गई। उसी रात उसे स्वाती द्वारा उसके खिलाफ शिकायत करने का दुःसाहस करने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की पुनः धमकी दी गई। तत्पश्चात परिवार को बलात बाहर खींचा गया और परिवार के पांच सदस्यों को स्वाती के तीन एजेंटों की निगरानी में होटल प्रिंस के एक कमरे में तीन दिन के लिए बंद रखा गया। तीन दिन पश्चात परिवार भागने में सफल हो गया और महिला थाना में शिकायत दर्ज की और उसके बाद से परिवार सुरक्षा और बचाव के कारणों से थाने में रह रहा है। एक अन्य लड़की देवयानी पोर्ट उर्फ बुलबुल वास्तव में स्वाती के साथ रहती थी और ये दोनों भागीदार के रूप में अवैध धंधा चलाती थीं।

जांच के दौरान यासमीन, उसकी मां फरजाना और अन्य गवाहों अर्थात आबिद, नसरीन, ओईवास, अभिमन्यु सिंह, याकूब, मेहताब सिंह, रामलक्ष्मण, अभिषोक त्यागी, अशोक गोयल और मनोज निगम के बयान दर्ज किए गए हैं। इन बयानों से पता चला है कि यासमीन का बलात्कार लेकव्यू फार्म हाउस नीलबार में किया गया। घटना की रात को स्वाती शुक्ला ने थाने में यासमीन को धमकी दी और थानाध्यक्ष, थाना रतिबारी की मिलीभगत से कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई। वास्तव में लड़की को एक कागज के टुकड़े पर अपना अंगूठा लगाने के लिए बाध्य किया गया जिसमें उसे यह कहने के लिए कहा गया कि वह वास्तव में अपने युवा मित्र के साथ थी और कोई बलात्कार हुआ ही नहीं है।

स्वाती शुक्ला को एक अन्य अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्तों अर्थात विकास पाठक, मनीषा मुद्गल, गुड्डू और संजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया। दो अन्य अभियुक्तों अर्थात राजकुमार शर्मा, नजमी और अमीर इस्लाम को गिरफ्तार किया गया और इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

यासमीन के बयान से यह पता चलता है कि गरीबी के कारण उसकी मां ने उसे एक नौकरानी के रूप में काम करने के लिए भेजा ताकि परिवार को भुखमरी से बचाया जा सके। स्वाती शुक्ला ने उनकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाया और उसे पूरा दिन काम करने के लिए बाध्य किया। यासमीन की कम आयु का लाभ उठाते

हुए उसने आर्थिक लाभ के लिए या संभवतया उनसे किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए उसने यासमीन को यौन शोषण के लिए विकास पाठक तथा अन्य के हवाले कर दिया।

सिफारिशें

- यासमीन के सामूहिक बलात्कार का मामला काफी संवेदनशील है और आरोप काफी प्रभावशाली तथा शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए हैं। अतः इस मामले पर उच्चतम स्तर पर पुलिस द्वारा निगरानी रखी जानी चाहिए।
- यासमीन के सामूहिक बलात्कार पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वाती शुक्ला यासमीन को उसके पश्चात होशंगाबाद, इटारसी और भोपाल में नया बाजार ले गई जहां कई व्यक्तियों ने अलग-अलग अवसरों पर उसका बलात्कार किया। अतः इस मामले और अन्य तीन स्थानों पर हुई घटनाओं को जोड़ा जाना चाहिए। एक नई प्राथमिकी दायर की जानी चाहिए या अतिरिक्त प्राथमिकी इस मामले में जोड़ी जानी चाहिए और इस मामले की विस्तार से जांच की जानी चाहिए।
- इस बात की पूरी संभावना है कि इस प्रकार की कई लड़कियों का शोषण और उत्पीड़न किया गया होगा। अतः पुलिस को इस पहलू का पता लगाना चाहिए एवं जांच करनी चाहिए और दोबियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
- यासमीन और उसके परिवार के सदस्यों को काफी खतरा है, उनकी रक्षा की जानी चाहिए और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यासमीन को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- यासमीन एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है और उसकी गरीबी के कारण बहुत कम आयु में उसका यौन शोषण किया गया। अतः उसका उचित ढंग से पुनर्वास किया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा उसे पर्याप्त

मुआवजा दिया जाना चाहिए।

- प्रिंस होटल के मालिक को तीन दिन तक यासमीन और उसके परिवार को अवैध रूप से बंद रखने के अपराध को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
- सभी पुलिस कार्मिकों को बलात्कार जैसे घृणित अपराधों की सूचना उच्चतम अधिकारी को देने के अनुदेश जारी किए जाने चाहिए यदि उनके ऊपर का अधिकारी अपराध का संज्ञान करने में असफल रहता है।
- रतिवाड़ी थाने के थानाध्यक्ष ने एक अवयस्क लड़की के सामूहिक बलात्कार के घृणित अपराध का संज्ञान न करके स्वाती, विकास पाठक तथा अन्य अभियुक्तों के साथ जानबूझकर सांठगांठ की। उन्होंने अभियुक्त के पक्ष में गलत दस्तावेज तैयार करने में भी दोषी व्यक्तियों की सहायता की और पीड़ित को धमकाया। उन्होंने अपराध का महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट करने में भी मदद की। पीड़ित की चिकित्सकीय जांच नहीं की गई और पीड़ित के कपड़े जब्त नहीं किए गए। अतः राज्य सरकार को रतिवाड़ी थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संगत धारा के तहत तत्काल एक दांडिक मामला दर्ज करना चाहिए।
- फार्म हाउस के मालिक को सभी प्रयास किए जाने चाहिए और पूरी सावधानी से तथा निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में एक आरोप पत्र उसके विरुद्ध दायर किया जाना चाहिए।
- यासमीन के मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को न्याय के हित में अधिकतम साख वाले एक बहुत ही वरिष्ठ सरकारी अभियोजक की नियुक्ति करनी चाहिए।

(xvi) **बीकानेर में एक महिला की कथित दहेज हत्या**

परिचय : नन्दराम पुरोहित ने अपनी बेटी भारती पुरोहित की दहेज हत्या के बारे में शिकायत दर्ज की जिसकी हत्या गांव नोखा, बीकानेर में उसके ससुराल वालों द्वारा की गई। पुलिस प्राधिकारियों

ने इस मामले की उचित कार्रवाई नहीं की। पूरी घटना की जांच के पश्चात्, यह तथ्य सामने आए :

1. पुलिस ने मामले की पूरी तरह जांच नहीं की है क्योंकि उन्होंने मृतक की सास और बहनों के बयान लिए थे।
2. ससुराल के अनुसार लड़की ने फांसी लेकर आत्महत्या की थी किंतु पुलिस के अनुसार, यद्यपि लड़की की गर्दन पर एक रस्सी के दाब थे किंतु इससे फांसी का कोई निशान नहीं मिला।
3. घटना स्थल का निरीक्षण किया और कमरे को देखा जहां स्पष्टतया घटना हुई थी तो पाया कि पंखे और मृतक के बीच दूरी बहुत कम थी जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति पंखे से फांसी नहीं ले सकता था।
4. शव परीक्षा रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि लड़की की गला घोंटने के कारण मृत्यु हुई किंतु किसी प्रकार फांसी लेने से नहीं हुई।
5. दरवाजा ताला तोड़कर नहीं खोला गया क्योंकि बाहर से बलात अंदर आने का कोई चिह्न नहीं मिला।
6. पुलिस के कथन के अनुसार ससुराल पक्ष से किसी ने अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। मृतक का चाचा थाने में गया और उसी ने प्राथमिकी दायर कराई।

सिफारिशें

- पुलिस को ऐसे मामले गंभीरता से लेने चाहिए और अभियुक्त के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
- पुलिस को पूर्णतया निष्पक्ष होना चाहिए ताकि तथ्य सामने आ सकें।
- इस प्रकार की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए और उसमें एक महिला अधिकारी को शामिल किया जाना चाहिए।
- जांच समिति का सुझाव है कि पुलिस को प्राथमिकी में

उल्लिखित सभी व्यक्तियों से पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।

- इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए।
- मृतक का स्त्रीधन मृतक के मां-बाप को लौटाया जाना चाहिए।
- आयोग की समिति का मानना है कि संबंधित डाक्टर को इस मामले में पुलिस को सूचित करना चाहिए था किंतु डाक्टर ने इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहा।

(xvii) **जयपुर में एक वस्त्रहीन महिला की परेड कराने का समाचार** : केस के तथ्य इस प्रकार है --

- महिला का वैयक्तिक शत्रुता के कारण मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया।
- पूरे गांव ने इस घटना को देखा लेकिन किसी ने उसे नंगा किए जाने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
- वार्ड की प्रतिनिधि के स्वयं महिला होने पर भी उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और पूरी शर्मनाक घटना होने के बाद ही वह अपने घर से बाहर आई।
- यह हर महिला के लिए एक दिल दहलाने वाली घटना है और महिलाओं की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

सिफारिशें

- पुलिस को इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और कर्तव्य उचित प्रकार से न निभानेट के कारण कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहिए।
- महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से समाज का मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि यद्यपि कुछ महिलाएं महिलाओं को अपमान से बचाने में रूचि रखती

हैं फिर भी वे अपने परिवारों की संभाव्य प्रतिक्रिया के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहती हैं।

- ऐसी वीभत्स घटनाओं में शामिल अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए।
- वार्ड के पंच से यह पूछा जाए कि उसने इस घटना को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जबकि वह ऐसी घटनाओं के लिए जवाबदेह है।
- जिला प्रशासन को उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इस प्रकार की घटनाएं पुनः नहीं दोहराई जाएँ।

(xviii) **शिवाजी पार्क थाना, मुम्बई में पुलिस हिरासत में 45 वर्षीय महिला की मृत्यु का समाचार** : श्रीमती विमल हरि उपमा को उसके चार साथियों के साथ जेब काटने के आरोप में पकड़ लिया गया। उसे भोईवाड़ा थाना, मुम्बई में नजरबंद किया गया और दो दिन के लिए हिरासत में रखा गया। दो दिन बाद रात को उसे बेहोशी की हालत में के.ई.एम. अस्पताल में लाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई।

के.ई.एम. अस्पताल के रिकार्ड के अनुसार मृतक के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं पाई गई। मैडिकल रिकार्ड में आंतरिक चोटें दिखाई गई हैं अर्थात कपाल के कोठ में कई रक्त-वाहिकाओं का फटना। तथापि अत्यधिक मानसिक उत्पीड़न तथा अन्य शारीरिक समस्याओं से आंतरिक चोट या रक्तस्राव हुआ होगा।

डा. विजय काले के अनुसार, जो उसे सर्वप्रथम देखने वालों में थे, उसका रक्त दाब बहुत अधिक अर्थात 120/240 था और इससे पता चलता है कि रोगी तीव्र तनाव से पीड़ित था। डाक्टरों का कहना था कि रक्त दाब इतना अधिक था कि इससे कई रक्त वाहिकाएं फट गया होंगी जिससे अत्यधिक रक्तपात हुआ होगा। यह उल्लेखनीय है कि रोगी की उसकी गिरफ्तारी के समय डाक्टरी जांच से पता चलता है कि सभी महत्वपूर्ण मापदंड स्थिर थे और स्वास्थ्य की दृष्टि से रोगी सामान्य थी।

डाक्टरों के साथ विस्तृत बातचीत, हवालात में जिस हालत में विमल रही उसे देखने और सह-बंदियों के बयानों से जो बिंदू

सामने आए वे नीचे दिए गए हैं। स्पष्टतया, विमल को तंबाकू चूसने की आदत थी और हवालात में बंद होने के समय उसे तंबाकू देने से इंकार करने से उसकी चिंता और उच्च रक्तचाप आदि बढ़े होंगे।

विमल परिवार में अकेली रोजी-रोटी का जरिया थी। जेब-कतरने की आरोपी अथवा जेब कतरन समूह की सदस्य पाए जाने पर निश्चित रूप से उसे मानसिक आघात हुआ होगा। इसके अतिरिक्त उसे घबराहट और मानसिक तनाव भी हुआ होगा जो सामान्यतया लोगों को होता है जब उन्हें पुलिस बल के सदस्यों, पुलिस, हवालात और अस्पताल का सामना करना पड़ता है -- इन सभी चीजों से काफी क्षति हो सकती है -पहले भावुक और मानसिक क्षति होती है, फिर शरीर को क्षति होती है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकोष्ठ में कोई पंखा नहीं था और न ही रोशनी तथा हवा अंदर आने का कोई रास्ता था।

विमल की मृत्यु कुछ हद तक पुलिस हवालात में रखे जाने के कारण नहीं हुई। पुलिस हवालात में मानसिक उत्पीड़न, मानसिक आघात, शोचनीय और अमानवीय हालात कुछ हद तक उसकी मृत्यु के जिम्मेदार रहे होंगे। मुम्बई शहर के मध्य में स्थित शिवाजी पार्क, दादर जैसे स्थान पर हवालात की दयनीय स्थिति है। महाराष्ट्र सरकार को इस ओर ध्यान देना भी आवश्यक है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हवालात में अत्यधिक गर्मी, पंखे के न होने के कारण विमल को पूरी रात जागते रहना पड़ा, काफी तड़पती रही और प्रातःकाल छाती में तीव्र दर्द की शिकायत की।

सिफारिशें

- महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए बंदियों के लिए अभिप्रेत सभी हवालातों की जांच करनी चाहिए कि उनमें रोशनी का अच्छा प्रबंध हो, हवा का अच्छा प्रबंध हो, उनमें पंखे हों, फर्श की हालत अच्छी हो, बिस्तर की चादरें, पलंग पोश, कम्बल और तकिए साफ-सुथरे हों।
- राज्य सरकार अथवा मुम्बई नगर निगम को विमल के निकट संबंधी संभवतया सुभाष को क्षतिपूर्ति के लिए काफी

मुआवजा देना चाहिए। मोटे तौर पर विमल को मृत्यु के समय जितना वेतन और भत्ता मिल रहा था उसके आधार पर उसे 6 वर्ष के वेतन और भत्ते के बराबर राशि मुआवजे के रूप में दी जानी चाहिए। यह पूरी राशि भारतीय रिजर्व बैंक के कर-मुक्त बंधपत्र में निवेशित की जानी चाहिए जिसमें से केवल ब्याज की राशि निकट संबंधी को दी जानी चाहिए।

- सुभाष को एक विशेष मामले के रूप में उसकी उपलब्धियों के अनुपात में एक रोजगार भी दिया जाना चाहिए।
- पुलिस के पास उपलब्ध सभी चिकित्सकीय रिकार्ड एक आपात स्थिति में अस्पताल भेजे जाएं और ड्यूटी पर तैनात डाक्टर को उपलब्ध कराए जाएं।
- बेहोशी की हालत के बारे में रोगी के परिवार को सूचित न करने के लिए पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। बेटे को उसकी मां की मृत्यु के 3-4 घंटे बाद बताया गया।
- पुलिस को महिला बंदियों विशेष रूप से रोगियों से निपटते समय संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। महिला सिपाही ने बेहोशी के प्रथम संकेत पर ही तेजी से कार्रवाई की होती और बीमार रोगी को ले जाने के लिए एम्बूलेंस को बुलाना चाहिए था।

2. भारतीय संविधान में महिला सुरक्षा से संबंधी कानूनी अधिकार

महिलाओं की दशा सुधारने के लिए भारतीय संविधान में कानून बनाए गए हैं और समय-समय पर उनमें परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किया जाता रहता है। हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करने की मंशा की घोषणा करता है। हमारे देश के सभी कानून हमारे संविधान द्वारा अधिकृत होते हैं।

भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक न्याय निम्नलिखित दो तरीकों से लागू किया गया है :

1. देश की सभी महिलाओं और पुरुषों को कुछ अधिकार प्रदान कर, इन्हें नागरिकों के मूल अधिकार कहा जाता है।
2. सरकार को कुछ सिद्धांतों को लागू करने के निर्देश देकर इन्हें राज्य के नीति-निर्देशक तत्व कहा जाता है।

मूल संवैधानिक अधिकारों में समानता के अधिकार का महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। समानता के अधिकार के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के साथ :

1. सार्वजनिक नौकरियों में समान अधिकार है तथा
2. समान वेतन का अधिकार है।

यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों की अवहेलना हो तो वे कानून की मदद ले सकते हैं। इस तरह के मामले (उच्च न्यायालय) अथवा (उच्चतम न्यायालय) में दायर किए जा सकते हैं।

कामकाजी महिलाओं के अधिकार

हर महिला कहीं न कहीं काम करती है। वह घर का काम तो करती ही है, अक्सर वह पैसा कमाने के लिए घर से बाहर भी काम करती है। काम करने वाली महिलाओं को मालूम होना चाहिए कि उनके कुछ मूल अधिकार बनते हैं। ये मूल अधिकार भारत के संविधान में दिए गए हैं, जिन्हें काम में लाने के लिए सरकार ने अलग-अलग कानून बनाकर तय किए हैं।

ये कौन से अधिकार है ?

- काम करने वाली हर महिला या पुरुष को काम करने के लिए वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए।
- यह वेतन या तनख्वाह कम से कम उतनी ही होनी चाहिए, जितनी सरकार ने तय की हो। यानि, न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए।
- बराबर के काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए अर्थात

एक ही काम के लिए या एक जैसे काम के लिए, महिला को पुरुष के बराबर पैसे मिलने चाहिए कम नहीं।

महिलाओं को गर्भावस्था व प्रसूति से संबंधित कुछ खास अधिकार दिए गए हैं।

न्यूनतम वेतन (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948)

सामान्यतः यह देखा गया है कि मजदूरों से काम --कराने के बाद भी उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी या फिर मामूली-सी मजदूरी दी जाती थी। इस तरह उन मजदूरों का शोषण किया जाता था। इस शोषण को रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया गया है जिसके अनुसार मजदूर को उसके द्वारा किए गए काम के लिए जितनी सरकार ने मजदूरी तय की है, उसे प्राप्त हो। इसी को न्यूनतम मजदूरी कानून कहते हैं।

न्यूनतम मजदूरी का हक किसको है ?

1. अस्थाई रूप से काम करने वालों को, जैसे -पत्थर तोड़ने वाले या सड़क बनाने वाले।
2. काम के परिणाम के हिसाब से काम करने वाले, जैसे- बीड़ी बनाने वाले या सूती कपड़े बनाने वाले।
3. दिहाड़ी पर काम करने वालों को, जैसे -खानों में काम करने वाले या भवन निर्माण पर काम करने वाले।
4. ठेकेदार के पास काम करने वालों को।
5. किसी बागान या बीड़ी के कारखाने में काम करने वालों को।
6. खेती के कामों में लगी कामगारों पर भी यह कानून लागू होता है।
7. न्यूनतम वेतन का पैसा काम करने वाले व्यक्ति की उम्र के अनुसार निश्चित किया जाता है, जैसे कि :
   1. 14 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए,
   2. 14 साल से 18 साल तक के व्यक्ति के लिए,
   3. 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए, तथा
   4. एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा

सकता। इस अवधि मे आराम का समय भी शामिल है।

आराम या छुट्टी (साप्ताहिक अवकाश)

काम करने वालों को सप्ताह में एक दिन आराम या छुट्टी का दिया जाना चाहिए।

मजदूरी सरकार द्वारा तय दर से कम नहीं होगी और नगद दी जाएगी। मजदूरी में कटौती या कम भुगतान या न होने पर श्रम अधिकारी के पास शिकायत करने पर दोषी को छः माह की सजा या 5 हजार से 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

मजदूरी का भुगतान अधिनियम

1. मजदूरी प्रतिदिन, प्रति घंटे या प्रति माह के हिसाब से दी जा सकती है।
2. महिलाओं से किसी चलती मशीन को साफ करवाना या तेल लगवाना मना है।
3. महिलाओं से एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। किसी कारखाने में काम के समय के बाद काम नहीं लिया जा सकता।
4. सप्ताह में एक दिन का अवकाश अर्थात छुट्टी जरूर मिलनी चाहिए।
5. पांच घंटों से अधिक लगातार काम नहीं कराया जा सकता।
6. काम सिर्फ सुबह के 6 बजे से रात 7 बजे के बीच ही कराया जा सकता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

इस कानून के तहत महिला और पुरुष को एक ही तरह के काम के लिए एक जैसा वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि काम बिल्कुल एक जैसा हो। ''एक समान कार्य'' उन्हें कहेंगे जो मिलते-जुलते हों और जिनमें करीब-करीब एक जैसी मेहनत लगती हो।

प्रसूति सुविधाएं (प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961)

किसी गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कानूनन मिलने वाली सुविधा को प्रसूति सुविधा कहा जाता है।

यह गर्भावस्था के दौरान, बच्चा पैदा होने के बाद, मातृत्व की शुरूआत के महीनों में दी जाती है, इसमें --

1. प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्‌टी।
2. प्रसूति के बाद पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्‌टी।

किसी स्त्री को प्रसूति के छः हफ्ते पहले काम पर नहीं रखा जा सकता, स्त्री से प्रसूति के छः हफ्ते बाद भारी काम लेना कानूनी अपराध है।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971

इस कानून के अनुसार गर्भ समापन तब किया जाए, जब--

1. यदि बच्चे को गर्भ में रखने से मां के जीवन को खतरा है।
2. मां के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा है।
3. गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा है।
4. बच्चा गंभीर रूप से विकलांग पैदा हो सकता है।
5. स्त्री-पुरुष द्वारा अपनाया गया परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो।

12 सप्ताह तक का गर्भ एक डाक्टर की सलाह और 12 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ दो डाक्टरों की सलाह पर ही समाप्त किया जा सकता है, किंतु 20 सप्ताह से अधिक का नहीं।

लड़के की चाह में गर्भस्थ भ्रूण से लिंग का पता लगाकर, कन्या भ्रूण होने पर उसे गिराने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है।

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956

पहले कोई महिला किसी को गोद नहीं ले सकती थी, पर अब इस कानून के बन जाने के बाद पुरुष के समान कोई महिला

भी गोद ले सकती है, यदि --

1. विधवा, तलाकशुदा या कुंवारी हो। ऐसी हिन्दू महिला भी बच्चा गोद ले सकती है।
2. गोद लेने वाली महिला स्वस्थचित्त हो। उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
3. यदि वह शादीशुदा है तो उसका पति ही गोद ले सकता है, वह नहीं, तथा
4. उसका पति पागल है, हिन्दू नहीं रहा है, संन्यासी बन चुका है, तो महिला को बच्चा गोद लेने की अनुमति है।

दूसरी शादी-कानूनी अपराध

पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है।

कानून कहता है कि

1. पहली पत्नी के जीते जी दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ थाने में या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है, ऐसे पति को सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
2. ऐसी दूसरी शादी कानून में वैध शादी नहीं मानी जाती।
3. पत्नी की सहमति से की गई शादी भी गैर-कानूनी है।
4. दूसरी पत्नी को वास्तव में पत्नी का कोई हक नहीं मिलेगा। उसे न तो खर्चा मांगने का कोई हक होगा, न ही पति की संपत्ति में कोई अधिकार मिलेगा।
5. हां, अगर पहली पत्नी की मौजूदगी दूसरी स्त्री से छिपाई गई हो तो दूसरी पत्नी पति के खिलाफ धोखे का मुकदमा कर सकती है, वह पति से मुआवजा लेने के लिए भी मुकदमा कर सकती है।
6. ऐसी दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे को पिता की संपत्ति में वह सभी हक मिलेंगे जो कि जायज औलाद को मिलते हैं।

बाल विवाह-कानूनी अपराध

21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह बाल विवाह कहलाता है, ऐसा करना कानून के अनुसार जुर्म है।

हिन्दू विवाह अधिनियम कहता है

21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की यदि अपनी इच्छा से शादी करते हैं तो इन्हें--

1. 15 दिन की कैद,
2. 100 रुपये तक का जुर्माना, या
3. कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। (धारा 18)

बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 तथा 1986 एक कानून है, जो कहता है--18 साल से ऊपर का लेकिन 21 से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे -

1. 15 दिन की कैद,
2. 100 रुपये तक का जुर्माना, या
3. कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। (धारा 3)

21 साल से अधिक उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे --

1. तीन माह तक की कैद, और
2. जुर्माना भी हो सकता है। (धारा 4)

बाल विवाह करवाने वाले को (माता-पिता, रिश्तेदार, विवाह करवाने वाला पंडित इत्यादि) के भी --

तीन महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

हां, किसी महिला (माता, पालक इत्यादि) को इस जुर्म में कैद नहीं किया जा सकता, केवल जुर्माना भरना पड़ेगा।

बाल विवाह की शिकायत कैसे होगी ?

जिस व्यक्ति का बाल विवाह करवाया जा रहा हो, उसका कोई रिश्तेदार, दोस्त या जानकार बाल विवाह के बारे में थाने में जाकर पूरी जानकारी दे सकता है। इस पर पुलिस पूछताछ करके मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजेगी। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मामले चलेगा और बाल विवाह साबित होने पर अपराधी व्यक्तियों को सजा दी जाएगी।

1. बाल विवाह करने या करवाने वालों को तीन महीने तक की कैद,
2. 1000 रुपये तक का जुर्माना, या
3. कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

क्या बाल विवाह रोका जा सकता है ?

हां, समय रहते शिकायत स्वयं करने या रिश्तेदार, दोस्त आदि द्वारा मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करने पर आदेश मिलने पर पुलिस ऐसे विवाह को रोकने की कार्रवाई करेगी और दोषी को सजा या जुर्माना हेतु मामले दर्ज किया जाएगा।

तलाक

अपने-अपने निजी कानूनों में महिलाओं को जो कानून प्राप्त हुए हैं,उनमें से एक तलाक (विवाह विच्छेद) है।

स्त्री किन-किन आधारों पर तलाक ले सकती है ?

1. व्यभिचार या दूसरे के साथ सम्भोग,
2. **परित्याग** : यदि पति बिना किसी वजह से पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो स्त्री तलाक ले सकती है। पति ने पत्नी को दो साल या इससे अधिक समय के लिए छोड़ रखा हो।

क्रूरता

यदि पति पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार या अत्याचार करे तो वह तलाक ले सकती है।

1. धर्म बदलना,
2. असाध्य पागलपन, तथा
3. सात साल तक लापता रहना।

खर्चे-पानी (भरण-पोषण) की व्यवस्था

तलाक देने वाली अदालत आदेश जारी करेगी कि पति अपनी परित्यक्ता पत्नी को खर्चे पानी की रकम देगा।

खर्चा कितना और किस हिसाब से दिया जाता है ?

1. महिला अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने में असमर्थ है,
2. पुरुष की आमदनी या जायदाद कितनी है, तथा
3. महिला की आवश्यकताएं क्या हैं।

यह खर्चा कब तक मिलता है ?

- जब तक खर्चा पाने वाला जिन्दा रहता है।
- जब तक वह दुबारा विवाह न कर ले।

भारतीय दंड प्रक्रिया (जाब्ता फौजदारी) संहिता

- इस संहिता की धारा 125 में भरण-पोषण (खर्चा-पानी) देने बाबत प्रावधान है। यह मुस्लिम महिला को छोड़कर दूसरों को प्राप्त हो सकेगा। मुस्लिम महिला को तलाक के बाद इब्दत की अवधि तक यह अधिकार होगा।

- यह पत्नी, बच्चों के अलावा बूढ़े मां-बाप को भी प्राप्त हो सकता है जो अपनी संतान (लड़का-लड़की) में से किसी से भी चाहे वह शादीशुदा हों, यह प्राप्त कर सकते हैं।

बच्चों की अभिरक्षा

माता-पिता के जीवित न रहने पर या माता-पिता के तलाक हो जाने पर बच्चों का लालन-पालन किसके द्वारा होगा यह तय करने के लिए ''गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट'' के नाम से एक कानून बनाया गया है।

तलाक के बाद बच्चों का क्या होगा ?

- बच्चा अगर छोटा है तो मां को कानूनी अधिकार है कि सात साल का होने तक बच्चा उसी के पास रहेगा।
- पांच साल की उम्र के बाद बच्चा किसके पास रहेगा, इस बात का निर्णय, अदालत बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए लेगी।
- बच्चे का हित अगर मां के पास रहने में हो, तो बच्चा मां को दिया जाएगा। ऐसी स्थति में बच्चा चाहे पिता के साथ न रहता हो तो भी पिता को उसकी खर्चा-पानी देना होगा।
- न्यायालय नाबालिग बच्चों के शरीर व उसकी संपत्ति की सुरक्षा के संरक्षक नियुक्त कर सकती है, जो न्यायालय के प्रति जवाबदेह रहता है।

संपत्ति का अधिकार

- हर महिला को अपने लिए, अपने नाम से संपत्ति खरीदने और रखने का अधिकार है।
- कोई महिला संपत्ति का जो चाहे कर सकती है, चाहे वह संपत्ति उसे मिली हो, या उसकी कमाई की हो।
- हर महिला को यह हक है कि अपनी कमाई के पैसे वह स्वयं ले। वह उन पैसों से जो भी करना चाहे कर सकती है।
- महिलाओं को यह भी अधिकार है कि पुरुषों की तरह वे भी संपत्ति खरीदें या बेचें।
- महिलाओं को अपने माता-पिता या दूसरे रिश्तेदार की संपत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है, यह उनके निजी कानून पर निर्भर करता है। निजी कानून का अर्थ है, वह कानून जो किसी समुदाय पर लागू होता है, जैसे --हिन्दू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून तथा पारसी कानून आदि।

हिन्दू स्त्रियों के संपत्ति अधिकार

- आपका हिस्सा आपका अपना है और आप उसकी अपनी

इच्छानुसार निपटान कर सकती हैं।

- वर्ष 1956 के पहले के कानून में हिन्दू स्त्रियों को ऐसी संपत्ति का पूरा अधिकार नहीं था। उन्हें सिर्फ उनके जिन्दा रहने तक संपत्ति का इस्तेमाल करने का हक था, जिसे सीमित अधिकार कहा जाता था, पर 1956 के बाद से महिलाओं का संपत्ति पर पूरा हक है।
- कोई महिला चाहे तो इसे बेच सकती है, चाहे तो किसी को दान या बख्शीश दे सकती है या वसीयत में किसी के नाम छोड़ सकती है।
- अगर विधवा दूसरी शादी कर ले, तो भी गुजरे हुए पति से मिली संपत्ति उसकी अपनी ही रहेगी।

पत्नी को खर्चे का अधिकार

पत्नी को पति से खर्चा लेने का अधिकार होता है। यदि पति पत्नी को खर्चा न दे, तो वह अदालत के जरिए पति से खर्चा ले सकती है। यह अधिकार हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिया गया है।

यदि पत्नी किसी ठोस कारण से पति से अलग रहती हो, तो वह पति से खर्चा मांग सकती है। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है।

1. पति ने उसे छोड़ दिया हो,
2. पति के दुर्व्यवहार से डरकर पत्नी अलग रहने लगी हो,
3. पति को कोढ़ हो,
4. पति की कोई और जीवित पत्नी हो,
5. पति का किसी दूसरी औरत से अनैतिक संबंध हो,
6. पति ने धर्म बदल दिया हो,

किंतु, अगर व्यभिचारिणी हो या वह धर्म बदल ले तो वह खर्चा मांगने की हकदार नहीं रहती।

बच्चों,बूढ़ें या दुर्बल माता-पिता को खर्चा पाने का अधिकार (हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956)

- जायज और नाजायज नाबालिग (18 साल से कम उम्र के) बच्चों को माता-पिता से खर्चा मिलने का हक है।
- बूढ़े या शारीरिक रूप से दुर्बल माता-पिता को अपने बच्चों से (बेटे हों या बेटियां) खर्चा मिलने का हक है।
- यह खर्चा लेने का हक सिर्फ ऐसे लोगों को है, जो अपनी कमाई या संपत्ति में से अपना खर्च नहीं चला सकते।

विधवा को खर्चा पाने का अधिकार

(हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956)

हिन्दू विधवा अगर अपनी कमाई या संपत्ति से अपना खर्च नहीं चला सकती हो तो उसे इन स्रोतों से खर्चा मिलने का हक है-

1. पति की संपत्ति में से या अपने माता-पिता की संपत्ति से, तथा
2. अपने बेटे या बेटी से उनकी संपत्ति में से।

इन लोगों से यदि खर्चा न मिले तो उसके ससुर(यदि वह समर्थ हैं) को उसका खर्च देना होगा।

दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961

विवाह के लिए किसी शर्त के रूप में नगद धन या वस्तु लिए जाने को साधारणतः दहेज कह सकते हैं। दहेज लेने-देने को रोकने के लिए कानून बनाया गया है।

इस कानून के अनुसार

1. दहेज लेना और देना अपराध है।
2. दहेज लेने-देने में सहायता करना भी अपराध है।
3. दहेज मांगना भी अपराध है।

दहेज लेने या देने के लिए सजा

1. पांच साल तक की कैद,
2. 15 हजार रुपये तक जुर्माना, तथा
3. दहेज की रकम अगर 15 हजार रुपये से ज्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना।

दहेज मांगने की सजा

कम से कम 6 महीने की कैद और जुर्माना।

दहेज का विज्ञापन देने की सजा

कम से कम 6 महीने की कैद और 15 हजार रुपये तक जुर्माना, किंतु विवाह के समय स्वेच्छा और आर्थिक हैसियत के अनुसार वर या वधू को दी गया भेंट अपराध नहीं है, किंतु दिए गए उपहारों की एक सूची बनानी होगी, जिस पर वर-वधू दोनों के हस्ताक्षर होंगे।

दहेज से संबंधित अपराधों की शिकायत कौन दर्ज करा सकता है?

1. कोई पुलिस अधिकारी,
2. कोई व्यक्ति, जो दहेज पीड़ित हो।
3. दहेज से पीड़ित व्यक्ति के माता-पिता या रिश्तेदार,
4. सरकार द्वारा मान्य कोई स्वैच्छिक संस्था,
5. अदालत, जानकारी होने पर स्वयं, और
6. दहेज की रिपोर्ट लिखाने की कोई समय सीमा नहीं है।

दहेज से संबंधित अपराध

1. **संज्ञेय है**--पुलिस स्वयं तहकीकात कर सकती है, इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं है, पर किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश जरूरी हैं।
2. **गैर-जमानती है**--अर्थात, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आरोपी को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है।
3. **अक्षमनीय है**---अर्थात, कोई जुर्माना भरने पर अपराधी कैद की सजा से छूट नहीं सकता।

अब हर जिले में जिला महिला बाल विकास अधिकारी को दहेज प्रतिषोध अधिकारी बना दिया गया है और उसकी सहायता के लिए दहेज सलाहकार बोर्ड बना दिए गए हैं। इस अधिकारी और बोर्ड को काम करने के लिए नियम भी बनाए गए हैं।

बलात्कार

महिलाओं पर हिंसा की कई घटनाएं होती हैं। इस हिंसा का सबसे उग्र रूप है--बलात्कार। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार के अपराध से संबंधित है। इस धारा के अनुसार बालिका-स्त्री की सहमति के बिना उससे सहवास करना और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से, भले ही वे राजी हों, के साथ सहवास करना, दोनों ही कानूनी रूप से अपराध है। इस अपराध को बलात्कार कहा जाता है। इस जुर्म के लिए अपराधी को उम्र कैद भी हो सकती है।

कानून कैसे मदद करता है

1. कोई भी स्त्री अपने साथ घटे ऐसे अपराध की पुलिस से शिकायत कर सकती है।
2. इसके द्वारा की गया शिकायत गुप्त रखी जाएगी।
3. आम जनता को कोर्ट की कार्रवाई सुनने अंदर नहीं जाने दिया जाता है।
4. स्त्री को बलात्कार होने का सबूत नहीं देना होगा, उस पुरुष को साबित करना होगा कि वह निर्दोष है।

अपराधी कौन ?

सिर्फ पुरुष को बलात्कार का अपराधी माना जाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति (भले ही वह महिला हो) किसी प्रकार से किसी पुरुष को बलात्कार करने में मदद करे तो उसे सहयोगी होने के कारण जेल होती है।

कितनी सजा होगी ?

1. अपराध सिद्ध होने पर उसे 7 वर्ष, 10 वर्ष या उम्र कैद भी हो सकती है।
2. अगर कोई पुरुष यह पता होने पर भी कि स्त्री गर्भवती है, उसके साथ बलात्कार करता है तो उसे कम से कम दस वर्ष की सजा होगी।

3. 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किए गए बलात्कार के लिए कम से कम दस साल की सजा होगी।
4. सामूहिक बलात्कार में भी हर एक अपराधी को कम से कम दस वर्ष की सजा होगी।
5. पुलिस या सरकारी व्यक्तियों की निगरानी में बलात्कार होने पर कम से कम दस वर्ष की सजा या उम्र कैद हो सकती है।

यदि किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ हो तो ?

- महिला को तुरंत किसी डाक्टर के पास ले जाएं तथा उसकी डाक्टरी जांच करवाएं।
- निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करें। एफ.आई.आर. की प्रति मांग लें।
- बलात्कार के दोषी पुरुष की तुरन्त डाक्टरी जांच की मांग करें।
- जिस स्थान पर कुकर्म हुआ हो उसे तब तक सुरक्षित, यथावत रखें, जब तक पुलिस जांच-पड़ताल न कर ले।
- जब तक बलात्कार की शिकार महिला की डाक्टरी जांच न हो तब तक उसके कपड़े न बदलें और न ही उसे स्नान करने दें।

याद रखें, बलात्कार करने का प्रयास भी अपराध है। यदि कोई महिला अपने शील की रक्षा में किसी आदमी का खून भी कर बैठे तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। महिलाओं से अश्लील हरकतें और हिंसा का व्यवहार कानून द्वारा अपराध घोषित है।

अपहरण

किसी नाबालिग लड़की को उसके कानूनी संरक्षक की आज्ञा के बिना, उसके संरक्षक से कहीं दूर ले जाना या बहकाकर ले जाना एक कानूनी अपराध है, जिसे अपहरण कहते हैं। ऐसे अपराधी को कड़ी सजा दी जाती है।

- किसी बालिग व्यक्ति को जबरदस्ती या बहला-फुसला कर ले जाना एक कानूनी अपराध है।
- किसी लड़की को यौन संबंध के मकसद से भगाकर ले जाना एक कानूनी अपराध है, जिसकी सजा दस साल तक कैद और जुर्माना है।
- किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने कब्जे में रखना भी एक कानूनी अपराध है, जिसकी सजा है तीन साल तक की कैद और जुर्माना।
- अगर कोई बच्चे को बहला-फुसलाकर ले जाए, तो भले ही बच्चा अपनी मर्जी से उसके साथ जाए, मगर यह कानूनी अपराध होगा।

गिरफ्तारी

पुलिस द्वारा किसी अपराधी व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेना गिरफ्तारी कहलाता है।

- गिरफ्तारी के समय पुलिस को बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ?
- यह भी बताना आवश्यक है कि आपका जुर्म क्या है?
- सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि आपके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, पुलिस को आपका जुर्म बताना भी जरूरी है।
- गिरफ्तारी के समय जोर-जबरदस्ती करना गैर-कानूनी है।
- थाने ले जाने के लिए किसी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है जब तक वह भागने की कोशिश न करे।
- कुछ अपराधों के लिए आपको बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
- गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति कानूनी (वकील की) सहायता ले सकते हैं।
- आपकी सुरक्षा के लिए आपके पहचान वालों या रिश्तेदारों को आपके साथ पुलिस स्टेशन जाने का हक है।
- गिरफ्तारी के बाद तुरन्त पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देनी होगी।

- गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट में पेश करना जरूरी है।
- महिला को महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है।
- सूगर्यास्त के बाद अथवा सूर्योदय से पहले किसी महिला को बिना किसी संज्ञेय अपराध के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

थाने में

1. पुलिस हिरासत में सताना,मारपीट करना या किसी अन्य तरह की यातना देना एक गंभीर अपराध है।
2. महिलाओं को केवल महिलाओं वाले कमरे में ही रखा जा सकता है।

जमानत

पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद

1. मामले की सुनवाई होने के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कुछ बातों के लिए मुचलका लेकर हिरासत से छोड़ा जा सकता है, इसे जमानत कहते हैं।
2. अपराध दो प्रकार के होते हैं --जमानती और गैर-जमानती। जमानती अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का अधिकार पुलिस को होता है, जबकि गैर-जमानती में मजिस्ट्रेट को।
3. गिरफ्तारी करते समय पुलिस को यह बताना होगा कि अपराध जमानती है या गैर-जमानती।
4. जमानत के समय कुछ पैसे नहीं दिए जाते। केवल जमानत प्रपत्र में रकम लिख दी जाती है, जिसे मुचलका/जमानत नामा कहते हैं।
5. जमानती जुर्म में जमानत होने पर पुलिस को आपको तुरन्त छोड़ना पड़ेगा।

पूछताछ

किसी अपराध के किए जाने की सूचना पर या उसकी आशंका

होने पर पुलिस को यदि किसी को पूछताछ के लिए बुलाना हो तो जांच करने वाले पुलिस अफसर को लिखित आदेश देना होंगे। 15 साल से कम उम्र के पुरुष को और किसी महिला को पुलिस पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है।

तलाशी

1. सिर्फ एक महिला पुलिस अफसर ही किसी महिला के शरीर की तलाशी ले सकती है।
2. पुरुष पुलिस अधिकारी आपके मकान या दुकान की तलाशी ले सकते हैं।
3. तलाशी के लिए हमेशा किसी वारंट की जरूरत नहीं होती।
4. तलाशी होने से पहले तलाशी लेने वाले की भी तलाशी ली जा सकती है।
5. किसी भी तलाशी या बरामदी के वक्त आसपास रहने वाले किन्हीं दो अपक्षपाती और प्रतिष्ठित व्यक्ति का होना जरूरी है।
6. तलाशी का एक पंचनामा बनाना जरूरी है।

कोर्ट में

1. आपको वकील की सहायता लेने का अधिकार है।
2. गरीब होने पर आपको मुफ्त कानूनी सलाह मिलने का हक है।

अपराधों की रिपोर्ट

रिपोर्ट का मतलब है कि आप पुलिस को जाकर बताएं कि कोई अपराध किया गया है। इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफ.आई.आर. कहते हैं, यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है।

रिपोर्ट कैसे लिखाई जाती है ?

1. रिपोर्ट मुंह जबानी या लिखित हो सकती है।
2. मुंह जबानी रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस आपको पढ़कर

सुनाएगी ताकि आप जांच कर सकें कि रिपोर्ट सही लिखी गई है।

3. रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस से आपको अवश्य ले लेनी चाहिए।

भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निम्न लिखित कानून समय-समय पर बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं :

महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध और दी जाने वाली अधिकतम सजा

क्रम सं.	**अपराध**	**धारा**	**सजा**
01	कुछ विशेष अपराधों के अंतर्गत पीड़ित महिला की पहचान बताना	228-ए	2 साल की सजा और जुर्माना
02	सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील हरकत करना अथवा अश्लील गीत गाना	294	3 माह की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों
03	दहेज हत्या	304 बी	आजीवन कारावास
04	आत्महत्या के लिए दबाव डालना	306	10 वर्ष
05	महिला की सहमति के और बिना गर्भपात कराना	313	आजीवन कारावास जुर्माना
06	गर्भपात की मंशा/आशय से की गया चोट/क्रिया	314	10 साल की सजा और जुर्माना
07	ऊपर वर्णित क्रिया में महिला की सहमति न हो	314	आजीवन कारावास
08	साधारण मारपीट- पत्नी और को पीटना	323	एक साल की सजा दस हजार रुपये का

			जुर्माना अथवा दोनों
09	मारपीट, गंभीर चोट--पत्नी को पीटना	325	7 साल की सजा और जुर्माना
10	बदनीयती से नजर बंद रखना	342	1 साल की सजा और 1 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों
11	महिला की शालीनता को भंग करने की मंशा से हिंसा और जबरदस्ता करना	354	2 साल की सजा और जुर्माना अथवा दोनों
12	अपहरण	363	7 साल की सजा और जुर्माना
13	नाबालिग का भीख मंगवाने के लिए अपहरण	363 ए	10 साल की सजा और जुर्माना
14	हत्या के आशय से अपहरण और व्यपहरण	364	10 साल की सजा और जुर्माना
15	लड़की/महिला का जबरदस्ती शादी के लिए अपहरण एवं व्यपहरण करना	366	10 साल की सजा और जुर्माना
16	नाबालिग लड़की (18 वर्ष से कम आयु) को कब्जे में रखना	366 ए	10 साल की सजा और जुर्माना
17	21 वर्ष से कम आयु की लड़की का विदेश से अथवा जम्मू एवं कश्मीर से (आयात करना) लाना	366 बी	10 साल की सजा और जुर्माना
18	10 वर्ष से कम आयु के बच्चे/बच्ची का उसके अपने लोगों से दूर करने के आशय से अपहरण	369	7 वर्ष की सजा और जुर्माना
19	किसी व्यक्ति को गुलाम	370	7 वर्ष की सजा और

	की तरह खरीदना और रखना		जुर्माना
20	वेश्यावृत्ति के आशय से किसी 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को बेचना	372	10 साल की सजा और जुर्माना
21	नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से खरीदना	373	10 साल की सजा और जुर्माना
22	बलात्कार	376	7 अथवा 10 साल की सजा और जुर्माना
23	तलाक के बाद अलग रह रही अपनी बीवी से संसर्ग करना	376 ए	2 वर्ष की सजा और जुर्माना
24	सरकारी कर्मचारी के द्वारा उसकी संरक्षा में रखी महिला से संसर्ग	376 बी	5 वर्ष की सजा और जुर्माना
25	निरीक्षक द्वारा जेल सुधार गृह में रखी गया महिला से संसर्ग	376 सी	5 वर्ष की सजा और जुर्माना
26	अस्पताल में रह रही किसी महिला से अस्पताल प्रबंधन के किसी सदस्य अथवा कर्मचारी द्वारा संसर्ग	376 डी	5 वर्ष की सजा और जुर्माना
27	किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को धोखे से शादी का विश्वास दिलाकर संसर्ग करना	493	10 वर्ष की सजा और जुर्माना
28	एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी बनाना/	494	7 वर्ष की सजा और जुर्माना

	रखना		
29	जायज पत्नी छिपाकर गुप्त रूप से दूसरी पत्नी रखना	495	10 वर्ष की सजा और जुर्माना
30	नाजायज शादी/धोखे से शादी	496	7 वर्ष की सजा और जुर्माना
31	व्यभिचार	497	5 वर्ष की सजा
32	विवाहित महिला को बुरी नीयत/दुराशय से ले जाना और जबरन बंधक रखना	498	2 साल की सजा और जुर्माना और दोनों
33	महिला के साथ उसके पति अथवा नातेदार द्वारा निदर्यतापूर्ण व्यवहार/ अत्याचार/क्रूरता	498 ए	3 साल की सजा और जुर्माना
34	महिला को अपमानित करने की मंशा से अश्लील शब्द कहना अथवा कोई अश्लील हरकत करना	509	एक साल की सजा और जुर्माना अथवा दोनों

3. अपराध पीड़ितों का समायोजन

(i) **समायोजन संबंधी सैद्धांतिक व्याख्या** : सताए जाने, बलात्कार किए जाने, बार-बार पति द्वारा पीटे जाने, लगातार छेड़छाड़ का शिकार होने, अपहरण के पश्चात वापस आने, हफ्तों और महीनों नारी गृह में रहने आदि के पश्चात महिलाएं किस प्रकार अपना समायोजन करती हैं ? सामाजिक कलंक, अपमान, शर्मिन्दगी और दुख का किस प्रकार सामना करती हैं ? अपमानित होना व कलंकित होना अत्यधिक कष्टकारक संवेग होते हैं। संवेग कुछ तो सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित होते हैं और कुछ व्यक्तित्व व्यवस्था के साथ संबंध से बनते हैं। अतः पीड़ा और कष्ट का उस सामाजिक

संदर्भ में सामना किया जाता है जिसमें ये घटित होता है तथा समायोजन सामाजिक संबंधों व संस्कृति के संदर्भ में संभव होता है।

कष्ट व अपमान सहने एवं शोषण के बाद अपराध व कलंक का सामना करने के पश्चात समायोजन संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए मोटे तौर पर दो सिद्धांत निरूपित किए जा सकते हैं --प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत और परिवार व्यवस्था का सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत की व्याख्या **बरजर** और **केलनर** (1964), **मारिस** (1974), **लाफलैण्ड** (1985) तथा **रोजेन्बलाट** और **राइट** (1984) जैसे विद्वानों ने की है जबकि दूसरे सिद्धांत की व्याख्या **बरकोविज** (1977), **क्रील** और **राबकिन** (1979) और **रोजेन्बलाट** (1983) जैसे विद्वानों ने की है। हम इन दोनों सिद्धांतों के संदर्भ में अपराध की शिकार महिलाओं के कष्ट एवं समायोजन के प्रयत्नों को समझने का प्रयत्न करेंगे।

प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत दो बातों पर बल देता है (1) अपमान के कारण आदर की हानि और (2) अपमान को परिभाषित करने, अपमानित अनुभव करने और अपमान के साथ समझौता करने में दूसरे लोग कैसे महत्वपूर्ण (सहयोगी/बाधक) होते हैं। परिवार व्यवस्थाओं का सिद्धांत भी दो बातों पर बल देता है --(1) परिवार प्रतिमान और स्वरूप किस प्रकार अपमान के अनुभव को प्रभावित करते हैं, (2) अपमान परिवार, नातेदारों व सामाजिक संबंधों को कितना प्रभावित करता है (देखें चित्र-1)।

प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत

मानहानि व कलंक का सामना करती हुई तथा अपमानित होने के बाद पुनः समायोजन का प्रयत्न करती पीड़ित महिला पर इस सिद्धांत को लागू करते हुए यह कहा जा सकता है कि ''सामाजिक संदर्भ'' का वह भाग जिसमें उसने स्व-छवि का विकास किया था और अपने कागया को निश्चित किया था, तब समाप्त हो जाता है जब उसके साथ बलात्कार होता है, अपने पति द्वारा मारा पीटा जाता है, अपने ससुराल वालों द्वारा लगातार सताया जाता है या फिर अपहरण के बाद नारी गृह में कुछ समय व्यतीत करने के

बाद उसे पुनः वापस लिया जाता है। 'सामाजिक संदर्भ' का वह भाग जो उसके जीवन के लिए अर्थ बताता था, अब विद्यमान नहीं रहता है।

वह प्रतिष्ठा जो पीड़ित महिला की 'स्व' को व उसकी परिस्थिति को स्थापित करने में महत्वपूर्ण थी, अब उसकी हानि, उसकी पीड़ा, कष्ट और अपमान को एक 'लक्षण' प्रदान करती है। यह लक्षण महिला को स्वयं के विषय में अनिश्चितता की स्थिति का अर्थ खोजने, जो कुछ (पीड़ा) हुई है उसका क्या किया जाए, घबराहट, अविश्वास आदि कटकारी गुणों को उत्पन्न करता है। 'स्व' को और परिस्थति की परिभाषा खोजने में सामाजिक संबंधों की हानि उस महिला को दूसरे आधार ढूंढने को बाध्य करती है। यह उसको धर्म या किसी व्यक्ति (बच्चे या छोटे भाई), सामाजिक कागया, आदि की ओर ले जा सकती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ लगाव विकसित करने की प्रक्रिया जटिल है तथा इसमें ऐसी सामाजिक क्रियाएं निहित होती हैं जो रचनात्मक या समझौते वाली हों, अर्थात इसमें दूसरी के द्वारा परिभाषित क्रियाओं की स्वीकृति और बलात्कार, अपहरण, मारपीट आदि में पहले के दिनों का चिंतन सम्मिलित होता है।

पीड़ा, सम्मान और समायोजन के प्रयत्नों को संस्कृति भी प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ, संस्कृति/उपसंस्कृति में प्रचलित विश्वास जो बताते हैं, ''दुखी मत हो क्योंकि तुम उस घटना में अपनी इच्छा से भागीदार नहीं थी बल्कि तुम तो परिस्थितियों की शिकार हुई'' इनसे पीड़ित महिला का दुख कुछ कम होता है। अतः इसमें आश्चर्य नहीं जब यह कहा जाता है कि पीड़ा और अपमान के प्रति एक ही प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि मानहानि या कट को अभिव्यक्त करने वाली अनेक भावनाएं उजागर होती हैं।

पीड़ित महिला में संबंधों के निर्धारण में लचीलेपन का अभाव होता है। उसके चारों ओर के लोग उसके कष्ट को विद्यमान सांस्कृतिक मानदंडों/प्रतिमानों के संदर्भ में महसूस करते हैं तथा उसके द्वारा घटना का सामना करने के लिए प्रयुक्त संवेगात्मक नियंत्रण का भी मूल्यांकन करते हैं। छेड़छाड़, सताए जाने या पति द्वारा पीटे जाने की शिकार महिलाओं की प्रतिक्रिया एक प्रकार की हो सकती है, लेकिन

बलात्कार, अपहरण तथा अपहरणकर्ता के घर में कुछ दिन बताने वाली पीड़ित

चित्र - 1

अपमान सहन करना और पुनर्समायोजन का प्रयत्न करना

दो संदर्भ

प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत बल देता है

परिवार व्यवस्थाओं का सिद्धांत बल देता है

अपमान के कारण मानहानि

पीड़ित स्वयं को तथा स्थितियों को परिभाषित करने में सामाजिक संदर्भों को खो देती है और दुख या निराशा का अनुभव करती है। अतः वह नए व्यक्ति या वस्तु को खोजती है जिसके साथ यह अपने को जोड़ सके या	दूसरे व्यक्ति अपमान को परिभाषित करने तथा अपमान अनुभव करने और अपमान से समझौता करने में कितने सहायक या बाधक होते हैं। दूसरे लोग उस महिला के अपमान/दुख को उसके सांस्कृतिक संदर्भों में या संवेगों के संदर्भ में जिनमें उस स्त्री ने	परिवार का स्वरूप व प्रतिमान अपमान के अनुभव को कैसे प्रभावित करते हैं। पीड़ित महिला के साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य भी मानहानि को सहन करते हैं। पुनर्समायोजन के उद्देश्य से वे उस हानि को पूरा करने के लिए एक दूसरे	अपमान, नातेदारी, परिवार, समूह व समाज में सामाजिक संबंधों को कितना प्रभावित करता है।

फिर भोगे हुए अपमान पर स्वयं को केंद्रित कर लेती है।	अपमान भोगा है, देखते हैं कि किस प्रकार उसने अपने को नियंत्रित किया। यदि उन्हें महिला का कष्ट / दुख/यातना अशिष्ट दिखाई पड़ता है तो वे उसकी सहायता करने में शर्म महसूस करते हैं। अतः पीड़ित महिला को अपनी पीड़ा सहने में दूसरों की प्रतिक्रियाओं को भी सोचना पड़ता है।	पर निर्भर रहते हैं और यदि असफल हो जाते हैं तो वे न केवल सम्मान खोते हैं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के उस विकार्य से भी पीड़ित होते हैं जो उनकी सहायता करने में असफल रहा है।	

पीड़ित महिलाओं के परिवार के सदस्यों एवं नातेदारों की दूसरी प्रक्रिया हो सकती है। यदि पीड़ित महिला अपराध में स्वेच्छा से भागीदार प्रतीत होती है तो वे (परिवार के सदस्य व रिश्तेदार) उसके लिए कम उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार कष्ट के प्रति दूसरों की प्रतीकात्मक प्रतिक्रियाओं का भी सामना करती है। परिवार के सदस्यों, नातेदारों, पड़ोसियों, मित्रों, कार्य सहयोगियों की उनके क्रार्यों के प्रति प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान उन महिलाओं को अपने व्यवहार व जीवन-शैली में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करा देता है। उनकी आत्मनिष्ठता सामाजिक प्रेरणा का प्रतिफल है जो उन्हें पुनः सामाजिक अपेक्षाओं के अनुवर्तन की ओर ले जाती है।

समायोजन के चार चरण इस प्रकार हैं :

चित्र - 2

अपराध की शिकार महिलाओं द्वारा नये जीवन में समायोजन के चरण

आघात व पीड़ा

↓

निर्भर करता है

↓

उसके प्रति किए गए अपराध की प्रकृति पर तथा ऐसे कारकों पर भी जैसे,

1. आयु
2. शिक्षा
3. रोजगार
4. भावात्मक लगाव

पीड़ा को हरना/दूर करना

↓

निर्भर करता है

↓

1. समर्थन
2. सुरक्षा

परिहार व कतराना/अपमान

↓

द्वारा

↓

1. परिवार सदस्यों से
2. नातेदारों से
3. मित्रों से
4. पहचान वालों से

अनुकूलन

↓

द्वारा

↓

1. धार्मिक कृत्यों
2. सामाजिक चुनौतियों को स्वीकार करने से
3. निरपेक्षता
4. लगाव/पहचान बदलने से

परिवार व्यवस्थाओं का सिद्धांत

परिवार व्यवस्थाओं का सिद्धांत व्यक्ति के मनोविज्ञान से संबंधित है क्योंकि यह संबंधों को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत यह तथ्य समझाने में सहायक होता है कि जब परिवार की एक महिला अपराध का शिकार हो जाती है तब किस प्रकार (अपराध हो जाने के बाद) परिवार स्वयं को बनाए रख पाता है। जहां एक ओर पीड़ित महिला अपमान भोगती है वहीं दूसरी ओर परिवार के दूसरे सदस्य भी प्रतिष्ठा संबंधी हानि सहन करते हैं। लेकिन वे अपनी पीड़ाएं भिन्न-भिन्न प्रकार से सहते हैं। जब परिवार के सदस्य पीड़ित महिला की सहायता नहीं कर पाते तब वह महिला ऐसा अनुभव करती है मानो संपूर्ण परिवार व्यवस्था उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। सामाजिक संबंधों के संदर्भ में भी परिवार उस महिला के समायोजन के प्रयत्नों को प्रभावित करता है। दूसरों के साथ अंतःक्रिया या उनके अस्तित्व की चेतना मात्र भी कष्टकारी या सहायक हो सकती है। जो पीड़ित महिलाएं अधिक एकाकी होती हैं वे प्रतिष्ठा संबंधी हानि का सामना करने में धीमी प्रगति करती हैं।

(ii) समायोजन संबंधी व्यावहारिक दृष्टिकोण

सरकार द्वारा किए गए उपाय

महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के संबंध में अपनाए गए उपायों में तीन उल्लेखनीय हैं। **प्रथमतः** दिसम्बर, 1995 में राज्य सभा में एक बिल ''महिलाओं के प्रति पाशविक/निर्दयी अपराध निरोधक विधेयक, 1995'' प्रस्तुत किया गया जिसमें महिलाओं के प्रति पाशविक व बर्बर अपराध करने वालों के विरुद्ध मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। विधेयक में कहा गया है कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय तथा गैर-जमानती घोषित किया जाए और अपराधियों पर विशेष अदालतों में मुकदमा चलाया जाए। विधेयक प्रस्तुत करते हुए सरोज खापर्डे ने आशा व्यक्त की कि ऐसे अपराधों के लिए दिए गए निवारक दंड से महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अत्याचार कम होंगे। कुछ पशुवत निर्दयी कार्यों की सूची इस प्रकार है--बलात्कार के बाद महिला को मारपीट कर या गला घोंटकर या किसी अन्य प्रकार से उसकी हत्या करना, महिला की हत्या करके उसके शव को जलाकर या अन्य प्रकार से ठिकाने लगाना, महिला को जिन्दा जलाकर मारना, सामूहिक बलात्कार करके महिला की हत्या करना, गर्भवती महिला का बलात्कार जिससे उसकी मृत्यु हो जाए आदि।

द्वितीयत, उच्चतम न्यायालय ने 17 जनवरी, 1996 को एक निर्णय दिया कि नियमतः बलात्कार के मुकदमों की सुनवाई बन्द कमरे में होनी चाहिए ताकि पीड़ित महिला गवाह के कटघरे में खड़ी होकर अपमानित होने से बच जाए। बंद कमरे में मुकदमा न केवल उस महिला के आत्म-सम्मान को बचाएगा बल्कि इससे मुद्दई की गवाही की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है क्योंकि वह खुलकर बयान देने में इतना संकोच नहीं करेगी जितना कि जनता के समक्ष खुली अदालत में। न्यायाधीशों ने यह भी घोषणा की कि ऐसे मामलों में केवल अपवाद स्वरूप ही खुले में सुनवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी सामग्री को प्रकाशित करना विधिसंगत नहीं होगा सिवाय न्यायालय की पूर्व अनुमति के। इस प्रकार यौन अपराध की शिकार महिला व्यग्रता/आकुलता से बच जाएगी। यह भी सुझाव दिया गया कि

यौन हमलों के मामलों की सुनवाई जहां तक संभव हो महिला न्यायाधीशों द्वारा ही की जाए। अंत में यह भी कहा गया कि अपने निर्णय में अदालतों को मुद्दई पीड़ित महिलाओं के नाम का उल्लेख करने से बचना चाहिए ताकि उस महिला को अपमान से बचाया जा सके।

तृतीयत, दिल्ली में महिलाओं के प्रति किए गए अपराध के मामलों पर मुकदमे चलाए जाने के लिए महिला न्यायालयों की स्थापना की गया है। 1994 में चार ऐसे न्यायालय स्थापित किए गए। महिला न्यायालयों में वातावरण इतना आक्रामक या रोष भरा नहीं होता है जितना कि अन्य न्यायालयों में जहां पीड़ित महिला को बचाव पक्ष के वकील के प्रश्नों की बौछार का सामना करना पड़ता है। साधारण न्यायालयों में पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने में कई वर्ष लग जाते हैं किंतु महिला न्यायालय में कुछ महीने ही लगते हैं। इन न्यायालयों की स्थापना के पीछे दो प्रमुख तर्क यह है :

(1) महिला न्यायाधीशों के समक्ष उस पीड़ित महिला द्वारा अपने पक्ष को निर्भीकता से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना जो पुरुष न्यायाधीशों के समक्ष असमर्थ रहती है,
(2) महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाना क्योंकि महिला न्यायालय केवल महिलाओं से संबद्ध मामलों की सुनवाई करते हैं।

महिला न्यायालयों की प्रमुख विशेषताएं हैं

(1) वे केवल महिलाओं के मामलों की सुनवाई करते हैं,
(2) न्यायाधीश महिलाएं होती हैं,
(3) यह न्यायालय केवल भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमे सुनते हैं जैसे :
    (अ) महिला की अस्मिता पर आक्रमण (धारा 359),
    (ब) अपहरण (धारा 363),
    (स) स्त्री धन संबंधी विश्वास को अपराधी ढंग से तोड़ना (धारा 406)
    (द) पति या उसके रिश्तेदार द्वारा किसी भी प्रकार की

निर्दयता बरतना (धारा 498)।

(4) इन न्यायालयों में मुख्य रूप से महिलाएं ही होती हैं, जैसे महिला मजिस्ट्रेट, महिला वकील आदि। केवल दोषी और उसका वकील पुरुष हो सकते हैं।

महिला न्यायालयों की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है :

(1) यह न्यायालय असंवैधानिक एवं अनुमति रहित हैं। नागरिक स्वत्वाधिकारों के लिए अखिल भारतीय अधिवक्ता मंच के अध्ययन ने इन न्यायालयों के नामकरण को ही भ्रमपूर्ण एवं संविधान का उल्लंघन करने वाला बताया है।

(2) यह न्यायालय महिलाओं के पक्ष में कार्य करेंगे और दोषी पुरुष से महिला वकीलों और न्यायाधीशों द्वारा कठोरता से व्यवहार किया जाएगा।

(3) यह न्यायालय वास्तविक अर्थों में महिला न्यायालय नहीं हैं। सरकारी वकील, स्टेनोग्राफर तथा रीडर आदि अभी पुरुष ही होते हैं।

(4) महिला न्यायालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है। पीड़ित महिलाओं के तीन चौथाई मामलों की सुनवाई अभी पुरुष न्यायाधीशों द्वारा ही की जाती है।

(5) बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त है।

उपरोक्त आलोचनाओं के विरुद्ध तर्क इस प्रकार है :

(1) महिला न्यायाधीशों के विरुद्ध लिंग के आधार पर पक्षपात करने का आरोप निराधार है। महिला न्यायालय पक्षपातपूर्ण नहीं है। पक्षपात करने का प्रश्न ही नहीं है। न्यायाधीश न्यायाधीश होता है। यह बात निरर्थक है कि कोई न्यायाधीश पुरुष है या महिला

(2) महिला न्यायाधीश वास्तव में पीड़ित महिलाओं में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध खुलकर बोलने के लिए एक प्रकार का

आत्म-विश्वास पैदा करती हैं।

(3) मामलों का निपटारा शीघ्र होता है।

(4) कई मामलों में महिला न्यायाधीशों ने वृद्ध अपराधियों को कम कठोर दंड दिया है क्योंकि 60 या 70 वर्ष के वृद्ध को दस वर्ष का कारावास देने का कोई औचित्य नहीं है, हो सकता है कि वह दस वर्ष तक जीवित भी न रह पाए।

महिला न्यायालयों के अतिरिक्त जिन अन्य उपायों की आवश्यकता है वे हैं :

(1) मुकदमे की प्रक्रिया में कमियों को समाप्त करना,

(2) भ्रष्टाचार मिटाना,

(3) मामलों की शीघ्र सुनवाई कर उन्हें निपटाना,

(4) पीड़ित महिला का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके संबंधियों की उपस्थिति में और बंद कमरे में जांच द्वारा पूछताछ।

परिवर्तन की आवश्यकता : एक मानवीय दृष्टिकोण

कानून लागू करने वाले अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता के साथ-साथ शोषित महिला के माता-पिता के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। घरेलू हिंसा के मामलों में (पत्नी को पीटना, परिवार सदस्यों द्वारा यौन अपराध करना, बहू को आत्महत्या के लिए बाध्य करना) जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तब प्रश्न उठता है कि माता-पिता को भी अपनी पुत्रियों की दुखी दशा के लिए दोषी क्यों न ठहराया जाए ? वे अपनी पुत्रियों के लिए ऐसे वर क्यों तलाशते हैं जिनके लिए उन्हें अपने जीवन की संचित पूंजी खर्च करनी पड़ती है या रुपया कर्ज लेना पड़ता है? वे अपनी पुत्रियों का विवाह दहेज-लोभी परिवारों में क्यों करते हैं? जब उन्हें अपनी पुत्रियों को ससुराल वालों की यातनाओं का पता लगता है तब वे उन्हें उनकी ससुराल से वापस क्यों नहीं लाते हैं? वे सामाजिक कलंक के विषय में चिंतित क्यों रहते हैं और अपनी पुत्रियों को उनकी ससुराल में क्यों

भेज देते हैं जबकि उनके पति या सास-ससुर आदि उन्हें सताते हैं? वे एक बुरी शादी के कानूनी पक्ष की खातिर अपनी पुत्रियों का बलिदान क्यों करते हैं?

एक प्रश्न और है कि लड़कियां दबाव के आगे झुकती हैं? वे वह क्यों नहीं समझतीं कि ऐसी शादी से जहां धन ही सब कुछ है, तलाक अच्छा है ? वे ऐसे विवाह बंधन से मुक्त होकर अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ी होतीं। वे क्यों नहीं समझती कि आत्महत्या करके वे अपने बच्चों के लिए समस्याएं खड़ी करती हैं और अपनी बहनों तथा मां-बाप के लिए संवेगात्मक संकट पैदा करती हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य विवाह नहीं अपितु आनन्द है।

हमारे सांस्कृतिक वातावरण में हिंसा को सहन करना इतना गहरा बैठा है कि न केवल अनपढ़, कम शिक्षित और आर्थिक रूप से निर्भर स्त्रियां बल्कि कुलीन, उच्च शिक्षित व आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर स्त्रियां भी कानूनी या पुलिस संरक्षण नहीं लेती हैं। हमारे समाज में महिलाओं की दुर्दशा को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

महिलाओं के प्रति पुरुषों के परम्परागत दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता : परिवार के भीतर एक स्त्री पुरुष से अपने प्रति ध्यान तथा सहानुभूति चाहती है। वह पूर्ण अधिकार नहीं चाहती, वह चाहती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसकी राय भी ली जाए। उसको व्यंग बातों से पीड़ित करने तथा सताने की जगह वह मृदु वचन तथा प्रोत्साहन भरे शब्दों को बोलने की अपेक्षा करती है और यह महसूस करना चाहती है कि परिवार में उसकी आवश्यकता है। परिवार के बाहर वह अपने निर्णय स्वयं करने की आजादी चाहती है। वह स्वयं सब कुछ नहीं करना चाहती किंतु वह पुरुष के कंधे का सहारा सदैव नहीं चाहती।

महिलाओं के स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत करना

अब स्त्रियां वह सब कुछ सार्वजनिक रूप से कहना चाहती हैं जो पहले कहने का साहस नहीं करती थीं। एक महिला की आवाज में वजन नहीं होता। यदि वह केवल अपने विचार व्यक्त

करती है तो उस पर क्रान्तिकारी विचारों का आरोप लगाया जाता है, लेकिन समान विचार वाली महिलाएं मिलकर एक समूह संगठन बना लें और महिलाओं के कष्टों के विरुद्ध आवाज उठाएं तो वे अपने विचारों को मनवा सकती हैं और एक प्रभाव डाल सकती हैं। केवल ऐसे ही संगठनों के माध्यम से स्त्रियां उन पुराने प्रतिमानों का प्रतिकार कर सकती हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। अतः अधिक से अधिक महिला संगठनों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। महिलाओं पर अत्याचारों से सम्बद्ध ये संगठन इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं :

(1) जन सभाएं कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं और दबाव बना सकते हैं
(2) शोषित महिलाओं की आर्थिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक मदद कर सकते हैं
(3) विशेष मामलों में परिषदों का गठन कर स्त्रियों में चेतना पैदा कर सकते हैं
(4) आवश्यकता पड़ने पर पति या ससुराल वालों से समझौते के प्रयत्न कर सकते हैं
(5) पुलिस पर तुरंत कार्रवाई के लिए दबाव डाल सकते हैं
(6) हमलावरों के विरुद्ध, पुलिस अधिकारियों या मजिस्ट्रेट के विरुद्ध याचिका दायर कर सकते हैं तथा मामलों पर पुनः विचार करा सकते हैं
(7) महिलाओं के प्रति निर्दयी कागया या यातनाओं को उजागर करने के लिए पत्रकारों की गोष्ठी बुला सकते हैं।

महिलाओं के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान देना

जब तक स्त्रियां आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अपने पति पर आश्रित रहेंगी तब तक उनको हमारे समाज में उत्पीड़न, अपमान व तिरस्कार सहना पड़ेगा। केवल शिक्षित (प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं के द्वारा तथा बचपन से ही स्त्री शिक्षा पर बल द्वारा)

करके तथा दस्तकारी आदि में दीक्षित करके ही उन्हें आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है। इसी प्रकार की स्वतंत्रता हमारी महिलाओं को उनके अर्वाचीन यौन-भूमिका आदर्श से मुक्ति दिला सकती है (परम्परागत रूप से), स्वयं को मान्यता दिला सकती है और स्वाग्रही हो सकती हैं और अपने पति व ससुराल वालों को उनके साथ दुर्व्यवहार करने से रोक सकती हैं

पीड़ित महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करना

हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को जो इस प्रकार की यातनाओं से बचना चाहती हैं और कोई काम करना चाहती हैं उन्हें नए स्थानों में रहने की जगह खोजने की समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा अधिक महिला आवास बनाकर तथा स्वैच्छिक संगठनों और मानव सेवी संस्थाओं द्वारा उन महिलाओं के लिए सिर छुपाने का स्थान प्रदान किया जा सकता है जिनके पास कहीं जाने का स्थान नहीं है। यद्यपि इस ओर लोगों की प्रवृत्ति है लेकिन इस प्रकार के आवास गृह केवल बड़े नगरों में ही हैं। इसी प्रकार के प्रयत्न छोटे नगरों और कस्बों में एक बड़ी सुविधा सिद्ध होंगे।

आपराधिक न्याय व्यवस्था को बदलना

इस संदर्भ में जो सुझाव दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं -

(1) न्याय अधिकारियों के दृष्टिकोण और मूल्यों में परिवर्तन
(2) पुलिस के दृष्टिकोण में परिवर्तन और
(3) पारिवारिक न्यायालयों को बढ़ावा देना।

मजिस्ट्रेटों के परम्परावादी व कठोर दृष्टिकोण में अनुस्थापन कोर्स द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है जहां समाज वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों एवं आनुभविक निष्कर्षों पर बहस की जा सकती है। इससे पहले कि जन विश्वास न्यायालयों से उठ जाए, जैसा कि पुलिस पर से उठ गया है। न्यायालयों के निर्णय लोगों पर उत्साह भंग तथा हतोत्साहित करने वाला प्रभाव डाले, न्यायाधीशों को कानून की समाजशास्त्रीय व्याख्या पर निर्भर होना

पड़ेगा। इसी प्रकार का परिवर्तन पुलिस के दृष्टिकोण में भी अपेक्षित है।

संक्षेप में महिलाओं के निर्वैयक्तिक आघात को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं :

(1) महिलाओं को कानूनी शिक्षा देना तथा मीडिया, प्रकाशित साहित्य और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से उन्हें (महिलाओं को) उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना
(2) न्यायिक क्रियावाद अर्थात कानून की शाब्दिक या तकनीकी व्याख्या देने की अपेक्षा उदार एवं रचनात्मक व्याख्या देना
(3) न्याय पर लगातार दृष्टिकोण रखकर तथा कानून के प्रभाव को निरंतर परीक्षण करना
(4) सुरक्षा गृहों की लगातार देखभाल करना
(5) निशुल्क कानूनी सहायता संस्थाओं को मजबूत करना और
(6) परिवार न्यायालयों एवं परिवार कानूनी सलाह केन्द्र सेवाओं की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाना।

4. निर्व्यक्तीकरण का मानसिक आघात और मानववादी उपागम (उपाय)

अपने समाज में महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार को रोकने के लिए और उनके विरुद्ध हिंसा को कम करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए ? यह सुझाव वैध और तर्कसंगत हो सकता है कि स्त्रियों की सामान्य प्रतिष्ठा यदि शिक्षा, प्रभावी वैधानिक उपायों और रोजगार के अवसर देकर सुधारी जा सकती है तो यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को कम करेगी, परन्तु यह अत्यंत व्यापक सुझाव है। इसी प्रकार यह सुझाया जाता है कि जनसंचार माध्यमों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकरणों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यद्यपि जनसंचार माध्यमों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को सेन्सर करने के नैतिक और मानवतावादी कारण हैं, परन्तु हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है

कि ऐसी कार्रवाई से आवश्यक रूप से हिंसा में कमी आ जाएगी। यही अपराधकर्ताओं को निवारक दंड देने और उसके संबंधियों द्वारा उसका सामाजिक बहिष्कार करने के बारे में भी सही है। ये उपाय उनके सामाजिक प्रभावों के लिए वांछनीय हो सकते हैं, परन्तु विश्वास नहीं हो सकता कि ऐसी बातें किसी सीमा तक महिलाओं के शोषण को कम कर देंगी। यह मालूम करने के कोई प्रमाण नहीं हैं कि कौन सी नीतियों को प्राथमिकता दी जाए। फिर भी कई ऐसे उपाय हैं जिनके किए जाने से महिलाओं का उत्पीड़न कम हो सकता है।

पीड़ित महिलाओं की मदद --पहले उस प्रकरण को लेना उचित होगा जो पहले से कई महिला संगठनों और राजकीय एवं निजी/सार्वजनिक संस्थाओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह है पीड़ितों की सुरक्षा, मदद और सलाह की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कुछ महिलाओं को, यदि सब के लिए नहीं, जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वह है आश्रय। महिलाएं जो तानाशाह सास-ससुर और शराबी पतियों के साथ रह रही हैं, अस्थाई अथवा स्थाई रूप से अपना घर छोड़ देंगी यदि उनके पास कोई आश्रय उपलब्ध हो। स्वयंसेवी संगठनों को, जो स्त्रियों को ऐसे आवास मुहैया कराते हैं, अपनी परियोजनाओं का प्रचार करना चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान में जो महिलाओं के लिए घर (अकेले और/या विवाहित के लिए) हैं, वे आवश्यकतानुसार मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनमें अकसर भीड़-भाड़ होती है, वित्तीय सहायता का अभाव होता है और वे सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते। महिला संगठन कई स्त्रियों के दुखों के लिए उपशमन में योगदान देंगी यदि वे उन्हें अल्पकालिक आवास की सुविधा प्रदान करती हैं और अन्ततः स्थाई मकान दिलवाने में मदद करती हैं, विशेषरूप से उन विवाहित स्त्रियों को जो कष्ट में हैं या बलात्कार, भगाए जाने, मार डालने की कोशिश जैसी हिंसा की शिकार हैं। विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक आवास जो पीड़ित स्त्रियों और विधवाओं को दिए जा सकते हैं, उनका मूल्यांकन और तुलना करना अत्यावश्यक है।

वित्तीय सहायता --दूसरा, पीड़ित महिलाओं को इसकी भी आवश्यकता है कि उनको रोजगार ढूंढने, बच्चे की देखभाल की सुविधाओं को उपलब्ध कराने और अस्थाई रूप से वित्तीय सहायता दिलवाने में सहायता की जाए। इस उद्देश्य के लिए परामर्श केंद्र किसी केंद्रीय स्थान पर खोले जा सकते हैं, परंतु वे नारी-गृहों से दूर होने चाहिए जिससे कि उनका अच्छा प्रचार हो सके और गृहों में रहने वालों की सुरक्षा को भी खतरा न हो।

औपचारिक अदालतों की स्थापना --तीसरा, महिलाएं जो शोषण की शिकार हैं, की सहायता के लिए सस्ती और कम औपचारिक अदालतों की स्थापना भी एक उपाय हो सकता है। इस सुझाव का यह आशय नहीं है कि अदालतें केवल महिलाओं के मामले ही निपटाएंगी। इनका कार्यक्षेत्र और बड़ा होना चाहिए। वर्तमान में हमारे देश में पारिवारिक अदालतों की प्रणाली कुछ राज्यों में है। परंतु इन अदालतों का प्रमुख रूप से उद्देश्य शादियों को टूटने से रोकना है। इन अदालतों का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और उसमें महिलाओं की सब प्रकार की घरेलू और बाहरी समस्याओं को सम्मिलित किया जा सकता है। यदि ऐसी अदालतें स्थापित की जाएं जिनमें जज, मजिस्ट्रेट और वकील स्त्रियों के मामलों की जानकारी और उनमें रूचि रखते हों, तो यह और भी अच्छा रहेगा। इससे कानून के व्यवसाय में स्त्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। कई महिलाओं को अदालतें और कानून कम डरावने और अधिक सुगम्य लगेंगे यदि उन पर आदमी कम छाए हुए होंगे। महिला जज और वकील अपने पुरुष प्रतिरूपों में अपनी मनोवृत्तियों, विश्वासों और कानून की व्याख्या में बहुत अधिक भिन्न नहीं होगी, फिर भी पीड़ित महिलाएं दूसरी महिलाओं के समक्ष उपस्थित होने में यह आशा करके अधिक प्रसन्न हो सकती हैं कि उनमें स्त्रियों की समस्याओं की अधिक समझ होगी।

महिला संगठनों को सशक्त बनाना--चौथा, स्वयंसेवी संगठनों को, जो महिलाओं की निजी समस्याओं के बारे में उनके ससुराल वालों से या पुलिस या अदालतों से या संबंधित व्यक्ति से बात

कर सकें, सशक्त बनाना और उनकी संख्या बढ़ाना भी इतना ही आवश्यक है। यह इसलिए कि एक अकेली स्त्री की बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता। वास्तव में यदि वह अपने अधिकार मांगती है या मौलिक विचार रखती है या अपने विचारों को व्यक्त करती है तो उत्कंठाओं को उजागर करती है, तो उस पर स्पष्टवादी होने का आरोप लगाया जाता है। परंतु यदि महिलाओं का एक समूह एकत्र होता है और स्त्री के दुख के विरुद्ध आवाज उठाता है तो वे अपने विचारों को दृढ़तापूर्वक व्यक्त कर सकती हैं और प्रभावी सिद्ध हो सकती हैं।

निःशुल्क कानूनी सहायता --पांचवां, ऐसे संगठनों का प्रचार होना चाहिए जो महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देते हैं जिससे कि निर्धन स्त्रियां उनके पास जाकर सहायता मांग सकें।

माता-पिता के विचारों में परिवर्तन --छठां, महिलाओं के मामलों में माता-पिता के विचारों में परिवर्तन की भी आवश्यकता है। माता-पिता अपनी पुत्रियों-विवाहित या विधवा जिन्हें उनके पति पीटते हैं या जिनके साथ उनकी ससुराल पक्ष वाले दुर्व्यवहार करते हैं, को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पति के घर में रहने के लिए बाध्य क्यों करते हैं ? जब माता-पिता को अपनी पुत्री के उत्पीड़न के बारे में मालूम होता है तो वे उसे थोड़े समय के लिए जब तक कि वह अपना प्रबंध न कर ले अपने साथ रखने की अनुमति क्यों नहीं देना चाहते? उन्हें सामाजिक कलंक के लिए इतना चिंतित क्यों होना चाहिए और अपने परिवार के लिए अपनी पुत्री का बलिदान क्यों करना चाहिए।

महिलाओं को स्वयं को समर्थ बनना --सातवां, महिलाओं को भी अत्याचार के आगे क्यों झुकना चाहिए? वे क्यों नहीं समझतीं कि उनमें अपनी और अपने बच्चों की देखरेख करने की क्षमता है? उनकी यह समझ में क्यों नहीं आता कि उन्हें दी जा रही यातना से उनके बच्चों को भी भावात्मक आघात पहुंचता है? महिलाओं को अपने अधिकार पर दृढ़ रहना और अपने लिए नई भूमिकाएं

स्वीकार करना सीखना है। उन्हें जीवन की ओर एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

वर्तमान समय की आवश्यकता है कि महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कारगर व प्रभावी उपाय किए जाएं। इसके लिए जरूरी है कि लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जाए। यह बात लोगों को समझानी जरूरी है कि बेटा-बेटी दोनों एक समान हैं। इस हेतु लोगों की मानसिकता बदलने के लिए आधुनिक संचार माध्यमों व पत्र-पत्रिकाओं, शैक्षिक संस्थाओं व पाठ्यक्रमों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

- महिला-पुरुषों को संतति-निरोध साधनों के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाए जिससे परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल हो सके क्योंकि जल्दी-जल्दी गर्भधारण व अधिक बच्चे पैदा करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है।
- भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत काफी निम्न है, अब भी लगभग दो तिहाई ग्रामीण महिलाएं निरक्षर हैं। महिला साक्षरता महिला स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। केरल का उदाहरण हमारे सम्मुख उपस्थित है, जहां पर उच्च महिला साक्षरता के कारण महिला स्वास्थ्य सूचकांकों की स्थिति देश में सर्वाधिक अच्छी है।
- महिला स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बाल विवाह रोकने व इस बारे में अभिभावकों को सचेत किए जाने की जरूरत है क्योंकि कम उम्र में गर्भधारण हमेशा जोखिमपूर्ण होता है और गर्भवती की जान जाने का खतरा होता है।
- महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्वास्थ्य विभागों का स्वैच्छिक संगठनों के साथ बेहतर तालमेल व सहयोग के साथ कार्य किए जाने की जरूरत है क्योंकि जिन राज्यों में महिला स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, वहां स्वैच्छिक संगठनों ने बेहतर काम करके दिखाया है।
- महिला स्वास्थ्य का संबंध गरीबी से भी है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार व आय संवर्द्धन कार्यक्रमों में

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

- समाज में व्याप्त कुरीतियों व अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की मदद से जागरूकता लाई जाए।
- महिला स्वास्थ्य के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों को संवेदीकृत किया जाए व उनका सहयोग लिया जाए।
- महिला स्वयं-सहायता समूहों व किशोर समूहों का गठन किया जाए व इनकी सहायता से उन्हें स्वास्थ्य व पोषण से जुड़ी जानकारियां दी जाएं।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेन्द्रों पर दी जाने वाली निःशुल्क महिला स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को चुस्त-दुरूस्त किया जाए, स्टाफ की उपस्थिति और आवश्यक दवाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाए। पूरे स्वास्थ्य सेवा तंत्र को क्रियाशील बनाने के लिए लोगों को सामाजिक निगरानी के लिए तैयार किया जाए। साथ ही महिलाएं स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनें और परिवार की अन्य महिला सदस्यों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बन सहायता करें।

(5) अपराध पीड़ितों के लिए समग्र रूप से सिफारिशें

भारतीय समाज में नारी उत्थान और समानता दिलाने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं सामान्य नारी भी समाज में अपने लिए उचित स्थान और सम्मान पाने के संघर्ष में लगी हुई है फिर अपराध पीड़ित महिला के लिए स्थिति और भी शोचनीय हो जाती है उसकी दशा सुधारने के लिए देश में विभिन्न स्तरों पर कार्य करना आवश्यक है। संबंधित स्तरों पर समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सुझाव अथवा सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. पुलिस स्तर पर -

- पुलिस को अधिक कुशल और सहृदय बनाने के उद्देश्य से सरकार को इसका आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम

चलाना चाहिए ताकि महिलाओं के प्रति अपराधों को कम किया जा सके। स्थिति में आमूल परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक सुधारों के साथ आर्थिक सुधार लाने की भी आवश्यकता है।

- किशोरियों के प्रति होने वाले अपराधों से निबटने के मामलों में पुलिस को समुचित रूप से प्रशिक्षित और संवेदीकृत किया जाना चाहिए।
- पुलिस को अधिक सक्षम और मानवीय बनाने के लिए, सरकार को पुलिस के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहिए।
- कचहरियों तथा पुलिस स्टेशनों पर महिला कक्ष खोले जाने चाहिए और महिलाओं को ही उनका प्रभारी नियुक्त किया जाना चाहिए।
- महिलाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में पुलिस अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इन प्रशिक्षणों में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए।
- प्रत्येक पुलिस स्टेशन के साथ, गैर-सरकारी संगठनों, वकीलों तथा स्थानीय लोगों की एक नागरिक समिति सहयोजित की जानी चाहिए।
- कानून की अवहेलना करने वाले बच्चों के मामलों के लिए उपयुक्त योग्यता और प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस अधिकारियों वाला एक अलग कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच के लिए मोबाइल पुलिस गाड़ियां होनी चाहिए।
- एफ.आई.आर. का एक प्रारूप हर पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शित होना चाहिए और प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होना चाहिए कि दर्ज की गई एफ.आई.आर. की एक प्रति शिकायत दर्ज कराने वाले को दे।
- अपराध स्थल की फोटोग्राफी वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जानी चाहिए।
- महिला बंदियों की शिकायतें दर्ज करने के लिए, महिला

पुलिस अधिकारियों सहित एक अलग कमरे की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

- घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में पुलिस को समर्थनशील रवैया अपनाना चाहिए।
- पुलिस अधिकारियों के लिए एक आचार संहिता तैयार करके उसे हर पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हर पुलिस अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में उनकी महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता पर टिप्पणी भी होनी चाहिए।
- महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- पुलिस और पंचायतों को कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को नियत्रिंत करने, रोकने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- महिलाओं के प्रति अपराधों को भावुकता से निपटाने के लिए पुलिस बल को संवेदी बनाया जाना चाहिए, उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- शिकायतों को दर्ज करने में कोई कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से प्रक्रियाओं/प्राथमिकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए।
- पुलिस विभाग में एक महिला कक्ष की स्थापना की जाए और उन्हें इस मुद्दे पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- पुलिस और जनता के बीच नियमित संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

2. अभियोजन / कानून के स्तर पर :

- महिलाओं और कन्याओं के प्रति अपराध से निपटने वाले विधि प्रवर्तन अभिकरणों के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनोवृति को बदलने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाने चाहिए।
- जिला सलाहकार बोर्डो, कानूनी सहायता समितियों तथा परिवीक्षा अधिकारियों को अधिक सक्रिय होना चाहिए और

उन्हें विचाराधीन मामलों को तेजी से निपटाना चाहिए।

- दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार विचाराधीन महिला बंदियों को जमानत पर छोड़ने के लिए सभी बंदीगृह में जेल अदालतें स्थापित की जानी चाहिएं और अच्छे गैर-सरकारी संगठनों को विचाराधीन महिला बंदियों के साथ काम करने के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
- महिला विचाराधीन बंदियों को गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी में परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है।
- महिला विचाराधीन बंदियों को निजी बंधपत्र/बांड पर रिहा किया जाना चाहिए।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145(4) का लोप कर दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, उत्पीड़ित के विगत इतिहास को निर्णयकारी पहलू नहीं बनाया जाना चाहिए।
- मरणकालीन बयान दर्ज करने की कोई अधिक प्रभावशाली प्रणाली निकाली जानी चाहिए।
- परस्पर सहमति से तलाक की अनुमति होनी चाहिए। परन्तु इस बात पर अधिक जोर होना चाहिए कि न्यायाधीश बहुत सावधानीपूर्वक यह जायजा लें कि कहीं महिला से चालाकी या जबरदस्ती से तो यह सहमति नहीं ली जा रही है।
- एक 'महिला संरक्षण अधिनियम' अलग से पारित किया जाना चाहिए जिसमें महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया जाए जैसे कि बलात्कार तथा अभिरक्षा में बलात्कार, अश्लील गाने और अपशब्द, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, महिला पर पति या सास-ससुर द्वारा अत्याचार इत्यादि।
- कोर्ट फीस, वकील की फीस तथा अन्य कानूनी खर्चों सहित महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए।
- वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस युग में महिलाओं के

नियोजन के लिए विशेष कानून बनाए जाने चाहिए और 33 प्रतिशत आरक्षण आश्वस्त किया जाना चाहिए।

- उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए एक विशेष सलाहकार उपलब्ध होना चाहिए जो उन्हें आर्थिक सहायता, पुनर्वास सेवाएं, रोजगार आदि प्रदान कर सके।
- (क) कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न,
  (ख) अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहित महिलाओं के सुरक्षा और (ग) घरेलू हिंसा के बारे में कानून में जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए।
- 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में शामिल किया जाना चाहिए और उसका संस्थागत जायजा लेने की प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए।
- पति तथा पत्नी दोनों को ही दत्तकग्रहण और संरक्षकर्ता का बराबर का अधिकार होना चाहिए।
- चूंकि महिला अपना सारा जीवन पति और परिवार के लिए कठोर परिश्रम करते हुए बिताती है, इसलिए विवाहोपरांत महिला के संरक्षण के लिए 'संपत्ति में साझा' का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण की राशि की ऊपरी सीमा निश्चित नहीं की जानी चाहिए।
- मुस्लिम वैयक्तिक कानून के निम्नलिखित पहलुओं की पुनरीक्षा और संशोधन किए जाने की आवश्यकता है :
  (1) महिला का साक्ष्य आधा साक्ष्य माना जाना
  (2) मनमाने तलाक (त्रिवार उच्चारण द्वारा) से संरक्षण
  (3) बहु-विवाह पर रोक
  (4) पर्याप्त भरण-पोषण सुनिश्चित करना
- सभी महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- कानूनी सहायता कक्ष 24 घंटे खुले रहने चाहिए और पुलिस अधिकारी भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि उत्पीड़ित व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सके।

- महिलाओं पर अत्याचार विरोधी विद्यमान कानूनों को कठोर बनाने की आवश्यकता है। क्रियान्वयन करने वालों को विशेष दिशा निर्देश देने चाहिए।
- वैज्ञानिक गर्भपातों को तुरन्त रोका जाए और दोषी डाक्टरों को दंड दिया जाए।
- बालिका हत्या/कन्या भ्रूण हत्या विरोधी सभी कानूनों को अधिक कठोर बनाया जाए।
- जांच की बुराईयों पर कानूनी चेतावनी प्रत्येक जांच केन्द्र पर लटकाई जानी चाहिए और जांच केंद्रों की लेखन-सामग्री/रिपोर्ट प्रपत्रों आदि पर छापी जानी चाहिए। जांच (स्कैनिंग) बच्चे/मां के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
- 12 सप्ताहों के बाद कोई गर्भपात नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
- बालिका हत्या/कन्या भ्रूण हत्या के मामले में गर्भपात कानून अधिक सख्ती से लागू किए जाने चाहिएं-- जहां कहीं आवश्यक हो, जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।
- बालिका हत्या/ कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध कानूनों को लागू करने में गैर-सरकारी संगठनों को तालमेल बिठाना चाहिए।

3. न्यायालय / अदालत के स्तर पर

- महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस में, न्यायपालिका में और प्रशासन में अधिक महिलाओं की नियुक्ति की जाए। यह आश्वस्त किया जाना चाहिए कि पुलिस और न्यायपालिका में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी हो।
- महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार, तलाक, छेड़छाड़ आदि के मामलों का त्वरित तथा अल्प-काल में फैसला होना चाहिए।
- जिन पर बलात्कार का दोष साबित हो गया है, उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
- महिला और पारिवारिक लोक अदालतें अधिक बार लगाई

जानी चाहिए ओर मंत्रणा केंद्र बड़ी संख्या में स्थापित किए जाने चाहिए।

- महिलाओं के मुद्दों पर न्यायाधीशों के संवेदीकरण कार्यक्रमों में वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पुलिस अधिकारियों और उत्पीड़ितों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।
- न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अन्य बातों के साथ उनकी मानसिक प्रवृति और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का परीक्षण भी लिया जाना चाहिए।
- महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के मामलों में जमानत एक आम प्रक्रिया नहीं बन जानी चाहिए। महिला उत्पीड़ित के पक्ष में न्यायाधीशों को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।
- कन्या भ्रूण हत्या में संलग्न अपराधियों के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए।
- दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जैसे क्लिनिक और डाक्टर का लाइसेंस रद्द करना क्योंकि उनका न केवल भ्रूण हत्या में हाथ होता है अपितु वे महिलाओं के जीवन को भी जोखिम में डालते हैं।

4. कारागार / जेल स्तर पर -

- कई विचाराधीन बंदी विभिन्न जेलों में लम्बी, अवधि से बिना किसी सुनवाई के प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनमें से बहुत से लोगों को छोटे-मोटे अपराधों के लिए बंदी बनाया गया है। संबंधित दंडाधिकारी/न्यायाधीश को ऐसे मामलों की पुनरीक्षा करनी चाहिए।
- सभी जेलों से एक रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए जिसमें इस आशय का ब्यौरा मांगा जाना चाहिए कि विचाराधीन महिला बंदियों की संख्या कितनी है और किस धारा के तहत उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गया है। विचाराधीन महिला बंदियों को तेजी से न्याय देने के लिए ऐसे मामलों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाना चाहिए।

- प्रत्येक जेल में ज्यादा महिला जेलर की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- रिमांड होम और जेलों का वातावरण अधिक सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और बंदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जेल से छूटने के बाद वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें।
- महिला बंदियों के मामलों में यह पता चला है कि उनमें से अधिकांश विचाराधीन बंदी हैं। बिना सुनवाई इन महिलाओं को चिरकाल तक कारावास में रखने से पूरे परिवार और उनके बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से एक सामाजिक समस्या भी है जो पूरे समाज को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में परिवीक्षा अधिकारियों की भूमिका के पूर्वोक्त मुद्दे पर नये सिरे से विचार करना आवश्यक है। परिवीक्षा अधिकारी का पद केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तहत लाया जाना चाहिए।
- यह भी पता चला है कि अधिकांश जेलों में स्थायी महिला जेल कर्मचारी नहीं हैं। कुछ स्थानों पर महिला बंदीगृह के लिए मैट्रन की नियुक्ति भी नहीं की गया है। महिला बंदीगृह में कर्मचारी दैनिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे हैं। महिला जेल कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जाए और उनकी शीघ्र भर्ती करने के लिए कदम उठाए जाएं।
- एक अन्य मुद्दा जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है, वह है दोनों विचाराधीन तथा सिद्धदोष महिला बंदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की अनुमति देना। कुछ गैर-सरकारी संगठन ऐसे हैं जो दोनों योगा जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा अन्य रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा करने में रूचि रखते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनसे संपर्क स्थापित किया जाए और उन्हें संबंधित जेल प्राधिकारियों से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

- जेल परिसरों में साक्षरता के प्रश्न पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से महिला बंदियों के मामले में यह देखने में आया कि उनका साक्षरता स्तर बहुत नीचा है। जेल के निरीक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि फिलहाल 'साक्षरता' कार्यक्रम ठीक ढंग से नहीं चलाए जाते हैं।
- अधिकांश महिला बंदी विचाराधीन बंदी हैं। अतः उन्हें पैरोल पर छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु फिर भी महिला बंदियों के मामले में पैरोल सुविधा उपलब्ध कराने के प्रश्न का अध्ययन किया जाना चाहिए। सिद्धदोष महिलाओं द्वारा पैरोल सुविधाओं का सही उपयोग नहीं किया जाता। उनमें से अधिकांश का अपने परिवारों के लिए कोई नहीं आता। उनकी रिहाई के बाद उनके सही पुनर्वास के लिए भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. गैर सरकारी संगठन के स्तर पर

- अपराध की शिकार महिलाओं के साथ बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक दबाव डालने वाले गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- गैर-सरकारी संगठनों को विचाराधीन महिला बंदियों को कानूनी सहायता देने की अनुमति दी जानी चाहिए। कानूनी सहायता देने में कानूनी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।
- किशोरियों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और सामर्थ्यवर्धन के एकीकृत विकास की उपयुक्त योजनाएं चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- अपराध की शिकार महिलाओं के प्रति बेहतर व्यवहार किए जाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के जरिए जनता का दबाव बढ़ाना आवश्यक है।
- गैर-सरकारी संगठनों के जरिए निरक्षर महिलाओं को

कामचलाऊ साक्षरता प्रदान करने के कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने चाहिए।

- बस स्टेंडों/रेलवे स्टेशनों पर पीड़ित महिलाओं के लिए हेल्पलाइनों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जानी चाहिए।
- महिलाओं और लड़कियों के यौन उत्पीड़न का सामना करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाएं।
- वेश्यावृति तथा अनैतिक व्यापार के लिए फुसलाई गई लड़कियों को बचाकर निकालने और उनका पुनर्वास करने के कार्यक्रम राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा हाथ में लिए जाने चाहिए।
- सेमिनारों के आयोजनों, पोस्टर प्रदर्शनों आदि के माध्यमों से गैर-सरकारी संगठनों को समाज की सभी वर्गों की महिलाओं के लिए बुनियादी कानूनों और प्रक्रियाओं संबंधी सूचना प्रचारित करने का प्रयत्न करना चाहिए।
- महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से गैर-सरकारी संगठनों को अपने विभिन्न क्रियाकलापों संबंधी सूचना स्थानीय मीडिया के लोगों को देनी चाहिए।
- महिला उत्पीड़ितों के पुनर्वास में गैर-सरकारी संगठनों को अहम भूमिका निभानी चाहिए।
- एक अर्थपूर्ण कल्याण संगठन बनाने के लिए पुलिस, वकीलों आदि से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए।
- नारी भ्रूणहत्या की बुराई जो कि कानूनी प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से चल रही हैं, गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से कम हो सकती हैं। वे पंजीकृत जांचशालाओं/क्लिनिकों तथा अस्पतालों पर कड़ी निगरानी रख सकते हैं।
- गैर-सरकारी संगठन प्राथमिक आधार पर यह पड़ताल भी कर सकते हैं कि महिला मजदूरों को समान काम के लिए समान मजदूरी दी जा रही है या नहीं और इसका प्रतिपालन भी करा सकते हैं।

- गैर-सरकारी संगठनों को पुलिस स्टेशन पर महिला एवं कन्या उत्पीड़ितों द्वारा अपनी एफ.आई.आर. लिखाने और समुचित जांच कराने में तथा मुकदमों के दौरान उनकी सहायता करनी चाहिए।
- गैर-सरकारी संगठनों को पुलिस, विधि प्रवर्तन अभिकरणों, स्वास्थ्य देखभाल करने वालों तथा सभ्य समाज के बीच एक सेतु का काम करना चाहिए।

6. मीडिया / जनसंचार माध्यम के स्तर पर :

- सूचना प्रसारण में मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। मीडिया को विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में किशोर लड़कियों के लिए उपयुक्त सकारात्मक आदर्श प्रकाशित करने चाहिए, जैसे राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की ऐतिहासिक भूमिका।
- बहादुर महिलाओं की सफलता गाथा का वृहत प्रचार किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में उनका क्या योगदान रहा है। इससे किशोरियों का आत्म-विश्वास तथा आत्म-सम्मान बढ़ेगा।
- मीडिया, विशेषकर टी.वी., को महिलाओं के वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए शोषण और उन्हें निर्लज्ज तरीके से दिखाए जाने पर रोका जाना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वाले के लिए दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- महिलाओं में कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, गरीब तथा औद्योगिक मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं वहां कानूनी जागरूकता और साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए।
- कानूनी अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को भलीभांति उजागर किया जाना चाहिए ताकि अन्य भी प्रेरणा ले सकें।
- समाचार-पत्रों में, सार्वजनिक स्थानों पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, इंटरनेट पर, होर्डिंग्स आदि पर लिंग चयन तथ

लिंग निर्धारण संबंधी हर प्रकार के विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और दोषी को सजा देने के लिए कठोर उपाय किए जाने चाहिए। विज्ञापन मानक परिषद् को गिरते लिंग अनुपात के लिए जिम्मेदार कार्यकलापों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।

- प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम तथा कानूनी प्रावधानों का डाक्टरों/मीडिया/सरकार/गैर-सरकारी संगठनों/पुलिस/समुदायों/गलियों में तमाशा करने वाले सांस्कृतिक समूहों/कठपुतली का नाच दिखाने वाले लोगों तथा सभी स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए।
- समाज की मानसिकता/प्रवृति को बदलने के लिए एक मीडिया अभियान की योजना बनाई जाए। यह कार्य कार्यक्रमों, रैलियों, प्रदर्शनियों और स्थानीय भाषाओं में नाटकों के जरिए किया जा सकता है।

7. सांस्कृतिक / सामाजिक स्तर पर :

- पीड़ित महिलाओं को बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों में हैल्पलाइन के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा सकती है।
- महिलाओं और लड़कियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना और समाज को एकजुट करना।
- प्रलोभन देकर वेश्यावृति और देह व्यापार में आवकर्षि लड़कियों के लिए बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम चलाएं जाएं।
- किशोर लड़कियों के कम आयु में विवाह कर दिए जाने के सामाजिक-आर्थिक कारणों में सामाजिक और पारिवारिक परम्परा सबसे बड़ा कारण होता है इसके विरुद्ध सामाजिक जनमत बनाना चाहिए।
- किशोर लड़की के यौन कदाचार के आम स्थान, पड़ोस, रिश्तेदारों का घर, कार्यस्थल, बाजार से सटे स्थान आदि हैं। यह बात साफ है कि परम्परागत प्रथाओं द्वारा लड़की के स्वस्थ पालन-पोषण की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को

पुनःजीवित करने का प्रयास करना चाहिए।

- नकारात्मक सांस्कृतिक प्रथाओं से बहुधा उनका पालन-पोषण, शिक्षा तथा समाजीकरण नष्ट हो जाते हैं। समाज को उपयुक्त रूप से संवेदनशील तथा शिक्षित किया जा सके और लड़कियों के विरुद्ध जाने वाली नकारात्मक सांस्कृतिक प्रथाओं तथा प्रवृतियों को समाप्त किया जाना चाहिए।
- बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को निरूत्साहित कर पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोकने के लिए कि महिलाओं का स्थान पुरुषों से नीचा है, समाजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव लाया जाना चाहिए।
- यह सोच कि महिला की खुशी की बलि चढ़ा कर भी परिवार को बनाए रखना जरूरी है समाप्त होनी चाहिए।
- बलात्कार की शिकार महिला को बलात्कारी के साथ विवाह करने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
- अपने दैनिक धार्मिक प्रवचनों में सब धार्मिक नेताओं को कन्या भ्रूणहत्या/कन्या शिशुहत्या की भर्त्सना करनी चाहिए।
- सारे समुदाय के नेताओं को कन्या भ्रूणहत्या/कन्या शिशुहत्या का विरोध करना चाहिए, इसके विरुद्ध प्रचार करना चाहिए और इस अभिशाप पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- इन कुप्रथाओं के विरुद्ध जनमत बनाने के लिए सब सामाजिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन आदि आयोजित करने चाहिए।
- इन दोनों बुराइयों के विरुद्ध जनता को शिक्षित करने के प्रयोजन से पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों के कार्यवाहकों द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- सब धार्मिक नेताओं, सामुदायिक नेताओं तथा सामाजिक संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को दहेज प्रथा समाप्त करने

की दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

- पत्नी की अनुमति के बिना परिवार की संपत्ति बेचे जाने पर पाबंदी लगनी चाहिए।
- विधान सभाओं तथा संसद में उन्हें एक-तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- महिलाओं की समस्याओं संबंधी कार्यक्रमों में पुरुषों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से विवाह से पूर्व और तुरन्त बाद युवाओं को संबोधित करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए।
- सांस्कृतिक भ्रांतियों अर्थात् दहेज, जलाने आदि को दूर करने के लिए सभी प्रकार के मीडिया से सूचना और शिक्षा दी जानी चाहिए।
- महिला समूहों के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या/बालिका हत्या के विरुद्ध जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।
- इस प्रयास में गैर-सरकारी संगठनों, सरकार आदि के माध्यम से धार्मिक नेताओं को सहयोजित किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर पर 'कन्या भ्रूण हत्या विलोपन' दिवस की घोषणा की जानी चाहिए।
- जिला स्तर पर एक हैल्प लाइन और एक सूचना कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए जो लोगों को गर्भपातों, प्रसव-पूर्व निदान तकनीकों और संबंधित अधिनियमों से जुड़ी समस्याओं अथवा जोखिमों के बारे में सूचना दें।
- एक पंजीकरण समिति को सक्रिय बनाया जाए जो प्रसूति विशेषज्ञों स्त्री-रोग विशेषज्ञों और विकिरण चिकित्सकों के संघों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और पंजीकरण करने का काम करें। पंजीकरण प्रपत्र जैसी सामग्री तत्काल उपलब्ध की जानी चाहिए।
- स्वाध्याय मंडल, रामकृष्ण मिशन, स्वामी नारायण समूह, ब्रह्मकुमारी जैसे धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक नेताओं/संगठनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष

प्रयास किए जाने चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देना जरूरी है जिसके लिए कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।

- कन्या भ्रूण हत्या और लिंग निर्धारण परीक्षणों के गम्भीर परिणामों के बारे में जनता में जागृति पैदा की जानी चाहिए और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को नियमित करने के लिए लोगों को कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए।

8. आर्थिक स्तर पर :

- महिलाओं को आय सर्जक कार्यक्रमों के लिए सरकार/गैर-सरकारी संगठनों/राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण दिलाने का प्रबंध किया जाए।
- हिंसा और कदाचार की शिकार महिलाओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38(1) के अनुसरण में एक आपराधिक आघात मुआवजा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।
- प्रत्येक अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जो कि उत्पीड़ित को राहत के रूप में दिया जा सकता है।
- महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए, उनकी आम शिक्षा के दौरान उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए और साथ में यह आश्वासन भी कि इस प्रशिक्षण के आधार पर उन्हें रोजगार में वरीयता दी जाएगी।
- असंगठित श्रम क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।
- रोजगार के मामले में महिलाओं को विकसित प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- महिलाओं को बिना भेदभाव उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए राज्य स्तरों पर नयी योजनाएं चलाई जानी चाहिए।

- महिलाओं और बच्चों के लाभार्थ नियुक्त समिति में समुचित योग्यता वाले व्यक्ति शामिल किए जाने चाहिए।
- यदि किसी सरकारी अधिकारी पर घरेलू हिंसा का आरोप हो तो उसके वेतन में से 30 प्रतिशत कटौती करके वह राशि उसकी पत्नी को दे दी जानी चाहिए।
- आर्थिक पीड़िता को दिया जाने वाला मुआवजा न्यायालयों के कार्य-क्षेत्र में लाया जाना चाहिए तथा मुआवजे से संबंधित निर्णय भी वही न्यायालय दे जो अपराधी को दंड देता है।
- हरजाने की मांग अपराध पीड़िता द्वारा की जा सकती है, लेकिन यदि वह यह मांग न करे तो न्यायालय को अपना मौलिक कर्तव्य मान कर क्षतिग्रस्त व्यक्ति को हरजाना दिलाना चाहिए।
- यदि मुआवजे के प्रश्न पर निर्णय देने में न्यायालय को देरी हो तो न्यायालय को आंशिक निर्णय दे देना चाहिए अथवा मुआवजे के संबंध में अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए।
- मुआवजे की राशि अपराधी की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निश्चित की जानी चाहिए।
- जहां अपराधी हरजाना देने की स्थिति में न हो, वहां राज्य को यह उत्तरदायित्व स्वयं लेना चाहिए।
- क्षतिपूर्ति के लिए राज्य को एक क्षतिपूर्ति कोष की स्थापना करनी चाहिए जिसमें अपराधी से वसूल किया गया जुर्माना तथा राजस्व के अन्य साधनों से धनराशि एकत्र की जाए।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अधिक योजनाएं बनाने की जरूरत है।

9. शैक्षिक स्तर पर :

- विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाली किशोरियों का प्रतिशत कम करने वाले अध्यापकों और विद्यालयों को प्रोत्साहन देकर किशोरियों

की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- शिक्षा नीति में किशोर शिक्षा के लिए विशेष संघटक को सम्मिलित करके इसमें उपयुक्त संशोधन और सुधार किया जाना चाहिए और नीति में स्वास्थ्य शिक्षा, सैक्स शिक्षा और प्रजनन स्वास्थ्य, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का समावेश किया जाना चाहिए।
- विभिन्न प्रकार के हुनर विकसित करने के लिए राज्यों के सरकारी विभागों, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों आदि के जरिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता देने के लिए उपक्रम प्रशिक्षण व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।
- कन्याओं को शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जानी चाहिए और वर्दी, किताबें तथा मध्याह्न भोजन भी मुफ्त मुहैया कराया जाना चाहिए।
- स्कूल तथा कालिजों में कानून की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए।
- बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे उनमें आत्म सम्मान और आत्म-बोध का सृजन होगा।

10. स्वास्थ्य / कल्याण के स्तर पर :

- युवतियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए।
- महिला बंदियों को सेनेटरी नैपकिन दिए जाने चाहिए।
- किशोर लड़कियों को यौन तथा यौन संबंधों के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं होती हैं। उनमें से अधिकांश गर्भधारण, गर्भपात, गर्भनिरोधक विधियों तथा यौन स्वास्थ्य से अवगत नहीं हैं अतः स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए।
- किशोर लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए सशक्तिकरण का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उनके बीच प्रजनन स्वास्थ्य तथा यौन के बारे में उपयुक्त सूचना

प्रसारण की आवश्यकता है।

- यौन शिक्षा, रति जनित रोग, एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है।
- एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर लड़कियों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए, परिपक्वता प्राप्त करने पर उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षा हो, उनके पोषण पर ध्यान दिया जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम चलाए जाएं।
- गर्भधारण के बारह सप्ताह बाद गर्भ के चिकित्सीय समापन की आज्ञा नहीं होनी चाहिए।

स्त्री के स्वास्थ्य और आहार में सुधार लाने के लिए परिवार और समाज में स्त्री के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करनी आवश्यक है। निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनको (स्त्रियों को) साक्षर बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्त्रियों में साक्षरता और शिक्षा का स्तर ऊंचा और अच्छा होने के परिणाम अच्छे होते हैं सामान्यतः शिक्षा जीवन में आधार अथवा नींव का कार्य करती है। सामान्य महिला हो अथवा अपराध पीड़िता शिक्षा उसके जीवन को दिशा प्रदान करती है। शिक्षित महिला अर्थ उपार्जन में समर्थ होती है अतः वह स्वमेव आत्मनिर्भर बन जाती हैं। नारी को इस स्तर तक लाने के लिए एक स्वस्थ और संवेदनशील समाज की आवश्यकता है। समाज को संवेदनशील अथवा उचित ढंग से संवेदी बनाने के लिए और शिक्षित करने के लिए जनसंचार माध्यमों की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए और होती भी है। लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति नकारात्मक सांस्कृतिक प्रवृतियों और सामाजिक प्रथाओं के उन्मूलन में मीडिया की अहं भूमिका है इसी के साथ-साथ लोक सूचना अभियान जैसे नुक्कड़ नाटक, कार्यशाला इत्यादि द्वारा पीड़ित महिलाओं के प्रति जनमानस को आंदोलित किया जा सकता है जो उनकी समस्याओं को समझ कर और उनकी मनोदशा को जानकर उन्हें समाज की

मुख्य धारा से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। मीडिया को विभिन्न माध्यमों यथा-समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं आदि में महिलाओं के लिए सकारात्मक रोल मॉडल प्रस्तुत अथवा प्रकाशित करने चाहिए जिनमें राष्ट्र के पुनर्निर्माण में महिलाओं की ऐतिहासिक भूमिका का विवरण हो। इनमें बहादुर महिलाओं की सफलता के किस्से भी हो जो अन्य महिलाओं के प्रेरणा स्रोत बन सकें। इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाओं के चरित्र का भी बखान किया जाना चाहिए जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आदर्श स्थापित कर चुकी हों इससे अन्य महिलाओं को अपने आत्म सम्मान को ऊपर उठाने में सहायता मिलती है और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अंत में यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार से संबंधित मंत्रालय और अन्य अभिकरण अपनी सकारात्मक नीतियों के साथ, गैर-सरकारी संगठनों और महिला संगठनों के सहयोग से ऐसी पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का शत-प्रतिशत समाधान कर सकते हैं।

●

क्रम सं.	पुस्तक का नाम	लेखक	प्रकाशक
01	वार्षिक रिपोर्ट 2001-2002 व 2004-2005	राष्ट्रीय महिला आयोग	दिल्ली
02	वार्षिक रिपोर्ट 2004-2005	राष्ट्रीय महिला आयोग	दिल्ली
03	दंड प्रक्रिया संहिता-1973	बसन्ती लाल बावेल	सेंट्रल लॉ एजेंसी
04	इक्वैलिटी टू वूमन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया	राष्ट्रीय महिला आयोग	दिल्ली
05	भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार की अवधारणाएं	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	दिल्ली
06	महिलाओं के प्रति अपराध	श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव	कॉमनवैल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली
07	महिला एवं कानून	चेतन मेहता	आशीष पलिंसिग हाऊस, दिल्ली
08	भारतीय दंड संहिता भाग 1	सुरेश व्यास, महावीर प्रसाद	यूनीवर्सिटी बुक हाऊस, जयपुर
09	भारतीय दंड संहिता भाग 2	सुरेश व्यास, महावीर प्रसाद	यूनीवर्सिटी बुक हाऊस, जयपुर
10	जन संचार	राधेश्याम शर्मा	हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़
11	भारतीय संस्कृति : एक अजस्त्र प्रवाह	उदयनारायण तिवारी	अशनाक एंड अरविंद कला महल, दरियागंज, दिल्ली
12	भारत की वीरांगनाएं	मीरा जैन	विद्या विहार, नई दिल्ली

13	भारत में सामाजिक समस्याएं	प्रकाशनारायण नटाणी	पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
14	गांधी, नेहरू, टैगोर और अंबेडकर	डा. एम. सी. जोशी	अभिव्यक्त प्रकाशन, इलाहाबाद
15	स्वतंत्रता आंदोलन और जयशंकर प्रसाद	डा. ऋता तिवारी	सिलेक्टर पब्लिशर्स, नई दिल्ली
16.	महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कार्यशाला रिपोर्ट-2004	राष्ट्रीय महिला आयोग	नई दिल्ली
17	महिला कामगार रिपोर्ट	राष्ट्रीय महिला आयोग	नई दिल्ली
18	जेंडर इक्वीटी-मेंकिग इट हैपन	राष्ट्रीय महिला आयोग	नई दिल्ली
19	मीरा दीदी से पूछो	राष्ट्रीय महिला आयोग	नई दिल्ली
20	भारत की जनगणना	प्रकाशन विभाग	नई दिल्ली
21	महिलाओं के विरुद्ध अपराध (अंग्रेजी)	राम आहूजा	नई दिल्ली
22	सामाजिक समस्याएं (अंग्रेजी)	राम आहूजा	नई दिल्ली
23	अपराध और समाज (अंग्रेजी)	ई. बी. लियोनार्ड	नई दिल्ली
24	परिवार में हिंसा (अंग्रेजी)	मेरी बीरलैंड	नई दिल्ली
25	आज का भारत	रजनी पामदत्त	भारत सरकार प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
26	अपराध शास्त्र	डा. बसंती लाल बावेल	ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ

27	अपराध शास्त्र	राम आहूजा, मुकेश आहूजा	रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, नई दिल्ली
28	मानवाधिकार और महिलाएं	डा. राजबाला सिंह	आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर
29	नारी और न्याय	डा. विष्णुदत्त शर्मा	शोध प्रकाशन अकादमी, गाजियाबाद (उ.प्र.)
30	महिला विकास की नई दिशाएं	पुष्पा मोतीयानी	कर्नावती पब्लिकेशंस अहमदाबाद, (गुजरात)
31	सर्वप्रिया नारी	डा. विष्णुदत्त शर्मा	शोध प्रकाशन अकादमी गाजियाबाद (उ.प्र.)
32	मनोविज्ञान विश्वकोश	डा. मानवेंद्र कुमार मिश्रा	अंकुर डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली
33	संगठित अपराध	महेंद्र सिंह आदिल	प्रकाशन विभाग, दिल्ली
34	क्राइम इन इंडिया 2006	राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	नई दिल्ली
35	सामाजिक विघटन और सुधार	डॉ. सप्लाइ बे	प्रकाशन विभाग, दिल्ली
36	अपराध : कारण और निवारण	गिरीराज शाह	प्रकाशन विभाग, दिल्ली
37	भारतीय महिला के कानूनी अधिकार	प्रो. सुलक्षण शर्मा	प्रकाशन विभाग, दिल्ली
38	महिला और विकास (अंग्रेजी)	एम. इमैन्युल	कर्नावती प्रब्लकेशन, अहमदाबाद
39	भारत में महिला सशक्तिकरण की राजनीति (अंग्रेजी)	पी. एन. सेठ	कर्नावती प्रब्लकेशन, अहमदाबाद

40	गांधी मार्ग	गांधी शांति प्रतिष्ठान	नई दिल्ली
41	भारतीय नारी (अंग्रेजी)	पी. एन. टीक्कू	बी. आर. पब्लिसिंग कॉरपोरेशन, दिल्ली
42	वूमेन विहाइंड महात्मा गांधी (अंग्रेजी)	नार्टन एलीनॉट	जमको पब्लिसिंग हाऊस, मुम्बई
43	भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान (अंग्रेजी)	वी. एस. महायान	दीप एंड दीप पब्लिलिकेशन्य नई दिल्ली
44	नारी सुधार : भविष्य के विकल्प (अंग्रेजी)	नजमा हेपतुल्ला	ऑक्सफोर्ड एंड आई. वी. एच. पब्लिसिंग कंपनी नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता
45	महिला और समाज : विकास के आयाम (अंग्रेजी)	अमीन कुमार गुप्ता	क्राईटीरियन पब्लिलिकेशंस, नई दिल्ली
46	भारत में महिला का स्तर और क्रांति (अंग्रेजी)	सुशील मेहता	मैट्रोपोलिटन बुक कम्पनी, नई दिल्ली
47	वूमेन एंड सोशल इंजस्टिस (अंग्रेजी)	एक. के. गांधी	गुजरात नवजीवन विद्यापीठ अहमदाबाद
48	अपराध पीड़ित (अंग्रेजी लेख)	के. जी. कृष्ण और डी. पी. सिंह	सोशल चेंज, सितंबर 1982
49	अपराध पीड़ितों के लिए मुआवजा रिपोर्ट (अंग्रेजी)	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो	नई दिल्ली
50	ए नोट फॉर द कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो	नई दिल्ली

डा. उपनीत लाली

डा. उपनीत लाली पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, पी-एच.डी. और कानून एवं विधि में स्नातक हैं। वर्तमान में डा. लाली जेल सुधारात्मक प्रशासन, चंडीगढ़ में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे मनोविज्ञान विभाग, पंजाब विश्व विद्यालय, पटियाला में व्याख्याता थीं। आपने मानवाधिकार, नारी अधिकार, बाल अधिकार एवं किशोर न्याय-व्यवस्था और आपराधिक न्याय-व्यवस्था विषयों में उल्लेखनीय कार्य किया है। पुलिस एवं जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में भ आप विशेषज्ञ हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा मानवाधिकार आयोग के लिए कई शोध अध्ययन किए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक शोध पेपर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हैं।

डा. ऋता तिवारी

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में लगभग 25 वर्षो से कार्यरत डा. ऋता तिवारी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक और कला निष्णात की उपाधि पाने के उपरांत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एम.फिल.और पी-एच.डी. की उपाधि ग्रहण की। इसके अतिरिक्त बी.एड., बी.जे.एम.सी. और समाजशास्त्र में भी स्नातकोत्तर की उपाधियाँ भी प्राप्त कीं। इसी क्षेत्र में कई शोध-पत्र विभिन्न राष्ट्र स्तरीय शोध पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। कई राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों में प्रभावी रूप से भाग लिया एवं शोध-पत्र प्रस्तुत किए।